खण्ड-335, अंक-7
मंगलवार, 5 पौष, शक संवत् 1900
(26 दिसम्बर, 1978 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 335 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७९

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय

उपस्थित सदस्य १३१–१३४

प्रश्नोत्तर १३५–१०१७

भूतपूर्व सदस्य, श्री मंगला प्रसाद के निधन पर शोकोद्गार .. १०१७–१०२०

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न १०२०–२०२१

दिल्ली में किसान सम्मेलन में मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य पर व्यवस्था का प्रश्न १०२१–१०२३

विधान सभा सदस्य, श्री डी० पी० बोरा द्वारा अपनी सुरक्षा की मांग १०२३–१०२६

किसानों को धान का समर्थित मूल्य देने में अव्यवहारिकता तथा क्रय केन्द्र बढ़ाये जाने की मांग के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना १०२६–१०२७

देवरिया जनपद की सीताराम शुगर मिल तथा देवरिया शुगर मिल चालू न होने से व्याप्त असंतोष के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना १०२७–१०२९

उत्तर प्रदेश परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण कर्मचारी संघ की मांगें तथा अनशन के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना १०२९–१०३०

सिंचाई विभाग निर्माण खंड उन्नाव द्वारा नहरों की सफाई न कराने से हरदोई के मल्लावां क्षेत्र के किसानों को परेशानी के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना .. १०३०

रामपुर शुगर फैक्ट्री से सम्बन्धित गन्ना क्रय केन्द्र चालू न होने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना .. १०३०–१०३१

उत्तर प्रदेश कीटनाशी (अपील) नियमावली, १९७५ को सदन के पटल पर विलम्ब से रखने के सम्बन्ध में वित्त मंत्री का स्पष्टीकरण १०३१–१०३२

वि यू० पी० स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ का तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन तथा १९७६–७७ के लेखे (सदन के पटल पर रखे गये) १०३२

यू० पी० स्टेट ब्रिज कारपोरेशन लिमिटेड का प्रथम प्रतिवेदन वर्ष १९७२–७३, द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन १९७३–७४ तथा तृतीय वार्षिक रिपोर्ट १९७४–७५ (सदन के पटल पर रखी गयी) .. १०३३–१०३४

वित्त (बिक्री–कर) अनुभाग–२ की विज्ञप्ति (सदन के पटल पर रखी गयी) १०३४

विषय	पृष्ठ संख्या
कतिपय सदस्यों की गिरफ्तारी तथा रिहाई की सूचनाएं ..	१०३४–१०३५
चीनी मिल, रामकोला, देवरिया के प्रशासक श्री राजनाथ के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का सूचना ..	.. १०३५–१०३६
देवरिया और बैतालपुर की शुगर मिल चालू न होने से गन्ना किसानों में संकट के संबंध में वक्तव्य ..	.. १०३६–१०४१
दिनांक ८ सितम्बर, १९७८ को श्री मंजूर अहमद तथा श्री अरुण कुमार द्वारा पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या ३ के संबंध में उपाध्यक्ष द्वारा मांगा गया जानकारी के विषय में वन मंत्री का शोधन वक्तव्य ..	.. १०४१–१०४२
श्री प्रदीप कुमार यादव द्वारा दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न को आज न लिये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न..	१०४२–१०४३
मथुरा जिले के तेल शोधक कारखाने की बंदी तथा हड़ताल के संबंध में वक्तव्य	.. १०४३–१०४५
बलिया जिले में राज्य सड़क परिवहन निगम की बस से हुई दुर्घटना में एक छात्र की मृत्यु तथा उससे उत्पन्न तनाव के संबंध में वक्तव्य	.. १०४५–१०४६
उत्तर प्रदेश आबकारी (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९७८ (पुरः स्थापित किया गया) ..	.. १०४६–१०४७
भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के लोक सभा से निष्कासन तथा कारावासित किये जाने के विरोध में सत्याग्रहियों को जेल में सुविधाएं न मिलने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना..	१०४७–१०६०
कलकत्ता–लखनऊ–दिल्ली की ४१० नम्बर की सेवा में बोइंग विमान के अपहरण के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना ..	१०६०–१०७६
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की अन्य सूचनाएं ..	१०७६
१९७८–७९ के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा ..	१०७६–१०९०
१९७८–७९ के अनुपूरक अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या–१ राज्य विधान मन्डल (स्वीकृत) ..	१०९०
अनुदान संख्या ४—न्याय प्रशासन (स्वीकृत) ..	१०९१
अनुदान संख्या ५—निर्वाचन (स्वीकृत) ..	१०९१
अनुदान संख्या ११—बिक्री-कर (स्वीकृत) ..	१०९१
अनुदान संख्या १८—सचिवालय (स्वीकृत) ..	१०९१–१०९२
अनुदान संख्या २०—कोषागार तथा लेखा प्रशासन (स्वीकृत) ..	१०९२
अनुदान संख्या २१—पुलिस (स्वीकृत) ..	१०९२

विषय		पृष्ठ संख्या
अनुदान संख्या २४--सार्वजनिक निर्माण कार्य (स्वीकृत)	..	१०९२
अनुदान संख्या २५--अन्य प्रशासनिक सेवाएं (स्वीकृत)	..	१०९३
अनुदान संख्या २८--शिक्षा (स्वीकृत)	..	१०९३
अनुदान संख्या २९--कला एवं संस्कृति (स्वीकृत)	..	१०९३
अनुदान संख्या ३१--चिकित्सा (स्वीकृत)	..	१०९३-१०९४
अनुदान संख्या ३३--सार्वजनिक स्वास्थ्य (स्वीकृत)	..	१०९४
अनुदान संख्या ३४--मल निकासी व्यवस्था तथा जल सम्पूर्ति (स्वीकृत)		१०९४
अनुदान संख्या ३७--सूचना तथा प्रचार (स्वीकृत)	..	१०९४
अनुदान संख्या ३९--हरिजन कल्याण एवं समाज कल्याण (स्वीकृत)	..	१०९५
अनुदान संख्या ४०--अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण संबंधी योजनाएं (स्वीकृत)		१०९५
अनुदान संख्या ४१--दैवी आपदाओं के कारण सहायता (स्वीकृत)		१०९५
अनुदान संख्या ४२--अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएं (स्वीकृत)	..	१०९६
अनुदान संख्या ४३--सहकारिता (स्वीकृत) ..	..	१०९६
अनुदान संख्या ४४--विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र (स्वीकृत)	..	१०९६
अनुदान संख्या ४५--अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं (स्वीकृत)	..	१०९६-१०९७
अनुदान संख्या ४६--कृषि (स्वीकृत)	..	१०९७
अनुदान संख्या ४८--ग्राम विकास (स्वीकृत)	..	१०९७
अनुदान संख्या ४९--सामुदायिक विकास (स्वीकृत)	..	१०९७
अनुदान संख्या ५०--भूमि तथा जल संरक्षण (स्वीकृत)	..	१०९८
अनुदान संख्या ५१--क्षेत्र विकास (स्वीकृत)	..	१०९८
अनुदान संख्या ५३--पशुपालन (स्वीकृत)	..	१०९८
अनुदान संख्या ५५--मत्स्य उद्योग (स्वीकृत)	..	१०९८-१०९९
अनुदान संख्या ५८--ग्राम एवं लघु उद्योग (स्वीकृत)	..	१०९९
अनुदान संख्या ६१--राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य (स्वीकृत)		१०९९
अनुदान संख्या ६२--सिंचाई अधिष्ठान (स्वीकृत)	..	१०९९
अनुदान संख्या ६३--सिविल विमानन (स्वीकृत)	..	११००
अनुदान संख्या ६४--संचार साधन (स्वीकृत)	..	११००

विषय	पृष्ठ संख्या
अनुदान संख्या ७१—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	११००
अनुदान संख्या ७२—कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	११०१
अनुदान संख्या ७४—आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) . .	११०१
अनुदान संख्या ७६—सहकारिता तथा डेरी विकास संबंधी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) ..	११०१
अनुदान संख्या ७७—विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) ..	११०२
अनुदान संख्या ८८—विभिन्न उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	११०२
अनुदान संख्या ८१—सामुदायिक विकास योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) ..	११०२
अनुदान संख्या ८३—पशुपालन तथा मत्स्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) ..	११०३
अनुदान संख्या ८५—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	११०३
अनुदान संख्या ८७—संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	११०३
अनुदान संख्या ९४—ऋण और अग्रिम-उद्योग (स्वीकृत) ..	११०४
अनुदान संख्या ९५—ऋण और अग्रिम-सहकारिता (स्वीकृत) ..	११०४
अनुदान संख्या ९६—ऋण और अग्रिम-कृषि (स्वीकृत) ..	११०४
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७८-७९ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९७८ (पारित) ..	११०५-१११३
उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कालेज (आरक्षित समूह विधेयक) (तृतीय) विधेयक, १९७८ पर होने वाले विचार को स्थगन ..	१११३-१११५
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं ..	१११५-१११६
श्री गोपाल दत्त तिवारी अधिवक्ता, उत्तर प्रदेश भंडारण निगम, मेरठ का हत्या किये जाने के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	१११६-१११९
दीन दयाल शोध संस्थान, गोंडा पर सरकार किये गये द्वारा खर्च के संबंध में १३ दिसम्बर, १९७८ को पूछे गये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या ३ के संबंध में नियम ४९ के अन्तर्गत चर्चा ..	१११९-११२६
सूचियां ..	११२७-११४६

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक २६ दिसम्बर, १९७८

विधान सभा की बैठक सभा मन्डप, लखनऊ में ११ बज दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य २८५

अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अशफाक, अहमद खां श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
इन्द्रमणी बड़ोनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईश दत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय नरायण सिंह, श्री
उदित नरायन, श्री
ऊदल, श्री
ए० सी० वाइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कमल किशन पान्डेय, श्री
कल्प नाथ सिंह, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कुवर शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरू प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भैया, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदी सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल, "निर्भय" श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद, ओझा, श्री
जय राम, श्री

जय शंकर पाण्डे, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसबीर सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झाम लाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सिंह, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीप नरायन, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्म दत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हे लाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नाथू राम शिक्षक, श्री
नारायण सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पत्राकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुष्पा तलवार, श्रीमती
पूरन चन्द्र, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह पुष्पावन, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
फ़ज़लुल बारी, श्री
बंगाली सिंह, डाक्टर
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास खाबरा, श्री
बलदेव, श्री

बलवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बसन्त, श्री
बाके लाल, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल 'सरोज', श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बिशन दयाल, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज लाल, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवान दीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भीषम, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल हुसैन खां, श्री
मघुकर दिघे, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री

मुश्ताक महमद, श्री
महम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मूल चन्द, ठाकुर,
मैनेजर सिंह, श्री
मोअज्जिज अली बेग, डाक्टर
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नारायन, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज ब्रज राज सिंह, श्री
राज मंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पान्डेय, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम जनम, श्री
राम जी, श्री
राम दत्त जोशी, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पान्डय, श्री
राम नरेश यादव, श्री
रामपति श्री
राम फेर, श्री

राम प्रकाश, श्री
राम बक्स, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सिंह, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
लखो सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलाधर सिंह, श्री
वंश गोपाल चौबे, श्री
शिक्षा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पान्डेय श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर रहमान बर्क, श्री
शम्भू नाथ, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा श्रीमती
शारदा देवी श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोभन सिंह जोना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्री चन्द, श्री
श्री नारायण, श्री (उर्फ भुल्लई भाई)
श्री राम द्विवेदी, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्य देव त्रिपाठी, श्री

सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सुखपाल पान्डय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुरेन्द्र पाल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरबीर सिंह, श्री
सूर्यमखी शर्मा, श्रीमती

सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
सोहन लाल, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरि केवल प्रसाद, श्री
हरि चरण यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह, शास्त्री, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी सिंह, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह, परिहार, श्री
हेम राज, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २६ दिसम्बर, १९७८

अतारांकित प्रश्न

सचिवालय में तदर्थ रूप से नियुक्त कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग

**१—श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

सरकारी सेवाओं में तदर्थ नियुक्तियों के नियमितीकरण सम्बन्धी शासनादेश संख्या १९/८/७५-का/१/७८, दिनांक १८ अप्रैल, १९७८-कार्मिक अनुभाग-१ के सन्दर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सचिवालय लखनऊ में तदर्थ नियुक्तियों से सम्बन्धित पदों पर नियमित चयन का कार्य अन्तिम निर्धारित तिथि ३० जून, १९७८ तक पूरा करा लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ?

नियोजन राज्य मन्त्री (श्री लक्ष्मण सिंह)—

प्रसंगत शासनादेश दिनांक १८ अप्रैल, १९७८ के अन्तर्गत सचिवालय में जिन तदर्थ नियुक्तियों का विनियमन ३० जून, १९७८ तक अपेक्षित था उनका विवरण संलग्न है और समस्त सम्बन्धित पदों पर नियमित चयन हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ११२७ पर ।)

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

मान्यवर, मेरा प्रश्न देखने की कृपा करें । मैंने लास्ट में पूछा था कि "यदि नहीं, तो क्यों" इसके लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं । ३० जून, १९७८ तक विनियमन अपेक्षित था, यह अन्सर आया है । ३० जून, १९७८ तक यह नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ और उसके लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ? यह भी मेरा प्रश्न था । माननीय मंत्री जी इसका भी जवाब दे दें तब मैं सप्लीमेन्ट्री पूछूं ।

श्री लक्ष्मण सिंह—

श्रीमन्, १८ अप्रैल, १९७८ को जो शासनादेश जारी हुआ है उसके पैरा २ में यह था कि १-१-७७ के बाद तदर्थ नियुक्ति से सम्बन्धित पदों पर चयन ३० जून, १९७८ तक अवश्य कर लिया जाय । इसके दायरे में १५ वर्षों तक सहायक रखे गए थे । मगर यह तदर्थ नियुक्ति नहीं है बल्कि उन लोगों को अस्थायी तौर पर ले लिया गया । लोक सेवा आयोग से चयन हो जाने के पश्चात् उनको विभाग को वापस भेज देने का विचार है । इसके अतिरिक्त २१ स्थगन कुल ऐसे हैं पूरे सचिवालय में जो विभिन्न तिथियों पर सितम्बर, अक्तूबर या अप्रैल, १९७८ में तदर्थ रूप से अस्थायी रखे गए । ३० जून, १९७८ को उनको साल भर नहीं हुआ इसलिए उनको नियमित नहीं किया जा सका । साल भर में उनको नियमित कर दिया जायगा ।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

मान्यवर, यह शासनादेश जो था वह केवल सचिवालय के बारे में ही नहीं, बल्कि सभी प्रशासकीय सेवाओं के बारे में था। मैंने प्रश्न केवल सचिवालय के बारे में पूछा, वह इसलिए क्योंकि सारे के बारे में यह कह देते कि सूचना नहीं मिल पा रही है। मैं मंत्री जी से उनके उत्तर के सन्दर्भ में जानना चाहता हूं कि जो उन्होंने उत्तर में कहा कि नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है, तो वह कौन सी कार्यवाही की जा रही है और क्या कार्यवाही केवल सचिवालय के बारे में ही की जा रही है या शासनादेश की जो मन्शा थी सारे विभागों के बारे में की जा रही है?

श्री अध्यक्ष—

आपने स्वयं ही सचिवालय के सम्बन्ध में प्रश्न किया है।

श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि १-१-७७ तथा उससे पहले जो नियुक्ति थी उनके लिए अलग नियम बनाए गए क्योंकि तीन साल की सेवा हो जाने पर उन्हें स्थायी करना था। मैंने यह भी बताया कि १८ अप्रैल, १९७८ के जी० ओ० के बाद या अप्रैल के दौरान १०-१५ जो नियुक्तियां करनी पड़ी उन्हें अभी साल भर नहीं हो पाया है और साल भर हो जाने के बाद कार्यवाही की जायगी।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब ३० जून तक की अंतिम अवधि आपने शासनादेश में लाग कर दी थी तो उस शासनादेश का लागू न होने का क्या कारण है और उसके लिये कौन-कौन व्यक्ति जिम्मेदार हैं, क्या इसके बारे में मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, मैंने निवेदन किया और फिर साफ किए देता हूं। मिसाल के तौर पर सचिवालय इक्सचेंज में टेलीफोन क्लीनर एक व्यक्ति रखा गया था...

श्री अध्यक्ष—

यह तफसील तो आपने दे दिया। उनका कथन है कि विलम्ब क्यों हुआ और उसके लिए कौन-कौन व्यक्ति जिम्मेदार हैं?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, वही निवेदन कर रहा हूं। केवल २०/२१ स्थान हैं जिसमें मिसाल के तौर पर सचिवालय इक्सचेंज में एक टेलीफोन क्लीनर को रखा। चूंकि तुरन्त आवश्यकता थी, इसलिए अस्थायी रूप से रख लिया गया। ३० जून तक डेढ़/दो महीना बैठता था। उसमें इम्प्लायमेन्ट इक्सचेंज से मंगाने में समय लगता। साल भर उसके लिए रखा है। उसके बाद रेगुलर कर दिया जायेगा। ऐसी और लोगों के बारे में भी बात है।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जी० ओ० के अनुसार तीन साल यानी ३० जून, ७८ तक उनको स्थायी करने की बात है, तो उस जी० ओ० की क्या मन्शा है कि क्या जो अन्य विभागों के कर्मचारी काम कर रहे हैं, वे भी उसके अंतर्गत आते हैं?

श्री लक्ष्मण सिंह—

माननीय, १-१-७७ के पूर्व, यानी ३१-१२-७६ से पूर्व तक जिन लोगों को तीन साल हो जायेंगे उन व्यक्तियों को चाहे वे लोक सेवा आयोग की परिधि में आते हों या उसके बाहर हों, जैसे-जैसे तीन साल पूरे होते जायेंगे, उनको रेगुलर करते जायगे ।

श्री अध्यक्ष—

अब अगला प्रश्न लेते हैं ।

एक सदस्य—

माननीय, हमको इसी में पूछना था ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

माननीय, व्यवस्था का प्रश्न है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया है उसमें माननीय मंत्री जी ने सप्लीमेन्ट्री में कहा है कि एक टेलीफोन क्लीनर की जगह खाली थी जिसकी नियुक्ति करने में यह कठिनाई थी । लेकिन माननीय मंत्री जी ने सूची सदन के पटल पर रखी है, उसमें वैयक्तिक सहायक, टेलीफोन प्रिन्टर आदि के १९ स्थानों का उल्लेख किया है, तो क्या सप्लीमेन्ट्री में जो उत्तर दिया है, वह सही उत्तर है या जिसको कि सदन के पटल पर रखा है और जो संख्या बताई वह सही है ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो निर्णय का सवाल है । उसके लिए मैं कैसे बाध्य करूं कि जवाब दें ।

श्री लक्ष्मण सिंह—

इसी तरह से वैयक्तिक सहायकों के बारे में भी बात थी और वैयक्तिक सहायकों की स्थिति के लिए भी बताया था । यह तो अभी एक आदमी को मिसाल देकर बताया गया । चूंकि यह दो महीने पहले हुआ था इसलिए नहीं हो पाया ।

श्री अध्यक्ष—

सर्कुलर यह था कि ३० जून तक चालू करके उन व्यक्तियों को विनियमित होना चाहिए था जो नियमानुसार हो सकते थे, जो टेलीफोन क्लीनर के सम्बन्ध में दो-एक महीने की बात है, उसका उत्तर स्पष्ट नहीं है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

तो माननीय, इसको स्थगित कर दें और कल-परसों में सूचना दिलवा दें कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं हो रहा ।

श्री अध्यक्ष—

फिर तो यह अगले सेशन में जायेगा ।

पी० ए० सी० दूसरी वाहिनी, सीतापुर के कमांडिंग आफिसर का रिक्त पद

**२--श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर) तथा श्री लाल दास (जिला सीतापुर)--

क्या गृह मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि पी० ए० सी० दूसरी बटालियन, सीतापुर के कमांन्डिंग आफीसर का पद पिछले तीन महीने से रिक्त था जिसका कार्यभार वहां के एक डी० वाई० एस० पी० को दिया गया जबकि उसी बटालियन में एक ए० एस० पी०, आई० पी० एस० कार्यभार ग्रहण करने के लिये सक्षम थे ? यदि हां, तो इस अनियमितता का क्या कारण है ?

गृह मन्त्री (श्री राम सिंह)--

दूसरी वाहिनी पी० ए० सी०, सीतापुर में सेनानायक का पद दिनांक १४-८-७८ से १८-११-७८ तक रिक्त रहा। उक्त अवधि में उसी वाहिनी के ज्येष्ठ सहायक सेनानायक को सेनानायक के पद पर, स्थानापन्न रूप से, प्रोन्नत किया गया था। यह सही नहीं है कि उस वाहिनी में एक ए०ए०पी० (आई०पी०एस०) कार्यभार ग्रहण करने के लिए सक्षम था।

श्री गनेशी लाल चौधरी--

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि सीतापुर में ही एक दूसरी पी० ए० सी० वाहिनी में एक सीनियर हरिजन आई०पी० एस० कार्य कर रहे थे और उनको चार्ज न देने की वजह से सेनानायक, डी० वाई० एस० पी० को चार्ज दिया गया ?

श्री राम सिंह--

माननीय, सीतापुर में दो वाहिनियां हैं, तो जो स्थान जिस वाहिनी में रिक्त था उसी वाहिनी के वरिष्ठ अधिकारी को चार्ज दिया गया। दूसरी वाहिनी के अफसर को यहां लाकर चार्ज देने में दिक्कत होती इसलिए जो इस वाहिनी के वरिष्ठ अधिकारी थे उनको चार्ज दिया गया।

श्री गनेशी लाल चौधरी--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उनको क्या कठिनाई हो रही थी जब एक ही जगह में दो वाहिनियां हैं और दूसरा आ सकता है, तो क्या कठिनाई हो रही है यह कठिनाई बताने की कृपा करेंगे। क्या वह हरिजन था इसलिए नहीं किया गया ?

श्री राम सिंह--

यह आसान था, प्रशासनिक दृष्टिकोण से ठीक भी था इसलिए जिस वाहिनी का पद रिक्त था उसी वाहिनी के वरिष्ठ अधिकारी को चार्ज दिया गया जाति-विशेष की वजह से ऐसा नहीं किया गया।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

माननीय मंत्री जी कृपया यह बतायें कि जब सीतापुर की यह सेवायें सम्मिलित रूप से हैं, तो फिर हरिजन या नान-हरिजन का कोई सवाल मैं नहीं उठा रहा हूं, लेकिन यदि उस सेवा के लिए एक उपयुक्त आई० पी० एस० अफसर मौजूद था, तो क्या कारण था कि उस व्यक्ति को जो आई० पी० एस० था, वह स्थान नहीं दिया गया जब कि इन्टीग्रेटेड स्केल है।

श्री राम सिंह—

माननीय, मैंने निवेदन किया कि दो वाहिनियां वहां हैं....

श्री अध्यक्ष—

उनका प्रश्न यह है कि सेलेक्शन दोनों वाहिनियों का संयुक्त है, अलग-अलग हो जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनका कथन है कि दोनों वाहिनियों में मिलाकर एक आई० पी० एस० अफसर उपलब्ध था, तो उसको क्यों नहीं लिया गया ?

श्री राम सिंह—

उस वाहिनी के जो दूसरे वरिष्ठ अधिकारी थे, उनको वरिष्ठता के आधार पर चार्ज दिया गया ताकि वे आसानी से काम कर सकें।

श्री दीपनरायन (जिला गोंडा)—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जैसा माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि वहां दो वाहिनी थी और दूसरी वाहिनी में एक आई० पी० एस० अफसर मौजूद था, तो उसको इसमें नहीं किया जा सकता था और अगर नहीं किया जा सकता था, तो क्यों नहीं किया जा सकता था।

श्री अध्यक्ष—

इसको मैंने समझ लिया है, इसका उत्तर वे दे चुके हैं।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

आपने जो प्रश्न किया था उसको उत्तर भी इन्होंने नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने बता दिया है। बार-बार दोहराना ठीक नहीं है।

श्री ऊदल—

क्या पी० ए० सी० के लिए प्रमोशन के लिए, नियुक्ति के लिए एक ही नियम है चाहे उसकी बटालियन कितनी ही हो ?

श्री राम सिंह—

माननीय, नियम का सवाल इससे तो प्रस्तुत होता नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

श्री ऊदल का कथन है कि पी० ए० सी० में प्रोन्नति के लिए एक ही नियम है या अलग-अलग सेवा नियम हैं ? यह उनका प्रश्न है।

श्री राम सिंह—

इसके लिए मुझे सूचना की आवश्यकता है।

"अनुशासन ही देश को महान बनाता है" के नारे का निरसन

**३--श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि "अनुशासन ही देश को महान बनाता है" क्या यह नारा विगत सरकार ने सार्वजनिक स्थानों एवं परिवहन सेवा बसों पर लिखवाया था ? यदि हां, तो इसे मिटा देने का क्या कारण है ?

सूचना उप मन्त्री (श्री भगौती सिंह)--

जी हां ।

केन्द्रीय सरकार के निर्देशों के अनुसार ।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि 'अनुशासन ही देश को महान बनाता है' इस प्रश्न का यह नारा जो है यह सार्वजनिक बसों में, परिवहन की बसों में लिखाया गया है । क्या इस सरकार को अनुशासन की आवश्यकता नहीं है ? इस नारे को मिटाने का क्या कारण है ? इसको मिटाने और लिखाने में आर्थिक व्यय क्या है ?

श्री भगौती सिंह--

पिछली सरकार के समय २० सूत्री कार्यक्रम के अधिकाधिक प्रचार के लिये केन्द्रीय सरकार ने कुछ नारों का भेजा था और उनका सार्वजनिक स्थानों पर प्रचार किया गया । अनुशासन देश को महान बनाता है यह एक व्यवस्था के संदर्भ में है जिस व्यवस्था को तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी चाहती थीं, उस व्यवस्था को यह देश पसन्द नहीं करता ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मित्र सेन का प्रश्न यह है कि क्या आप इसको नहीं मानते कि अनुशासन देश को महान बनाता है ? इसका उत्तर आप दें ?

श्री भगौती सिंह--

मैंने निवेदन किया कि यह नारा जो उस समय दिया गया था एक विशेष दिशा का द्योतक है और उस दिशा को पूरे देश ने नकार दिया । अब उस नारे को जिस संदर्भ में वह दिया गया था, आवश्यकता नहीं है ।

श्री ऊधल--

क्या केन्द्रीय सरकार के उस निर्देश को पढ़ने की कृपा करेंगे जिसके मातहत इस नारे को खत्म किया गया ?

श्री भगौती सिंह--

उसके लिये समय की आवश्यकता है ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

यह बात नहीं है कि इसमें समय की आवश्यकता है । आप देखें कि किस तारीख का यह परिपत्र है ? मेरा निवेदन है कि आप इसको स्थगित कर दें ।

श्री अध्यक्ष--

अब मैं इसके लिये मजबूर नहीं कर सकता ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)--

अनुशासन तो यह सरकार भी मानती है । उत्तर दिया गया कि केन्द्रीय सरकार का निर्देश मिलने पर इस नारे को खत्म किया गया, तो क्या प्रदेश की सरकार ने केन्द्रीय सरकार को कोई पत्र भी लिखा था कि इसको मिटाने के लिये अनुमति आपको दी जाय ? यदि हां, तो वह पत्र क्या है ?

श्री अध्यक्ष--

उनका कहना यह है कि केन्द्रीय निर्देश के बाद ऐसा किया गया और पूछा गया कि केन्द्रीय निर्देश क्या है उत्तर दिया गया कि इसके लिये सूचना की जरूरत है । वैसे मैं उप नेता सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रश्नों में इस प्रकार का टाल उत्तर देना अत्यन्त अनुचित है । जब उत्तर में लिखा गया कि केन्द्रीय निर्देश के मुताबिक ऐसा किया गया तो यह स्वभाविक है कि कोई व्यक्ति पूछ सकता है कि केन्द्रीय निर्देश क्या है और अगर केन्द्र के उस निर्देश को लेकर वह नहीं आता है तो फिर उत्तर देने का मतलब क्या होता है ।

श्री देव बहादुर सिंह--

मंत्री जी ने उत्तर में कहा कि अनुशासन देश को महान बनाता है इस नारे को अब इस देश की जनता तथा प्रदेश की जनता ने अस्वीकार कर दिया । तो क्या इस नारे को इस सरकार ने भी अस्वीकार कर दिया ?

श्री भगौती सिंह--

मैंने निवेदन किया कि केन्द्रीय सरकार के निर्देश के अन्तर्गत ही इस स्लोगन को हटाया गया है ।

श्री देव बहादुर सिंह--

यह कोई उत्तर नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी पहले कह चुके हैं 'अनुशासन देश को महान बनाता है' यह नारा एक विशेष संदर्भ में दिया गया था और अब वह संदर्भ बदल गया, लिहाजा वह नारा अनावश्यक है ।

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर, सरकार इसे मानती है या नहीं ? जवाब नहीं आया ।

श्री रियासत हुसेन (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन्, यह गम्भीर प्रश्न है । केन्द्रीय निर्देश के अनुसार जैसा कि मंत्री जी ने बताया, समाप्त किया गया है, तो वह फाइल पर निर्देश होगा । इसलिए उनसे एक बार फिर कह दें कि वह केन्द्रीय निर्देश क्या है ।

श्री अध्यक्ष--

वह कहते हैं कि फाइल में नहीं है ।

(सदन में बिजली बली गई)

श्री सुखपाल पाण्डेय--

उस अनुशासन के नाम पर तमाम नेताओं को जेल में बन्द कर दिया था जिसे कि जनता ने ठुकरा दिया ।

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर, सुनाई नहीं देता है ।

श्री श्यामधर मिश्र--

श्रीमन्, इन लोगों को अंधेरे में दिखाई देता है, हमें नहीं दिखाई पड़ता है ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

जो लोग ऊंची आवाज में बोलते हैं उन्हें अवसर दिया जाय ।

श्री ऊदल--

मान्यवर, इसका जवाब शाही जी दें ।

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर, आपही सदन को चलायें इस सरकार के भरोसे यह सदन नहीं चल सकता है ।

(सदन में बिजली आने पर)

श्री रियासत हुसन--

अब मंत्री जी केन्द्र के निर्देश को बता दें ?

(उत्तर के लिए मंत्री जी को पुकारा नहीं गया)

श्री सुखपाल पाण्डेय--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने अनुशासन के नाम पर देश और प्रदेश के महान् नेताओं को जेलखाने में बन्द करने के लिए अनुशासन की झूठी आवाज जगह-जगह उठाई थी और उन तानाशाही ताकतों को जनता ने पहचान कर उन्हें सत्ता से हटा दिया....

श्री अध्यक्ष--

आप तो व्याख्यान देने लगे ।

श्री सुखपाल पाण्डेय--

तो जनता की उन भावनाओं का आदर करने के लिए ही उन लिखे हुए नारों को मिटाया गया है ?

श्री भगौती सिंह--

मान्यवर, मैंने तो पहले ही निवेदन किया कि देश की जनता ने उस अनुशासन को, जिसे श्रीमती इन्दिरा गांधी चाहती थीं, नकार दिया, इसलिए सरकार ने आवश्यक समझा कि जिन बातों का प्रतीक वह नारा था, उसे हटा दिया जाए ।

श्री श्यामधर मिश्र--

यदि वह उस नारे के खिलाफ हैं कि अनुशासन ही देश को महान् बनाता है और उसको कटवा और मिटवा देने की उन्होंने आज्ञा दी है, तो क्या वह इसके पक्ष में होंगे कि इसको लिखवा दिया जाए कि अनुशासन देश को गिराता है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

यह तर्क क्या है ?

दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन हेतु गठित समिति की संस्तुतियां

**४--श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)--

क्या गृह मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष १९७७ में उत्तर प्रदेश शासन ने सहायक अभियोजन अधिकारियों (ए० पी० ओ०) की समस्याओं पर हल निकालने हेतु १५ सदस्यीय महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में कोई समिति गठित की थी ? यदि हां, तो उस समिति की संस्तुति क्या है ? शासन उन संस्तुतियों को पूरा करने और ए० पी० ओज० का अलग निदेशालय बनाने पर क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री राम सिंह--

दन्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ में संशोधनों तथा अभियोजन शाखा के अधिष्ठान के भावी स्वरूप के प्रश्न पर विचार कर अपनी संस्तुतियां देने हेतु महाधिवक्ता की अध्यक्षता में एक समिति शासन द्वारा गठित की गयी थी । इस अधिष्ठान के सम्बन्ध में समिति ने एक अलग अभियोजन निदेशालय की स्थापना किये जाने की संस्तुति की है जिस पर विचार किया जा रहा है ।

श्री मोहन सिंह (देवरिया)--

क्या मंत्री जी की जानकारी में यह है कि भारत के भूतपूर्व एटार्नी जनरल श्री सीतलवाड की अध्यक्षता में बने १४वें ला कमीशन की जो रिपोर्ट सन् १९५१ में आई, उसने यह सिफारिश की थी कि दोहरी न्याय व्यवस्था और दोहरी अभियोजन व्यवस्था को बदल दिया जाना चाहिए और जूडिशियरी को कार्यपालिका से अलग कर हाईकोर्ट के अधीन कर दिया जाना चाहिए ? और उसके तहद ही दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमांचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, आन्ध्र, केरल तथा मद्रास प्रदेशों में अभियोजन शाखा को पुलिस शाखा के नियन्त्रण से अलग रखा गया है ? यदि हां, तो मैं इस सम्बन्ध में मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अब २० वर्ष उपरान्त भी उत्तर प्रदेश शासन के समक्ष अभियोजन शाखा को पुलिस से अलग करने में क्या कठिनाइयां हैं ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, अभियोजन शाखा पर विचार करने के लिए और सी० आर० पी० सी० के अन्दर अन्य अमेन्डमेन्ड करने के लिए दिसम्बर, ७७ में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक समिति गठित की थी, जिसके चेयरमैन श्री ऋषिराम जी थे और उन्होंने शासन को एक रिपोर्ट भेजी है । जिसमें सी० आर० पी० सी० में और अमेन्डमेन्ट्स की संस्तुतियां की हैं । एक सिफारिश है कि अभियोजन शाखा का डाइरेक्टरेट अलग कर दिया जाय । उसके ऊपर विचार कर रहे हैं कि उस पर क्या निर्णय किया जाय ।

श्री मोहन सिंह (देवरिया)--

मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला । मैं जानना चाहता हूं, १९५८ में ला कमीशन ने रिपोर्ट दी शासन के समक्ष क्या कठिनाई है ? दूसरा प्रश्न मैं जानना चाहता हूं कि जिस उप समिति की चर्चा माननीय मंत्री कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट २३-५-७८ को उत्तर प्रदेश शासन को मिली । उसमें १५ सदस्य थे जिनमें १४ ने निदेशालय की संस्तुति की है । केवल पुलिस महा निरीक्षक ने उसका विरोध किया। मैं जानना चाहता हूं कि २३-५-७८ का जो रिपोर्ट आयी, संस्तुति अभी विचाराधीन है, निदेशालय के बारे में, माननीय मंत्री की अवधि तय हो गयी है, क्या अपने मंत्रित्व काल में इस निदेशालय के बारे में स्पष्ट निर्णय कर देंगे ?

श्री कल्पनाथ सिंह--

यह क्या पूछ रहे हैं, अवधि तय हो गयी है । इसका क्या मतलब है ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

माननीय प्रश्नकर्ता ने कहा कि माननीय मंत्री की अवधि तय हो गयी है ।

श्री अध्यक्ष--

उनका मतलब है इस विधान सभा के कार्यकाल से ।

श्री देव बहादुर सिंह--

उससे लिंक न करें ।

श्री अध्यक्ष--

यही धारणा की जाती है ।

श्री रामसिंह--

१९७८ की जिस समिति का जिक्र किया है उसमें बहुत बड़ा प्रश्न सेपेरेशन आफ जुडिशियरी का था । उस समिति ने इस प्वाइंट को भी छुआ था, अभियोजन शाखा पर संस्तुति दी थी, उस पर परीक्षण होता रहा । अब उत्तर प्रदेश सरकार ने समिति बनायी । उसकी रिपोर्ट प्राप्त हो गया है ।

श्री अध्यक्ष--

उनका कहना है कि मई में रिपोर्ट मिली । सात महीने हो गये हैं । उस रिपोर्ट पर अन्तिम निर्णय कब तक ले लेंगे, क्या इस सत्र के अन्त होने तक लेंगे या पहले लेंगे, यह उनका प्रश्न है ।

श्री राम सिंह--

निदेशालय का मुख्य प्रश्न उसके अन्दर है । जो प्रश्न उसमें निहित है वह यह है कि अभियोजन शाखा पुलिस ऐडमिनिस्ट्रेशन से अलग रखी जाय और डाइरेक्टरेट के मातहत रखी जाय, तो उसके ऊपर विचार हो रहा है । बहुत जल्दी निर्णय करेंगे कि अन्तिम रूप से क्या व्यवस्था हो सकती है ।

श्री मोहन सिंह (देवरिया)--

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया । दो बाते हैं । एक तो ला कमीशन की १९५८ की रिपोर्ट है जिसकी तहत देश के बहुत सारे राज्यों ने पुलिस के नियन्त्रण से अभियोजन शाखा को अलग कर दिया । उत्तर प्रदेश में ला कमीशन की रिपोर्ट के तहत निदेशालय अलग नहीं बनाया गया अभियोजन कार्यकर्ताओं का । मैं जानना चाहता हूं कि २० वर्षों तक शासन के समक्ष उस ला कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने में क्या-क्या कठिना यां रहीं ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो उत्तर दिया । इसी पर उन्होंने एक कमेटी श्री ऋषि राम अग्रवाल की अध्यक्षता में बनायी । उन्होंने संस्तुति दे दी है । उनका प्रश्न यह है कि अन्य राज्यों ने उन संस्तुतियों को मानकर अलग निदेशालय अभियोजन शाखा का बनाया है, क्या यह आपकी जानकारी में है और उसकी रोशनी में आपको निर्णय लेने में क्या कठिनाई हो रही है ?

श्री रामसिंह--

मैंने वही निवेदन किया, जो अभियोजन शाखा के निदेशालय की सिफारिश है, जो दूसरे प्रदेशों ने लागू की ह, ऐसा नहीं है सभी प्रदेशों ने उसको पुलिस की मातहती से अलग निकाल दिया हो । ए० पी० ओज० और पी० ओज० पुलिस के नियन्त्रण में सीधे नहीं हैं, जिलाधीश के मातहत है । नो कमेटी हमने बिठाया है उसकी रिपोर्ट सामने है । उसकी जांच हो रही है । इसके बारे में अन्तिम निर्णय, क्या करें, डाइरेक्टरेट के बारे में अन्तिम निर्णय करेंगे कि अन्तिम व्यवस्था क्या हो ।

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)--

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस उप समिति ने ए० पी० एस०, पी० ओज० और ए० पी० ओज० का क्या वेतनक्रम सुझाया है और वह वेतनक्रम कब लागू करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो इससे निकलता नहीं ।

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मत्री जी को यह मालूम है कि जब पब्लिक प्रासीक्यूटर्स का डेपुटेशन माननीय मुख्य मंत्री जी से २ जून, ७८ को मिला था, तो उन्होंने यह वयदा किया था कि डायरेक्टोरेट जल्दी से जल्दी अलग कर दिया जायगा, लेकिन सिर्फ क्योंकि पुलिस के जो महा निरीक्षक हैं, उनका केवल एक मात्र विरोध है । क्या माननीय मंत्री जी, मुख्य मंत्री जीके आश्वासन को सामने रखते हुए उस एकमात्र विरोध को खत्म करके जल्दी से जल्दी डायरेक्टोरेट बनाने की कृपा करेंगे ?

श्री रामसिंह--

माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस डेलीगेशन को क्या आश्वासन दिया था उसकी चर्चा, तो अभिलेखों में ह नहीं । लेकिन जहां तक पुलिस के महानिरीक्षक के विरोध का सवाल है प्रत्येक को अपना मत व्यक्त करने का अधिकार है ।

श्री अध्यक्ष--

आप का प्रश्न इस सन्दर्भ में बहुत उचित है । अगर मुख्य मंत्री जी ने ऐसा कोई आश्वासन दिया, तो वह संयुक्त जिम्मेदारी है और उस आश्वासन की पूर्ति क्यों नहीं हो रही है ?

श्री राम सिंह--

माननीय मुख्य मंत्री जी ने कोई आश्वासन दिया होगा, तो उसकी पूर्ति होगी ।

श्री अध्यक्ष--

यह तो आपकी काल्पनिक बात है । यह बतलावें कि आपकी जानकारी में है कि उन्होंने कोई ऐसा आश्वासन दिया या नहीं ? उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए।

श्री राम सिंह--

अभिलेखों के आधार पर मेरे पास इस समय इस बात की सूचना नहीं है कि उन्होंने क्या आश्वासन दिया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

कृपया प्रश्न को देखें । इसके दो हिस्से हैं । पहला हिस्सा यह है कि समस्याओं का हल निकालने हेतु समिति गठित की औ दूसरा यह कि यदि हां, तो समिति की संस्तुतियां क्या हैं । मैं जानना चाहता हूं कि उस समिति ने निदेशालय को पृथक् करने के अलावा कोई अन्य संस्तुतियां दी हैं, तो वे क्या हैं ? निदेशालय के सम्बन्ध में यह जानना चाहता हूं कि पृथक् स्थापित करने के बारे में स्वीकार कर लिया है तो उसके कार्यान्वयन के स्वरूप पर विचार किया जा रहा है अथवा नहीं ?

श्री राम सिंह--

जो संस्तुतियां समिति ने दी हैं यदि कहें तो सारी संस्तुतियों को पढ़ दूं । उनमें वेतन क्रम का भी है, अभियोजन शाखा के बारे में भी है, जिला स्तर के बारे में भी है । तीनों के बारे में है ।

श्री अध्यक्ष--

डिटेल्स में न जायं । प्रश्न यह है कि क्या संस्तुतियां सिद्धान्त रूप में स्वीकार की हैं या नहीं ?

श्री राम सिंह--

अभी परीक्षण हो रहा है । वित्तीय साधनों की भी बात उसमें आयेगी। स्ट्रक्चर को बदलने की भी बात होगी ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९ (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों का सरकारी नौकरियों में आरक्षण

*१--श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद) तथा श्री धर्मगज सिंह (जिला हरदोई)--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हो गये या स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व मीसा, डी० आई० आर० में नजरबन्द किये गये व्यक्तियों जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके पुत्र-पुत्रियों, पौत्र-पौत्रियों से राज्य सरकार की सेवाओं में शासनादेश संख्या ६/२/१९७२ कार्मिक-२, दिनांक २१-११-७७ द्वारा आरक्षण की सुविधा वापस ले ली गई है जबकि जो जीवित हैं उनके सम्बन्धियों को लाभ मिल रही है ? क्या यह सही है कि माननीय उच्च-न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा वर्ष १९७६ में दिये गये एक आदेश में यह कहा गया था कि उन लोगों को आरक्षण दिया जाय जिनका पालन-पोषण, शिक्षा आदि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी द्वारा हुई हो ? यदि हां, तो क्या इसके अनुपालन में आदेश पारित किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पुनरीक्षित परिभाषा का उल्लेख करते हुए शासनादेश संख्या ६/२/१९७२-कार्मिक-२, दिनांक २१-११-१९७७ में केवल यह सुस्पष्ट किया गया गया है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित (१) पुत्र तथा पुत्री (विवाहित अथवा अविवाहित) एवं (२) पौत्र अर्थात् पुत्र का पुत्र तथा पौत्री अर्थात् पुत्र की पुत्री (केवल अविवाहित) सरकारी सेवाओं में सुविधायें, उल्लिखित शासनादेश द्वारा निर्धारित प्रपत्र देने पर और यह सुनिश्चित होने पर कि वे सम्बन्धित सेनानी पर वास्तविक रूप से आश्रित हैं, प्राप्त करेंगे ।

माननीय उच्च न्यायालय ने वर्ष १९७६ में कु० आशारानी भदौरिया तथा अन्य बनाम राज्य सरकार में जो आदेश दिया था उसके अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उन सम्बन्धियों को आरक्षण की सुविधा प्रदान की जा रही है जो उन पर वास्तविक रूप से आश्रित हैं । तद्नुसार शासनादेश दिनांक २१-११-७७ जारी किया गया है ।

श्री श्रीराम द्विवेदी--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहूंगा कि हाई कोर्ट के आदेश क्या थे और उनके अनुपालन में विलम्ब का आधार क्या है ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

कुमारी आशारानी भदौरिया. अन्य बनाम सरकार की रिट पिटीशन में अंग्रेजी की चार-छः लाइनें हैं अगर आप अनुमति दें तो पढ़ दूं ।

श्री अध्यक्ष--

उनका हिन्दी अनुवाद कर दें तो अच्छा है ।

श्री लक्ष्मण सिंह--

हिन्दी अनुवाद कर देता हूं । यह याचिका आंशिक रूप से मन्जूर की जाती है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को हिदायत की जाती है कि रिजर्वेशन का लाभ उन लोगों को न दिया जाय जो पोलिटिकल सफरर के आश्रित होने की संतुष्टि कमीशन को या सरकार को न कर दें कि वह पोलिटिकल सफरर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पर वास्तविक रूप से आश्रित थे ।

श्री श्रीराम द्विवेदी--

मैं यह जानना चाहता हूं कि विलम्ब का आधार क्या है, क्यों देर हो रही है, इसे मंत्री जी ने स्पष्ट नहीं किया है ?

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने बताया तो परिपत्र प्रेषित कर दिया गया है तो विलम्ब कहां हुआ है ।

मुरादाबाद जिले के सम्भल में साम्प्रदायिक दंगा के सम्बन्धी में आयोग की रिपोर्ट

*२--श्री मुहम्मद खलीलउल्लाह कुरेशी (जिला गाजीपुर)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सम्भल, जिला मुरादाबाद में पिछली होली के अवसर पर साम्प्रदायिक दंगा हुआ था और उसकी जांच के लिए माइनारिटी कमीशन भी गया था और कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है ? यदि हां, तो वह रिपोर्ट क्या है और सरकार ने उस पर अब तक क्या कार्यवाही की है तथा क्या सरकार उस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह---

२९-३-१९७८ को सम्भल में साम्प्रदायिक दंगा हुआ था और उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य अप्रैल, १९७८ में सम्भल गये थे । आयोग ने कुछ सुझाव शासन को प्रेषित करते हुए सूचित किया है कि उनके द्वारा विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है और यथासमय शासन को प्रेषित की जायेगी । आयोग की रिपोट प्राप्त होने के पश्चात् शासन द्वारा अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री मुहम्मद खलीलउल्लाह कुरेशी---

क्या गृह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह सुझाव क्या हैं और उन सुझावों पर कुछ अमल किया गया कि नहीं ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, उन्होंने लगभग १३ सुझाव दिये हैं जिनमें से कुछ सुझाव ऐसे हैं कि जिनका पालन पहले से ही किया जा चुका है । उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसे पीड़ित परिवार हैं जिन्हें पैसा नहीं दिया गया है । लेकिन मृतक परिवार को ५ हजार रुपया दिया गया और क्षतिपूर्ति के लिए डी० एम० से कहा गया है कि वे उसका आंकलन कर लें और जिसको आवश्यक हो, दे दिया जाय । कुछ बात जांच के लिए थी, जैसे कि जो निशानात दीवारों के ऊपर हैं, उनको मिटा दिया जाय । जांच चल रही है और अगर निशानात को मिटा दिया गया, तो जांच में दिक्कत होगी । इसलिए उसे नहीं मिटाया गया । इस तरह की संस्तुतियां उसमें थीं ।

श्री रियासत हुसैन--

क्या गृह मंत्री जो बताने की कृपा करेंगे कि सम्भल में हर पांच-सात साल के वक्त में कम्युनल रायट होता है । क्या माइनारिटी कमीशन की रिपोर्ट में कोई ऐसी सिफारिश है कि कोई ऐसी कार्यवाही की जाय जिससे कि राइट का रिपीटीशन न हो ? अगर है, तो क्या है ?

श्री राम सिंह--

एक संस्तुति उन्होंने की है कि एक वृहद् राइट स्कीम बनाई जाय और उसको अप-टू डेट रखा जाये । इस सम्बन्ध में हर जिले में एक रायट की स्कीम होती है और समय-समय पर वह संशोधित की जाती है । उसी आधार पर हमने फिर जिलाधिकारी को आदेश दिया है कि फिर ऐसी घटना न हो जाय और अगर हो जाय, तो उस पर कन्ट्रोल किया जाय ।

श्री रियासत हुसैन--

यह मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिए । उन्होंने इसका उत्तर दिया कि जो संस्तुति उन्होंने की है उसके मुताबिक अमल कर रहे हैं ।

श्री रियासत हुसैन --

जो कन्ट्रोल करने के लिए है । आफटर ब्रेक आउट क्या किया जायेगा ? क्या माइनारिटी कमीशन ने कोई ऐसी रिकमेन्डेशन की है ? उसने जो रीजन्स इन्क्वायर किए हैं जिनके कारण यह दंगे होते हैं और वह भविष्य में न हो, उनके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गयी है ?

श्री राम सिंह--

जो पत्र उनका प्राप्त हुआ है उसमें विस्तृत व्याख्या नहीं है बल्कि उन्होंने कहा है कि जो अन्तिम रिपोर्ट हम देंगे उस पर शासन विचार करे लेकिन अभी तक उन्होंने अन्तिम रिपोर्ट नहीं दी है ।

श्री श्यामधर मिश्र --

क्या यह बात सही नहीं है कि इस रिपोर्ट के पहले एक रिपोर्ट रघुवर दयाल समिति की और दूसरी मुदालियर कमेटी के प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं उन्होंने इन मुद्दों पर प्रतिवेदन दिया है और उत्तर प्रदेश सरकार को वह प्रतिवेदन मिले हैं और उन्होंने विचार भी किया है, तो क्या कार्यवाही की है ? यदि प्राप्त हुए हैं, तो क्या कार्यवाही की गयी है और उनमें क्या भिन्नतायें हैं ?

श्री राम सिंह --

विस्तृत रिपोर्ट के बारे में सूचना की आवश्यकता है लेकिन जो साम्प्रदायिकता का विषय है उस पर शासन गम्भीरता से विचार कर रहा है । पिछले कमीशन की नजीरों को ध्यान में रखकर विचार कर रहा है कि उन्हें प्रभावशाली ढंग से लागू किया जा सके ।

श्री देव बहादुर सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि आयोग ने जो सुझाव दिए हैं कि जो मृतक थे या घायल थे, सहायता दी जाये लेकिन सभी को अनुदान या धनराशि नहीं दी गयी है और इसके लिए जिलाधीश को लिख रहे हैं। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह आदेश कब गये और क्या उनका कोई उत्तर आया है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री राम सिंह--

२९-३-१९७८ को दंगा हुआ उसके बाद ही आदेश जिला अधिकारी को चले गये और यह आदेश दिये गये थे कि अगर किसी व्यक्ति को शिकायत हो कि उसे पैसा नहीं मिला है तो उसकी जांच करायी जावेगी। अगर सन्तुष्ट हो जायेंगे, तो उसको भी पैसा दिया जायेगा, लेकिन अभी तक कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है।

हकीम नूरमुहम्मद, ग्राम लोहरौली ठकुराई, जिला बस्ती की पुलिस द्वारा पिटाई एवं झूठा मुकदमा

*३--श्री दिवाकर विक्रम सिंह (जिला बस्ती)--

क्या गृह मंत्री ने हकीम नूरमुहम्मद, निवासी ग्राम लोहरौली ठकुराई, थाना दुघारा, जनपद बस्ती के प्रार्थना पत्र जो उक्त हकीम नूरमुहम्मद को दुघारा थाने की पुलिस द्वारा निरअपराध पीटने तथा फर्जी मुकदमा में चालान करने के विरुद्ध दिया गया था तथा उक्त घटना के विरुद्ध प्रश्नकर्ता द्वारा दिए गए शिकायती पत्र पर माह सितम्बर, ७८ में जिलाधिकारी, बस्ती को मजिस्ट्रीयल जांच करा कर आख्या प्रस्तुत करने तथा दोषी व्यक्तियों को दंडित करने का आदेश दिया था और क्या उक्त जांच की आख्या जिलाधिकारी, बस्ती द्वारा शासन को माह अक्तूबर, ७८ में प्रस्तुत कर दी गई है? यदि हां, तो जांच आख्या क्या है और यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया गया तो उसके विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह--

जी हां। जांच आख्या से यह निष्कर्ष निकला कि श्री नूर मुहम्मद को पुलिस द्वारा निरअपराध मार पीटकर उस पर झूठा मुकदमा कायम करके चालान किया गया। दोषी पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के आदेश दिए जा चुके हैं।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब शासन को आख्या मिल गयी है कि झूठा मुकदमा किया गया है तो उसको वापस लेने में शासन को क्या कठिनाई है और वह कब तक वापस ले लेंगे ?

श्री राम सिंह--

मुकदमा वापस होने की कार्यवाही शुरू हो रही है।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या आदेश भेज दिए गये हैं ? अगर नहीं, तो इसमें क्यों देरी की जा रही है ?

श्री राम सिंह--

मुकदमा वापस करने का निश्चय कर लिया गया है । आदेश प्रसारित कर दिए जायेंगे ।

श्री राम दत्त जोशी (जिला नैनीताल)--

उन्होंने कहा कि दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? मुअत्तिल किया गया है या डिपार्टमेन्टल कार्यवाही हो रही है ?

श्री राम सिंह--

माननीय, इसमें ३ पुलिस कर्मचारी सम्मिलित थे और उन सभी को मुअत्तल कर दिया गया है ।

श्री राघव राम मिश्र (जिला खीरी)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम कोहरौली ठकुराई थाना दुधारा में एक फर्जी डाक्टर के खिलाफ सरकार ने कोई जांच आदेश दिये थे, जिसकी जांच स्थानीय दरोगा ने की, जिसकी कार्यवाही अदालत में चल रही है ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न इससे नहीं उठता ।

श्री राघव राम मिश्र--

जो मामला किसी अदालत में भी इस विषय में चल रहा है क्या उसकी जांच किसी एस० डी० एम० से हो सकती है ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो आप नया प्रश्न कर रहे हैं ।

श्री राघव राम मिश्र--

मान्यवर, उस क्षेत्र के मिश्र जितने भी प्रधान हैं, प्रमुख नागरिक हैं, प्रमुख लोग हैं, मन्त्री हैं और विधायकगण हैं उन सबने दरोगा के पक्ष में शासन को यह लिखा है कि वह एक अच्छा दरोगा है और वहां पर शान्ति व्यवस्था कायम है, तो क्या उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न इससे नहीं निकलता है ।

श्री देव बहादुर सिंह--

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि झूठा मुकदमा कायम करके उनका चालान किया गया है, तो किस किस सैक्शन्स में उनका चालान हुआ है और किन-किन पुलिस कर्मचारियों को निलम्बित किया गया है ।

श्री राम सिंह---

मान्यवर, श्री नूर मुहम्मद की यह शिकायत थी कि मुझे पुलिस ने नाजायज तरीके से बन्द किया और झूठा मुकदमा कायम किया। उसकी शिकायत पर शासन ने जिलाधीश को आदेश दिए और कहा कि इसकी जांच कराकर जो भी तथ्य हों, सरकार के पास भेज दें। परगना अधिकारी ने इसकी जांच की और उसने जो रिपोर्ट यहां पर भेजी है उसमें कहा है कि श्री शरद पांडे, सहायक इन्सपेक्टर और एक सिपाही श्री तिवारी को सस्पेन्ड कर दिया गया है। इसी से सम्बन्धित एक और केस आया हरिमूर्ति सिंह से सम्बन्धित और चूंकि झूठा मुकदमा कायम हुआ है, इसलिए उसे वापस लेने की कार्यवाही हो रही है।

श्री अध्यक्ष---

माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि किस-किस दफा में अभियोग चलाया गया है ?

श्री राम सिंह---

मान्यवर, जहां तक धाराओं का सम्बन्ध है मुझे सूचना की आवश्यकता होगी। मैं इस समय धारायें नहीं बता पाऊंगा।

राष्ट्रीय लघु उद्योग मेला, दिल्ली में प्रदेश के मंडप निर्माण हेतु विज्ञापन का प्रकाशन

*४---श्री मोती राम (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)---

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिल्ली में चल रही राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास प्रदर्शिनी में जो हमारे प्रदेश का पैवीलियन बनाया है उसमें कितना खर्चा हुआ ? क्या यह सही है कि इस पैवीलियन के निर्माण का ठेका गत कई वर्षों की भांति इस वर्ष भी किसी मेसर्स कोठारी ऐंड कम्पनी नामक संस्था को दिया गया ? जिसके खिलाफ अनेकों भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं ? क्या यह ठेका देने के पूर्व कोई इश्तहार अन्य आरटीटेक्ट को अवसर देने के लिय प्रकाशित किया गया ? यदि हां, तो मेसर्स कोठारी ऐन्ड कम्पनी के अलावा कितने अन्य आरटीटेक्टों के प्रार्थना-पत्र तथा किन-किन दरों में प्राप्त हुये थे ?

उद्योग मंत्री (श्री राम प्रकाश)---

राष्ट्रीय लघु उद्योग मेले में उत्तर प्रदेश मंडप के निर्माण, साजसज्जा, विद्युतीकरण, सजावट, प्रकाशन विज्ञापन एवं प्रदर्शनी व वस्तुओं के लाने आदि में दिनांक १६ दिसम्बर, १९७८ तक रु० १२,२५,७८३.५३ का भुगतान किया जा चुका है। अभी प्रदर्शनी पर कुल कितना वास्तविक व्यय हुआ, उपलब्ध नहीं है। प्रदर्शनी का स्वीकृत बजट २१,०२,५०० रु० है।

यह सही है कि मंडप निर्माण हेतु आर्टीटेक्ट के रूप में मेसर्स कोठारी एंड एसोसियेट्स, नई दिल्ली को नियुक्त किया गया। सर्वश्री कोठारी एसोसियेट के विरुद्ध किसी भ्रष्टाचार की शिकायत के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है।

आर्किटेक्ट के चयन हेतु माह सितम्बर, १९७८ में देश के चार प्रमुख समाचार पत्रों (१) हिन्दुस्तान टाइम्स, (२) स्टेट्समेन, (३) इंडियन एक्सप्रेस

तथा (४) टाइम्स आफ इंडिया में विज्ञापन कराकर निविदा आमंत्रित किये गये थे जिसके फलस्वरूप ३३ निविदायें प्राप्त हुई । प्राप्त निविदाओं के कम्पैटिटीव स्टेटमेन्ट, अनुभव, विज्ञापन की शर्तों को पूर्ण करने तथा मेरिट के आधार पर आर्टीटेक्ट का चयन किया गया ।

(अगला प्रश्न लेने पर)

श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्नों पर कोई व्यवस्था नहीं है । आप कृपया बैठ जायं ?

(श्री डी० पी० बोरा के बार-बार बोलने पर)

आप कृपया बैठ जाइये ।

*५--श्री ऊदल--

[२रे मंगलवार के लिए स्थगित]

गुरु गोविन्द सिंह के जन्म दिवस को गजटेड छुट्टी घोषित किये जाने की मांग

*६--श्री अजीत सिंह मेठी (जिला मेरठ) श्री रियासत हुसैन, श्री श्याम धर मिश्र, श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री मकबूल अहमद (जिला रामपुर)--

क्या सरकार प्रदेश की जनता की आम भावनाओं का आदर करते हुए देश की महान विभूति गुरू गोविन्द सिंह जी महाराज के जन्म दिवस को गजटेड छुट्टी घोषित करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

अभी मामला शासन के समक्ष विचाराधीन है ।

श्री रियासत हुसैन--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कब से इस विषय पर विचार आरम्भ हुआ और कब तक अन्त हो जायगा ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

विचार चल रहा है । २-४ दिन में ही निर्णय हो जायगा ।

श्री राम आसरे वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस पर अभी तक सरकार का विचार किस मंजिल तक पहुंचा है ?

श्री अध्यक्ष--

उसका उत्तर मंत्री जी दे चुके हैं कि २-४ दिन में निर्णय हो जायेगा ।

श्री श्यामधर मिश्र--

कब तक निर्णय हो जायेगा और आपत्ति क्या है ?

श्री अध्यक्ष--

यह बताया तो है उन्होंने कि २-४ दिन में निर्णय हो जायेगा ।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

इस बात का क्या मंत्री जी आश्वासन देंगे कि अगली जयन्ती के पूर्व ही यह छुट्टी घोषित कर दी जायगी ।

श्री अध्यक्ष--

इसका उत्तर वे दे चुके हैं ।

अतरसुइया थाना, जिला इलाहाबाद के पुलिस द्वारा अभियुक्तों के साथ अत्याचार की जांच रिपोर्ट

*७--श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

क्या गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि १३ नवम्बर, १९७७ को शहर इलाहाबाद में अतरसुइया थाना के अन्तर्गत मुहल्ला खुशहाल पर्वत में पुलिस द्वारा बर्बर अत्याचार व जुल्म की नागरिकों की शिकायत के सम्बन्ध में अतिरिक्त जिलाधिकारी, इलाहाबाद ने जो जांच किया था, की रिपोर्ट शासन को हाल में प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो रिपोर्ट क्या है ? और किन-किन अधिकारियों को दोषी पाया गया ?

श्री राम सिंह--

जी हां । जांच मैजिस्ट्रेट ने अभियुक्तों को थाने ले जाते समय पुलिस द्वारा बल प्रयोग किया जाना उचित पाया परन्तु हिरासत में अभियुक्तों के साथ किये गये व्यवहार के सम्बन्ध में जांच मैजिस्ट्रेट ने प्रतिकूल मन्तव्य व्यक्त किये है । दोषी पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु पुलिस महानिरीक्षक को आदेश दे दिये गये हैं ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कौन-कौन से पुलिस अधिकारी व कर्मचारी दोषी पाये गये हैं और यह रिपोर्ट शासन को कब तक प्राप्त हुई थी ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, यह जांच इलाहाबाद के अतिरिक्त जिलाधीश (ग्रामीण) के माध्यम से करायी गयी थी । उन्होंने किसी एक पुलिस अधिकारी या कर्मचारी को दोषी नहीं बताया है, बल्कि सामूहिक रूप से उनकी गलती बतायी है । उन्होंने यह कहा है कि पुलिस ने तीन तरह से ज्यादती की है एक तो छोटी हावलात में २३ व्यक्तियों को बन्द रखा, दूसरे रात में कम्बल नहीं दिये, तीसरा यह कि जब भीड़ इकट्ठी हुई तो उसको हटाने के लिये, तीन व्यक्तियों को हटाने के लिये ताकत का इस्तेमाल किया । लेकिन यह नहीं कहा कि कौन व्यक्ति किस काम के लिये दोषी है ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

क्या इसी सम्बन्ध में इलाहाबाद के तीन मंत्रियों ने, माननीय संस्थागत वित्त मंत्री, उद्योग राज्य मंत्री तथा स्वायत्त शासन मंत्री ने कोई पत्र माननीय मुख्य मंत्री को लिखा था और यदि लिखा था, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राम सिंह--

जो चिट्ठी माननीय मुख्य मंत्री जी को लिखी गयी थी उसी पर तो उनके आदेश जांच के लिये हुये थे कि इसकी जांच जिलाधीश के माध्यम से करायी जाये, वह हुई ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

उस चिट्ठी में क्या-क्या आरोप थे और क्या उन आरोपों की भी जांच करायी गयी ?

श्री राम सिंह--

उस पत्र में यही आरोप था कि इन व्यक्तियों को गिरफ्तार करते हुये पुलिस ने अमानवीय व्यवहार किया, उसी की जांच करायी गयी ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

जो थाना प्रभारी होंगे उनकी ही यह जिम्मेदारी थी कि वे कम्बल उनको देते, तो सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्यों कार्यवाही नहीं की गयी ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, जो जिलाधीश ने रिपोर्ट दी है ए० डी० एम० (ई०) ने, उनकी जांच के पश्चात्, उसने किसी पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारी फिक्स नहीं की है कि किसका कितना दोष था । अब यह नहीं कहा जा सकता है कि थानाध्यक्ष का दोष था या जो अरेस्ट करने गए थे वह दोषी थे, क्योंकि हर जगह यह नहीं होता है कि थानाध्यक्ष ही गिरफ्तार करने जायं ।

श्री मैनेजर सिंह--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, श्रीमन् ।

श्री अध्यक्ष--

इसमें व्यवस्था नहीं ।

श्री मैनेजर सिंह--

अब तो १२ बज गया है, श्रीमन् आपने ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्नों का समय समाप्त ।

नोट--नियम २९ (४) के तारांकित प्रश्न संख्या ७ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लि०, रेलवे स्टेशनों व पुलों का विदेशियों द्वारा लिया गया कथित नक्शा

*८—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री जी को जानकारी है कि दिसम्बर ७८ के प्रथम सप्ताह में संदिग्ध विदेशियों द्वारा प्रतिरक्षात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लि०, रेलवे स्टेशनों, पुलों आदि के चित्र नक्शे बनाये गए हैं ? यदि जानकारी है तो वह विदेशी कौन थे और किस उद्देश्य से उन्होंने ऐसा किया ?

श्री राम नरेश सिंह—

दिसम्बर, १९७८ के प्रथम सप्ताह में किसी संदिग्ध विदेशी द्वारा प्रतिरक्षात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, रेलवे स्टेशनों, पुलों आदि के चित्र व नक्शे आदि बनाए जाने की सूचना नहीं प्राप्त हुई है ।

सब इन्सपेक्टर, नागरिक पुलिस हेतु पिछड़ी जाति का चयन

*९—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल तथा श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि २४-११-७८ को जो बैच सब इन्सपेक्टरों का मुरादाबाद ट्रेनिंग हेतु भेजा गया है उसमें कितने अभ्यार्थी रैंकर, पिछड़ी जाति तथा जनरल चयन के हैं जो अभ्यर्थी भेज गए हैं उनकी जांच हर स्तर से करके भेजा गया था उसमें से २६ जनरल वर्ग के अभ्यर्थी को मुरादाबाद ट्रेनिंग सेन्टर पर पहुंचने के बाद ट्रेनिंग देने से रोक दिया गया जो वापस आये हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री राम नरेश सिंह—

दिनांक २४-११-७८ से पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में आरम्भ होने वाले सब इन्सपेक्टर, नागरिक पुलिस के प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु १२०० अभ्यर्थियों को चुना गया जिनमें से ७०७ रैंकर, १३ मृतक पुलिस कर्मचारियों के आश्रित तथा ४८० सीधी भर्ती के हैं । उक्त १२०० अभ्यर्थियों में से १९१ पिछड़ी जाति के तथा ७०५ सामान्य वर्ग से अभ्यर्थी हैं । सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों व मृतक पुलिस कर्मचारियों के आश्रितों का चैकित्सिक परीक्षण प्रशिक्षण में सम्मिलित किए जाने से पूर्व नियमानुसार गठित एक बोर्ड द्वारा मुरादाबाद में किया गया जिसने २७ अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया । इन २७ अभ्यर्थियों में से १७ सामान्यवर्ग के ७ अनुसूचित जाति/जनजाति के एवं ३ पिछड़े वर्ग के हैं ।

*१०—श्री दयाराम भास्कर तथा श्री सभूराम—

[२रे मंगलवार के लिए स्थगित]

राजकीय बालिका निकेतन, बलिया की छात्रा कुमारी सुमन का अपहरण

*११—श्री शतरुद्र प्रकाश तथा श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दिनांक २० नवम्बर, ७८ को जनपद बलिया के रेलवे स्टेशन से बलिया के राजकीय बालिका निकेतन की १७ वर्षीय बालिका कुमारी सुमन का अपहरण कर लिया गया है ? अगर हां, तो सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की और नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह--

श्रीमती अहमद निशा द्वारा दिनांक २१-११-७८ को थाना कोतवाली बलिया पर इस आशय की सूचना दी गयी कि वह दिनांक २०-११-७८ को रानकीय बालिका निकेतन बालया की १४ बालिकाओं तथा सामान आदि के साथ रात्रि लगभग ८ बजे वाराणसी से ट्रेन द्वारा बलिया पहुंची थी । उन्होंने राजकीय निकेतन बलिया की बालिकाओं को श्रीमती सावित्री रसोइया के साथ निकेतन रवाना कर दिया था । इन्हीं बालिकाओं में से एक कुसुम नामक लड़की भी थी । श्रीमती सावित्री के साथ भेजी गयी सभी बालिकायें निकेतन पहुंच गयी परन्तु कुसुम नामक बालिका निकेतन नहीं पहुंची । उन्होंने श्रीमती सावित्री देवी के साथ कुसुम की खोज भी की परन्तु वह उपलब्ध नहीं हो सकी । उक्त सूचना के आधार पर थाना कोतवाली बलिया में दरियापत हाल विवेचना की जा रही है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

लखनऊ, महानगर में महराज कुमार मोहम्मद महमूद हसन खान की भूमि का अधिग्रहण एवं मुआवजा

*१--श्री देवकुमार (जिला बांदा)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि महानगर क्षेत्र, जिला लखनऊ में भूमि अधिग्रहण विज्ञप्ति संख्या २३४७/ज/XXII--११८-सी० बी०-४६ तथा ४९१० सी० बी० XXIII--११८ सी० बी०--४७ के अन्तर्गत आबादी महानगर में महराज कुमार मोहम्मद महमूद हसन खान पुत्र स्व० महाराजा आफ महमूदाबाद के कौन-कौन प्लाट अधिग्रहीत किए गए थे उनके लिए कितना-कितना मुआवजा अदा किया गया था ? उन प्लाटों के अमले (कंसट्रक्शन) का मुआवजा किन-किन व्यक्तियों को दिया गया उसका विवरण क्या है ? क्या यह सही है कि इसमें से काफी प्लाटों पर अभी तक कब्जा नहीं लिया गया है ? यदि हां, तो कब तक लिया जायगा ?

मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)--

प्रश्नगत भूमि अधिग्रहण विज्ञप्तियों जो सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष १९४६ व १९४८ में जारी की गई थी, के अन्तर्गत महराज कुमार मोहम्मद महमूद हसन खां पुत्र स्वर्गीय महराज आफ महमूदाबाद की भूमि संख्या--१३१ ए (एम) रकबा १ बीघा ५ बिस्वा १७ बिस्वांसी ९ कंचवासी अर्जित की गई थी । अर्जित भूमि का मुआवजा जो १०, १२५ रुपये १२ आना (७५ पैसे) होता था, का भुगतान श्री इमत्याज हैदर मुख्तारे आम श्री मो० महमूद हसन खां को दीवानी न्यायालय द्वारा दिनांक ९ अगस्त, १९६७ को किया गया था । अमले (कन्सट्रक्शन) का मुआवजा जिसमें पेड़ आदि भी शामिल थे, १२६४९ रुपये १३ आना (८१ पैसे) था । इसका भी भुगतान दीवानी न्यायालय द्वारा दिनांक १ जून, १९५७ को श्री जहोर हसन सेक्रेटरी, दि एसोसियेशन फार एजूकेशन मुसलमात इन इन्डिया, लखनऊ (करामत हुसैन गर्ल्स कालिज, लखनऊ) को किया गया था । उक्त भूमि का कब्जा विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट, लखनऊ ने दिनांक १० मई, १९५७ को अध्याप्ति विभाग को दे दिया था ।

शाहजहांपुर के ग्राम मढ़ई के गुण्डों के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*२--श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)--

क्या गृह मन्त्री को जानकारी है कि दिनांक १९ अप्रैल, १९७८ को भारत के आदरणीय प्रधान मन्त्री जी ने मुख्य मन्त्री को एक अति आवश्यक पत्र भेज कर शाहजहांपुर जिले के थाना जैतीपुर के अन्तर्गत ग्राम मढ़ई के गुण्डों द्वारा

हरिजनों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने हेतु तत्काल कार्यवाही किये जाने को लिखा था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? और क्या सम्बन्धित उक्त गुण्डों के लाइसेन्स निरस्त किए गए ? क्या गृह मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि इस सन्दर्भ में मुख्य मन्त्री को अनेक संसद सदस्यों ने भी शिकायत भेजी है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री राम सिंह—

प्रश्न में उल्लिखित प्रधान मंत्री जी का पत्र मुख्य मंत्री जी को प्राप्त नहीं हुआ । संसद सदस्य श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह का एक पत्र दिनांक १०-४-७८, जो प्रधान मंत्री को सम्बोधित था, की प्रतिलिपि शासन को प्राप्त हुई थी । इस पत्र में अंकित शिकायत के संबन्ध में सहायक पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर द्वारा जांच की गयी, जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुए ।

संबंधित अभियुक्तों के शस्त्रों के लाइसेन्स निरस्त किए जा चुके हैं ।

इस संबन्ध में अन्य किसी संसद सदस्य की शिकायत प्राप्त हुई प्रतीत नहीं होती है ।

फिरोजाबाद के चूड़ी प्रतिष्ठानों को कोयले का आबंटन

*३—श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

क्या उद्योग मन्त्री को यह जानकारी है कि जनपद आगरा से उद्योग नगर फिरोजाबाद के चूड़ी के प्रतिष्ठानों को जनवरी, १९७८ से जून, १९७८ तक कुल कितना कोयला मिला ? क्या कोयले के अभाव में चूड़ी के प्रतिष्ठान दिनांक २३ मई व २७ मई, १९७८ से बन्द हुए हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की ?

श्री राम प्रकाश—

जनवरी, १९७८ से जून, १९७८ तक चूड़ी के प्रतिष्ठानों को १२४४ बाक्स वैगन एवं ४७२ वैगन्स कोयला प्राप्त हुआ है । इस प्रकार से कुल मिलाकर लगभग ३५८२ वैगन्स कोयला प्राप्त हुआ है । दिनांक २३ मई एवं २७ मई, १९७८ से चूड़ी के कारखाने कोयले के अभाव में बन्द नहीं हुये और न ही चूड़ी उद्योग सेवायोजकों ने इसकी कोई सूचना सहायक कांच विशेषज्ञ, फिरोजाबाद के कार्यालय को दी ।

प्रदेश की जेलों में फ्लश लैट्रीन के निर्माण हेतु दिया गया ठेका

*४—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर) —

क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १ जनवरी, १९७७ से ३१ मई, १९७८ तक प्रदेश की विभिन्न जिलों में फ्लश लेट्रीन का ठेका फर्म लाली ब्रादस, मेरठ को प्रति लेट्रीन कितने का दिया गया और क्या यह भी सही है कि सिपाहियों के क्वार्टरों में जो फ्लश लेट्रीन की सीट लगाई गई उसकी कीमत बाजार में मात्र ४० (चालिस) रुपया है जब कि फर्म ने २२० (दो सौ बीस) रुपया प्रति लेट्रीन फ्लश शीट चार्ज किया ? यदि हां, तो इसकी जांच कराकर जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करेगी ?

न्याय मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)--

मेसर्स लाली ब्रदर्स मेरठ को फ्लश लैट्रीन का ठेका न्यूनतम कोटेशन के आधार पर दिया गया था। उक्त कार्य हेतु जो कोटेशन दिए गए थे वह निम्न प्रकार थे :--

जेल का नाम	प्रति सीट लागत
१९७६-७७--	रु०
१--जिला कारागार, फैजाबाद	२४५
२--जिला कारागार, रामपुर	२३०
३--जिला कारागार, आगरा	२१२
१९७७-७८--	
१--जिला कारागार, मिर्जापुर	२२०
२--जिला कारागार, बांदा	२४०
३--जिला कारागार, मुरादाबाद	२३०
४--जिला कारागार, फैजाबाद	२४५

रामपुर कारागार में बन्दी रक्षकों के क्वार्टर्स में शौचालय की जो सीटें लगायी गयीं उनमें एक 'एवरक्लीन' सीट का मूल्य केवल ३० रु० है किन्तु उसको लगाने हेतु अन्य सामान, मजदूरी इत्यादि को सम्मिलित करके प्रति सीट कुल व्यय रु० २३० की दर से ठेका दिया गया।

शाहजहांपुर में बस व ट्रेन की दुर्घटना एवं दी गयी सहायता

*५--श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २६ जून, १९७८ को बरेली और शाहजहांपुर के बीच रेलगाड़ी और बस की टक्कर हो गयी ? यदि हां, तो कुल कितने आदमियों की जानें गयीं तथा मुख्य मंत्री जी ने मृतकों के परिवार वालों को अविलम्ब सहायता क्या की और टक्कर का कारण क्या था ?

श्री राम सिंह--

जी हां। दिनांक २६-६-७८ को लगभग ११ बजे पूर्वाह्न बरेली से शाहजहांपुर की ओर जा रही ७४ डाउन ट्रेन एवं बस नं० यू० पी० ओ० १४४४ जो रेल फाटक नं० ३४२/२ को पार कर रही थी, के बीच टक्कर हो गई।

इस दुर्घटना में कुल २२ व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

मुख्य मंत्री जी द्वारा मृतकों के उत्तराधिकारियों एवं घायलों को रु० ४०,४०० की सहायता दी जा चुकी है।

दुर्घटना रेलवे लेविल क्रासिंग पर तैनात गेटमैन की लापरवाही एवं गलती से हुई जिसने ७४ डाउन गाड़ी आने से पूर्व रेलवे फाटक बन्द नहीं किया।

*६—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

[२रे के मंगलवार के लिए स्थगित]

देवरिया जिले में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना

*७—श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया), श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)—

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद के पिछड़ेपन को देखते हुए किन-किन स्थानों पर लघु उद्योग १९७७-७८ और १९७८-७९ में चालू करने की योजना विचाराधीन है और कब तक उद्योग लगानो का कार्य शुरू कर दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश—

वर्ष १९७७-७८ में देवरिया जनपद के जिन-जिन स्थानों में औद्योगिक इकाइयां प्रोत्साहित की गयी तथा वर्ष १९७८-७९ में इस समय जिन-जिन स्थानों में औद्योगिक इकाइयों को स्थापित कराने का लक्ष्य है को सूचना संलग्नक 'क' में प्रस्तुत है ।

लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने का कार्य-क्रम एक निरन्तर-प्रक्रिया है और यह कार्य किया जा रहा है ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ११२८ पर) ।

लखनऊ के किसी राम पाण्डेय नामक व्यक्ति को फिल्म निर्माण हेतु दी गयी कथित धनराशि

*८—श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी—

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि वर्ष १९७७ में लखनऊ के किसी राम पाण्डेय नामक व्यक्ति को २० सूत्रीय कार्यक्रम पर फिल्म बनाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ५ लाख रुपया दिया गया है ? यदि हां, तो पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री राम नरेश यादव—

जी नहीं ।

खीरी जिले की पुलिस चौकी सम्पूर्ण नगर के इन्चार्ज, श्री गिरीश चन्द्र शुक्ल के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*९—श्री हरिकेबल प्रसाद तथा श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या गृह मन्त्री बतायेंगे कि जिला खीरी के अन्तर्गत पुलिस चौकी सम्पूर्ण नगर, थाना पलियाकलां, चौकी इन्चार्ज (श्री गिरीशचन्द्र शुक्ल) के भ्रष्टाचार के विरुद्ध श्री जगन प्रसाद यादव का शिकायती-पत्र किसी जन प्रतिनिधि के पत्र दिनांक २० अप्रैल, १९७८ के साथ शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उपरोक्त चौकी इन्चार्ज के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री राम सिंह—

जी हां । श्री जगन प्रसाद यादव द्वारा प्रश्नगत चौकी इन्चार्ज के विरुद्ध दिये गये शिकायती पत्र के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार निवारण संगठन के माध्यम से जांच करायी जा रही है प्राप्त सूचना के अनुसार श्री गिरीश चन्द्र शुक्ल के विरुद्ध

लगाये गये आरोपों में प्रथम दृष्टया सत्यता पाये जाने पर उनके विरुद्ध धारा १६१ भा० दं० वि० व ५(२) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अभियोग थाना पलिया पर पंजीकृत कराकर उनकी विधिवत विवेचना की जा रही है ।

श्री गिरीश चन्द्र शुक्ल का जनपद खीरी से हमीरपुर स्थानान्तरण किया जा चुका है ।

[मंगलवार, २६ दिसम्बर, १९७८ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

गोरखपुर जिले की बांसगांव तहसील के अन्तर्गत उद्योग स्थापना की मांग

*१--श्री रवीन्द्र सिंह--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में उद्योगों के विकास के लिए कोई अलग से योजना शासन के विचाराधीन है ? क्या सरकार गोरखपुर जिले के बांसगांव तहसील में कोई बड़ा उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रयास किया जा रहा है ?

श्री राम प्रकाश--

पूर्वी उत्तर प्रदेश में उद्योगों के विकास हेतु कोई अलग से योजना शासन के विचाराधीन नहीं है ।

गोरखपुर जनपद की तहसील बांसगांव में कोई बड़ा उद्योग राजकीय क्षेत्र में स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है ।

श्री विश्वनाथ तिवारी, ग्राम भानपुरी-खजुरिया, जिला लखीमपुर खीरी के विरुद्ध गुण्डा ऐक्ट के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही

*२--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखीमपुर खीरी जिले के प्रसिद्ध राजनैतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता श्री विश्वनाथ तिवारी, निवासी ग्राम भानपुरी-खजुरिया, थाना पलिया के विरुद्ध गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही रोकने के सिलसिले में प्रश्नकर्ता की ओर से ७ जुलाई, १९७८ को एक पत्र गृह सचिव के नाम प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि कार्यवाही नहीं की गयी, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री राम सिंह--

जी हां ।

इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी खीरी से प्राप्त सुस्पष्ट आख्या के आधार पर माननीय सदस्य को सूचित किया जा चुका है कि गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत वैधानिक रूप से की जा रही कार्यवाही में शासन द्वारा कोई हस्तक्षेप करना संभव एवं उपयुक्त नहीं पाया गया ।

*३--श्री रवीन्द्र सिंह--

[1 ले मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या २२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

देवरिया जिले के कतिपय ग्रामों के अन्तर्गत डकैती की घटनाएं

*४--श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

क्या सरकार को जानकारी है कि जुलाई, १९७८ से १३ सितम्बर, १९७८ के बीच देवरिया के कसया-तुर्कपट्टी विशुनपुरा, पटहेरवा तरया सुजान, थानों के ग्राम सांड़ी बुजुरुग, कोंहड़ा, मठियाभी करिया सिकटा आदि गांव में तथा पडरौना थाना के ग्राम लक्ष्मीपुर सेमरा हरको आदि में दर्जनों डकैतियां पड़ चुकी हैं तथा अनेक हत्याएं व राहजनी हो चुकी है ? यदि हां, तो इस क्षेत्र को डाकू बाहुल्य क्षेत्र घोषित किया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह--

उक्त अवधि में प्रश्नगत थानों के अन्तर्गत उल्लिखित गांवों में डकैती की केवल ४ तथा हत्या की केवल एक घटना घटित हुई और राहजनी की कोई भी घटना नहीं हुई । अतः उक्त क्षेत्र को डाकू बाहुल्य क्षेत्र घोषित किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

*५--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[३ रे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या ६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*६--श्री राम आसरे वर्मा--

[१ ले मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या २३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लखनऊ की कृष्णा कालोनी महानगर में अनैतिक व्यापार का अड्डा

*७--श्री रियासत हुसैन--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि दिनांक १५ जून, १९७८ को कृष्णा कालोनी, महानगर, लखनऊ में कुछ काल गर्ल्स पुलिस के रेड करने पर पकड़ी गयीं तथा जिस मकान से पकड़ी गई हैं, वह मकान अय्याशी का अड्डा कहा जाता है, यह सिंचाई विभाग के किसी उच्च अधिकारी का मकान है ? यदि हां, तो क्या उस उच्च अधिकारी का भी इस घिनौने जुर्म से कुछ सम्बन्ध है ?

श्री राम सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार १५ जून, १९७८ को यह सूचना मिलने पर कि कृष्णा कालोनी, महानगर के एक मकान में अनैतिक व्यापार का अड्डा चल रहा है, पुलिस ने रेड किया जिसमें कुछ लड़कियां/पुरुष पकड़े गये । प्रश्नगत मकान के स्वामी सिंचाई विभाग के एक अवकाश प्राप्त इंजीनियर हैं जिन्होंने उक्त मकान किराये पर दिया था तथा उनका उस अय्याशी के अड्डे से कोई सम्बन्ध होना नहीं पाया गया ।

श्री राम चरन, ग्राम नवानगर, अलीगढ़ का शिकायती-पत्र

*८--श्री देव बहादुर सिंह तथा श्री राधे श्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

क्या गृह मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि २९ जुलाई, १९७८ को श्री राधेश्याम शर्मा, सदस्य, विधान सभा, मथुरा ने अपनी टिप्पणी के साथ [illegible] नामक व्यक्ति को शिकायती-पत्र उनको भेजी है ? यदि हां, तो शिकायती पत्र में आरोप क्या-क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम सिंह--

श्री राम चरन, निवासी ग्राम नवलनगर, थाना इगलास, अलीगढ़ का एक प्रार्थना पत्र दिनांक २९-७-७८ श्री राधे श्याम शर्मा, सदस्य विधान सभा को संस्तुति दिनांक ३१-७-७८ सहित प्राप्त हुआ था जिसमें अमुक व्यक्तियों द्वारा प्रार्थी के पुत्र को रंजिशवश झूठे मुकदमें में फंसाने, धमकी देने, जानमाल के खतरे की आशंका होने आदि के आरोप लगाये थे। उक्त प्रार्थना-पत्र कार्यवाही हेतु ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़ को भेजा गया। प्रार्थी के पत्र को, जो एक अभियोग में नामजद था, नामजदगी झूठी पायी जाने के कारण धारा १६९ द०प्र०सं० में रिहा किया गया।

पिथौरागढ़ जिले के ग्राम दौला बलिया में अस्पताल-निर्माण की मांग

*९--श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)--

क्या यह सच है कि ग्राम दौला बलिया, बेरीनाग ब्लाक जिला पिथौरागढ़ के अनुसूचित एवं पिछड़े वर्ग के निवासी बहुत वर्षों से उक्त ग्राम में अस्पताल खोलने की मांग कर रहे हैं और सरकार द्वारा माह अप्रैल, १९७८ में डी० एम० व सी० एम० ओ०, पिथौरागढ़ से रिपोर्ट मांगी गयी थी तथा डी० एम० व सी० एम० ओ० ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल/मई, १९७८ में शासन को भेज दी है ? यदि हां तो वह रिपोर्ट क्या है और उक्त रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

पर्वतीय विकास मन्त्री (श्री शोबन सिंह जोना)--

जी हां, मार्च १९७८ में शासन द्वारा अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा निदेशक से आख्या मांगी गई थी। इस विषय में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़ ने अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा निदेशक को अप्रैल तथा जुलाई १९७८ में अपनी रिपोर्ट भेजी थी। इन रिपोर्टों के अनुसार ग्राम दौलबलिया से २ किलोमीटर पर स्थित ग्राम भुवनेश्वर चिकित्सालय खोलने हेतु अधिक उपयुक्त बताया गया था। इस वर्ष भुवनेश्वर में एक एलोपैथिक चिकित्सालय की स्थापना को स्वीकृति दे दी गई है।

पुलिस कान्स्टेबुलों की भर्ती में पिछड़ी जाति का आरक्षण

*१०--श्री राम नरायन वर्मा (जिला सीतापुर)--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग को १५ प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया है ? यदि हां, तो १५ जून से १५ जुलाई, १९७८ तक पुलिस कैडटों के लिए होने वाली भर्ती में पांच साल की आयु की छूट तथा १५ प्रतिशत का आरक्षण क्यों नहीं किया गया ?

श्री राम सिंह--

उत्तर प्रदेश सरकार ने शासनादेश संख्या २००३/४०-रा० एको०-६-११-७७, दिनांक २०-८-७७ द्वारा पिछड़े वर्ग के लिये वर्ग 'क', 'ख' एवं 'ग' की सेवाओं में १५% तथा वर्ग 'घ' की सेवाओं में १०% का आरक्षण एवं आयु-सीमा में ५ वर्ष की छूट दिये जाने का प्राविधान किया है। दिनांक १५ जून, १९७८ से १५ जुलाई, १९७८ तक हुई पुलिस कान्सटेबुलों की भर्ती में पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को तदनुसार ५ वर्ष का आयु-सीमा में छूट तथा १०% आरक्षण प्रदान किया गया था।

थाना मुन्डेरवा, जिला बस्ती में पंजीकृत अपराध और आजमगढ़ जिले के हरिजन थानाध्यक्ष

*११—श्री राम जनम (जिला आजमगढ़)—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना मुन्डेरवा, जिला बस्ती के अपराध संख्या १६५/७६ एवं अपराध संख्या १७९/७६ के आरोप-पत्र अब तक अदालत में क्यों नहीं दाखिल किए गए ? इसमें विलम्ब का कारण क्या है ? क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में कितने एस० ओ० हरिजन इंचार्ज १९७७ से बनाए गए हैं ? यदि कोई इंचार्ज नहीं बनाया गया तो क्या आगे शासन का विचार हरिजन एस० ओ० इंचार्ज बनाने का है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राम सिंह—

अपराध संख्या १६५/७६ में अभियोग गलत पाए जाने के कारण जिलाधिकारी द्वारा अभियोग चलाए जाने की स्वीकृति नहीं दी गयी, अतः आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित नहीं किया गया। अपराध संख्या १७९/७६ में सबूत के अभाव में अन्तिम रिपोर्ट लगाई गयी है।

वर्ष १९७७ से जनपद आजमगढ़ में पर्याप्त संख्या में हरिजन उप निरीक्षक नियुक्त न रहने के कारण वहां किसी हरिजन को थानाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति सम्भव नहीं रही। भविष्य में यदि उपयुक्त हरिजन उप निरीक्षक उक्त जनपद में उपलब्ध होगा तो उसे थानाध्यक्ष पद हेतु चुना जायेगा।

थाना नेबुआ नौरंगिया, जिला देवरिया के अन्तर्गत सर्वश्री विश्वनाथ व गंगा कुशवाहा तथा भुटली की हत्या

*१२—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 7/8 जुलाई, १९७८ की रात में थाना नेमुआ नौरंगिया, जिला देवरिया में विश्वनाथ तथा उनके पिता श्री गंगा कुशवाहा, ग्राम सिरसिया कला तथा भुटेली पुत्र कुबेर कुर्मी, ग्राम मठिया खुर्द की निर्मम हत्या के पीछे क्या रहस्य है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री राम सिंह—

सर्वश्री विश्वनाथ तथा गंगा कुशवाहा की हत्या रंजिशवश की गयी अभियुक्तों का चालान किया जा चुका है और मुकदमा विचाराधीन न्यायालय में है।

भुटली की हत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है और मामला विवेचनाधीन है।

उन्नाव जिले के गोमापुर के श्री नन्हा राम की हत्या

*१३—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या गृह मन्त्री को यह जानकारी है कि दिनांक 5 अगस्त, १९७८ को उन्नाव जनपद के प्रा० पा०, गोमापुर के प्रधानाध्यापक श्री नन्हाराम की हत्या कर दी गयी ? क्या मन्त्री जी को यह भी जानकारी है कि इस सम्बन्ध में जिले के [illegible] धायक ने मृतक के प्रार्थना-पत्र, दिनांक ३० अप्रैल, १९७८ के साथ

अपना पत्र संलग्न कर माननीय मुख्य मन्त्री जी को भेजा था और मुख्य मन्त्री जी ने अपने पत्र संख्या एम/२६५८/सी० एम०, दिनांक ७ मई, १९७८ के द्वारा यह सूचित किया था कि जानमाल की रक्षा हेतु पुलिस महानिरीक्षक को आवश्यक निदेश दे रहा हूं ? यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राम सिंह--

जी हां । जानमाल की सुरक्षा विषयक श्री नन्हाराम का प्रार्थनापत्र विधायक महोदय के पत्र के साथ मुख्य मन्त्री जी को प्राप्त हुआ था । मुख्य मन्त्री कार्यालय द्वारा यह प्रार्थना-पत्र पुलिस महानिरीक्षक को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया था । पुलिस महानिरीक्षक ने सूचित किया है कि उन्होंने ११-५-१९७८ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रार्थना-पत्र पुलिस अधीक्षक, उन्नाव को पृष्ठांकित किया था लेकिन पुलिस अधीक्षक उन्नाव से प्राप्त सूचना के अनुसार यह पृष्ठांकन तथा प्रार्थना-पत्र उनके कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ । इस मामले को दिखवाया जा रहा है ।

गोलाबाजार, गोरखपुर के थानाध्यक्ष, श्री रमाशंकर सिंह के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*१४--श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव (जिला गोरखपुर)--

क्या गृह मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि नगर क्षेत्र गोला बाजार, जनपद गोरखपुर के निवासी श्री शमीम अहमद ने दिनांक ९ सितम्बर, १९७८ को उन्हें एक शिकायती प्रार्थना-पत्र वहां के तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री रमाशंकर सिंह के विरुद्ध व्यवसायी श्री मुहम्मद शफी सर्राफ को रिवाल्वर दिखाकर तथा अमानवीय व्यवहार करके उन्हें भयभीत करके १९,००० रु० (उन्नीस हजार रुपया) ले लेने के सम्बन्ध में दिया है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त पुलिस अधिकारी के विरुद्ध अब तक कौन सी कार्यवाही की गयी है ?

श्री राम सिंह--

जी हां । शिकायत दिनांक ११-९-७८ के मामले में भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा जांच हो रही है ।

सुल्तानपुर जिले के श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह के पुत्र का अपहरण एवं शिनाख्त की कार्यवाही

*१५--श्री तेजभान सिंह (जिला सुल्तानपुर)--

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, प्रवक्ता का प्रार्थना-पत्र जिसमें अपने पुत्र के अपहरणकर्ता अभियुक्तों को जेल तहत शिनाख्त कार्यवाही में सम्बन्धित मजिस्ट्रेट व ए० पी० ओ० द्वारा की गयी धांधली के विरुद्ध जिसे प्रश्नकर्ता ने दिनांक २१ सितम्बर, १९७८ को माननीय मन्त्री जी को अग्रसारित किया है, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह--

जी हां । शिकायत में मजिस्टीरियल जांच के आदेश १२-६-७८ को दिये जा चुके हैं । वह जांच प्रचलित है । अपहृत बालक बरामद हो चुका है ।

मेरठ में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना पर विचार

*१६—श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद) तथा श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

क्या न्याय मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि सरकार ने मेरठ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खन्डपीठ की स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकार को अपनी संस्तुति भेजी है ? यदि हां, तो कब ? सरकार इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा अपनी संस्तुति पर शीघ्र निर्णय कराए जाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

उच्च न्यायालय की एक पीठ मेरठ में स्थापित करने का निर्णय सरकार ने १९-१२-७६ को लिया था तथा भारत सरकार को इसकी सूचना दे दी गई थी । वर्तमान सरकार ने पुनः इसकी सिद्धान्त रूप में पुष्टि कर दी कि पश्चिमी जिलों के लिए एक बेंच की स्थापना की जाय, किन्तु उसका स्थान कहां होगा इस पर निर्णय बाद के लिये छोड़ दिया गया । इसकी सूचना भारत सरकार को ८ मार्च, १९७८ को दे दी गई ।

इस बीच भारत सरकार ने इस प्रस्ताव पर मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद, उच्च न्यायालय तथा पूर्व के मुख्य न्यायाधीशों का मत जानना चाहा था जो भारत सरकार को भेजा जा रहा है और उनसे इस बारे में उनके द्वारा लिये गये निर्णय से अवगत कराने को कहा जा रहा है ।

मोहल्ला सफंदरबाग, लखनऊ में श्री दुर्गा प्रसाद श्रीवास्तव व श्री मुक्ता प्रसाद श्रीवास्तव द्वारा भूमि पर अवैध कब्जा

*१७—श्री नारायण सिंह भैंसौरा (जिला पिथौरागढ़), श्री जयशंकर पान्डेय (जिला फैजाबाद) तथा श्री सन्त बक्स रावत (जिला लखनऊ)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के प्रथम सत्र, १९७८ के दूसरे गुरुवार के तारांकित प्रश्न संख्या ४ के अन्तर्गत सन्दर्भित मामला विगत लगभग १ वर्ष से शासन के विचाराधीन है, परन्तु अब तक उस पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही न किए जाने का क्या कारण है ? इसमें विलम्ब के लिए कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी हैं ? क्या माननीय मन्त्री जी उक्त मामलों के महत्व को देखते हुए दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दंडित किए जाने एवं मामले के अविलम्ब निस्तारण हेतु आदेश देंगे ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां ।

अभी जांच चल रही है । जांच में विलम्ब हुआ है जिसे शीघ्र पूर्ण करने के आदेश दे दिये गये हैं ।

जो भी अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी पाये जायेंगे, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

*१८--श्री गोविन्द सिंह नेगी--

[३ रे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या ३० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कोतवाली फर्रुखाबाद के थानाध्यक्ष द्वारा श्री मुन्ने खां की पिटाई एवं उनकी मृत्यु

*१९--श्री झामलाल अहेरवार (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या गृह मन्त्री बतान की कृपा करेंगे कि १४ अक्तूबर, १९७६ को कोतवाली फर्रुखाबाद, जिला फर्रुखाबाद के थाना अध्यक्ष (श्री वीरपाल सिंह) द्वारा श्री अधरमीर उर्फ मुन्ना नामक युवक की बेलन चढ़ाकर अत्यधिक पिटाई की गयी और उसे १५ अक्तूबर, १९७६ को डी० आई० आर० के अन्तर्गत जिला जेल फतेहगढ़ भेजा गया जहां उसकी मृत्यु १९ अक्तूबर, १९७६ को हो गयी ? यदि हां, तो उसकी डाक्टरी जांच रिपोर्ट क्या है तथा उक्त थानाध्यक्ष के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार १४ अक्तूबर, १९७६ को श्री मुन्ने खां को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध धारा ३६/४३ डी० आई० आर०, ३०७ भारतीय दण्ड विधान व २५ आर्म्स ऐक्ट के अधीन एक अपराध कोतवाली फर्रुखाबाद में पंजीकृत हुआ । १५ अक्टूबर, १९७६ को वह जिला जेल फतेहगढ़ भेजे गये और १९ अक्टूबर, १९७६ को जेल में उनकी मृत्यु हुयी । मृतक मुन्ने खां की चोटों का विवरण संलग्न है । अपराध अनुसंधान विभाग इस मामले की जांच कर रहे हैं ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ११२९ पर) ।

*२०--श्री राधेश्याम शर्मा--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

इलाहाबाद, सराय गोपाल रेलवे स्टेशन के समीप ट्रेन व टेम्पो की दुर्घटना

*२१--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या गृह मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि २८ अगस्त, १९७७ को इलाहाबाद से पच्चीस किलो मीटर दूर उत्तर रेलवे के सराय लालगोपाल स्टेशन के समीप एक यात्री ट्रेन तथा एक टेम्पो के टक्कर में टेम्पो में सवार यात्रियों में से चौबीस व्यक्तियों की तत्काल मृत्यु हो गयी ? यदि हां, तो मृत व्यक्तियों के परिवार को शासन ने क्या राहत पहुंचाई तथा दुर्घटना का कारण क्या था ?

श्री राम सिंह--

दिनांक २८ अगस्त, १९७७ को ३५२ डाउन सहारनपुर-इलाहाबाद एक्स-प्रेस एवं एक टेम्पो जो सराय गोपाल रेलवे स्टेशन, जनपद इलाहाबाद के रेलवे क्रासिंग को पार कर रही थी, के बीच टक्कर हो गई । इस दुर्घटना में १८ व्यक्तियों की तत्काल मृत्यु हो गई तथा चार लोग घायल हुये । मृतकों के परिवारों तथा घायलों को ३०,६०० रु० अनुग्रह धनराशि के रूप में उपलब्ध कराया गया है ।

दुर्घटना का कारण ड्यूटी पर नियुक्त रेलवे कर्मचारियों की लापरवाही सिद्ध हुआ। इस सम्बन्ध में थाना जी० आर० पी०, इलाहाबाद पर पंजीकृत अभियोग अपराध संख्या ४३४ अन्तर्गत धारा १०१ रेलवे ऐक्ट/३०४-ए भा० दं० वि० की विवेचना के उपरान्त तीनों दोषी रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय भेजी जा चुकी है।

न्यू ओखला डेवलपमेन्ट अथारिटी के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*२२--श्री रवीन्द्र सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि न्यू ओखला डेवलपमेन्ट अथारिटी के कार्य कलापों, अनियमितताओं के सन्दर्भ में सरकार को कोई ज्ञापन शिकायती-पत्र मई-जून-जुलाई, १९७८ में मिला है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री राम प्रकाश--

मई, १९७८ व जुलाई, १९७८ के बीच प्रदेश सरकार को नोयडा इण्डस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन तथा कुमारी रीता तलवार के ज्ञापन प्राप्त हुए थे, जिनमें मुख्यत: कतिपय अधिकारियों के विरुद्ध तथा सामान्य रूप से नोयडा की कार्य-व्यवस्था के सम्बन्ध में शिकायत की गई थी। इनकी जांच की गई व शिकायतों को निराधार पाया गया। नोयडा के दिल्ली स्थित कैम्प आफिस को नोयडा क्षेत्र में स्थानान्तरित कर दिया गया है।

*२३--श्री राम आसरे वर्मा--

[१ ले गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या ५१ के अन्तर्गत उत्तरित]

लखनऊ, ताल कटोरा कालोनी हेतु भूमि का अधिग्रहण एवं मुआवजे की धनराशि में गबन

*२४--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मुख्य मन्त्री को इसकी जानकारी है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा लखनऊ में वर्तमान तालकटोरा कालोनी के लिए अधिगृहीत लगभग ७५० एकड़ भूमि के मुआवजे में भारी गबन पाया गया है ? यदि हां, तो विवरण क्या है ? जांच कौन कर रहा है ? दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री राम नरेश यादव--

जी हां। अभी तक की जांच के फलस्वरूप रुपये २,५७,३२,७०९.४२ का गबन प्रकाश में आया है। मामले की जांच सी० आई० डी० तथा राजस्व परिषद् के लेखादल द्वारा की जा रही है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक २ सितम्बर, १९७८ के अनुसार वाद संख्या ७७५ धारा ४०९/४६७/४६८/४६६/१२०, आई० पी० सी० कायम किया गया था जिसके अनुसार विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी श्री आर० सी० मणि त्रिपाठी एवं लिपिक श्री शहरयार हैदर रिजवी की गिरफ्तारी हुई थी जो बाद में जमानत में छोड़े गये।

सी० आई० डी० की जांच के परिणाम स्वरूप दो मुकदमें और कायम किये गये जिसमें श्री आर० सी० मणि त्रिपाठी, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, श्री शहरयार हैदर रिजवी, लिपिक, एक मुंशी, एक काश्तकार तथा एक अधिवक्ता गिरफ्तार किये गये, जिनमें से अधिवक्ता जमानत पर हैं। जांच अभी जारी है।

स्टार पेपर मिल, सहारनपुर को वन निगम द्वारा लकड़ी की आपूर्ति एवं ढुलाई व्यय

*२५—श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

क्या वन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या शासन ने वर्ष १९७५-७६ में यह निर्णय लिया था कि वन निगम स्टार पेपर मिल, सहारनपुर के लिए पैंचदार चीड़ के गिराने, निस्तारण तथा ढुलान का कार्य करके समस्त माल को हल्द्वानी पहुंचा कर मिल को सौंपेगा ? क्या यह सही है कि स्टार पेपर मिल के साथ हुए इकरार नामे में इस प्रकार माल को हल्द्वानी सौंपने की कोई बात नहीं थी । यदि हां, तो उक्त निर्णय करने के क्या कारण थे तथा इसे क्रियान्वित करने में वन निगम को कितना व्यय करना पड़ा ? क्या शासन ने यह व्यय स्टार पेपर मिल से वसूल कर लिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन मन्त्री (श्री श्रीचन्द)—

जी हां । यद्यपि मिल के साथ किये गये इकरारनामें में ऐसा कोई प्राविधान नहीं था, फिर भी पर्वतीय क्षेत्र में स्टार पेपर मिल के कार्य के बारे में व्याप्त प्रतिरोध तथा मिल द्वारा पैंचदार चीड़ की लकड़ी के साथ सीधे रेशे की लकड़ी निकाले जाने की शिकायत के निराकरण हेतु प्रश्नगत निर्णय लिया गया । इस निर्णय के कार्यान्वयन में वर्ष १९७५-७६ से लेकर १९७७-७८ तक कटान, ढुलान आदि कार्यों पर कुल ४१,२१,४९७.०८ रुपया व्यय किया गया जिसकी पूरी वसूली स्टार पेपर मिल से की जा चुकी है ।

जैन मन्दिर, कन्नौज की मूर्तियों की चोरी

*२६—श्री झामलाम अहेरवार—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद के कस्बा कन्नौज की जनता द्वारा १४ फरवरी, १९७८ को एक ज्ञापन इस आशय का प्राप्त हुआ कि २७-२८ जुलाई, १९७४ को जैन मन्दिर, कन्नौज से चोरी की गई १७ मूर्तियों में से १५ मूर्तियां २३ जनवरी, १९७८ को बरामद की गयीं तथा दो मूर्तियां अभी भी नहीं बरामद हुई हैं ? यदि हां, तो उक्त ज्ञापन के सन्दर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम सिंह—

जी हां । मूर्तियों की चोरी के सम्बन्ध में थाना कन्नौज पर पंजीकृत अपराध संख्या ३३८ धारा ३८०/४५७ भारतीय दण्ड विधान की जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है ।

शान्ति एवं व्यवस्था के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्रियों का सम्मेलन

*२७—श्री मित्र सेन—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की धीमी गति में तीव्रता लाने हेतु क्या केन्द्रीय स्तर पर मुख्य मन्त्रियों का सम्बन्धित विषय पर विचार-विमर्श करने के लिए कोई सम्मेलन बुलाया गया है ? यदि हां, तो किन-किन आर्थिक-सामाजिक कार्यक्रमों पर क्या निर्णय लिया गया ?

श्री राम नरेश यादव—

जी नहीं। २३ व २४ सितम्बर, १९७८ को मुख्य रूप से शान्ति एवं व्यवस्था के प्रश्न पर विचार करने के लिए सम्मेलन बुलाया गया था। उसमें विकास के कुछ बिन्दुओं पर सूक्ष्म रूप से चर्चा हुई परन्तु कोई निर्णय नहीं लिया गया।

*२८—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

[३रे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या २४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गोंडा नगर के चौक बाजार के श्री हरीश की हत्या

*२९—श्री दीप नरायन (जिला गोंडा)—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा नगर में दिनांक २१ सितम्बर, १९७८ को चौक बाजार, गोंडा में हरीश नामक व्यक्ति की हत्या सायं-काल ५ बजे उसकी दुकान के सामने कुछ लोगों ने कर दी है? क्या गोंडा नगर की जनता ने पुलिस प्रशासन के विरुद्ध सारी दुकानें एक दिन बन्द रखीं तथा जनता के लोगों ने पुलिस प्रशासन के विरुद्ध जन-सभा भी की? यदि हां, तो सम्बन्धित मुलिजमान के विरुद्ध क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री राम सिंह—

जी हां। तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है तथा शेष चौथे अभियुक्त के विरुद्ध ८२/८३, जा० फौ० की कार्यवाही के आदेश जारी किए जा चुके हैं।

थाना कोतवाली, जिला गोण्डा में श्री हनोमान प्रसाद गोसाई द्वारा लिखायी गयी रिपोर्ट

*३०—श्री दीप नरायन—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १५ सितम्बर, १९७८, समय ७ बजे श्री हनोमान प्रसाद गोसाई ने एक रिपोर्ट थाना कोतवाली, देहात गोण्डा में कुछ लोगों के विरुद्ध इस आशय की की थी कि कुछ मुलजिमान ने उनके घर का सामान लूटा? यदि हां, तो क्या यह मुकदमा डकैती में लिखा गया? यदि नहीं, तो क्यों? पुलिस ने सम्बन्धित लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की?

श्री राम सिंह—

जी हां, अपराध धारा ४५७, ३८०, ४४८ भा० द० वि० के अन्तर्गत पंजीकृत हुआ, विवेचना में मुकदमा गलत व आपसी रंजिश के कारण लिखाया गया पाया गया और उसमें अंकित रिपोर्ट प्रेषित की गयी।

मेरठ शहर के सोतीगंज चौराहे पर बस से कुचल कर श्री राम औतार की मृत्यु

*३१—श्री राजेश कुमार सिंह (जिला आगरा)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि दिनांक ८ अगस्त को मेरठ शहर में रात्रि को सिटी बस सर्विस की एक बस ने एक युवक राम अवतार को सोतीगंज के चौराहे के निकट कुचल दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गयी?

इस घटना से नागरिकों में उत्तेजना फैल गयी और घटना स्थल पर भारी भीड़ को नियन्त्रण करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम सिंह—

प्रश्न में उल्लिखित दुर्घटना दिनांक ६-८-७८ की है न कि दिनांक ८-८-७८ की । उक्त दुर्घटना के सम्बन्ध में थाना लालकुर्ती, मेरठ पर धारा २७९/३०४-ए भा० दं० वि० के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा विवेचना के उपरान्त बस ड्राइवर के विरुद्ध दिनांक १८-८-७८ को आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया । उक्त दुर्घटना के उपरान्त उत्तेजित भीड़ द्वारा एक अन्य बस एवं फायर ब्रिगेड की गाड़ी को आग लगाई गई तथा पुलिस कर्मचारियों पर पथराव किया गया, जिससे कई कर्मचारी घायल हुये । स्थिति पर नियन्त्रण पाने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा भीड़ को तितर बितर करने का प्रयास किया गया, किन्तु पुलिस द्वारा भीड़ पर लाठी चार्ज नहीं किया गया और न ही कोई जनता का व्यक्ति घायल हुआ । इस घटना के सम्बन्ध में १४७/४३६/४३८/४२६/४२७/३५३/३३२/३०७ भा० दं० वि० के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । विवेचना के उपरान्त १३ अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक ३०-८-७८ को आरोप-पत्र न्यायालय भेजा गया ।

जिला न्यायालय, इलाहाबाद के अभिलेखागार में अग्निकांड की घटना

*३२—श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या न्याय मन्त्री को यह जानकारी है कि इलाहाबाद कचेहरी के रिकार्ड रूम में दिनांक १ मई, १९७८ को भीषण अग्निकांण्ड से दो लाख फाइलें कई सौ वर्षों से रखे रिकार्ड्स जलकर राख हो गयी ? यदि हां, तो आग लगने का कारण क्या था और कितना क्या-क्या नुकसान हुआ और जलने से बचाने के क्या-क्या उपाय किए गए और पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां, पहली मई, १९७८ को जिला न्यायालय, इलाहाबाद के अभिलेखागार में अग्निकाण्ड हुआ था । भारी संख्या में अभिलेख जल कर नष्ट हो गये । अभिलेखागार के अतिरिक्त, बारह न्यायालय कक्ष, कतिपय कार्यालय भवन के कमरे तथा उनमें रखे फर्नीचर, टाइप राइटर, पुस्तकें आदि जलन के कारण नष्ट हो गये इस अग्निकाण्ड में लगभग ९,६६,००० रुपये की क्षति हुई । अग्निकाण्ड के कारणों की जांच शासन के अपराध अनुसंधान विभाग तथा उच्च न्यायालय द्वारा विभागीय स्तर पर कराई गई है । अपराध अनुसंधान विभाग की जांच आख्या प्राप्त हो गई है जिसका अध्ययन किया जा रहा है । उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश महोदय द्वारा जो विभागीय जांच की जा रही है उसका निष्कर्ष प्राप्त नहीं हुआ है ।

इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिनांक १२-५-७८ को दिया जा चुका है ।

*३३—श्री रियासत हुसैन—

[३१ गुरूवार में तारांकित प्रश्न संख्या ३७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री राम नाथ शर्मा, काशीपुर, जिला नैनीताल के विरुद्ध मुकदमा एवं थानाध्यक्ष श्री राम चरन सिंह के विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणी

*३४—श्री मन्जूर अली खां (जिला रामपुर)—

द्वितीय सत्र १९७८ के पहले मंगलवार (२२ अगस्त, १९७८) के तारांकित प्रश्न संख्या १३ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या थानाध्यक्ष, काशीपुर (श्री राम चरन सिंह) ने श्री रमेश चन्द्र शर्मा पुत्र श्री राम नाथ शर्मा, निवासी काशीपुर को १९७४ से २९ अगस्त, १९७८ तक कितनी बार कितने मुकदमों में चालान किया ? क्या यह सत्य है कि कोर्ट ने उनको हर बार बरी कर दिया और थानाध्यक्ष के विरुद्ध इस्ट्रक्चर पास किए ? क्या यह भी सही है कि उक्त थानाध्यक्ष के विरुद्ध पुलिस रेगुलेशन ५०० की कार्यवाही की जा रही थी ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

श्री रामसिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत अवधि में श्री रमेश चन्द्र शर्मा पुत्र श्री रामनाथ शर्मा, निवासी काशीपुर के विरुद्ध छः अभियोगों में जिनमें विवेचना थानाध्यक्ष काशीपुर श्री राम चरन सिंह ने नहीं की थी बल्कि अन्य उप निरीक्षकों ने की थी, आरोप-पत्र न्यायालय भेजे गये। इनमें से तीन अभियोगों में न्यायालय ने अभियुक्त को बरी कर दिया तथा तीन न्यायालय के विचाराधीन है। एक अभियोग में न्यायालय ने श्री राम चरन सिंह जो इस अभियोग में गवाह थे तथा अन्य पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणी की, जिसके सम्बन्ध में पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर ५०० के अन्तर्गत कार्यवाही प्रचलित है।

ग्राम दयथवा, मेरठ के श्री राम सरन शर्मा, की हत्या

*३५—श्री मन्जूर अहमद—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २१ सितम्बर, १९७८ को ग्राम दयथवा, तहसील मवाना, जिला मेरठ में श्री राम सरन शर्मा की गोली मार कर हत्या कर दी गयी ? यदि हां, तो मुल्जिम कौन हैं और पुलिस ने आज तक मुलिजमान के खिलाफ क्या कानूनी कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह—

प्रश्नगत घटना २०-९-७८ की है। इस सम्बन्ध में थाना परीक्षतगढ़ जनपद मेरठ पर दिनांक २०-९-७८ को धारा १४७/१४८/१४९/३०२, भा० दं० वि० का अभियोग पंजीकृत हुआ था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्तगण ओमवीर सिंह, यशपाल, बलराज सिंह, रणवीर सिंह एवं राम किशन तथा दो अज्ञात व्यक्तियों को नामांकित किया गया। विवेचना के उपरान्त पांचों नामांकित अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया। अभियोग विचाराधीन न्यायालय है।

श्री मोहम्मद रफी खां, ग्राम दिलावरपुर, जिला शाहजहांपुर द्वारा थाने में लिखायी गयी रिपोर्ट

*३६- श्री मुहम्मद रफी खां—

क्या गृह मन्त्री बतलायेंगे कि थाना सेहरामऊ साऊथ, जिला शाहजहांपुर में दिनांक २४ जून, १९७७ को गांव दिलावरपुर के श्री बशीर खां के कत्ल की रिपोर्ट लिखायी गयी थी ? यदि हां, तो उसमें थाने की पुलिस द्वारा लगाई गई चार्जशीट अब तक अदालत में न पहुंचने के लिए उत्तरदायी कौन हैं ?

श्री राम सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री मोहम्मद रफी खां निवासी ग्राम दिलावरपुर ने थाना सेहरामऊ दक्षिणी जनपद शाहजहांपुर में दिनांक २४-६-७७ की मारपीट होने की मौखिक सूचना अंकित कराई । उस सूचना पर दर्ज अपराध में आरोप-पत्र १८-१२-७८ को न्यायालय प्रेषित किया गया । विलम्ब के लिये उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही हेतु पुलिस महानिरीक्षक को आदेश दे दिये गये हैं ।

ग्राम निरोजपुर गूजर, जिला मेरठ की कुमारी दुर्गेश के साथ कथित बलात्कार की घटना

*३७—श्री मन्जूर अहमद—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम निरोजपुर गूजर, थाना बागपत, जिला मेरठ में नाई की नाबालिग लड़की आयु १२ वर्ष के साथ ३० मार्च, १९७८ को दिन के समय बलात्कार किया गया जिसकी रपट थाना बागपत में दर्ज है ? यदि हां, तो मुलिजमान कौन है और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह—

प्रश्नगत घटना के सम्बन्ध में थाना बागपत जिला मेरठ पर जल्लू पुत्र खेम चन्द्र के विरुद्ध धारा ३७६ भा० दं० वि० के अन्तर्गत अपराध पंजीकृत कराया गया । डाक्टरी परीक्षण से कुमारी दुर्गेश के साथ बलात्कार हुआ नहीं पाया गया । अतएव उक्त अभियोग धारा ३७६, ५११ भा० दं० वि० में परिवर्तित किया गया ।

विवेचना के उपरान्त उक्त अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया ।

थानाध्यक्ष, घुघली गोरखपुर के विरुद्ध आरोपों की जांच

*३८—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्यामदेउरवा विकास क्षेत्र (गोरखपुर) जनता पार्टी के अध्यक्ष (श्री हरिवंश उर्फ तूफानी) ने तत्कालीन थानाध्यक्ष, घुघली गोरखपुर के विरुद्ध अन्य आरोपों के अतिरिक्त ६० हजार रुपए की तस्करी का सामान पड़पने का आरोप सन् १९७८ के पूर्वार्द्ध में लगाया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम सिंह—

भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा जांच करने के आदेश दिये जा चुके हैं ।

गोरखपुर के ग्राम सेमराचन्दौली में तस्करी के कपड़े की बरामदगी

*३९—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले के श्यामदेउरवा क्षेत्र के गांव सेमराचन्दौली में सितम्बर, १९७८ में करीब छब्बीस हजार रुपए का तस्करी का कपड़ा मिलने की सूचना शासन को है ? यदि हां, तो यह कपड़ा किसका था और इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री राम सिंह—

जी हां, । मामले में जांच हो रही है ।

बहराइच जिले के थाना रुपईडीह में पंजीकृत अपराध

*४०—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या सरकार को यह जानकारी है कि बहराइच जिले के थाना रुपईडीह में अपराध संख्या १५६, धारा ३९५ ता० हि० की नामजद रिपोर्ट दिनांक १२ अगस्त, १९७८ को आठ अभियुक्तों के खिलाफ दर्ज हुई जिसमें स्थानीय पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में आई० जी० पुलिस, लखनऊ व मुख्य सचिव को अगस्त, १९७८ में कोई तार प्राप्त हुआ और उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राम सिंह—

बहराइच जिले के थाना रुपईडीह में अंकित अपराध संख्या १५६ धारा ३९५ ता० हि० में नामजद आठो अभियुक्तों को गिरफ्तारी करके जेल भेजा जा चुका है । मामला इस समय न्यायालय में विचाराधीन है ।

श्री के० सी० करदम, सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, बदायूं के विरुद्ध मुकदमा

*४१—श्री मोती राम तथा श्री गौरी शंकर एडवोकेट (जिला इटावा)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री के० सी० करदम, तत्कालीन जिला सहायक निबंधक, सहकारी समितियां, बदायूं (अब निलम्बित) के खिलाफ आपातकाल में दिनांक १ दिसम्बर, १९७६ को एक ट्रेपकेस का मुकदमा सतर्कता पुलिस द्वारा आई० पी० सी० की धारा १६१ के अन्तर्गत जिला बदायूं कोतवाली में कायम किया गया था ? यदि हां, तो इस मुकदमें की चार्जशीट न्यायालय भेजी गयी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां, श्री के० सी० करदम, तत्कालीन जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, बदायूं (अब निलम्बित) के विरुद्ध धारा १६१ भारतीय दन्ड संहिता और धारा ५ (२) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जिला बदायूं में मुकदमा दर्ज कराया गया था । इस मुकदमें में चार्जशीट अभी न्यायालय में नहीं भेजी गई है क्योंकि कतिपय माननीय विधायकों द्वारा इस मामले में कई विशिष्ट तथ्य शासन की जानकारी में लाये गये जिनके सम्बन्ध में अग्रेतर जांच कराया जाना आवश्यक हुआ, जिसके फलस्वरूप अभियोजन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सका ।

*४२—श्री मुहम्मद रफी खां—

[तीसरे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या ५९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*४३—श्री विद्या शंकर—

[८-९-७८ को वक्तव्य होने के कारण निरस्त ।]

प्रतापगढ़ नगर में चोरी की घटनाएं

*४४—श्री विद्या शंकर (जिला प्रतापगढ़)—

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ नगर में अगस्त माह १९७८ में पं० श्याम नारायण प्रधानाचार्य के यहां नगर में एक विधी व्यापारी के यहां तथा सितम्बर सन् १९७८ में एक हाउस अभियन्ता का बंग जिसमें १८,००० रु० था की चोरियां हुईं ? यदि हां, तो पुलिस ने उन चोरियों का पता आज तक लगाया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह—

घटनाओं के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत हुये हैं जिसकी पुलिस द्वारा विवेचना की जा रही है।

बाराबंकी जिले के ग्राम हसौर के श्री बच्चू की हत्या के अभियुक्त श्री दल बहादुर सिंह का पत्र

*४५—श्री अशफों लाल यादव तथा श्री प्रदीप कुमार यादव (जिला बाराबंकी)—

क्या गृह मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ग्राम हसौर, थाना टिकैतनगर, जिला बाराबंकी के बच्चू नामक व्यक्ति की दिनांक १८-१९ जुलाई, सन् १९७८ की रात्रि को मृत्यु हुई थी ? जिसके सम्बन्ध में उपरोक्त थाने पर नामजद रिपोर्ट हुई और हत्या का मुकदमा कायम किया गया ? यदि हां, तो इस मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त श्री दल बहादुर सिंह ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तथा माननीय गृह मंत्री जी को इस आशय के कुछ प्रार्थना पत्र दिये थे कि उसे व उसके घर वालों को गलत फंसाया जा रहा है, जिसकी सी० आई० डी० जांच होनी चाहिए ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री राम सिंह—

जी हां। अभियुक्त दल बहादुर सिंह ने प्रार्थना पत्र दिया था विचारोपरान्त मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग को सौंपी जा चुकी है।

थाना ककवन, कानपुर के थानाध्यक्ष, श्री राजनाथ सिंह के विरुद्ध हत्या का अभियोग तथा उनकी पदोन्नति

*४६—श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

क्या गृह मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद कानपुर के अन्तर्गत थाना ककवन में १ अक्तूबर, १९७७ को धारा ३०२ व अन्य कई धाराओं के अन्तर्गत जो रिपोर्ट दरोगा श्री राजनाथ सिंह आदि के विरुद्ध सरकार ने दर्ज कराई थी उसमें कुल कितने अभियुक्त हैं और उनके नाम पता क्या है ? क्या उससे सम्बन्धित पुलिस जन अभी सरकारी सेवा में कार्यरत हैं ?

श्री राम सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री विद्याधर द्विवेदी निवासी ग्राम बस्ता, थाना ठठिया जिला फर्रुखाबाद के प्रार्थना पत्र दिनांक १-४-७७, जिसमें दिनांक २०/२१-२-७७ को थाना ककवन की पुलिस द्वारा खरपतपुर झाल के पास प्रार्थी के भाई सहित सात व्यक्तियों की हत्या कर दिए जाने तथा झूठा मुठभेड़ का वाकया बनाने आदि की शिकायत की गयी थी, की जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की गई और उनकी प्रारम्भिक जांच के आधार पर थाना ककवन पर उक्त थाने

के थानाध्यक्ष तथा अन्य पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या १२९ अन्तर्गत धारा ३०२/३४२/२१७/२१८ भारतीय दन्ड विधान कायम कराया गया। मामले में विवेचना हो रही है। इससे थानाध्यक्ष एक ए० एस० आई०, एक हेड कान्सटेबुल, १० कांसटेबुल, चौकीदार तथा अन्य कई व्यक्ति सम्बन्धित हैं।

*४७—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या वह सही है कि दरोगा श्री राजनाथ सिंह को निलम्बित करने के बजाय उनकी पदोन्नति कर सी० आई० डी० में भेज दिया गया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री राम सिंह—

उपलब्ध सूचना के अनुसार सब-इन्सपेक्टर श्री राजनाथ सिंह तत्कालीन थानाध्यक्ष ककरन उक्त घटना के पूर्व ही निर्वाचन समिति द्वारा निरीक्षक पद हेतु अनुमोदित (अपूर्व) कर दिए गए थे। तदनुसार उनकी नियुक्ति अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग के मुख्यालय में निरीक्षक के पद पर हो गई थी। उक्त अभियोग की जांच प्रारम्भ किए जाने पर उक्त श्री राजनाथ सिंह को उप निरीक्षक पद पर कानपुर जिला पुलिस में नियुक्त कर दिया गया है। शासन ने आदेश दे दिये हैं कि उनको तथा अन्य सम्बन्धित कर्मचारियो को कानपुर से अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया जाय।

जौनपुर जिले के ग्राम नोनारी के श्री श्रीराम के घर कत्ल सहित डकैती

*४८—श्री ऊदल—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ता० ८ सितम्बर,, १९७८ को रात को गांव नोनारी (बल्लीपुर) थाना नवढ़िया, जिला जौनपुर में श्रीराम के घर रात ९ बजे डकैतों ने चार-पाँच व्यक्तियों को जान से मार दिया और हजारों रुपये की सम्पत्ति लूट ले गए ? यदि हां, तो अब तक इस डकैती के सिलसिले में कितनी गिरफ्तारियां की गयी और क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सच है कि जब डाका पड़ रहा था तब श्रीराम के घर का एक आदमी नेवढ़िया थाने गया था ? रिपोर्ट भी नहीं लिखी गयी और पुलिस ने कोई ध्यान नहीं दि ?3

श्री राम सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना नेवढ़िया जिला जौनपुर पर दिनांक ८-९-७८ की रात में श्री कैलाश नाथ पुत्र श्री श्रीराम ने सूचना दी कि उसी रात १०-१२ डकैत शस्त्रों से लस हो कर उनके घर में घुस गए तथा उनके काका को चारपाई से बांध दिया व उनके पिता को घर के अन्दर ले गए। यह भी सूचना दी गई कि उनकी मां के गहने आदि डकैतों द्वारा जबरदस्ती निकालने पर उनके पिता ने मना किया तो डकैतों ने उन्हें गोली मार दी तथा लूटने के बाद उनके काका को भी गोली मार दी। डकैतों की गोली से एक अन्य व्यक्ति व उनकी लड़की भी मर गयी तथा डकैतों ने कई अन्य घरों में लूटपाट की और चले गये। इस सूचना पर थाना नेवड़िया पर एक मुकदमा धारा ३९६ भारतीय दन्ड विधान का अंकित किया गया। विवेचना से प्रकाश में आये दो अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया तथा शेष की गिरफ्तारी के प्रयास हो रहे हैं। गिरफ्तार एक अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया। उक्त डकैती की सूचना देने के बाद पुलिस द्वारा रिपोर्ट न लिखे जाने आदि आरोप सही नहीं है।

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी, श्री मोहन चन्द्र पन्त, नैनीताल को राजनैतिक पेंशन

*४९--श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री (जिला देहरादून)--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जेल रिकार्ड की अनुपलब्धता के कारण सहबन्दी स्वतन्त्रता सेनानियों द्वारा सजा की अवधि के प्रमाण में दिए गए अनुबन्ध-पत्रों के आधार पर स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी को राजनैतिक पेंशन स्वीकृत की जाती है ? यदि हां, तो दो सह बन्दी स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों द्वारा अनुबन्ध-पत्र देने के बावजूद भी नैनीताल जिले के श्री मोहन चन्द्र पन्त को राजनैतिक पेंशन न दिए जाने का क्या कारण है ?

श्री राम नरेश यादव--

जी हां, श्री मोहन चन्द्र पन्त को सहबन्दी प्रमाण-पत्रों के आधार पर पेंशन स्वीकृत कर दी गई है ।

थाना वजीरगंज, गोंडा के अन्तर्गत श्री राम सागर यादव की हत्या

*५०--श्री विष्णु प्रताप सिंह (जिला गोंडा)--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना वजीरगंज, जिला गोंडा के अन्तर्गत मार्च, १९७८ में श्री राम सागर यादव की हत्या कुछ व्यक्तियों द्वारा कर दी गयी थी जिसकी रिपोर्ट उक्त थाने में दर्ज थी पर शासन ने सी० आई० डी० द्वारा जांच के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो कितने अभियुक्त पकड़े गए और मुकदमे का अन्तिम परिणाम क्या निकला ?

श्री राम सिंह--

जी हां, रिपोर्ट दर्ज थी । एक अभियुक्त पकड़ा गया और शेष तीन अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया । मुकदमा विचाराधीन न्यायालय है ।

*५१--श्री गोविन्द सिंह नेगी--

[उत्तर बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या ३८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*५२--श्री गोविन्द सिंह नेगी--

[उत्तर बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या ५८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेटों के पद को समाप्ति करने का प्रश्न

*५३--श्री कृष्ण स्वरूप--

क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेटों के पद समाप्त करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

स्पेशल जूडिशियल मजिस्ट्रेट के समस्त ३०० पदों को समाप्त कर उन्हें मुंसिफ मजिस्ट्रेट/जूडीशियल मजिस्ट्रेट के संवर्ग में विलीन करने का निर्णय शासन द्वारा लिया जा चुका है । जैसे-जसे मुंसिफ मजिस्ट्रेट नियुक्ति हेतु उपलब्ध होते जायेंगे वैसे-वैसे स्पेशल जूडीशियल मजिस्ट्रेट के पद समाप्त होते जायेंगे । अब स्पेशल जूडीशियल मजिस्ट्रेटों के रिक्त पदों पर नई नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं ।

ग्राम राजपुर नवादा, जिला बिजनौर की श्रीमत कुंडिया के साथ बलात्कार

*५४—श्री देव बहादुर सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक २७ जुलाई, १९७८ को जिला बिजनौर के थाना नांगल के अंतर्गत ग्राम राजपुर नवादा में उक्त थाने के दो सिपाहियों ने कुछ महिलाओं के साथ अभद्रता की तथा कुछ के साथ बलात्कार किया ? यदि हां, तो पूरा विवरण क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक २२-७-७८ को श्रीमती कुंडिया पत्नी झबरे, निवासी राजपुर नवादा, थाना नांगल, बिजनौर ने दिनांक २१/२२-७-७८ की रात्रि को उसके घर पर दो अज्ञात कांनिस्टेबिलों एवं एक व्यक्ति के आने तथा उनमें से एक कानिस्टेबिल एवं एक व्यक्ति द्वारा उसके साथ बलात्कार किए जाने के सम्बन्ध में लिखित सूचना दी, जिसके आधार पर थाना नांगल पर अभियोग अन्तर्गत धारा ३७६ भा० दं० वि० पंजीकृत किया गया । मामले की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की गई । विवेचना के उपरान्त उक्त तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध धारा ३७६/३५४/४५२/५०४/५०६ भा० दं० वि० के अन्तर्गत आरोप पत्र दिनांक ६-११-७८ को न्यायालय प्रेषित किया गया । अभियोग न्यायालय के विचाराधीन है।

*५५—श्री मोती लाल देहलवी—

[३रे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ५५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

देवरिया जिले में हत्या व डकैती की घटनाएं

*५६—श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद में वर्ष १९७८ में अब तक कुल कितनी हत्या तथा डकैती की घटनाएं घटित हुई हैं ? क्या यह सही है कि उक्त घटनाओं की रपट पुलिस द्वारा दर्ज नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दंडित करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राम सिंह—

वर्ष १९७८ में १-१-७८ से १५-८-७८ तक हत्या की ४९ तथा डकैती की ३५ घटनाएं घटित हुई यह कहना सही नहीं है कि जनपद में हत्या व डकैती की घटनाओं की समस्त रिपोर्ट पुलिस द्वारा दर्ज नहीं की जा रही है । अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही कर दंडित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

थाना गौरीबाजार, देवरिया के थानाध्यक्ष के विरुद्ध आरोप-पत्र

*५७—श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गौरी बाजार, जनपद देवरिया के तत्कालीन थानाध्यक्ष के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा घूसखोरी सम्बन्धी आरोप-पत्र प्रश्नकर्ता द्वारा माह जून, १९७८ में गृह मन्त्री तथा डी० आई० जी० (गोरखपुर) को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो क्या वह आरोप जांच पर सही पाए गए ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री राम सिंह--

जी हां । जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हो सके । कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

थाना मोतीपुर, जिला बहराइच में श्री मनोरथ द्वारा लिखायी गई रिपोर्ट

*५८--श्री फजलुर्रहमान अन्सारी (जिला बहराइच)--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना मोतीपुर, जनपद बहराइच में दिनांक १ सितम्बर, १९७८ को एक रिपोर्ट श्री मनोरथ, सहायक अध्यापक, जू० हा० स्कूल, बोझिया ने धारा ३९४ आई० पी० सी० की दर्ज कराया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री राम सिंह--

जी हां । तफतीश से मुकदमा जुर्म धारा ३२३ ता० हि० का केवल पाया गया तथा विवेचना से लूट की बात असत्य पायी गयी । अतः अन्तिम रिपोर्ट लगाकर विवेचना समाप्त की गई ।

*५९--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन लि०, चुर्क, मिर्जापुर के लेखाकार, श्री एन० के० गोस्वामी का फर्जी प्रमाण-पत्र

*६०--श्री हरीराम वर्मा (जिला फैजाबाद)--

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन लि०, चुर्क, जिला मिर्जापुर में क्रय निरीक्षक पद हेतु जो साक्षात्कार १९६४ में हुआ था उसमें किसी लेखाकार ने फर्जी वाणिज्य स्नातक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया था ? यदि हां, तो शासन को कब जानकारी हुई और प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक २७ सितम्बर, १९७७ को दी गई सूचना के आधार पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश--

श्री एन० के० गोस्वामी के सेवा काल के प्रारम्भ से उनकी सेवा पंजिका में शैक्षिक योग्यता बी० काम० अंकित है । बहुत समय से वे चुर्क सीमेन्ट फैक्ट्री में कार्यरत हैं और इस शैक्षिक योग्यता के आधार पर उन्हें १९६९ में क्रय निरीक्षक के पद पर प्रोन्नत किया गया । १९७४ में यह सूचना मिलने पर कि श्री गोस्वामी बी० काम० नहीं हैं, कारपोरेशन ने जांच की व उसे सत्य पाने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी । यह कार्यवाही पूर्ण हो गई है व अब श्री गोस्वामी को दण्ड देने की कार्यवाही लोक सेवा आयोग के परामर्श से शासन के विचाराधीन है । सदस्य महोदय के पत्र के उत्तर में उन्हें सूचित कर दिया गया था कि शासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

विकास प्राधिकरण की अलीगंज योजना, लखनऊ के भवन का आबंटन

*६१--श्री देव राम (जिला गाजीपुर) --

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकास प्राधिकरण की दिनांक ५ जनवरी, १९७७ के निर्णय के अनुसार अलीगंज (लखनऊ) योजना में ई० १, ई० २ प्रकार के निर्मित भवनों के आबंटन में पंजीकृत प्रार्थना-पत्रों में से क्रमानुसार

चयन करके आबंटन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो पंजीकृत प्रार्थना-पत्रों में व्यतिक्रम करन का उत्तरदायित्व किस अधिकारी पर है ?

श्री राम नरेश यादव—

विकास प्राधिकरण के पत्र दिनांक ५-१-७७ द्वारा उन सभी ४८ आवेदकों से जिनकी २००० रु० की पहली किश्त की धनराशि जमा थी तथा जिनको भवन आबंटित नहीं हुए थे, ई०-१ प्रकार के एक कमरे वाले भवन लेने के लिए सहमति मांगी गयी थी । सभी ४८ अभ्यर्थियों ने अपनी सहमति दे दी थी । इन सभी आवेदकों को नियमानुसार आबंटन की कार्यवाही की जा रही है । इन सभी आवेदकों को पंजीकरण क्रम के अनुसार ही नियमानुसार भवन का आबंटद किया जायेगा । कोई व्यतिक्रम नहीं किया गया है ।

प्रतापगढ़ जिले के थाना मानिकपुर के समीप डकैती

*६२—श्री संगम लाल (जिला प्रतापगढ़)—

क्या गृह मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि प्रतापगढ़ जनपद के मानिकपुर थाने से मात्र दो ढाई सौ गज की दूरी पर १३/१४ जुलाई, १९७८ की रात में श्री गनेश प्रसाद मुराई के घर भीषण डकैती डाल कर डाकुओं का दल सकुशल भाग गया ? जिसकी रपट उक्त थाने में दर्ज कराई गई है ? अगर हां, तो पुलिस प्रशासन के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम सिंह—

जी हां । डकैती की घटना के बारे में जानकारी होते ही पुलिस घटना स्थल पर गयी विवेचनोपरान्त दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा नियमानुसार कार्यवाही शिनाख्त कराकर उन दोनों ही अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया, उक्त दो अभियुक्तों के अलावा अभी तक कोई अन्य अभियुक्त प्रकाश में नहीं आया है और विवेचना जारी है ।

चूंकि मुकदमें की विवेचना पुलिस द्वारा पूर्ण सतर्कता एवं तत्परता से की गयी अतः उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही किए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

*६३—श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

[३रे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ५६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

आजमगढ़ के थाना घोसी के थानाध्यक्ष के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र

*६४—श्री फजलुर्रहमान अन्सारी—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के थाना घोसी के थाना अध्यक्ष के विरुद्ध २२ आरोप के सम्बन्ध में दिनांक १ सितम्बर, १९७८ को जिलाधिकारी को शिकायत प्राप्त हुई ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम सिंह—

थानाध्यक्ष घोसी के वि द्ध कई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं जिनकी जांच करायी जा रही है, किन्तु उनमें से कोई भी प्रार्थना-पत्र ऐसा नहीं है जिसमें थानाध्यक्ष के विरुद्ध २२ आरोप लगाये गए हैं ।

सतर्कता अधिष्ठान को अलग विभाग बनाये जाने पर विचार

*६५--श्री चन्द्रभान मौर्य (जिला आगरा)--

क्या सरकार के विचाराधीन इस तरह का कोई प्रश्न है कि सतर्कता अधिष्ठान उत्तर प्रदेश का एक अलग विभाग बनाया जाय और उसकी सारी नियुक्तियां पुलिस विभाग के विभिन्न अंगों से न की जाकर सीधी जनता में से की जाय ? यदि हां, तो सरकार इस पर कब तक निर्णय लेकर अमल शुरू करेगी ?

श्री राम नरेश यादव--

उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान के अधीन पुलिस उपाधीक्षक तथा निम्नतर वर्गों के कर्मचारियों के लिए अलग संवर्ग बनाने तथा वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार उनमें पुलिस विभाग के कर्मचारियों तथा अधिकारियों की नियुक्ति के स्थान पर सीधी भर्ती करने का सामान्य निर्णय शासन द्वारा किया जा चुका है। उक्त संवर्गों की सेवा शर्तें आदि बनाने की कार्यवाही की जा रही है। यह कार्यवाही पूर्ण हो जाने पर उक्त निर्णय का कार्यान्वयन यथा शीघ्र किया जायेगा।

मेरठ जिले के ग्राम शेखपुरा के श्री रामजी दास कलसांण द्वारा दिया गया अपनी सुरक्षा हेतु प्रार्थना-पत्र

*६६ श्री मोती राम --

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि रामजी दास कलसांण, निवासी ग्राम शेखपुरा, थाना बिनौली, जिला मेरठ को दिनांक २९ नवम्बर, १९७५ को अभियुक्त रघुबीरा आदि ने जान से मारने की नियत से गम्भीर चोटें पहुंचायी जिसकी धारा ३०७/१४९/१४८/३२३/३२४/३२५ ता० हिन्द कायम हुआ और उसमें सेशन जज, मेरठ के न्यायालय से २२ अगस्त, १९७७ को अभियुक्तों को सजा हुई जो अब जमानत पर छूटे हुए हैं। क्या श्री रामजी दास कलसांण ने अनेक शिकायतें इस बात की की हैं कि उनकी जान को खतरा है तथा उन्हें जीवन सुरक्षा प्रदान की जाय ? यदि हां, तो इस बारे में पुलिस ने श्री रामजीदास के जीवन सुरक्षा का कोई प्रबन्ध किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह--

जी हां। श्री रामजी दास कलसांण द्वारा अपनी सुरक्षा के लिये दिये गये प्रार्थना-पत्रों के आधार पर उन्हें शैडो प्रदान किया गया था और उनके विपक्षियों के विरुद्ध धारा १०७/११६ दं० प्र० सं० के अन्तर्गत चालानी रिपोर्ट न्यायालय भेजी गई थी। आवश्यकता न होने के कारण शैडो वापस ले लिया गया फिर भी स्थानीय पुलिस को निर्देश दिये गये हैं कि श्री रामजी दास कलसांण की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

हमीरपुर जिले के थानाध्यक्ष, सुमेरपुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*६७--श्री हरिकेवल प्रसाद--

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हमीरपुर के थाना मरुआ सुमेरपुर के थाना इन्चार्ज के विरुद्ध इसी थाने के हेड कांस्टेबुल ने ४ पृष्ठों का एक भ्रष्टाचार व डकैती डलवाने आदि से सम्बन्धित लिखित शिकायती-पत्र पुलिस अधीक्षक, हमीरपुर को माह सितम्बर, १९७८ में दिया है ? यदि हां, तो शिकायती-पत्र पर अंकित आरोप तथ्य-क्या है और उनकी जांच किस अधिकारी से कराई गई तथा थानाध्यक्ष के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार एक हेड कान्स्टेबिल द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र में थानाध्यक्ष, सुमेरपुर के विरुद्ध अपराधों की रिपोर्ट गलत धाराओं में दर्ज करने, जुआ खिलवाने, बिना परमिट बसें चलवाने एवं अन्य भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये थे। इन आरोपों की जांच क्षेत्राधिकारी द्वारा की गई। जांच से लगाये गये आरोप अप्रमाणित रहे। अतः थानाध्यक्ष के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी जिले के गांव बैरामपुर के श्री शीतला प्रसाद मौर्य की पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु

*६८--श्री ऊदल--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव बैरामपुर थाना बड़ागांव जिला वाराणसी के शीतला प्रसाद मौर्य को बड़ागांव की पुलिस ने गलत तरीके से सन् १९७६ में मारकर पुलिस डकैत मुठभेड़ दिखा दिया था जिस पर मजिस्ट्रेट द्वारा जांच कराई जा रही थी ? यदि हां, तो जांच पूरी हुई कि नहीं ? यदि पूरी हुई है, तो मजिस्ट्रेट ने क्या रिपोर्ट दिया है ?

श्री राम सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम बलरामपुर, थाना बड़ागांव, जिला वाराणसी निवासी श्री शीतला प्रसाद मौर्य की वर्ष १९७६ में पुलिस द्वारा मार कर मुठभेड़ दिखलाये जाने की बात सही नहीं है बल्कि उनकी मृत्यु घटनास्थल पर उपस्थित बदमाशों व पुलिस के बीच गोली चलने में हो गई थी। इस घटना की जांच मजिस्ट्रेट द्वारा पूरी की जा चुकी है। मजिस्ट्रीयल जांच के निष्कर्ष के अनुसार शीतला प्रसाद मौर्य घटानस्थल पर बदमाशों के साथ उपस्थित थे और बदमाशों एवं पुलिस के बीच गोली चलने में उनकी मृत्यु हो गई।

*६९--श्री शारदा प्रसाद जायसवाल--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

अतारांकित प्रश्न

गोरखपुर के विकास प्राधिकरण के कार्यालय का किराया

१--श्री रवीन्द्र सिंह--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय में कितने कमरे हैं ? प्रति मास किराया कितना है ?

श्री राम नरेश यादव--

गोरखपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय में ४ कमरे तथा बरामदा है। प्रतिमास किराया रुपया ६०० है।

बहराइच जिले के थाना खैरी घाट में श्री सेवक लोध की मृत्यु

२--श्री रवीन्द्र सिंह--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना खैरी घाट जिला बहराइच में वर्ष १९७७-७८ में श्री सेवक लोध की मृत्यु तत्कालीन थानाध्यक्ष की मार से थाने में हो गयी थी ? यदि हां, तो उक्त थानाध्यक्ष के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह—

यह कहना सही नहीं है कि श्री सेवक लोध की मृत्यु तत्कालीन थानाध्यक्ष की मार से थाने में हो गयी थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गोरखपुर जिला जेल में अध्यापकों पर लाठी चार्ज एवं मजिस्टीरियल जांच

३—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिसम्बर, १९७७ में गोरखपुर जिला जेल में बन्दी अध्यापकों पर हुए लाठी चार्ज की मजिस्ट्रियल जांच से अधीक्षक महित चार अधिकारी दोषी पाए गए थे ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां, मैजिस्ट्रीयल जांच के आधार पर अधीक्षक तथा ३ अन्य अधिकारी और एक बन्दी रक्षक दोषी पाए गए थे । अधीक्षक की सेवायें समाप्त कर दी गई हैं । शेष के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

देवरिया जिले के विकास खण्ड, पडरौना के ए० डी० ओ० सहकारिता द्वारा श्री इन्द्रासन पाठक के विरुद्ध लिखायी गयी रिपोर्ट

४—श्री श्रीनारायण—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के विकास खंड, पडरौना ए० डी० ओ० सहकारिता ने ६ जुलाई, १९७४ को पडरौना के थाने में इन्द्रासन पाठक के खिलाफ धारा ४०९ भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत कोई रिपोर्ट दर्ज कराई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम सिंह—

जी हां । विवेचना में है ।

५—श्री श्रीनारायण—

क्या उक्त ए० डी० ओ० सहकारिता ने यह भी रिपोर्ट में दिया है कि इन्द्रासन पाठक मोतीचन्द्र पुत्र दुखी, निवासी बेलवा जंगल से ६८० रु० कच्चो रसीद देकर वसूल कर लिया है तथा उस धन को भी जमा न करके अपहरण कर लिया है ? यदि हां, तो इस धोखा धड़ी के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री राम सिंह—

जी हां । विवेचना में है ।

सीमेन्ट एजेन्सियों का वितरण एवं कमजोर वर्गों को एजेन्सी दिये जाने की मांग

६—श्री शिव प्रसाद (जिला आजमगढ़)—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९७७-७८ एवं १९७८-७९ में चुर्क एवं डाला सीमेन्ट की एजन्सी किन-किन व्यक्तियों को दी गयी हैं और उन्हें एजेन्सी देने का क्या आधार रहा है ?

श्री राम प्रकाश--

वित्तीय वर्ष १९७७-७८ एवं ७८-७९ में (१८-११-७८ तक) चूर्क एवं डाला सीमेन्ट फैक्ट्रियों के लिये दी गयी सीमेन्ट की ६८ एजेन्सियों का विवरण संलग्नक के अनुसार है । जिला मजिस्ट्रेटों, जन प्रतिनिधियों आदि से संस्तुतियों पर विचार करके एजेन्सियां दी गयी हैं ।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ११३० पर)

७--श्री शिव प्रसाद--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीमेंट की एजेंसी देने के सम्बन्ध में वर्तमान शासन की नीति क्या है और कमजोर वर्ग के लोगों के लिये किसी प्रकार की प्रथमिकता रखी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश--

केन्द्र सरकार द्वारा जनता में विक्रय हेतु सीमेन्ट का कोटा बहुत कम निर्धारित करने तथा उसकी तुलना में सीमेंट कारपोरेशन के वर्तमान स्टाकिस्टों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण सीमेन्ट कारपोरेशन द्वारा नये स्टाकिस्ट सीमित संख्या में नियुक्त किये गये हैं, मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र के उन ब्लाकों में जहां इस समय कारपोरेशन का कोई स्टाकिस्ट नहीं है । सीमेन्ट स्टाकिस्ट व्यापारिक क्षमता एवं कार्यकुशलता के आधार पर चुने जाते हैं अतः उनकी नियुक्ति में कमजोर वर्ग के लोगों को प्राथमिकता देने का कोई औचित्य नहीं है ।

झांसी म्युनिसिपल बोर्ड की नजूल भूमि पर श्री हरिमोहन का कथित कब्जा

८--श्री मोहन लाल (जिला हमीरपुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी म्युनिसिपल बोर्ड की सीमा के अन्दर नजूल की भूमि, जो कि तिलयानी बजरिया झांसी में स्थित है, श्री हरी मोहन पुत्र श्री दुर्गा प्रसाद, मकान नं० १०७/१, तिलयानी बजरिया, झांसी ने नाजायज रूप से कब्जा कर रखा है उसको हटाने के लिए सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री राम नरेश यादव--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

देवरिया जिले के थाना कोतवाली के अन्तर्गत डकैती, कत्ल व राहजनी की घटनाएँ

९--श्री मोती लाल देहलवी तथा श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया)--

क्या गृह मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के थाना कोतवाली के अन्तर्गत मार्च, सन् १९७८ से १९ सितम्बर, १९७८ तक नगरपालिका देवरिया व देहाती क्षेत्र में कितनी डकैती-कत्ल व राहजनी की रिपोर्ट दर्ज कराई गयी ? उसका मासिक ब्योरा अलग-अलग क्या है तथा किस अपराध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह--

डकैती कत्ल व राहजनी की घटनाओं का माहवार ब्योरा संलग्न है। अगस्त में घटित डकैती की एक व अप्रैल व मई में घटित राहजनी की एक-एक घटनाओं के मामलों को जो विवेचनाधीन है, छोड़कर शेष सभी मामलों में आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका (देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ११३३ पर) है।

आगरा जिले में मोमबत्ती बनाने की इकाइयों को मोम का आवंटन

१०--श्री श्रीनारायण--

क्या उद्योग मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि आगरा जनपद में कितने लोगों के पास मोम से मोमबत्ती बनाने का कोटा किस मात्रा में कितने वर्षों से निर्धारित है और इस वर्ष नवीन कोटा कितनों को निर्धारित किया जा रहा है ? क्या यह सही है कि कुछ व्यक्तियों ने व उनके परिवार जनों ने फर्जी तौर पर मोमबत्ती बनाने के नाम पर कोटा ले रखा है ? क्या सरकार उपरोक्त लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री राम प्रकाश--

मोमबत्ती बनाने की इकाइयों को देशी मोम का कोटा प्रत्येक वर्ष स्वीकृत नीति के अनुसार पृथक-पृथक मात्रा में आवंटित किया जाता है। आगरा जनपद में वर्ष १९७५ से १९७८ तक १२ इकाइयों को जितना देशी मोम आवंटित किया गया है उसकी मात्रा संलग्न तालिका परिशिष्ट †(१) में अंकित है। इसके अतिरिक्त इस जनपद में आयातित मोम से मोमबत्ती बनाने की ४६ इकाइयां स्थाई रुप से पंजीकृत की गई है जो परिशिष्ठ (२)† में अंकित हैं। य सभी इकाइयां मेसर्स वामरलरी एण्ड कम्पनी २१, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता से सीधे मोम मंगा सकती हैं, फिर भी शासन द्वारा उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम के माध्यम से आयातित मोम मंगाकर वितरित किया जाता रहा है। इस वर्ष देशी मोम का कोटा प्राप्त करने की कोई नई इकाई पंजीकृत नहीं हुई है विदेशी मोम के लिये २१ इकाइयों के प्रर्थना-पत्र प्राप्त हुये हैं। इनमें से जो इकाइयां दिनांक ९ नवम्बर, १९७८ के पूर्व पंजीकृत हुई थी उन्हें १.०० मे० टन मोम का आवंटन कर दिया गया है। ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है कि कुछ व्यक्तियों व उनके परिवार जनों ने फर्जी तौर पर मोमबत्ती बनाने के नाम पर कोटा ले रखा है। यदि ऐसी कोई विशिष्ट शिकायत की सूचना प्राप्त होगी तो विस्तृत जांच के उपरान्त उस पर कार्यवाही की जायेगी।

११--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[२रे मंगलवार से लिए स्थगित।]

लखीमपुर जिले में पाये गये पोस्टकार्ड एवं लिफाफे के सम्बन्ध में थाने में लिखायी गयी रिपोर्ट

१२--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखीमपुर जिले के थाना गोलागोकर्णनाथ में दिनांक ९ मई, १९७८ को इस आशय की कोई सूचना लिखाई गयी कि रेलवे लाइन के किनारे सैकड़ों की तादाद में बन्द लिफाफे तथा

†छापी नहीं गयी।

पोस्टकार्ड आदि पड़े पाए गए जिससे यह सन्देह व्यक्त किया गया कि आर० एम० एस० वालों ने ट्रेन से फेंक दिया हो ? यदि हां, तो इस रिपोर्ट के बारे में क्या कार्यवाही गयी ?

श्री राम सिंह--

दिनांक ९ मई, १९७८ को श्री कैलाश चन्द्र गुप्ता नामक एक व्यक्ति ने लखीमपुर रोड स्थित रेलवे फाटक के पास बिखरी हुई डाक देखी थी जिसे उसने इकट्ठा करके थाना गोला में रिपोर्ट के साथ दिनांक ९ मई, १९७८ को ही जमा कर दिया । यह डाक उसी दिन पोस्टमास्टर गोला के सुपुर्द कर दी गयी । अग्रेतर कार्यवाही डाक एवं तार विभाग द्वारा की जाती होगी ।

मिर्जापुर जिले के सार्वजनिक औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारी

१३--श्री राजनाथ सिंह (जिला मिर्जापुर)--

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर में कितने सार्वजनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान कार्य कर रहे हैं ? और प्रत्येक औद्योगिक प्रतिष्ठानों में अलग-अलग मिर्जापुर जनपद के कितने-कितने स्थायी निवासी सेवारत हैं ?

श्री राम प्रकाश--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

चमोली जिले के नारायण बगड़ में वन विभाग के विश्राम गृह का निर्माण एवं ठेकेदार की जमानत की धनराशि

१४--श्री पूरन चन्द्र (जिला अल्मोड़ा)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रश्नकर्ता द्वारा ११ जून, १९७८ को जो प्रार्थना-पत्र श्री रतनराम पुत्र श्री दौलतराम, ग्राम घेटी, पो० आ० डंगोली, जिला अल्मोड़ा के वर्ष १९६९-७० में पश्चिमी पिंडर रेंज, नारायण बगड़, जिला चमोली के केदारनाथ डिवीजन के गोपेश्वर के फारेस्ट रेस्ट हाउस का निर्माण के शेष धनराशि के भुगतान हेतु एवं १,१०० रु० जमानत के सम्बन्ध में था, वन मन्त्री को मिला ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी और उक्त धनराशि उन्हें कब तक वापस मिल जायेगी ?

श्री श्रीचन्द--

श्री राम रतन पुत्र श्री दौलत राम, ग्राम घेटी, पो० आ० डंगोली जिला अल्मोड़ा ने वर्ष १९६९-७० में बद्रीनाथ वन प्रभाग (भूतपूर्व उत्तरी गढ़वाल वन प्रभाग) के पश्चिमी पिंडर रेन्ज के अन्तर्गत नारायण बगड़ वन विश्राम भवन का कार्य किया है, जिसका सम्पूर्ण भुगतान समय पर कर दिया गया था तथा भवन निर्माण से सम्बन्धित कोई भी उनका अवशेष नहीं है ।

ठेकेदार ने प्रतिभूति के रूप में १,११० रु० चालान न० ३६ दिनांक १४ मई, १९७० से जमा किया था जो कोषाधिकारी पौड़ी के माध्यम से महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को रीवैलीडेशन हेतु भेजा गया है । उनसे स्वीकृति प्राप्त पर भुगतान किया जायेगा ।

गोरखपुर जिले के सिटी मजिस्ट्रेट का स्थानान्तरण

१५- श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर के सिटी मजिस्ट्रेट ५ वर्ष से अधिक समय से इस जिले में कार्यरत हैं ? क्या जून-जुलाई, १९७८ में उनके स्थानान्तरण का आदेश भी हो गया था ? यदि हां, तो इन्हें अब तक यहां से स्थानान्तरित क्यों नहीं किया गया ?

श्री राम नरेश यादव—

गोरखपुर जनपद नगर मजिस्ट्रेट के पद पर श्री राम प्रसाद शुक्ल १५ फरवरी, १९७४ से कार्यरत थे और उन्होंने वहां पर ५ वर्ष की अवधि पूरी नहीं की थी । उनके अन्यत्र स्थानान्तरण के आदेश १८ जुलाई, १९७८ को निर्गत किये गये थे किन्तु कतिपय प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण उक्त आदेशों को कुछ समय के लिये स्थगित करना पड़ा था । अब उक्त अधिकारी वहां से १२ अक्तूबर, १९७८ से कार्यमुक्त हो चुके हैं ।

श्री उमा शंकर वर्मा, कलुवरपुर, जिला सीतापुर की पुलिस द्वारा पिटाई

१६—श्री अशर्फी लाल यादव तथा श्री राम सागर (जिला बाराबंकी)—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उमा शंकर वर्मा, निवासी कलुवरपुर, थाना महमूदाबाद, जिला सीतापुर ने १७ सितम्बर, १९७८ को पुलिस द्वारा अकारण पीटे जाने के सम्बन्ध में २० सितम्बर को कोई प्रार्थना पत्र जांच के लिए दिया था ? यदि हां, तो आज तक उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम सिंह—

श्री उमा शंकर वर्मा का एक प्रार्थना-पत्र दिनांक १९ सितम्बर, १९७८ प्राप्त हुआ था जिस पर क्षेत्राधिकारी सिधौली तथा पुलिस अधीक्षक, सीतापुर द्वारा जांच करायी गयी । प्राप्त सूचना के अनुसार श्री वर्मा को डांटा गया था और ३, ४ थप्पड़ भी मारे गये थे । सम्बन्धित लोगों का स्पष्टीकरण मांगा गया है और उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

राजकीय कताई मिल, फैजाबाद में की गयी नियुक्तियां

१७—श्री हरीराम वर्मा—

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में १ अप्रैल, १९७७ से ३१ मार्च, १९७८ तक उत्तर प्रदेश राजकीय कताई मिल लि० में कार्यकर्ताओं की भर्ती की गयी है ? यदि हां, तो किन-किन पदों पर कितने ? क्या मन्त्री जी इस सूची को सदन के पटल पर प्रस्तुत करेंगे ?

श्री राम प्रकाश—

जी हां । इस अवधि में निम्नलिखित कुल १३५ नियुक्तियां की गई :

१—प्रशिक्षार्थी (श्रमिक)	११०
२—प्रशिक्षार्थी लिपिक/लिपिक	१४
३—प्रशिक्षार्थी (सुपरवाइजर) (इंजीनियर)	२
४—अधिकारीगण	९
योग ..	१३५

नियुक्त किए गये व्यक्तियों की सूची संलग्न है ।

फैजाबाद जिले के थाना सम्मनपुर के अन्तर्गत डकैती की घटनाएं

१८--श्री हरीराम वर्मा--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के थाना सम्मनपुर में माह जून सन् १९७७ से माह जून १९७८ तक प्रत्येक माह में कितनी-कितनी डकैतियां पड़ीं ? श्री त्रिशूल धारी सिंह, एस० आई० इस थाने में कब से कब तक थे ?

श्री राम सिंह--

कुल पांच डकैतियां पड़ी । जुलाई व नवम्बर, १९७७ तथा जनवरी, मार्च, व जून, १९७८ में एक-एक डकैती पड़ी । श्री त्रिशूल धारी सिंह, सब-इन्सपेक्टर, थाना सम्मनपुर में १२ अप्रैल, १९७७ से २ मार्च, १९७८ तक नियु रहे ।

गोंडा जिले के ग्राम चेतपुर में अग्निकांड एवं लारपीट की घटना

१९--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या गृह मन्त्री यह बतायेंगे कि गोंडा जिले के गांव चेतपुर में चन्द माह पूर्व कोई आगजनी की घटना हुई है ? यदि हां, तो घटना का पूरा विवरण क्या है ?

श्री राम सिंह--

जी हां । घटना का विवरण संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ११३४ पर) ।

चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी, मिर्जापुर के क्रय निरीक्षक, श्री एन० के० गोस्वामी का फर्जी प्रमाण-पत्र

२०--श्री हरी राम वर्मा--

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश सीमेंट कारपोरेशन लि०, चुर्क, जिला मिर्जापुर में क्रय निरीक्षक पद हेतु जो साक्षात्कार १९६४ में हुआ था उसमें किसी लेखाकार ने फर्जी वाणिज्य स्नातक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया था ? यदि हां, तो शासन को कब जानकारी हुई ? और उसका क्या नाम है ? प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक २७ दिसम्बर सन् १९७७ को दी गई सूचना पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कार्यवाही का परिणाम ?

श्री राम प्रकाश--

श्री एन० के० गोस्वामी के सेवा काल के प्रारम्भ से उनकी सेवा पंजिका में शैक्षिक योग्यता बी० काम० अंकित है । बहुत समय से वे चुर्क फैक्टरी में कार्यरत हैं और इस शैक्षिक योग्यता के आधार पर उन्हें १९६९ में क्रय निरीक्षक के पद पर प्रोन्नत किया गया । १९७४ में यह सूचना मिलने पर कि गोस्वामी बी० काम० नहीं हैं, कारपोरेशन ने जांच की व उसे सत्य पाने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक

† छापी नहीं गयी ।

कार्यवाही की गयी । यह कार्यवाही पूर्ण हो गयी है व अब भी गोस्वामी को दण्ड देने की कार्यवाही लोक सेवा आयोग के परामर्श से शासन के विचाराधीन है । सदस्य महोदय के पत्र के उत्तर में उन्हें सूचित कर दिया था कि शासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

श्री इस्माइल खां, निवासी ब्लाक 'क' सेन्टर, पन्तनगर के मकान पर अग्निकाण्ड

२१--श्री देव बहादुर सिंह--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ९ अप्रैल, १९७८ को श्री इस्माइल खां, सहायक ब्लाक इंचार्ज, ब्लाक (के) सेन्ट्रल जोन, पन्त नगर, जिला नैनीताल के एक आवेदन-पत्र लाल कुआं, थागा (नैनीताल) में दिया था जिसमें यह आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने उनकी झोपड़ी में दिनांक ८ अप्रैल, १९७८ को आग लगा दी जिससे उनकी तीन भैंसे जल कर मर गयीं जिनकी कीमत लगभग ८,००० रु० थी ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक ९-४-१९७८ को श्री इस्माइल खां निवासी ब्लाक 'क' सेन्टर जोन पन्त नगर की लिखित सूचना के आधार पर प्रश्नगत के घटना के सम्बन्ध में थाना लाल कुआं, जिला नैनीताल पर धारा ४३६ भा० दं० वि० का अपराध कायम कर विवेचना की गई । साक्ष्य के अभाव में अभियोग की विवेचना अंतिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त की गई ।

नैनीताल जिले के ग्राम जीतपुर नेगी के श्री रतन राम की वन भूमि से बेदखली

२२--श्री पूरन चन्द्र--

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वन विभाग की भूमि से बेदखल किए गये व्यक्ति श्री रतन राम एवं अन्य, ग्राम जीतपुर नेगी, तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल के प्रार्थना-पत्र दिनांक १६ मार्च, १९७८ पर जो मन्त्री ने आदेश ७ दिन में आख्या प्रस्तुत करने हेतु अरण्यपाल (पश्चिमी वृत्त) को दिये थे, उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या उक्त आख्या उन्हें प्राप्त हो गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस मामले में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री श्रीचन्द--

अरण्यपाल द्वारा आख्या प्रस्तुत कर दी गयी थी जो प्राप्त हो गयी है । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

इलाहाबाद जिले के थाना शंकरगढ़ के थानाध्यक्ष श्री झारखंडे सिंह के विरुद्ध कथित शिकायती-पत्र

२३--श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद इलाहाबाद के थाना शंकरगढ़ के एस० ओ० (श्री झारखंडे सिंह) का स्थानान्तरण, श्रीमती बुधिया, हरिजन की शिकायत पर उसी जनपद के थाना थरवाई में किया गया था जो जुलाई, १९७८ मास में निरस्त कर दिया गया ? यदि हां, तो स्थानान्तरण निरस्त किए जाने के क्या कारण थे ? उक्त हरिजन श्रीमती बुधिया की शिकायतें क्या-क्या थीं ? क्या सरकार उनका पुनः स्थानान्तरण करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह—

थानाध्यक्ष शंकरगढ़ का स्थानान्तरण शिकायत पर नहीं हुआ था। उसका स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर किया गया। श्रीमती बुधिया ने जांच में यह बताया कि उसने कोई शिकायत नहीं की। तत्कालीन थानाध्यक्ष शंकरगढ़ स्थानान्तरित हो चुके हैं।

गोंडा जिले में कत्ल के मुकदमें

२४—श्री दीपनरायन—

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जिले में १ जून सन् १९७७ से २० सितम्बर, १९७८ तक कितने कत्ल के मुकदमें कायम किए गए तथा इन कत्ल के मुकदमों में कितने मुकदमें ऐसे हैं जिनमें पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगाई है? यह फाइनल रिपोर्ट किस आधार पर लगाई गई है तथा क्या सरकार इन फाइनल रेपोर्ट मुकदमों की पुनः जांच कराएगी?

श्री राम सिंह—

कुल १२२ मुकदमें कायम कराए गए जिनमें से ८ मामलों में पता न लगने व पर्याप्त सबूत न मिलने के कारण तथा एक मामले में पोस्टमार्टम से मृत्यु स्वाभाविक पाए जाने के कारण फाइनल रेपोर्ट लगाई गयी। इन फाइनल रिपोर्ट वाले मुकदमों की पुनः जांच कराए जाने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

थाना पडरौना के ग्राम कटनबार के श्री अमीनुल्लाह के घर पर कथित डकैती

२५—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या सरकार को जानकारी है कि पडरौना थाना क्षेत्र के ग्राम कटनबार में २९-३० अगस्त, १९७८ को सुदामा कोहरी, अम्बिका कोहरी तथा अमीनुल्लाह के घर डकैती पड़ी? दस्यु दल ने सर्वस्व लूट लिया तथा आग्नेयास्त्रों का खुलकर प्रयोग किया, जिसकी सूचना सम्बन्धित थाने में दर्ज है। यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी?

श्री राम सिंह—

डकैती की कोई घटना नहीं घटी। दिनांक ३०-८-७८ को श्री अमीनुल्लाह की लिखित सूचना पर थाना पडरौना में धारा १४७/३२३/३०७, भा० दं० वि० का एक मुकदमा कुछ अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध कायम हुआ था।

श्री अमानुल्लाह की लिखित तहरीर के अनुसार दिनांक २९/३०-८-१९७८ की रात्रि में करीब १ बजे १०-१२ बदमाश उसे पूछते हुये उसके दरवाजे पर गये। श्री अमानुल्लाह के सामने आने पर बदमाश उसे मारने लगे। श्री अमानुल्लाह के शोर मचाने पर श्री सुदामा पुत्र भगेलू, श्री अम्बिका पुत्र भगेलू तथा अन्य कई लोग वहां पर पहुंच गये और बदमाशों पर ईंट-कंकड़ चलाने लगे। सब बदमाश फायर करते हुये भाग गये। सुदामा, अम्बिका तथा मुहम्मद दीन को लाठी की चोट आयीं। अम्बिका को एक मामूली छर्रा लगने से चोट आयी थी।

विवेचनोपरान्त मुकदमें में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित कर दी गयी क्योंकि अभियुक्तों का पता नहीं चला।

इन्सपेक्टर, कौंसिल हाउस श्री ओम प्रकाश भार्गव तथा पुलिस अधिकारी, लखनऊ का मकान-भत्ता

२६--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे शासनादेश संख्या १८७०/आठ-१-१५० (१०३)-७५, दिनांक २९ मई, १९७६ गृह पुलिस-१ अनुभाग के प्रस्तर ३ (ii) के अनुसार इन्स्पेक्टर से लेकर कान्स्टेबिल तक के जिन पुलिस कर्मचारियों को रेन्ट कन्ट्रोल के मकान एलाटेड हैं उनको नियत मकान भत्ता (२०० रु०) की सीमा तक वास्तविक किराया दिए जाने की शासन ने स्वीकृति दी है ? यदि हां, तो इन्स्पेक्टर, कौंसिल हाउस (श्री ओम प्रकाश भार्गव) को ३० रु० प्रति माह के एलाटमेंट के मकान में रहने पर भी २०० रु० प्रति माह का नियत मकान भत्ता किन कारणों से दिया जा रहा है ? ऐसे कितने पुलिस अधिकारी, लखनऊ में हैं जो उक्त शासनादेश के बावजूद भी एलाटमेंट के मकान में रहते हुए नियत मकान भत्ता प्राप्त कर रहे हैं ?

श्री राम सिंह--

शासनादेश संख्या १८७०/आठ-१-१५० (१०३)-७५, दिनांक २० मई, १९७६ (न कि २९ मई, १९७६) के प्रस्तर ३ (ii) के अनुसार जिन इन्स्पेक्टर से लेकर कांस्टेबुल तक के कर्मचारियों को रेंट कंट्रोल का मकान एलाटमेंट में मिला हुआ है उनको नियत मकान भत्ते की सीमा तक वास्तविक किराया देय है ।

प्राप्त सूचना के अनुसार इन्सपेक्टर कौंसिल हाउस (श्री ओम प्रकाश भार्गव) के नाम कोई मकान एलाटमेंट का नहीं है । अतः उन्हें उपरोक्त शासनादेश के अनुसार २०० रु० प्रतिमाह की दर से नियत मकान भत्ता मिलता है ।

प्राप्त सूचना के अनुसार कोई पुलिस अधिकारी लखनऊ में ऐसा नहीं है जिसे उक्त शासनादेश के बावजूद भी एलाटमेंट के मकान में रहते हुये नियत मकान भत्ता मिल रहा है ।

हरदोई जिले के ग्राम नेवादा लोचन के श्री बाबू का चोरी के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

२७--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या गृह मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि श्री बाबू पुत्र बख्तावर, ग्राम नेवादा लोचन, थाना बेनीगंज, जिला हरदोई ने ३ नवम्बर, १९७७ को अपना घर बेरहमी से लूटे जाने तथा कुछ अराजक तत्वों द्वारा आतंक एवं दहशत की स्थिति पैदा करने १० दिसम्बर, १९७७ को गन्ना काटने तथा १७ मार्च, १९७८ को गाड़ा बन्दी करने सम्बन्धी रिपोर्ट एवं तहरीरें दीं ? यदि हां, तो उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी और श्री बाबू की जान-माल की रक्षा के लिए पुलिस ने क्या उपाय किए ?

श्री राम सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार बाबू पुत्र बख्तावर ग्राम नेवादा लोचन थाना बेनीगंज जिला हरदोई ने अपने घर से गेहूं आदि चुराये जाने के विषय में एक प्रार्थना-पत्र दिया था जिस पर दिनांक ३-११-७७ को थाना बेनीगंज में धारा ४५७ भा० दं० वि० के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत हुआ । विवेचना में अभियुक्तों की नामजदगी गलत पाई गयी । अतः अभियोग की विवेचना अंतिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त की गई ।

दिनांक १०-१२-७७ और २७-३-७८ की कथित घटनाओं से सम्बन्धित प्रार्थना पत्रों पर भी स्थानीय पुलिस द्वारा जांच की गई किन्तु इन घटनाओं को सक्ष के अभाव में सत्य नहीं पाया गया। गांव में पटी बन्दी होने के कारण दोनों पक्षों के विरुद्ध धारा १०७/११६ दं० प्र० सं० की कार्यवाही की जा चुकी है तथा दोनों पक्षों के शस्त्रों के लाइसेन्स निरस्त कराये जा चुके हैं।

रायबरेली जिले के सेवा निवृत्त कांस्टेबिल, श्री रुद्रपाल सिंह का जी० पी० एफ०

२८--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या गृह मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि श्री रुद्रपाल सिंह, कांस्टेबिल, ए० पी० ११२, जनपद रायबरेली की सेवा मुक्ति दिनांक ६ मई, १९७६ को हुई थी। सेवा निवृत्त कर्मचारी के पेंशन एवं जी० पी० फण्ड से सम्बन्धित कागजात महालेखाकार, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में भेजे गये तथा महालेखकार, उत्तर प्रदेश ने पुलिस अधीक्षक, रायबरेली को जी० पी० फण्ड के अन्तिम भुगतान के आदेश भी दे दिये थे ? यदि हां, तो जी० पी० फण्ड के भुगतान एवं पेंशन सम्बन्धी कार्यवाही में क्या प्रगति हुई ? यदि प्रगति नहीं हुई, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री राम सिंह--

जी हां। श्री रुद्रपाल सिंह, कांस्टेबिल ए० पी० ११२ जनपद रायबरेली, दिनांक ६ मई, १९७६ को सेवा निवृत्त हुये थे। उनकी पेंशन व उपदान के भुगतानादेश महालेखाकार ने दिनांक ४ अक्तूबर, १९७६ को जारी किये थे। जिसका भुगतान श्री सिंह को दिनांक ६ सितम्बर, १९७८ को कर दिया गया है। श्री सिंह के फण्ड में जमा धनराशि के अन्तिम भुगतान आदेश महालेखाकार ने दिनांक ९ सितम्बर, १९७६ को जारी किये थे। चूंकि उक्त आदेशों की तिथि से ६ माह के अन्दर फण्ड का भुगतान नहीं हो सका अतः महालेखाकार कार्यालय ने प्राधिकार पत्र नवीकृत कराकर दिनांक २ दिसम्बर, १९७८ को पुलिस अधीक्षक रायबरेली को भेज दिया गया है जो कि उनके कार्यालय में दिनांक ९ दिसम्बर, १९७८ को प्राप्त हो चुका है। पुलिस अधीक्षक, रायबरेली को तुरन्त भुगतान के आदेश दे दिये गये हैं।

भारतीय पुलिस सेवा एवं राज्य पुलिस सेवा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के अधिकारी

२९--श्री शिव प्रसाद--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में इस समय भारतीय पुलिस सेवा एवं राज्य पुलिस सेवा के कितने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के अधिकारी उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं और उनमें से कितने इस समय सिविल पुलिस विभाग में कार्यरत हैं ?

श्री राम सिंह--

भारतीय पुलिस सेवा के ३८ अनुसूचित जाति एवं ३ अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों में से अनुसूचित जाति के ३५ तथा अनुसूचित जनजाति के २ अधिकारी प्रदेश में कार्यरत हैं। इनमे से अनुसूचित जाति के १७ तथा अनुसूचित जनजाति का १ अधिकारी जनपदों मे सिविल पुलिस में नियुक्त है।

राज्य पुलिस सेवा में अनुसूचित जाति के ४० एवं अनुसूचित जनजाति के २ अधिकारी हैं जो सभी प्रदेश में कार्यरत हैं। इनमें से अनुसूचित जाति के १८ अधिकारी जनपदों में सिविल पुलिस में नियुक्त हैं।

हरिजन उत्पीड़न संबंधी मुकदमें

३०--श्री शिव प्रसाद--

क्या गृह मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९७७-७८ एवं १९७८ में अब तक हरिजन उत्पीड़न सम्बन्धी कितने मामले पुलिस में दर्ज हुए और उनमें से कितनों पर पुलिस ने चार्ज शीट न्यायालय को भेज दी है ?

श्री राम सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार १-१-७७ से ३१-१२-७७ तक तथा १-१-७८ से ३१-१०-७८ तक हरिजन उत्पीड़न के क्रमशः २२१ तथा २३५ मामले दर्ज हुए जिनमें से वर्ष १९७७ के १४३ तथा वर्ष १९७८ के १२३ मामलों में आरोप-पत्र न्यायालय भेजा गया।

डकैतों के उन्मूलन से संबंधित पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिया गया पुरस्कार

३१--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या गृह मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि १ जुलाई, १९७७ से ६ जून, १९७८ तक प्रदेश में दर्जनों दुर्दान्त दस्यु दल का उन्मूलन करने वाले बहादुर पुलिस अधिकारियों, जवानों, पुलिस महानिरीक्षक तथा उनके सहयोगियों को असाधारण शौर्य प्रदर्शन एवं कर्तव्य परायणता के लिए शासन ने क्या पुरस्कार दिया तथा राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु केन्द्रीय सरकार को क्या संस्तुति की है ?

श्री राम सिंह--

इस अवधि में डकैतों के उन्मूलन में सराहनीय कार्य करने तथा शौर्य प्रदर्शित करने के लिए अब तक ७४६ पुलिस कर्मचारियों को नकद पुरस्कार के रूप में ३२,१९० रु० स्वीकृत किये जा चुके हैं। १६५ कर्मचारियों को चरित्रपंजी में उत्तम प्रविष्टि दी गयी है तथा ४ पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों के नाम वीरता पदक हेतु भारत सरकार को संस्तुत किये गये हैं।

डकैतों से मुठभेड़ में मृत पुलिस कर्मचारियों एवं नागरिकों के आश्रितों को दी गयी सहायता

३२--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या गृह मन्त्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त अवधि में डाकू तथा अवांछनीय तत्वों से हुई मुठभेड़ में प्रदेश में वीरगति प्राप्त जवानों, अधिकारियों तथा नागरिकों के आश्रितों को कितनी असाधारण पेंशन प्रदान की गयी तथा कितना पुरस्कार दिया गया ?

श्री राम सिंह--

उक्त अवधि में डाकुओं तथा अवांछनीय तत्वों से मुठभेड़ में वीरगति प्राप्त २४ पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों तथा जनता के १८ व्यक्तियों में से अब तक ६ व्यक्तियों के आश्रितों को नियमान्तर्गत देय पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है। १५

पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के आश्रितों को रु० ६२,८०० तथा जनता के व्यक्तियों के आश्रितों को रु० १२,६२० की राशि आर्थिक सहायता/पुरस्कार के रूप में अब तक स्वीकृत की जा चुकी है ।

मंत्रि परिषद् के सदस्यों पर व्यय की गयी धनराशि

३३--श्री मुहम्मद रफी खां--

क्या सरकार कृपया बतलाएगी कि उत्तर प्रदेश मंत्रि परिषद के सदस्यों ने २ जनवरी, १९७८ से ३० जून, १९७८ तक कितना रुपया रेलवे को अपने सफर के सिलसिले में दिया ? कितना इंडियन एयर लाइन्स को दिया और कितना रुपया टेलीफोन्स बिलों में दिया और कितने रुपयों का पेट्रोल सरकारी कारों में तथा सरकारी हवाई जहाजों व हेलीकाप्टरों में खर्च किया ? मुख्य मन्त्री से लेकर राज्य मन्त्री तक अलग-अलग बतलाया जाय ?

श्री राम नरेश यादव--

विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है ।

(*देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ११३५ पर)

हरदोई जिले में कान्स्टेबिलों की भर्ती

३४--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या गृह मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जून, १९७८ के अन्त में एवं जुलाई, १९७८ के प्रारम्भ में हरदोई जनपद में अन्य जिलों की भांति ही पुलिस कान्स्टेबिलों की भर्ती हुई ? यदि हां, तो कुल कितने कान्स्टेबिल भर्ती किए गए ? उनमें हरदोई जिले के कितने हैं तथा अन्य किन-किन जिलों के कितने कान्स्टेबिल भर्ती किए गए ?

श्री राम सिंह--

जी हां, हरदोई जिले में अन्य जिलों की भांति दिनांक १५-६-७८ से १५-७-७८ तक पुलिस कान्स्टेबिलों की भर्ती हुई जिसमें कुल २८ कान्स्टेबिल भर्ती किये गये। इनमें २० हरदोई जिले के, एक उन्नाव एक फैजाबाद, दो अलीगढ़, एक बलिया, एक रायबरेली, एक लखनऊ तथा एक सीतापुर जनपद के निवासी थे ।

श्री हर नारायन दुबे, उप जेलर केन्द्रीय कारागार, बरेली की पेंशन

३५--श्री अठई राम--

क्या न्याय एवं जेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री हरनारायन, डिप्टी जेलर, बरेली, जो सन् १९७५ को रिटायर हो गए हैं को आज तक पेंशन का भुगतान नहीं हो पाया है ? यदि हां, तो क्यों ? उनके पेंशन का भुगतान कब तक कर दिया जायगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

श्री हर नारायन दुबे, उप जेलर, केन्द्रीय कारागार, बरेली दिनांक ३०-११-१९७५ को सेवा निवृत्त हुये थे । उन्हें १९९ रु० प्रति माह की दर से १२ माह के लिए अनन्तिम पेंशन तथा ५,२८५ रु० (कुल ग्रेचुटी का ३/४ भाग) कारागार महानिरीक्षक के आदेश दिनांक २०-७-७९ द्वारा स्वीकृत किया गया था । महा-

लेखाकार ने अपने पत्र संख्या पी० ए०-३/बी०-आई० बी०/८९९०, दिनांक ३०-९-१९७८ द्वारा श्री दुबे की पेंशन तथा ग्रेचुटी के भुगतान की स्वीकृति जारी कर दी है ।

कानपुर जिले के थाना बिल्हौर के सब इन्सपेक्टर, श्री रिजवी के खिलाफ शिकायती पत्र

३६—श्री श्यामलाल अहिरवार—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर, थाना बिल्हौर के सब-इन्सपेक्टर रिजवी के खिलाफ ग्राम बदिशा की जनता का प्रार्थना पत्र भ्रष्टाचार सम्बन्धी मेरे द्वारा दिनांक १५ जुलाई, १९७८ का लिखा हुआ प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना बिल्हौर के सब-इन्सपेक्टर श्री रिजवी के विरुद्ध शिकायतों विषयक प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्त्ता के पत्र के साथ प्राप्त हुआ था । इस प्रार्थना-पत्र की जांच क्षेत्राधिकारी द्वारा की गई । जांच से शिकायतें प्रमाणित नहीं हुई ।

बहराइच जिले में वन विभाग के भिनगा—बचकाही मार्ग का निर्माण

३७—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या शासन को यह जानकारी है कि वन विभाग द्वारा वन सीमा के अन्दर पक्की-कच्ची सड़कें वर्ष १९७८-७९ में बनाने हेतु शासन ने निर्णय लेकर निर्देश जनपदों को भेजा है ? यदि हां, तो वन विभाग द्वारा बहराइच जिले के भिनगा जंगलात में कौन-कौन सड़कें वर्तमान वर्ष में बनाई जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीचन्द्र—

बहराइच जिले में वन विभाग के भिनगा—बचकाही मार्ग का, भिनगा से पांच किलोमीटर भाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पक्का किया जा रहा है । बहराइच जिले में अन्य कोई वन विभाग की सड़क इस प्रोग्राम में नहीं ली जा रही है ।

प्रदेश में पुलिस व पी० ए० सी० द्वारा हुए गोली काण्ड का विवरण

३८—श्री गोविन्द सिंह नेगी, श्री दीप नरायन तथा श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या मुख्य मन्त्री यह बतने की कृपा करेंगे कि २३ जून, १९७७ से २० जुलाई, १९७८ तक प्रदेश में कितनी बार और किन-किन जगहों पर पुलिस व पी० ए० सी० ने भीड़ पर गोलियां चलाई हैं ? किन-किन गोलीकान्डों की न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं ? उनमें से किस-किस कान्ड की जांच पूरी हो गयी है ? इन गोली कान्डों में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए ?

श्री राम सिंह—

सूचना संलग्न है ।

(देखिए अन्थी 'ज' आगे पृष्ठ ११३९ पर)

उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लि० द्वारा मशीन व कच्चे माल की खरीद और हानि-लाभ खाते का विवरण

३९--श्री सोहनवीर सिंह तोमर--

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि यू० पी० लघु उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा प्रदेश की फर्मों की ओर से गत चार वर्ष में कितने रुपए की मशीन, कच्चा माल तथा अन्य सामान खरीदा गया ? इसमें से कितने रुपए का सामान सम्बन्धित फर्मों द्वारा नहीं उठाया गया ? निगम द्वारा बचे हुए माल के निस्तारण के सम्बन्ध में तथा दोषी फर्मों के विरुद्ध आज गोदाम का किराया तथा अन्य खर्चों की वसूली के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम प्रकाश--

सूचना संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ १४४० पर) ।

४०--श्री सोहन वीर सिंह तोमर--

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटड का लाभांश गत ४ वर्षों में लगातार कम हो रहा है ? क्या मन्त्री जी निगम के गत चार वर्ष के लाभ-हानि का ब्योरा निगम की सम्बन्धित वर्षों की आडिट रिपोर्ट सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री राम प्रकाश--

सूचना संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ १४४१ पर)

पंजाब शुगर मिल, घुघली, जिला गोरखपुर की मोटर की चोरी

४१--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या गृह मन्त्री बतायेंगे कि रिसीवरशिप में चलने वाली पंजाब शुगर मिल, घुघली, जिला गोरखपुर में मिल के अन्दर से करीब सात हजार मूल्य के मोटर की चोरी सम्बन्धी कोई सूचना वर्तमान वर्ष में धुघली थाने में दर्ज कराई गई है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार १५ हार्स पावर के एक मोटर पम्प के कुछ पुर्जों की चोरी के सम्बन्ध में थाना घुघली में दिनांक २२-२-७८ को एक रिपोर्ट अंकित कर ई गई, जिसमें चोरी गए पुर्जों की कीमत नहीं लिखाई गयी है ।

पुर्जों के बरदम शिनाख्त होने के कारण अभियोग विवेचना रहित रखा गया ।

जिला जेल गोरखपुर में कराया गया एलार्म

४२--श्री रवीन्द्र सिंह--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि गोरखपुर जिला जेल में १४ सितम्बर १९७८ को एलार्म कराया गया था ? यदि हां तो इस सम्बन्ध में किसके आदेश था ? क्या एलार्म कराकर बन्दी छात्रों का अपमानित करने की भी शिकायत प्राप्त हुई है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

जी हां ? एलार्म तत्कालीन सिटी मैजिस्ट्रेट के आदेश से कराया गया था बन्दी छात्रों को अपमानित करने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

सिसवा बाजार, गोरखपुर में गोलीकाण्ड

४३--श्री रवीन्द्र सिंह--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि २१ अप्रैल, १९७८ को सिसवा बाजार, गोरखपुर में हुए गोलीकाण्ड की मजिस्ट्रेटी जांच कराई गई थी ? यदि हां, तो जांच की क्या रिपोर्ट शासन को मिली तथा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम सिंह--

जी हां । २१ अप्रैल, १९७८ को सिसवा बाजार रेलवे स्टेशन गोरखपुर में हुए गोलीकाण्ड की मजिस्ट्रीयल जांच कराई गई थी ।

मजिस्ट्रीयल जांच कोई निश्चित निष्कर्ष स्थापित नहीं कर सकी । अब इस मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है । पी० ए० सी० के कान्सटेबुल सीवेराम व रामाधार उपाध्याय, जिनके द्वारा फायर किया गया था, निलम्बित हैं ।

आगरा जिले के थाना फिरोजाबाद व मटसेना में पंजीकृत अपराध

४४--श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या गृह मन्त्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के थाना फिरोजाबाद उत्तर व फिरोजाबाद दक्षिण और मटसेना में जनवरी, १९७७ से जून-जुलाई, १९७८ तक कितने अपराध हुए हैं और उनमें से कितनों में अपराधियों की सुराग लगी है तथा क्या उन अपराधों में अभी नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी शेष है ? यदि हां, तो इतने दिनों तक गिरफ्तारी न किए जाने के क्या कारण है ?

श्री राम सिंह--

प्रश्नगत अवधि में जनपद आगरा के थाना फिरोजाबाद उत्तर में ९८७ अपराध पंजीकृत हुए उनमें से ५६९ वर्क आउट हुए, किसी नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी शेष नहीं है । थाना फिरोजाबाद दक्षिण में ७४५ अपराध पंजीकृत हुए जिनमें से ५०६ वर्कआउट हुए तथा तीन नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी शेष है जिनके विरुद्ध धारा ८२/८३ की कार्यवाही होनी है । थाना मटसेना में २३४ अपराध पंजीकृत हुए जिनमें से १३४ वर्कआउट हुए तथा किसी नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी शेष नहीं है ।

फिरोजाबाद जिले के कांच व चूड़ी के प्रतिष्ठानों की जांच रिपोर्ट

४५--श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या उद्योग मन्त्री को यह जानकारी है कि जनपद आगरा के उद्योग नगर फिरोजाबाद के कांच व चूड़ी के प्रतिष्ठानों की जांच हेतु कोई अधिकारियों का पैनल नियुक्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उस पनल ने दिनांक १५ मार्च, १९७८ और उसके बाद जुलाई, १९७८ तक क्या जांच की है ? क्या सरकार उस जांच को सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री राम प्रकाश---

जी हां। १५ मार्च, १९७८ और उसके बाद जुलाई, १९७८ तक १२९ इकाइयों का निरीक्षण किया गया जिनमें छः इकाइयों का कोटा निरस्त/निलम्बित किया गया। जांच रिपोर्ट जनहित की दृष्टि से सदन के पटल पर रखना उचित नहीं होगा।

आगरा जिले के ग्राम माधूपुरा में वन विभाग द्वारा की गई हदबन्दी

४६---श्री रघुवर दयाल वर्मा---

क्या सरकार कृपया बताएगी कि जनपद आगरा के परगना आगरा के ताजवन में ग्राम माधूपुरा के मजरा नगलापंमा गढ़ीबेगस के काश्तकारों की भूमि गाटा नं० २७ और ९६ व ९७ के काश्तकारों के उस भाग पर भी हदबन्दी की खूटी वन विभाग ने लगा दी है जिसका काश्तकार लगान दे रहा है और काबिज है ? क्या इन काश्तकारों पर जबरिया कब्जा के मुकदमे फौजदारी कानून में वन विभाग ने चलाए हैं ? यदि हां, तो पूरा विवरण क्या है ?

श्री श्रीचन्द्र---

जी नहीं। वन विभाग द्वारा केवल उसी भूमि पर हदबन्दी की गई है जो आरक्षित वन घोषित हो चुकी है। वन विभाग द्वारा इस समय कोई मुकदमा नहीं चलाया जा रहा है।

होमगार्ड्स मुख्यालय के अधिकारी निवासों में अवैधानिक कब्जा

४७---श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी---

क्या गृह मन्त्री को जानकारी है कि होमगार्ड्स के प्रदेश मुख्यालय पर बने कई विभागीय अधिकारी निवासों में गैर विभागीय अधिकारी निवास कर रहे हैं और शासनादेश के अनुसार किराया भी नहीं दे रहे हैं ? क्या यह भी सही है कि विभागीय अधिकारियों के लिए उक्त आवास बने हैं उनमें से अधिकतर अधिकारीगण मुख्यालय से बाहर निवास कर रहे हैं ? यदि हां, तो गैर विभागीय अधिकारियों से उक्त आवास गृहों को खाली कराने के लिए तथा उक्त स्थिति के निराकरण के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री राम सिंह---

होमगार्ड्स मुख्यालय पर स्थित ६ विभागीय अधिकारी निवासों में से केवल एक निवास में एक गैर विभागीय अधिकारी निवास कर रहे हैं तथा शेष पांच निवासों में विभागीय अधिकारी ही निवास कर रहे हैं। गैर विभागीय अधिकारी पर दण्ड किराया लगा कर किराया जमा करने को लिखा गया है उनसे उक्त निवास को खाली कराने हेतु भी नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

मेसर्स रूबी केमिकल्स, ललितपुर को मोम का आबंटन

४८---श्री रणवीर सिंह (जिला ललितपुर)---

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि रूबी केण्डिल वर्क्स, ललितपुर को पिछले वर्ष कितना वेक्स मिला और उसका उत्पादन क्या रहा ?

श्री राम प्रकाश---

"रूबी कैन्डल वर्क्स नाम" की इकाई ललितपुर जनपद में मोमबत्ती बनाने हेतु उद्योग निदेशालय से पंजीकृत नहीं है ।

लेकिन मेसर्स रूबी केमिकल्स के नाम से एक इकाई पंजीकृत है जो मोमबत्ती बनाने का कार्य करती है । इस इकाई को गत वर्ष १९७७ में (पांच) मैट्रिक टन बैक्स का आबंटन हुआ था । उपरोक्त इकाई ने ५ (पांच) मट्रिक टन बैक्स उठाया था जिसके अधीन ४८१० किलोग्राम मोमबत्तियों का उत्पादन हुआ और १९० किलोग्राम छीजन हुई ।

४९---श्री रवीन्द्र सिंह---

[४थे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या ४६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

आगरा जिले में जमुना की बालू की नीलामी के विरुद्ध शिकायती-पत्र

५०---श्री रघुवर दयाल वर्मा---

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा में जमुना नदी की बालू के नीलाम दिनांक १ सितम्बर, १९७७ के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और कानून की अवहेलना का शिकायती-पत्र क्या सरकार को कहा मन्त्री, भूमि-हीन अनुसूचित जाति कृषक संघ, आगरा के द्वारा सितम्बर, सन् १९७७ से अप्रैल, १९७८ तक प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन आरोप-पत्रों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री राम प्रकाश---

जी हां ।

इन आरोप-पत्रों पर जांच के पश्चात् इनको निराधार पाया गया ।

फतेहपुर जिले के थाना खागा के अन्तर्गत गिरफ्तार डकैत एवं उनके आग्नेयास्त्रों का लाइसेन्स

५१---श्री जगन्नाथ सिंह (जिला फतेहपुर)---

क्या गृह मन्त्री उत्तर प्रदेश सरकार विधान सभा के द्वितीय सत्र १९७८ के दूसरे मंगलवार के लिए पूछे गए प्रश्न संख्या ३९ के उत्तर के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि खागा, जनपद फतेहपुर थाना क्षेत्र के अन्तर्गत वह कौन-कौन से पांच डकैत हैं जो भागे हुए हैं व उनके पास आग्नेयास्त्रों असलहा के लाइसेन्स हैं ? उनका नाम, वल्दियत व पता क्या है ?

श्री राम सिंह -

इन पांच डकैतों का विवरण निम्नांकित है :---

(१) ज्ञान सिंह पुत्र सुखदेव सिंह यादव, नि० मियामानी का पुरवा मजरा ईटगांव, थाना खागा, जिला फतेहपुर ।

(२) त्योहारी पुत्र सुखदेव यादव, नि० मियामानी का पुरवा मजरा ईटगांव, थाना खागा, जिला फतेहपुर ।

(३) नन्हकू पुत्र धुआ लोध, नि० असहा मजरा संबत, थाना खागा, जिला फतेहपुर ।

(४) भारत सिंह पुत्र गयादीन सिंह, नि० हरदो, थाना खागा, जिला फतेहपुर ।

(५) सांवलिया उर्फ राम दयाल पुत्र भुल्लू पासी, नि० नया पुरवा मजरा संबत, थाना खागा, जिला फतेहपुर ।

इनमें से चार डकैतों को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है । इनके आयुध लाइसेंसों को नियमानुसार निरस्त करने की कार्यवाही जारी है ।

लखनऊ के पुलिस अधिकारियों द्वारा निम्न श्रेणी के आवास गृहों पर कब्जा

५२—श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

प्रश्न सत्र १९७८ के पहले मंगल के अतारांकित प्रश्न १६ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस विभाग के जो अधिकारीगण अपने से निम्न श्रेणी के विभागीय कर्मचारियों के लिए बनाए गए आवास गृहों में रह रहे हैं उनसे उन आवास गृहों को खाली कराने के लिए तथा ऐसे अधिकारियों में से जिन लोगों ने उसी शहर के अपने निजी मकानों को ऊंचे किरायों पर उठा रखा है उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री राम सिंह—

अनुमन्य श्रेणी के विभागीय आवासगृहों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने के कारण प्रश्नगत अधिकारियों को अपने से निम्न श्रेणी के कर्मचारियों के आवासगृहों में रहना पड़ रहा है । अतएव उनसे मकान खाली कराने का प्रश्न नहीं उठता है । जो सात अधिकारी अपने निजी मकानों को ऊंचे किराए पर उठाए हुए हैं, वर्तमान में किसी नियम के अन्तर्गत इसके लिये उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का मामला नहीं बनता है ।

५३—श्री रवीन्द्र सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

५४—श्री रवीन्द्र सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

हरदोई जिले के थाना मल्लावां में पंजीकृत मुकदमे को वापस लिए जाने की मांग

५५—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या गृह मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रश्नकर्ता की ओर से हरदोई जनपद के थाना मल्लावां में दर्ज मुकदमा सं० २५/७४ को वापसी के सिलसिले में एक प्रार्थना-पत्र नवम्बर, १९७७ में गृह सचिव के नाम दिया गया ? यदि हां, तो तत्सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राम सिंह--

प्रश्नगत मुकदमे की वापसी के सम्बन्ध में नवम्बर, १९७७ में गृह सचिव के नाम प्रश्नकर्ता का कोई पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है । वरम्--उनका एक पत्र दिनांक ४--२--७८ गृह सचिव को उक्त आशय का अवश्य प्राप्त हुआ था जिस पर शासन द्वारा गम्भीरतापूर्वक विचार करने के उपरान्त प्रश्नगत मुकदमे की वापसी का औचित्य नहीं समझा गया ।

फिरोजाबाद के मोहल्ला गंज में राहजनी की घटना

५६--श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या गृह मन्त्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के उद्योग नगर फिरोजाबाद के मोहल्ला गंज में स्थित विजया बैंक से दिनांक १० जुलाई, १९७८ को दिन के दोपहर को एक व्यापारी लगभग ३० हजार रुपए थैला में लेकर चला तो क्या बैंक से निकलते ही तीन लुटेरे जो मोटर साइकिल पर सवार थे, में से दो ने उतर कर व्यापारी को पकड़ लिया और थैला छीनने लगे । उनके चीखने पर लोग दौड़ पड़े तो लुटेरों ने फायर किया और चाकू से हमला किया जिससे क्या व्यापारी घायल हुआ ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री राम सिंह--

जी हां, प्रश्नगत मामले के सम्बन्ध में थाना उत्तर फिरोजाबाद जनपद आगरा पर अभियोग अन्तर्गत धारा ३९३/३०७ भा० दं० वि० पंजीकृत करके विवेचना की गई । विवेचना से अभियुक्तों का पता न चलने पर अभियोग में अंतिम रिपोर्ट दिनांक ३--११--७८ को न्यायालय प्रेषित की गई जो न्यायालय द्वारा दिनांक १३--१२--७८ को स्वीकृत की गई ।

५७--श्री मुहम्मद रफी खां--

[२२--८--७८ को अतारांकित प्रश्न संख्या ११ द्वारा उत्तरित]

बहराइच जिले के थानावार विभिन्न अपराधों का विवरण

५८--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बहराइच जिले में थाना वार वर्ष १९७८--७९ में अब तक कितनी डकैतियां, चोरी, राहजनी एवं हत्या की घटनायें हुई हैं ? यदि हां, तो थानेदार किन--किन गांवों में रात में ग्रामीणों द्वारा पहरा लगाने की व्यवस्था कराई गई ?

श्री राम सिंह--

†सूचना संलग्न है ।

बहराइच जिले के थाना भिनगा व सिरसिया को जीप दिए जाने की मांग

५९--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

क्या शासन को यह जानकारी है कि आई० जी० पुलिस, लखनऊ ने बहराइच जिले के थाना भिनगा व सिरसिया को जीप उपलब्ध कराने व सिरसिया थाने का भवन बनाने की घोषणा बहराइच दौरे पर जाने पर वर्ष १९७८ के आरम्भ में की थी परन्तु अब तक जीप भी उपलब्ध नहीं हुई और न सिरसिया थाना ही बना ? यदि हां, तो कब तक इन दोनों घोषणाओं की पूर्ति कर दी जायगी ?

†छापी नहीं गई ।

श्री राम सिंह—

जी नहीं । पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई ।

गोरखपुर जिले के ग्राम रजही आदि में लावारिस पशुओं से फसल को क्षति

६०—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि जंगली पशुओं द्वारा रजही आदि गांवों (गोरखपुर) में फसल की चराई रोकने के सम्बन्ध में अक्तूबर, १९७७ तथा पुनः सितम्बर, १९७८ में जिलाधीश, गोरखपुर व वन मन्त्री जी को कोई ज्ञापन मिला था ? यदि हां, तो अब तक शासन ने उस पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीचन्द्र—

जी हां ।

अरण्यपाल, पूर्वी वृत्त, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर को लावारिस शहरी पशुओं को पकड़वाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं । तार बाड़ खिचवाने का हल व्यवहारिक नहीं है । किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे खेत और वन की सीमा के बीच एक अच्छी खाई खोदें और मिट्टी खेतों की ओर इकट्ठा करके उस पर कांटेदार झाड़ी की बाड़ लगाकर अच्छी दशा में रक्खें । विभाग बाड़ लगाने के बीज आदि देकर उनकी पूरी मदद करेगा ।

६१—श्री रघुबर दयाल वर्मा—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

शिकोहाबाद के "राज्य बनाम चतुर सिंह" के मुकदमें को वापस लिये जाने की मांग

६२—श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि क्या यह सत्य है कि सरकार १३ जनवरी सन् १९७७ को राज्य बनाम चतुर सिंह मुकदमा नं० ५८८/१९७८ अपराध संख्या ११ अन्तर्गत धारा ४२०, ४६८, ४७१ आई० पी० सी० कायम जो प्रथम अतिरिक्त मुन्सिफ मजिस्ट्रेट शिकोहाबाद के यहां विचाराधीन है को वापस लेने पर विचार कर रही हैं ? यदि हां, तो उक्त मुकदमें को वापस लेने पर विचार करने का मुख्य कारण क्या है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

राज्य बनाम चतुर सिंह, अपराध सं० ११, अन्तर्गत धारा ४२०/४६८/४७१ आई० पी० सी०, के विषय में मुकदमा वापस लिये जाने हेतु प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है । सामान्य प्रक्रिया के अनुसार उस पर विचार किया जा रहा है ।

वन विभाग द्वारा वन निगम को लकड़ी का आवंटन

६३—श्री बिन्दू लाल (जिला गोंडा)—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वन विभाग ने गत तीन वर्ष (१९७५-७६) से (१९७७-७८) तक कितने की लकड़ी वन निगम को बेची और

इन्ही वर्षों का वन विभाग का कितना रुपया वन निगम पर बाकी है ? क्या वन विभाग बाकी रुपए पर लेट फीस लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीचन्द—

गत तीन वर्षों (१९७५-७६ १९७६-७७ व १९७७-७८) में वन विभाग द्वारा वन निगम को ८३८.९९ लाख रुपये के अन्तिम मूल्य के खड़े पेड़ आवंटित किये गये। उपर्युक्त मूल्य का पूरा भुगतान निगम द्वारा कर दिया गया है अतः लेट फीस लेने का प्रश्न नहीं उठता।

पुलिस क्षेत्राधिकारी, बांसगांव के विरुद्ध श्री गोमती प्रसाद का ज्ञापन

६४—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि श्री गोमती प्रसाद ग्राम कलनी, थाना गगहा का कोई ज्ञापन बांसगांव पुलिस के क्षेत्राधिकारी के विरुद्ध सितम्बर, १९७८ में मिला है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री राम सिंह—

जी हां। प्रश्नगत ज्ञापन प्राप्त हुआ है। ज्ञापन में अंकित शिकायत के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर द्वारा जांच की जा रही है। जांच के दौरान शिकायतकर्ता ने अपने बयान में कुछ गवाहों का उल्लेख किया जिनके बयान लेना अभी शेष है। जांच पूरी होने पर यथा आवश्यक कार्यवाही की जायगी। जांचकर्ता को जांच शीघ्र पूरी करने के निर्देश दे दिए गए हैं।

६५—श्री रवीन्द्र सिंह—

[१४-१२-७८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २७ द्वारा उत्तरित।]

फतेहपुर जिले के ग्राम बकेवर में पुलिस चौकी की स्थापना

६६—श्री जगन्नाथ सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ने अपने पत्र संख्या ५७८१/पी/आठ-६-३००/३८-७७ ता० ५ नवम्बर, १९७७ में जो लिखा था कि जिला फतेहपुर तहसील बिन्दकी में बढ़े हुए अपराधों की रोक थाम के लिए ग्राम बकेवर में पुलिस रिपोर्टिंग चौकी कायम करने की जांच चल रही है, के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राम सिंह—

जनपद फतेहपुर सहित समस्त प्रदेश में जहां तात्कालिक रूप से नई चौकियों की स्थापना आवश्यक है, उसके बारे में प्रस्ताव मांगा गया है। प्रस्ताव प्राप्त हो जाने पर मामले पर यथा समय विचार किया जायगा। फिलहाल ग्राम बकेवर में एक अस्थायी विशेष ग्रामीण चौकी की स्थापना कर दी गयी है।

फतेहपुर जिले के विभिन्न अपराधों का विवरण

६७—श्री जगन्नाथ सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला फतेहपुर में जनवरी से मार्च, १९७८ में कितनी डकैतियां व लूट व राहजनी घटित हुई ? इन अपराधों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्री राम सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित अवधि में जनपद फतेहपुर के विभिन्न थानों पर १८ डकैती, ४६ कत्ल व ४७ राहजनी की घटनाओं की रिपोर्ट प्राप्त हुई ।

उक्त अपराधों की रोकथाम हेतु तैनाती व गश्त की कार्यवाही तथा बदमाशों की गिरफ्तारियां व निरोधात्मक कार्यवाही प्रभावी रूप से की जा रही है । सक्रिय बदमाशों की थानेवार सूची बनवाकर उनकी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने हेतु भी कार्यवाही की जा रही है ।

प्रदेश में विभिन्न उद्योगों पर व्यय की गयी धनराशि

६८ --श्री शिव प्रसाद--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९७७-७८ एवं १९७८-७९ में कुटीर उद्योगों, लघु उद्योगों एवं बड़े उद्योगों पर कितनी धनराशि अनुदान एवं ऋण के रूप में व्यय की गयी है ?

श्री राम प्रकाश--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री कुन्दन सिंह चपरासी, फायर सर्विस, मुख्यालय लखनऊ की सेवा की बहाली

६९--श्री पूरन चन्द्र--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा जो दिनांक ६ अगस्त, २३ अगस्त एव २० सितम्बर, १९७८ को पत्र दिए गए थे और जो श्री कुन्दन सिंह भूतपूर्व चपरासी फायर सर्विस, मुख्यालय लखनऊ को नौकरी से निकाल दिए जाने के सम्बन्ध में था, के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम सिंह--

माननीय सदस्य के दिनांक ७ अगस्त, ३१ अगस्त तथा १६ सितम्बर, १९७८ के पत्र प्राप्त हुए थे । इस सम्बन्ध में प्राप्त सूचना की समीक्षा करने के उपरान्त शासन द्वारा, श्री कुन्दन सिंह, भूतपूर्व चपरासी, फायर सर्विस मुख्यालय लखनऊ को सेवा में बहाल किए जाने हेतु, सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जा रहा है ।

उत्तर प्रदेश हैण्डलूम सहकारी समितियों की सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच

७०--श्री रवीन्द्र सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि उत्तर प्रदेश हैंडलूम की सहकारी समितियों में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में अक्तूबर-नवम्बर, १९७७ में सतर्कता विभाग द्वारा कोई जांच शुरू कराई गई थी ? यदि हां, तो अब तक क्या रिपोर्ट प्राप्त हुई और क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम प्रकाश--

जी हां, अगस्त, १९७७ में जांच के आदेश हुए थे । अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई । हाल ही में पूर्ण विचारोपरान्त जांच को वापस ले लिया गया है ।

रुद्रपुर जिला नैनीताल में मुंसिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालय की स्थापना की मांग

७१--श्री देवबहादुर सिंह--

क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सब-डिवीजन रुद्रपुर जिला नैनीताल में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का न्यायालय स्थापित करने का आदेश कर दिया गया है ? यदि हां, तो न्यायालय कब से कार्य प्रारम्भ कर देगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

जी नहीं ।

रुद्रपुर में न्यायालय कक्ष, आवासिक भवन, हवालात एवं मालखाने के अभाव में या उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की संस्तुति को दृष्टिगत रखते हुये वहां मुंसिफ मजिस्ट्रेट का न्यायालय स्थापित करना फिलहाल सम्भव नहीं है ।

प्रदेश में वृद्ध बन्दियों की रिहाई

७२--श्री हरिकेवल प्रसाद--

क्या कारागार मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के केन्द्रीय कारागार, वाराणसी, नैनी, बरेली, लखनऊ के कितने आजीवन कारावास की सजा भुगतने वाले बन्दी जिनकी उम्र ६० वर्ष से ७० वर्ष तक की थी और जो चलने, फिरने में असमर्थ थे, को इस सत्र तक रिहा कर दिया गया है और कितने को रिहा करने का विचार है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

प्रश्न में उल्लिखित प्रकृति के कुल ७ बन्दी इस सत्र तक रिहा किए गए जिनमें से ५ बन्दी केन्द्रीय कारागार, बरेली तथा २ केन्द्रीय कारागार, वाराणसी के थे । इस समय केन्द्रीय कारागार, वाराणसी, नैनी, बरेली तथा लखनऊ में प्रश्न में उल्लिखित प्रकृति के कोई बन्दी बन्द न होने के कारण रिहाई का प्रश्न ही नहीं उठता ।

बन्दी रक्षकों एवं प्रधान बन्दी रक्षकों की मांगों सम्बन्धी ज्ञापन

७३--श्री हरि केवल प्रसाद--

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि अध्यक्ष, यू० पी० जेल एसोसिएशन के ज्ञापन सहित किसी जन प्रतिनिधि का पत्र १६ नवम्बर, १९७७ को उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो ज्ञापन में मुख्य-मुख्य मांगें बन्दी रक्षकों, प्रधान रक्षकों की कौन-कौन सी हैं और उसे कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

जी हां । प्रश्नगत ज्ञापन पत्र में बन्दी रक्षक, प्रधान बन्दी रक्षकों की जो मुख्य मुख्य मांगें हैं, उनकी तालिका संलग्न है जिसमें प्रत्यक मांग के विषय में वर्तमान स्थिति भी अंकित कर दी गई है ।

(देखिए सत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ११४२ पर)

कार्यालय, विकास प्राधिकरण गोरखपुर के स्थानान्तरण की मांग

७४--श्री रवीन्द्र सिंह---

क्या सरकार कृपया बताएगी कि विकास प्राधिकरण, गोरखपुर के वर्तमान कार्यालय को किसी दूसरी जगह दूसरे भवन में ले जाने का निर्देश शासन ने जून, १९७८ में विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को दिया था ? यदि हां, तो उसे नए भवन में अब तक क्यों नहीं ले जाया गया ?

श्री राम नरेश यादव--

जी हां। दूसरे मकान की तलाश जारी है परन्तु अभी अब कोई दूसरा उपयुक्त मकान नहीं मिल सका है ।

७५--श्री रवीन्दर सिंह---

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

प्रदेश में हटाये गये सरकारी वकीलों के स्थान पर नियुक्त किये गये वकील

७६--श्री रवीन्द्र सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अक्तूबर, १९७६ से फरवरी, १९७८ तक प्रदेश के कितने जिलों में सरकारी वकीलों को हटाया गया ? इनके स्थान पर नए वकीलों को नियुक्त किया गया ? इसका पूर्ण विवरण क्या है ।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

अक्तूबर, ७६ से फरवरी, ७८ तक प्रदेश के २० जिलों में सरकारी वकीलों को हटाया गया और उनके स्थान पर नये वकीलों को नियुक्त किया गया। उनके पूर्ण विवरण संलग्न हैं ।

७७--श्री नारायण सिंह भंसोरा--

[१ले सोमवार के तारांकित प्रश्न संख्या १६६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

७८-७९---श्री पुरुषोत्तम कौशिक---

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

प्रदेश में घुड़सवार पुलिस और सर्चलाइट की व्यवस्था

८०---श्री पुरुषोत्तम कौशिक---

क्या गृह मंत्री यह भी बतायेंगे कि प्रदेश में अपराधों की रोक-थाम हेतु किन-किन जिलों में घुड़सवार पुलिस की व्यवस्था तथा सर्चलाइट की व्यवस्था है और जिन जनपदों में उक्त व्यवस्था नहीं है, कब तक कर दीजायेगी ?

श्री राम सिंह--

प्रदेश के मेरठ, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ, फैजाबाद, अलीगढ़, बरेली में घुड़सवार पुलिस की व्यवस्था है । जनपद गोरखपुर में घुड़सवार पुलिस का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

छापा नहीं गया ।

वर्ष १९७७ में जनपद हरदोई, शाहजहांपुर, बदायूं, मैनपुरी, एटा, इटावा, फतेहगढ़ के अभिगम्य थानों की जीप गाड़ियों पर सर्चलाइट लगवाये जाने के आदेश दिये जा चुके है । अन्य जिलों में सर्चलाइट लगाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है ।

प्रदेश की बीमार व बन्द औद्योगिक इकाइयों को दी गयी धनराशि और ऋण के बकाये की वसूली

८१--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के उद्योग विभाग द्वारा हाल ही में सम्पन्न सर्वेक्षण के अनुसार प्रदेश की १३,२९८ (तेरह हजार दो सौ अठ्ठानबे) लघु औद्योगिक इकाइयां बन्द तथा बीमार हैं ? यदि हां, तो उक्त इकाइयों को विभाग द्वारा कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गयी थी ?

श्री राम प्रकाश--

उद्योग विभाग द्वारा हाल ही में कोई सर्वेक्षण सम्पन्न नहीं कराया गया । वर्ष १९७३ ७४ में भारत सरकार के लघु उद्योग विकास संगठन के अन्तर्गत आने वाली लघु औद्योगिक इकाइयों का सर्वेक्षण किया गया था । सर्वेक्षण के अनुसार ११,७३० इकाइयां बन्द तथा खोज के परे (नाट ट्रेसेबिल) पाई गई। इनमें से ५०८ बन्द व बीमार इकाइयों को रु० २९,४३,४७३ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी ।

८२--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पंजीकृत कुल चालीस हजार दो सौ सत्तासी (४०,२८७) लघु औद्योगिक इकाइयों पर कुल कितना ऋण ३१ जनवरी, १९७८ तक बकाया था ? क्या सरकार विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री राम प्रकाश--

प्रदेश की सभी पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों को ऋण नहीं दिया गया था । ८७७५ पंजीकृत इकाइयों पर जिन्हें उद्योग विभाग द्वारा ऋण वितरित किया गया था दिनांक ३१-१-७८ को कुल रुपया ३,२५,०३,२६६.५७ रुपया १,७७,४७,४६५.९० मूलधन तथा रुपया १,४७,५५,८००.६७ ब्याज) बकाया था ।

प्रदेश के पुलिस स्टेशनों के भवन व झोपड़ियां, की स्थिति तथा महिला बन्दी गृह और पुरुष बन्दी गृह

८३--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या गृह मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कितने पुलिस स्टेशन पक्के निजी भवनों में हैं, कितने किराए के भवनों में, कितने झोपड़ियों तथा कितने नए तथा कितने पुराने हैं ?

श्री राम सिंह--

पक्के निजी भवनों में ८६८, किराये के भवनों में १३४ तथा झोपड़ियों में २१ थाने आवासित हैं । ८६८ निजी भवनों में से १७७ भवन नये तथा ६९१ पुराने हैं ।

८४--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या गृह मंत्री यह भी बतायेंगे कि प्रदेश के कितने पुलिस स्टेशनों पर बन्दी गृह (हवालात) हैं तथा कितने थानों में महिला बन्दी गृह हैं और जहां पुरुष एवं महिला बन्दी गृह नहीं हैं, बन्दियों को कहां रखा जाता है ?

श्री राम सिंह--

९४७ थानों पर बन्दीगृह हैं तथा ७९८ थानों पर महिला बन्दीगृह हैं । जहां पर उपयुक्त पुरुष एवं महिला बन्दीगृह नहीं है वहां के बन्दियों को निकटवर्ती थानों के बन्दीगृह में अथवा जिला मुख्यालय को भेज दिया जाता है और जहां पर यह सम्भव नहीं हो पाता है वहां बन्दियों को हथकड़ी लगाकर अल्पकाल के लिए थाना के अन्दर संतरी की निगरानी में रखा जाता है ।

पडरौना तहसील के ग्राम बबुइया के श्री बिन्देश्वरी भगत के घर पर डकैती

८५--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि पडरौना तहसील के नबुआ थाना के अन्तर्गत ग्राम बबुइया के खैरा टोला में जून, १९७६ में बिन्देश्वरी भगत (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के यहां भीषण डकैती में सर्वस्व लूट लिया गया तथा बन्दूक भी लूट ली गयी ? यदि हां, तो स्थानीय पुलिस ने अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह--

जी हां । प्राप्त सूचना के अनुसार १५०० रुपये नकद तथा जेवर कपड़ा और एक बन्दूक लूटी गयी थी । घटना के सम्बन्ध में भा० द० वि० की धारा ३९५/३९७ के अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या ७६ कायम करके विवेचनोपरान्त अभियुक्तों का चालान किया गया । मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है ।

८६--श्री कृष्ण स्वरूप--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

मेरठ जिले के बड़ौत में छात्र-व्यापारी संघर्ष की मजिस्ट्रीयल जांच

८७--श्री कृष्ण स्वरूप--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सितम्बर मास सन् १९७८ में बड़ौत, जिला मेरठ में छात्र-व्यापारी संघर्ष में तीन छात्रों की मृत्यु के सम्बन्ध में मजिस्ट्रेट जांच के परिणाम प्राप्त हो गए हैं ? यदि मजिस्ट्रेट जांच के परिणाम प्राप्त हो गए हैं, तो सरकार क्या उसे सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री राम सिंह--

सितम्बर मास सन् १९७८ में बड़ौत, जिला मेरठ के छात्र--व्यापारी संघर्ष में तीन छात्रों की मृत्यु के सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षक के आदेश से मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है तथा मजिस्ट्रेट द्वारा जांच आदेश दिये गये थे । मजिस्ट्रीयल जांच आख्या अभी शासन को प्राप्त नहीं हुई है ।

शाहदाना कालोनी, बरेली के प्लाट के सम्बन्ध में श्री हरविन्दर सिंह का प्रार्थना-पत्र

८८—श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको दिनांक 24 अगस्त, १९७८ को श्री हरिविन्दर सिंह, निवासी २०वीं शाहदाना कालोनी, जिला बरेली का प्रार्थना-पत्र विधायक श्री श्याम बिहारी सिंह जी की संस्तुति सहित शाहदाना कालोनी में ही ११वीं प्लाट को उन्हें दिए जाने तथा रुपया १०,५०० (दस हजार पांच सौ) जमा कराए जाने के सम्बन्ध में मिला है ? यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी और सारा मामला क्या है ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां ।

विचारोपरान्त श्री हरविन्दर सिंह का प्रार्थना-पत्र खारिज कर दिया गया ।

८९—चेतराम गंगवार—

क्या मुख्य मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इसी सम्बन्ध में श्री हरविन्दर सिंह जी को दिनांक २३ जनवरी, १९७८ को संयुक्त सचिव श्री जे० डी० शाह साहब को कोई आदेश १०,५०० रुपया (दस हजार पांच सौ) जमा करने का द्वारा डी० आर० आर० ओ० (जिला सहायता एवं पुनर्वास अधिकारी) बरेली को दिया गया और में बाद रुपया जमा कराने के उस आदेश को खारिज कर दिया गया ? यदि हां, तो कारण क्या था तथा इस भूमि को श्री हरविन्दर सिंह के बजाय श्री भुवनेश्वर लाल को बिना रुपया जमा कराके दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

दिनांक २३-१-७८ को संयुक्त सचिव श्री जे० डी० शाह द्वारा कोई आदेश आवेदक को रुपया जमा करने के बारे में नहीं दिया गया । सही स्थिति यह है कि शासनादेश संख्या ६३३४/३१-७७, दिनांक ५ दिसम्बर, १९७७ द्वारा आवेदक के मामले को जिला सहायता तथा पुनर्वास अधिकारी, बरेली को संदर्भित किया गया और उन्हें यह राय दी गई कि वह मैनेजिंग आफिसर की हैसियत से उक्त भूमि बाजार भाव पर विक्रय कर दें और उसमें शासन को कोई आपत्ति नहीं है ।

कालान्तर में मामले की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि प्रश्नगत भूमि शाहदाना कालोनी के मुहाने पर बरेली-पीलीभीत मार्ग से सटी हुई है जिसे सड़क चौड़ा करने तथा मोड़ पर घुमाव को दृष्टिगत रखते हुये मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के परामर्श के अनुसार किसी नये आवेदक को दिया जाना सम्भव नहीं है । सड़क एवं घुमाव की आवश्यकता के उपरान्त जो भी थोड़ी सी भूमि बचती है उस भूमि से सटे हुये अध्यासी को दिया जाना श्रेयष्कर होगा । श्री भुवनेश्वर का मकान इस से सटा हुआ है अतः उन्हें ही नियमानुसार इस भूमि को दिये जाने पर विचार करने का शासन ने निर्णय लया है ।

जी० आर० पी०, बरेली में श्रीमती कटोरी, द्वारा लिखायी गयी रिपोर्ट

९०--श्री अशर्फी लाल यादव--

क्या गृह मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि दिनांक १४ अप्रैल, १९७८ को थाना जी० आर० पी०, जनपद बरेली में श्रीमती कटोरी देवी ने एक रिपोर्ट की थी, जिसकी अपराध सं० ३७९ आई० पी० सी० पी० एस०, जी० आर० पी०, बरेली हैं ? यदि हां, तो उसका पूरा विवरण क्या है और उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री राम सिंह--

जी हां । श्रीमती कटोरी देवी की रिपोर्ट पर दिनांक १४-४-७८ को थाना जी० आर० पी०, बरेली जंक्शन पर अपराध सं० ९२ अन्तर्गत धारा ३७९ भा० दं० वि० पंजीकृत किया गया था, जिसको जांचोपरान्त धारा ३९२ भा०दं०वि० के अन्तर्गत परिवर्तित किया गया था ।

श्रीमती कटोरी देवी ने अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया है कि उसने दिनांक १४-४-७८ को श्रीमती पुष्पा जैन वकील के लड़के श्री सोमेश्वर दयाल जैन के जरिये स्टेट बैंक, बरेली से ७,५०० रु० निकाले थे । जब वह रुपया लेकर गाड़ी पकड़ने के लिए बरेली जंक्शन स्टेशन आ रही थी तो पीछे से किसी ने उसकी आंखों में मिर्च डालकर रुपयों का झोला छीन लिया । उसके शोरगुल करने पर लोग दौड़े और एक मुलजिम को पकड़ लिया जिसका नाम फखरुल्ला था तथा जो श्रीमती पुष्पा जैन वकील का मुन्शी था । उसके पास से मिर्च की पुड़िया और चाकू बरामद हुआ । दूसरा मुलजिम मय रुपये के भाग गया ।

उक्त अभियोग की विवेचना के पश्चात् अभियुक्त फखरुल्ला के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित की जा चुकी है, जो विचाराधीन है ।

विशेष पुलिस दस्ते के गठन की मांग

९१--श्री कृष्ण स्वरूप--

क्या गृह मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उपद्रवों पर काबू पाने हेतु प्रदेश में विशेष पुलिस दस्तों का गठन करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इन दस्तों का गठन कब से एवं किन-किन जनपदों में होगा ?

श्री राम सिंह--

ऐसा कोई प्रस्ताव अभी शासन के विचाराधीन नहीं है ।

तपेदिक से पीड़ित पुलिस कर्मचारी

९२--श्री कृष्ण स्वरूप--

क्या गृह मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश की कुल पुलिस संख्या का बीस प्रतिशत पुलिस कर्मचारी तपेदिक से पीड़ित है ? यदि हां, तो उसके निदान की क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री राम सिंह--

जी नहीं, प्रदेश की कुल पुलिस संख्या के केवल १·०५ प्रतिशत कर्मचारी ही तपेदिक से पीड़ित है । उनकी चिकित्सा की व्यवस्था पुलिस अस्पतालों

के क्षय रोग कक्षों तथा राज्य सरकार के टी० बी० अस्पतालों, जहां पुलिस के लिये आरक्षित शैय्यायें उपलब्ध हैं, में की जाती है ।

बिन्दकी, जिला फतेहपुर के अन्तर्गत विभिन्न अपराधों का विवरण

९३—श्री जगन्नाथ सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फतेहपुर जनपद की बिन्दकी तहसील के अन्तर्गत सन् १९७७ के मार्च से सितम्बर, १९७८ ई० तक पुलिस थाना बिन्दकी, कल्यानपुर, जहांनाबाद के अन्तर्गत कितने कत्ल, डकतियां, राहजनी व चोरियां हुई ह ?

श्री राम सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार जिला फतेहपुर की तहसील बिन्दकी के अन्तर्गत थाना बिन्दकी, कल्यानपुर एवम् जहानाबाद क्षेत्रों में प्रश्न में उल्लिखित अवधि में कत्ल, डकैतियां, राहजनी व चोरियों की घटनाओं की अंकित कराई गई रिपोर्टों के अनुसार संख्या निम्न हैं :—

थाना	कत्ल	डकैती	राहजनी	चोरी
बिन्दकी	७	२	७	५२
कल्यानपुर	३	६	७	१७
जहानाबाद	१०	३	३	२९

फतेहपुर जिले के थाना कल्यानपुर व बिन्दकी के अन्तर्गत पुलिस चौकियों की स्थापना की मांग

९४—श्री जगन्नाथ सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फतेहपुर जनपद के पुलिस थाना कल्यानपुर, बिन्दकी जहानाबाद में बढ़ते हुए जरायम को रोकने के लिए ग्राम बकेवर सराय में पुलिस रिपोर्टिंग चौकी व देवमई, भैंसोलो, शिवराजपुर व चौडारा व आशापुर अभयपुर में अविलम्ब पुलिस चौकी स्थापित करने की कृपा करेगी ?

श्री राम सिंह--

जनपद फतेहपुर सहित समस्त प्रदेश में जहां तात्कालिक रूप से नई चौकियों की स्थापना आवश्यक है, के बारे में प्रस्ताव मांगा गया है । प्रस्ताव प्राप्त हो जाने पर मामले पर विचार किया जायगा । इस समय ग्राम बकेवर सराय में एक अस्थायी विशेष ग्रामीण चौकी की स्थापना कर दी गयी है ।

अलीगंज हाउसिंग स्कीम के भवनों के मूल्य में वृद्धि से सम्बन्धित पत्र

९५—श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगंज निम्न आय वर्ग के संयोजक का लीज रेट, भवन के बढ़े हुए मूल्य आदि के सम्बन्ध में दिनांक ३० जनवरी, १९७८ का पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

९६—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगंज हाउसिंग स्कीम में दो कमरों के भवन का प्रस्तावित मूल्य २२,३०० रु० था वह बढ़ाकर २९,३६९ रु० कर दिया गया ? यदि हां, तो यह मूल्य वृद्धि किन परिस्थितियों में की गयी और इस मूल्य में कौन से व्यय शामिल हैं ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां । भवनों के लीज रेन्ट का मामला लखनऊ विकास प्राधिकरण के विचाराधीन है ।

भवनों का बढ़ा हुआ मूल्य—योजनान्तर्गत निर्मित दो कमरों के भवनों का मूल्य रुपये २२,३०० से २९,३६९ बढ़ाये जाने के कारण तथा मूल्य वृद्धि में जो व्यय शामिल किये गये हैं उनका विवरण निम्नलिखित है :—

(क) "हुडको" द्वारा डिजायन परिवर्तन कर प्लाट एरिया ९८७ वर्ग फुट से १,२५० वर्ग फुट बढ़ाने के कारण रुपये १,३९४ ।

(ख) भूमि की दरों में वृद्धि रुपये १,९७४ ।

(ग) निर्माण लागत में वृद्धि रुपये ३,७०१ ।

रुपये ७,०६९

रुपये २२,३००+७,०६९—रुपये २९,३६९ ।

राजनैतिक पेंशन प्राप्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी

९७—श्री हरिकेवल प्रसाद—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश सरकार ने जुलाई, १९७८ तक कितने स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को पेंशन स्वीकृत किया है कितने प्रार्थना-पत्र विचाराधीन है तथा पेंशन देने की क्या नीति है ?

श्री राम नरेश यादव—

स्थिति संलग्न टिप्पणी में स्पष्ट कर दी गई है ।

(देखिए नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ११४४ पर) ।

अपराध अनुसंधान व नागरिक पुलिस में सब-इन्सपेक्टर व हेड कान्सटेबिल के रिक्त पद

९८—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि क्या यह सही है कि अपराध अनुसंधान विभाग व जिला पुलिस के हेड कान्सटेबिल व सब-इन्सपेक्टर्स के रिक्त स्थानों को पूर्ति पदोन्नति के पात्र कर्मचारी से न करके पद रिक्त ही रखे गए हैं ? यदि हां, तो ऐसे कितने स्थान हैं और कब से क्यों कर रिक्त पड़े हुए हैं ।

श्री राम सिंह—

प्रशिक्षित उप निरीक्षक एवं हेड कान्स० नागरिक पुलिस उपलब्ध न होने के कारण नागरिक पुलिस में रिक्त हुये उप-निरीक्षक व हेड कान्स० के पदों की पूर्ति हेतु आफिस मैनुअल के प्रस्तर १९१ एवं पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर ४५५ के अन्तर्गत क्रमशः योग्य हेड कान्स० व कान्स० की अनुमोदित सूचियां परिक्षेत्र स्तर पर निर्धारित प्रक्रियानुसार तयार की जा रही है । तत्पश्चात उक्त सूचियों में से अस्थायी प्रोन्नति दे कर रिक्तियों की पूर्ति की जायगी । शासनादेश संख्या २७४८ पी/आठ-६-३०० (११२)/७७, दिनांकित २६-६-७८ द्वारा नागरिक पुलिस में ६२६ सब इन्सपेक्टर एवं १४७ हेड कान्स० के नये पद सृजित किये गये हैं । इन पदों के सृजन तथा उप निरीक्षक के पद पर चयनित हेड कान्स० के दिनांक २४-११-७८ से प्रशिक्षण में चले जाने के कारण उप निरीक्षक के ३५५ एवं हेड कान्स० के ४५१ पद रिक्त हैं ।

अपराध अनुसंधान विभाग में उप निरीक्षक के ३ पद (एक दिनांक २०-९-१९७८ से तथा दो १-११-७८ से) एवं हेड कान्स० का एक पद रिक्त है ।

देवरिया जिले में नारायणी नदी के बाढ़ग्रस्त गांवों को बसाये जाने की मांग

९९—श्री श्रीनारायण—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के नारायणी नदी के किनारे के बाढ़ ग्रस्त गांवों के लोगों को कृषि एवं आवास हेतु कहीं वन विभाग की भूमि देने तथा वन विभाग को इन बाढ़ग्रस्त गांवों की भूमि देकर बन लगाने का विचार कर रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीचन्द—

सूचना एकत्र की जा रही है?

सतर्कता अधिष्ठान द्वारा मारा गया छापा एवं गिरफ्तारियां

१००—श्री चन्द्र भान मौर्य—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वर्ष सन् १९७७-७८ के प्रदेश में सतर्कता विभाग द्वारा रिश्वत तथा भ्रष्टाचार के आरोप में कितने अधिकारियों के विरुद्ध छापा मार कर कार्यवाहिया की गयी ?

श्री राम नरेश यादव—

सतर्कता अधिष्ठान द्वारा वर्ष १९७७-७८ में रिश्वत लेने के आरोप में छापा मार कर कुल ३५२ व्यक्तियों को रंगे हाथों पकड़ा गया जिन में १५ राजपत्रित अधिकारी सम्मिलित हैं ।

राजकीय कताई मिल लि०, अकबरपुर के रिक्त पदों का प्रकाशन

१०१—श्री हरीराम वर्मा—

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में उत्तर प्रदेश राजकीय कताई मिल लिमिटेड, अकबरपुर में दिनांक २२ जुलाई, १९७७ से दिनांक ६ अक्तूबर, १९७८ तक रिक्त पदों की पूर्ति हेतु जिला सेवायोजन कार्यालय अथवा समाचार पत्रों के माध्यम से नाम और अपर्याप्तियों के प्रार्थना-पत्र मांगे गये थे ? यदि हां, तो समाचार-पत्र का नाम और दिनांक क्या है ? क्या सेवायोजन कार्यालय द्वारा भेजी गयी सूची पता सहित प्रस्तुत करगे ?

श्री राम प्रकाश—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

१०२—श्री राम लखन—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

विकास क्षेत्र, पिपरौली, गोरखपुर के होमगार्ड के कर्मचारी श्री रमा शंकर सिंह की सेवा समाप्ति

१०३—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि विकास क्षेत्र पिपरौली, गोरखपुर के होमगार्ड के भूतपूर्व कर्मचारी रमा शंकर सिंह की सेवाएं अपात्-काल में समाप्त किए जाने के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन माह सितम्बर, १९७८ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सरकार उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री राम सिंह—

(क) जी हां ।

(ख) प्रार्थना-पत्र विचारोपरान्त अस्वीकृत कर दिया गया है ।

१०४—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

[आश्वासन समिति में विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

बांदा जिले के एक्स-रे डाक्टर की हस्तलिपि की जांच के संबंध में प्रार्थना-पत्र

१०५—श्री मन्जूर अली खां—

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद के एक्स-रे डाक्टर की हस्तलिपि जो एक सादे प्लेट में अंकित है उसकी जांच हस्तलिपि इक्सपर्टस द्वारा कराने के सम्बन्ध में ममसी बुजुर्ग (थाना कमांसिग) निवासी समलिया पुत्र देला द्वारा दिनांक २५ जुलाई, १९७८ को गृह मन्त्री के नाम दिए गए प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में अभी तक कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह—

प्रश्नगत मामले की जांच क्षेत्राधिकारी बबेरू तथा सी० एम० ओ० बांदा द्वार की जा रही है ।

जिला परिषद् बांदा के भूतपूर्व अध्यक्ष के विरुद्ध फर्जी यात्रा भत्ता लेने संबंधी लिखायी गयी रिपोर्ट

१०६—श्री ऊदल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व अध्यक्ष, जिला परिषद् बांदा के खिलाफ बांदा कोतवाली में धोखाधड़ी, फर्जी भुगतान, की रिपोर्ट सी० आई० डी० इन्सपेक्टर श्री जगदीश प्रसाद सिंह द्वारा की गयी है ? क्या यह सही है कि २ सितम्बर, १९७५ व १९, २४ जनवरी, १, २ मई, ७ व २० अक्तूबर, १९७५ तथा २ व २० सितम्बर, १९७६ को बांदा से लखनऊ रेल द्वारा यात्रा दिखाकर भुगतान जल निगम उत्तर प्रदेश से लिया है जब कि उपरोक्त तारीखों में बांदा स्टेशन से कोई प्रथम श्रेणी का टिकट नहीं बिका है ?

श्री राम सिंह—

बांदा कोतवाली में संदर्भित मामले में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है तथा मामले की विवेचना भी जारी है।

ग्राम बरबसपुर, जिला वाराणसी में डकैती एवं श्री लल्लू राम को पेंशन दिये जाने की मांग

१०६—श्री ऊदल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लल्लू राम पुत्र हीरा, गांव बरबसपुर, थाना चौबेपुर, जिला वाराणसी का एक पैर डकैतों की गोली लगने के कारण कट गया और जिलाधीश, वाराणसी ने अपने पत्र संख्या १६३१/जे०ए०—३, दिनांक ३ जनवरी, १९७४ द्वारा लल्लू राम को सूचित किया और उसकी प्रति एस० एस० पी० वाराणसी, को भेजा कि असहधारण गैर पुलिस पेंशन दिए जाने का निर्णय लिया गया है ? और एस० एस० पी० उत्तर प्रदेश मुख्यालय, इलाहाबाद को पत्र संख्या ४-२४८-७०, दिनांक ११ जनवरी, १९७४ के द्वारा लिखा ? यदि हां, तो अब तक पेंशन न देने का कारण क्या है ?

श्री राम सिंह—

ग्राम बरबसपुर थाना चौबेपुर जिला बाराणसी निवासी श्री लल्लू राम पुत्र हीरा का एक पैर डकैतों की गोली लगने से प्रभावित होने के परिणाम स्वरूप काट दिया गया था। जिला मैजिस्ट्रेट का प्रश्न में उल्लिखित, पत्र ग्राम कन्डवा थाना राहनियां निवासी स्वर्गीय श्री लल्लू राम पुत्र श्री मुन्नो लाल जिसको मृत्यु १५ अक्तूबर, १९६९ को रात की डकैतों से मुठभेड़ में हुई थी, के लिये था। इसी स्वर्गीय लल्लू राम को पेंशन का पी०पी०ओ० शीघ्र जारी करने हेतु पुलिस मुख्यालय ने अपने पत्र संख्या ४-२८४-७०, दिनांक ११ जनवरी, १९७४ द्वारा महालेखाकार को लिखा था।

श्री लल्लूराम पुत्र हीरा को पेंशन स्वीकृत करने के मामले पर विचार किया जा रहा है।

कस्बा लालगंज, जिला आजमगढ़ के श्री नूर अहमद के विरूद्ध आर्मस ऐक्ट का मुकदमा

१०८—श्री ऊदल—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नूर मुहम्मद, निवासी कस्बा लाल गंज, जिला आजमगढ़ को एक फर्जी मुकदमे में वहां की पुलिस ने आर्म ऐक्ट के अन्तर्गत चालान कर दिया है ? इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता एक प्रार्थना-पत्र को अपने पत्र के साथ १५ जून, १९७८ को माननीय मुख्य मन्त्री जी से मिल कर इस मामले की जांच सी० आई० डी० से कराने हेतु दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम सिंह—

यह कहना सहीं नही है कि श्री नूर मोहम्मद का आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत फर्जी मुकदमें में चालान किया है। इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक १५-६ १९७८ एक प्रार्थना-पत्र के साथ मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ था जिस पर मामला विचाराधीन न्यायालय होने के कारण पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही सम्भव नहीं पायी गयी।

थाना घोसी, जिला आजमगढ़ के चौकीदारों का बकाया वेतन

१०९—श्री ऊदल—

क्या गृह मन्त्री को पता है कि जनपद आजमगढ़ के थाना घोसी के लगभग ३० चौकीदारों को माह जून, १९७८ का वेतन इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि ३१ लोगों ने अधिकारियों के घर पर काम करने से इन्कार किया था ? क्या इस सम्बन्ध में उक्त चौकीदारोंने एक आवेदन-पत्र जुलाई, १९७८ में पुलिस अधीक्षक, को दिया है ? यदि हां, तो पूर्ण विवरण किया है और वेतन भुगतान न होने का कारण क्या है जबकि वे नियमानुसार काम पर उपस्थित होते रहे ह ?

श्री राम सिंह—

थाना घोसी के ३२ चौकीदारों ने पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को एक आवेदन पत्र जुलाई, १९७८ में दिया था जिसमें यह कहा गया था कि दोनों पारी में उपस्थित होने के उपरान्त भी माह जून का वेतन उनको नहीं मिला है ।

जांच से यह ज्ञात हुआ कि उनमें से १४ चौकीदार एक पारी पर उपस्थित हुये इसलिये उनको आधा वेतन दिया गया । १३ चौकीदारों की उपस्थित होने के पश्चात् भी उनके वेतन में कटौती की गयी और तीन चौकीदारों को दोनों पारी में अनुपस्थित होने पर भी आधा वेतन दिया गया और एक चौकीदार एक पारी पर उपस्थित रहा परन्तु उसे पूरा वेतन दिया गया । एक चौकीदार का नाम प्रार्थना पत्र में गलत है । उपस्थित होने के पश्चात् भी जिन चौकीदारों का वेतन कट लिया गया है उनके सम्बन्ध में वेतन के भुगतान के आदेश जारी कर दिये गय ह तथा वेतन कटौती संबंधी अनियमितता के सम्बन्ध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

आजमगढ़ के थाना घोसी के अन्तर्गत मझवारा रेलवे क्रासिंग पर कथित डकैती की घटना

११०—श्री ऊदल—

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि २९ मई, १९७८ को जनपद आजमगढ़ में थाना घोसी के अन्तर्गत मझवारा रोड रेलवे क्रासिंग के निकट कई व्यक्तियों को मारपीट कर साइकिल तथा अन्य सामान व रुपया छीना गया था जिसकी नामजद रिपोर्ट थाने में ३९४ भा० द० वि० के अन्तर्गत दर्ज कराई गई थी? क्या यह भी सत्य है कि थानाध्यक्ष द्वारा उक्त धारा को बिना किसी आवश्यक तफतीश के धारा ३०७ भा० दं० वि० में परिवर्तन किया जाना तथा अभियुक्तों के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही न किये जाने का कारण क्या है ?

श्री राम सिंह—

थाना घोसी में इस आशय का एक मुकदमा अ० सं० १२७/७८ धारा ३९४ भा० दं० वि० का दर्ज कराया गया था । यह सही नहीं है कि मुकदमा की धारा बिना किसी तफतीश के बदल दी गई । घटनास्थल के निरीक्षण के बाद ही जुर्म की धारा ३९४ भा० दं० वि० से धारा ३०७/३२३ भा० दं० वि० में परिवर्तित की गई । विवेचना के फलस्वरूप मुकदमें में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी है, अतः अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गयी ।

थानाध्यक्ष, भदोही, वाराणसी का स्थानान्तरण

१११--श्री ऊबल--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि थानाध्यक्ष भदोही, जिला वाराणसी का ट्रान्सफर, कानपुर रेंज में अप्रैल, १९७८ में किया गया और रोक दिया गया और पुनः मई, १९७८ में डी० आई० जी०, वाराणसी के यहां से बलिया किया गया ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि दोनों बार ट्रान्सफर रद्द कर दिया गया तो ऐसा क्यों ? थानाध्यक्ष, भदोही कितने वर्षों से वाराणसी जिले में हैं ?

श्री राम सिंह--

थानाध्यक्ष भदोही का स्थानान्तरण अप्रैल, ७८ में नहीं किया गया । इनका स्थानान्तरण दिनांक १-१२-७७ को वाराणसी से कानपुर रेंज में किया गया जो प्रशासनिक आधार पर निरस्त कर दिया गया । पुनः इनका स्थानान्तरण दिनांक २७-५-७८ को जनपद वाराणसी से बलिया किया गया जो इनकी स्त्री की बीमारी के कारण एक वर्ष के लिये रोक दिया गया ।

यह थानाध्यक्ष जनपद वाराणसी में दिनांक २९-३-७७ से नियुक्त हैं ।

भूतपूर्व सदस्य, श्री मंगला प्रसाद के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)--

माननीय इस प्रदेश के प्रसिद्ध स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी, इस सदन के भूतपूर्व सदस्य तथा भूतपूर्व मंत्री, श्री मंगला प्रसाद जी हमारे बीच में नहीं रहे । १६ दिसम्बर, इस मास को इनका देहावसान माफी अर्से की बीमारी के बाद इलाहाबाद में हो गया । इनकी मृत्यु के कुछ ही दिन पूर्व इनकी पत्नी का भी स्वर्गवास हुआ था । मंगला प्रसाद जी का जन्म वाराणसी में २९ नवम्बर, १८९८ में हुआ था । इनकी शिक्षा-दीक्षा विशेष रूप से स्नातक की परीक्षा इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की । सबसे बड़ी विशेषता जो उनमें दिखाई पड़ती है वह यह है कि बाल्यकाल से ही उनके मन में क्रान्तिकारी भाव रहा और परिणामस्वरूप १४ वर्ष की आयु में ही पहली बार उन्होंने जेल यात्रा की । उस स्वाधीनता आन्दोलन से प्रेरित होकर स्नातक परीक्षा के पश्चात् कई बार उन्होंने आन्दोलनों में भाग लिया । सन् १९३१ के असहयोग आन्दोलन में बहुत ही सक्रिय रूप से उन्होंने भाग लिया तत्पश्चात् १९४१ के व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी वह शामिल हुए, जेल में गये । इस प्रकार उनका जीवन विशेषरूप से स्वाधीनता सेनानी के नाते तो बहुत ही क्रान्तिकारी रहा । सन् १९४६ में प्रथम बार वह विधान सभा के सदस्य चुने गये थे । कांग्रेस के मुख्य सचेतक के रूप में काफी दिनों तक उन्होंने भाग लिया । फिर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के रूप में भी इस सदन में काम करते रहे । सन् १९५२ में विधान सभा के सदस्य चुने गये और उसके पश्चात् फिर सन् १९५७ में चुने गये । सन् १९५७ में वे राज्य मंत्री रहे । सन् १९५८ में उन्होंने उससे त्यागपत्र दिया । सन् १९६० में जिस समय कि गुप्ता जी का मन्त्रिमंडल बना उन्हें पुनः मंत्री पद का कार्य सम्भालना पड़ा और इस प्रकार सन् १९६२ तक वह रहे । सन् १९६४ में इलाहाबाद, बांदा, फतेहपुर से जो स्थानीय निकाय क्षेत्र थे, वहां से, वह विधान परिषद् के सदस्य चुने गये । चुनने के बाद पुनः मंत्रिमंडल में आये और सन् १९७० तक मंत्री के रूप में इस सदन में बहुत योग्यता से कार्य करते रहे । शिक्षा संस्थाओं से भी उनका अटूट सम्बन्ध रहा है । म्युनिसिपल बोर्ड, इलाहाबाद के काफी समय तक वह चेयरमैन रहे । इलाहाबाद विश्वविद्यालय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राम नरेश यादव]

की जो कार्यकारिणी परिषद् है उसमें १० वर्षों तक वह सदस्य के रूप में कार्य करते रहे। लखनऊ विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद् के भी वह सदस्य थे। खेल से उनको काफी रुचि रही है और प्रांतीय ओलम्पिक एसोसियेशन के सभापति की हैसियत से भी उन्होंने काम किया। आज वह हमारे बीच में नहीं रहे। उनके निधन से अपूर्णीय क्षति हुयी है। वास्तव में उनका जीवन बहुत ही त्यागमय एवं निष्ठामय रहा है। उनके विचारों से समय-समय पर सदन के सदस्य प्रभावित होते रहते थे। मैं अपनी और से और सदन की ओर से दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आपसे निवेदन करता हूं कि समवेदना का संदेश उनके परिवार तक भेज दिया जाय।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)--

मान्यवर, स्वर्गीय मंगला प्रसाद जी के बारे में जो भावनायें व्यक्त की गयीं हैं, मैं अपने को और अपने दल को उनसे सम्बद्ध करता हूं। स्वर्गीय मंगला प्रसाद जी हमारे स्वतन्त्रता संग्राम के अग्रणी सेनानी रहे हैं। उन्होंने सदन के सदस्य के रूप में, मन्त्रिमंडल के सदस्य के रूप में प्रदेश की सेवा की है। उनके निधन से हम लोग दुखी हैं। मेरी प्रार्थना है कि हमारी भावनाओं को उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री लक्ष्मी शंकर यादव (जिला जौनपुर)--

अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन और माननीय नेगी जी ने बाबू मंगला प्रसाद जी के निधन के सम्बंध में जो विचार प्रकट किये हैं उनसे मैं अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। उनके जीवन के प्रति नेता सदन ने सभी बातें विस्तार से बतायीं। हम लोग बहुत दिनों तक उनके साथ रहे, पीछे रहे। वह हमारे नेता रहे। उनकी खास खूबी थी कि वह बहुत सौम्य और सरल स्वभाव के थे। २५-३० वर्षों तक उनका साथ रहा। सन् १९४६ से वह इस विधान सभा के सदस्य थे। जहां तक मुझे याद है कभी मैंने नहीं देखा कि वह गुस्से में आये हों। हर आदमी चाहे छोटा हो या बड़ा, बच्चा हो या बूढ़ा सबके साथ वह एक तरह का व्यवहार करते थे। इधर कई वर्षों से बीमार होने के कारण वह चल फिर नहीं सकते थे, खड़े नहीं हो सकते थे। वह राष्ट्रीय भावना और सार्वजनिक भावना से ओत-प्रोत थे। लोग गाड़ी से उठाकर दफ्तर में लाते थ, मैं उस समय पी० सी० सी० का अध्यक्ष था। बहुत-सी शिक्षा संस्थाओं से उनका सम्बन्ध रहा, इलाहाबाद में कई कालेज बहुत अच्छे चल रहे हैं, जो उनके प्रयासों का फल है। गोल्फ खेल का खास तौर से उनको बहुत शौक था। गोल्फ के लिये वह अपने साथियों में मशहूर थे। बड़े सबेरे मैदान में वह पहुंच जाया करते थे। उनमें बड़ी खूबियां थीं। वैसे उनको अच्छी उम्र मिली वह महान पुरुष थे उनके निधन से प्रदेश का बड़ा अहित हुआ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके संतप्त परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति दे और उनकी आत्मा को शान्ति मिले और अध्यक्ष जी, आपसे निवेदन है कि हमारी तरफ से और हमारे दल की तरफ से शोक संतप्त परिवार को समवेदना भेजने की कृपा करें।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

मान्यवर, माननीय मंगला प्रसाद जी १६ दिसम्बर, १९७८ को न रहे। स्वतन्त्रता संग्राम में उनकी भूमिका और उसके बाद ही प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका दोनों बातें ऐसी हैं जो उनकी याद

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के साथ जुड़ी रहेंगी । ऐसे व्यक्ति के प्रति जो उद्गार माननीय नेता सदन, माननीय नेगी साहब और माननीय यादव जी ने प्रकट किये हैं, उन उद्गारों के साथ मैं अपने को और प्रगतिशील विधायक दल को सम्बद्ध करते हुए आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे दल की ओर से और व्यक्तिगत रूप से मेरी ओर से उनके शोकातुर परिवार के प्रति समवेदना भेजने का कष्ट करें ।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन्, स्वर्गीय मंगला प्रसाद जी आज इस प्रदेश के बीच नहीं हैं । उनका साधारण जीवन और इस माननीय सदन के अन्दर जैसा कि माननीय नेता सदन ने कहा भिन्न-भिन्न अवसरों पर उनकी सेवायें इस तरह की रही हैं कि भुलायी नहीं जा सकती हैं । मुझे स्वयं भी श्री मंगला प्रसाद जी के साथ में कुछ सीखने का अवसर मिला । मैं यह समझता हूं कि उनकी गंभीरता, उनका साधारण जीवन और उन्होंने इस प्रदेश की विशेष रूप से जो सामाजिक संस्थाओं की सेवा किया है वह कभी भुलायी नहीं जा सकती । श्रीमन्, आज हमारे बीच में वह नहीं हैं इसलिए माननीय नेता सदन, नेगी जी और कांग्रेस के नेताओं और राम आसरे वर्मा जी ने जो अपने विचार प्रकट किये उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करते हुए आप से अनुरोध करता हूं कि दुःखद परिवार को हमारी शोक समवेदना भेजने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष--

श्री मंगला प्रसाद के निधन पर माननीय नेता सदन ने जो विचार प्रकट किये और अन्य नेताओं ने जो विचार प्रकट किये हैं, मैं भी उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं । श्री मंगला प्रसाद जी के सन् १९४६ से ही बहुत निकट में आने का अवसर मिला । उससे पहले भी उनके साथ काम करने का अवसर मिला । सन् १९१६ में जब चम्पारन में महात्मा गांधी ने आन्दोलन शुरू किया तो प्रतापगढ़ में बाबा रामचन्द्र ने महात्मा गांधी को आमंत्रित किया और प्रतापगढ़ में किसान आन्दोलन चला । मंगला प्रसाद जी ने बाबा रामचन्द्र के साथ सक्रिय सहयोग दिया । उत्तर प्रदेश में जो सन् १९२० का असहयोग आन्दोलन चला उसमें सबसे प्रथम सत्याग्रही श्री मंगला प्रसाद जी थे और उनका मुकदमा प्रतापगढ़ में जब शुरू हुआ उसमें पंडित जवाहर लाल जी, पंडित मोती लाल जी, मदन मोहन मालवीय जी, गोविन्द बल्लभ पंत जी, ये सब लोग उनके मुकदमें में दर्शक के रूप में उपस्थित थे । उसके बाद मंगला प्रसाद जी जब तक स्वतंत्रता मिली, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी रहे । सन् २१, २२, ३०, ३२, ४१, ४२ के जितने आन्दोलन हुए उन सब में सक्रिय योगदान करते थे । सन् ४१ के व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, सत्याग्रहियों की सूची लेकर मंगला प्रसाद जी सेवा ग्राम में महात्मा गांधी के पास जाया करते थे तो उनका बड़ा योगदान रहा । उसके बाद यहां कांग्रेस दल के वह मुख्य सचेतक सन् १९४६ से रहे और जैसा लक्ष्मी शंकर जी ने कहा उनका स्वभाव बड़ा सरल और मधुर था और सभी सदस्य उनसे प्रेम करते थे । कुछ समय से वह अस्वस्थ रहते थे लेकिन अस्वस्थ रहते हुए भी उनकी दिलचस्पी बराबर सामाजिक और शैक्षिक कार्यों में रहती थी । जहां कहीं भी वह बाहर जाते थे मैं देखता था, वह गोल्फ खेलने जाते थे और उत्तर प्रदेश के ब्रिज के खिलाड़ियों में उनका बहुत आगे स्थान था । उनके निधन से प्रदेश के सार्वजनिक जीवन में बड़ी कमी हो गयी है । इसलिये हम सभी लोग दुखी हैं और जो भावनाय सदन के अन्दर प्रकट की गयी हैं, उन्हें मैं उनके परिवार तक पहुंचा दूंगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अध्यक्ष]--

अब मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि कृपया वे दो मिनट तक मौन खड़े होकर उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करें ।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर दो मिनट के लिये मौन खड़े हुए ।)

प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

मान्यवर, प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, आपने सूची (घ) में जिस प्रश्न को अल्पसूचित प्रश्न के रूप में स्वीकार किया, वह बहुत ही राष्ट्रीय महत्व का है । कुछ अमरीकन जासूसों ने लखनऊ में आकर जो प्रतिरक्षा की दृष्टि से निषिद्ध स्थान थे, उनके फोटो लिये और नक्शे बनाये लेकिन शासन को उसकी खबर तक नहीं । मान्यवर, इन सनसनीखेज गतिविधियों के बारे में अखबारों तक में खबरें छपी, लेकिन शासन को कोई सूचना तक नहीं । मान्यवर, इस तरह से प्रदेश की राजधानी में अमरीकन जासूस ने आकर फैजाबाद रोड स्थित प्रतिरक्षा मंत्रालय के लिये सामान तैयार करने वाली फैक्ट्री, हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स के निषिद्ध क्षेत्र, बक्शी तालाब स्थित एयरफोर्स स्टेशन, अमौसी हवाई अड्डा, कंट स्थित सैनिक छावनी, चारबाग स्थित दोनों रेलवे स्टेशनों, प्लेटफार्मों, लोको तथा कैरिज एण्ड वैगन वर्कशाप आदि स्थानों के नक्शे और फोटो लिये । वहां के कर्मचारियों को उन्होंने अपनी तरफ खींचने की भी कोशिश की । जहां कहीं भी गये, निषेधात्मक क्षेत्रों में नियमों की अवहेलना करके गये । लेकिन शासन की ओर से जवाब दिया जा रहा है कि इनको कोई सूचना नहीं है । मान्यवर, इतना महत्वपूर्ण सवाल है और इसी को ध्यान में रखकर, आपने इसको अल्पसूचित प्रश्न के रूप में स्वीकार किया, लेकिन ये कह रहे हैं कि कोई सूचना नहीं । उसकी चर्चा तक नहीं हो पायी ।

श्री अध्यक्ष--

इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न अंतर्ग्रस्त नहीं है । आपने प्रश्न दिया और मैंने उसके महत्व को समझकर स्वीकार किया । अब यह सरकार का काम है । जो उनको जानकारी है, वह आपको दी । आपका जो मकसद था, वह भी पूरा हो गया । आपने अपनी बात कह दी ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, औचित्य का प्रश्न तो है ही । सूचना देने का आखिर एक तरीका है । एक तो मेम्बर्स दें, एक सरकारी निर्देश हों और दूसरे और जगहों से पता चले । दूसरा यह भी तरीका है कि सरकार के हर विभाग में प्रेस अधिकारी हैं और इन विभागों को प्रेस कटिंग्स जाती हैं । खासतौर से गृह मंत्रालय को जाती हैं । तो क्या कारण है कि ये प्रेस कटिंग्स, जिनका वर्मा जी ने उल्लेख किया, ये सरकार के सामने नहीं गयीं और उसको न कह कर, उन्होंने कह दिया कि कोई जानकारी नहीं है । कोई सूचना नहीं है । अब श्रीमन्, यह औचित्य का प्रश्न है जिसका निर्णय आपको देना है कि यह उचित है कि अनुचित है ।

श्री अध्यक्ष--

इसके महत्व को देखते हुए मैंने स्वीकार किया । इस तरह के प्रश्नों पर जो निर्णय होते हैं सुरक्षा के संबंध में या अन्य संबंधों में, वह सब मंत्रियों के सामने जाते हैं और जब यह अल्पसूचित प्रश्न था तो सरकार का कर्तव्य अवश्य

था कि इन पत्रों के आधार पर इसकी जांच कराने के बाद आवश्यक सूचना देते क्योंकि यह तो स्वयं सरकार की सुरक्षा के प्रश्न से सम्बन्धित है । अब जो प्रश्न आपने रखा है मैं मुख्य मंत्री जी का ध्यान पुनः आकर्षित कर रहा हूं कि इस प्रश्न के तथ्यों के बारे में पूर्ण जांच करायें । जो अखबारों के अन्दर यह प्रकाशित हुआ है इसको पुनः देख लें । अब यह प्रश्न समाप्त हो गया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता (जिला सीतापुर)---

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, मुझे भी एक मिनट का समय दें ...

डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)---

मान्यवर, यहां पर एक डंडा रखा हुआ है, यह शायद मुख्य मंत्री जी का डंडा है क्योंकि हमारे मुख्य मंत्री जी भी हमेशा एक डंडा अपने साथ रखते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

इससे आपको कोई डर नहीं होना चाहिये ।

डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'--

मान्यवर, आप देख लें, सदन में डंडा रखा हुआ है ।

श्री अध्यक्ष---

वह सिक्योरिटी के कब्जे में है, इससे आपको कोई खतरा नहीं है । फिर भी इसको बाहर रखवा दें ।

दिल्ली में किसान सम्मेलन में मुख्य मंत्री द्वारा दिये गए वक्तव्य पर व्यवस्था का प्रश्न

श्री दीप नरायन (जिला गोंडा)---

मेरा एक प्रश्न सुन लें । मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

व्यवस्था का क्या प्रश्न है ?

श्री दीप नरायन---

अभी २३ दिसम्बर को माननीय मुख्य मंत्री जी दिल्ली गये थे और वहां उन्होंने भाषण दिया था उसमें उन्होंने कहा कि जनता पार्टी, केन्द्रीय सरकार किसानों की विरोधी है । तो इस सत्ता में रहकर ऐसा भाषण क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कर सकते हैं ? केन्द्रीय सरकार के खिलाफ क्या वे इस प्रकार का भाषण कर सकते हैं ? देश के सारे अखबार वालों ने छापा है । माननीय अध्यक्ष जी कह दें कि गलत छपा है ।

श्री अध्यक्ष---

आप बैठिये ।

श्री दीप नरायन---

सरकार में रहकर इस तरह का भाषण करने का क्या इनको अधिकार है ?

श्री अध्यक्ष--

श्री दीप नरायन ने जो व्यवस्था का प्रश्न किया है उसका किसी नियम से सम्बन्ध नहीं है (मुख्य मंत्री को पुकारे जाने पर)।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)--

मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष--

एक व्यवस्था तो अभी निबटी नहीं और आप दूसरी व्यवस्था उठा रहे हैं ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

उसको तो आपने रूल आउट कर दिया । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि किस रूल के मातहत आपने मुख्य मंत्री जी को बोलने के लिए कहा है ?

श्री अध्यक्ष--

जो व्यवस्था संबंधी नियम हैं उसमें लिखा है कि अगर कोई सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करे तो यदि अध्यक्ष आवश्यक समझें तो अन्य लोगों को स्पष्टीकरण के लिए अवसर दे सकते हैं ।

श्री गोविन्द सिंह नगी--

इसीलिये मैं खड़ा हुआ था आपने मुझको नहीं बुलवाया । मेरे बारे में आपने आवश्यकता नहीं समझी ।

श्री अध्यक्ष--

चूंकि उन्होंने मुख्य मंत्री जी का नाम लिया इसलिये मैं मुख्य मंत्री जी को कह रहा हूं ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, मैं भी इस सदन का सदस्य हूं और मुख्य मंत्री जो भी इस सदन के सदस्य हैं । दो सदस्यों के बीच में आप भेद भाव कैसे करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

भेदभाव का सवाल नहीं है, मुख्य मंत्री के खिलाफ आरोप है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

आज सारा देश जानता है कि जनता पार्टी के अन्दर फूट पड़ी हुई है, सब आपस में लड़ रहे हैं । मेरा आपसे निवेदन है कि उनके अन्दर जो फूट पड़ी है उसको आप देखें .... (व्यवधान) ....

(श्री राम नरेश यादव) मुख्य मन्त्री--

मान्यवर इस सदन में सम्मानित सदस्य ने जिस वक्तव्य और भाषण की चर्चा किया, मैं समझता हूं कि अगर वहां पर उपस्थित होते तो सम्भवतः इस तरह की बात सदन में न करते । जिस प्रकार से इस मामले को लेकर गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है वह गलतफहमी नहीं चल सकती । मैंने कहीं भी इस प्रकार का भाषण या बयान नहीं दिया कि यह सरकार या केन्द्र

सरकार किसान विरोधी है। इस तरह की न तो मेरे मन में कोई बात रही है और न है। यह सरकार जनता पार्टी की घोषित नीति के आधार पर चलती रहेगी और कोई भी ताकत इसको रोक नहीं सकती है।

श्री अध्यक्ष—

अब इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। श्री दीप नरायन ने जो प्रश्न उपस्थित किया है वह नियमावली के किसी भी नियम के अनुसार नहीं है। जिन प्रश्नों का नियम से कोई सम्बन्ध न हो। ऐसे प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। फिर अभी मुख्य मंत्री जी ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया, इसलिए मैं इसको अग्रह्य करार देता हूं और इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री दुक्खी प्रसाद (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। गोरखपुर जिले में महाराजगंज तहसील में नहरों का जाल बिछा हुआ है, लेकिन पानी नहीं है जिसके कारण जनता में बड़ा असंतोष है।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके बैठ जायं। मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के प्रश्न उठाकर माननीय सदस्य व्यवस्था को अव्यवस्था में परिवर्तित न करें। इस प्रकार के प्रश्न उठाकर आप अपने नियमों की अज्ञानता का प्रदर्शन करते हैं। आप व्यवस्था के बजाय अव्यवस्था उत्पन्न करते हैं, यह उचित नहीं है। आप बैठ जायं।

विधान सभा सदस्य, श्री डी० पी० बोरा द्वारा अपनी सुरक्षा की मांग

*श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)—

मान्यवर, आपके चेम्बर में मिलकर आपकी इजाजत से नियम ५१ के अन्तर्गत श्री मुन्ना तिवारी, निवासी शुक्लागंज की हत्या के बारे में कुछ सदस्यों की मांग पर इस सदन में एक वक्तव्य दिया गया था। मुख्य मन्त्री जी ने इस बात को मन्जूर कर लिया था कि अगर विधायक लोग चाहते हैं तो इसकी जांच सी० आई० डी० द्वारा करा दी जायेगी। मेरा निवेदन है कि इस मामले की जांच सी० आई० डी० द्वारा करा दें। जिस दिन से यह प्रश्न सदन में उठाया गया है उस दिन से लगातार मुझे टेलीफोन के ऊपर उन्नाव की पुलिस धमकी दे रही है और एक साजिश के अन्तर्गत उसके बाद ही मेरा अंगरक्षक वापस ले लिया गया। जो मैजिस्टीरियल जांच चल रही है, श्री जनार्दन सिंह जिनका स्वतः उस मुठभेड़ में हाथ है, तार देकर मुझे उन्नाव बुला रहे हैं। ऐसी स्थिति में जबकि सदन चल रहा हो और यदि मैं जाता हूं तो मेरी सुरक्षा का प्रश्न उठता है। और यदि मैं जाता हूं तो सदन की उपस्थिति से वंचित रहूंगा। मैंने कोई और तारीख देने के लिए भी कहा था। लेकिन उनका फिर टेलीफोन आया है कि यदि आप नहीं आयेंगे तो यह समझा जायगा कि आपको उनके बारे में कुछ नहीं कहना है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री डी० पी० बोरा]

मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री ने स्वतः इस बात को स्वीकार किया था कि वह इसमें सी० आई० डी० से जांच कराने को तैयार हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी सुरक्षा की व्यवस्था की जाय और उस कांड के बारे में पुलिस लगातार मेरे कमरे के चारों तरफ घूम रही है सफेद कपड़े पहन कर और षडयंत्र रच रही है। २७ तारीख को मैजिस्टीरियल इंक्वायरी लखनऊ में आ कर हो।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य ने जो शिकायत की है उस ओर माननीय मुख्य मंत्री कृपया ध्यान देंगे .....

(श्री रियासत हुसैन के खड़े होने पर)

रियासत साहब, कृपया बैठें। हर बात पर विवाद करना उचित नहीं है। मैंने गृह मंत्री तथा मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर दिया है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

दो मुख्य बातें डी० पी० बोरा ने उठाई हैं ...

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठें।

(श्री गोविन्द सिंह नेगी के खड़े होन पर)

नेगी जी भी कृपया बैठें। मैं अब इजाजत नहीं दूंगा। गृह मंत्री के सामने जो भी प्रश्न माननीय बोरा ने उठाया है उस पर कृपया वह ध्यान दें और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करें।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

इसका एक पहलू यह है कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है। सदन चल रहा है और अधिकारी ने तार दिया है, यह विशेषाधिकार की अवहेलना है।

श्री अध्यक्ष—

मेरे सामने कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है। आप लिखकर दीजिए। आप नियमों को जानते ही नहीं। सदन के सामने अपमान हो तो यहीं उठा सकते हैं अन्यथा सदन शुरू होने से पहले आप उसके ऊपर लिख कर दें। बड़े खेद की बात है कि जिन बातों का नियम से कोई ताल्लुक नहीं है उन्हें उठाकर आप अनावश्यक सदन का समय नष्ट करते हैं।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

आप सुनते नहीं हैं और कहते हैं कि सदन का अनावश्यक समय नष्ट किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठें।

(श्री डी० पी० बोरा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष —

उस रोज नियम ५१ में यह प्रश्न उठाया गया था। मजिस्टीरियल और सी० आई० डी० की जांच चल रही है। इस तरह से प्रश्न को सदन में लाना अनुचित है। सरकार ने कुछ न किया हो तो आप मिलिए और उसके लिए दूसरे तरीके हैं। आप मेरे संज्ञान में यह ले आयें कि आपको पुलिस धमकी दे रही है, आपको खतरा है। इसलिए मैंने आपको अनुमति दी। सदन के संज्ञान में वह बात आ गयी। मुख्य मंत्री तथा गृह मंत्री के संज्ञान में वह बात आ गयी और उसकी वह अलग से व्यवस्था करेंगे।

श्री रियासत हुसैन—

मैं एक व्यवस्था चाहता हूं। आपकी आज्ञा से बोरा जी ने सदन में जो बात कही उसमें दो चीजें निहित हैं। कोई गंभीर बात कही जाय तो वह सारे सदन की प्रापर्टी हो जाती है और हर माननीय सदस्य को अधिकार हो जाता है। अभी बोरा जी ने बताया जो टेलीग्राम है उसमें उन्होंने कहा है कि अगर २७ तारीख को नहीं आयेंगे तो यह समझा जायेगा कि कुछ नहीं कहना है। माननीय सदन में माननीय बोरा ने यह बात कही है यह सदन की प्रापर्टी हो गई तो बराहेरास्त आपकी जिम्मेदारी हो जाती है आप इन दोनों पर अपना निर्णय ले लें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय रियासत हुसैन ने जो प्रश्न उठाया है उसका व्यवस्था से सम्बन्ध नहीं है। यहां पर मैंने नियम ३०१ में अनुमति दी है, यहां पर मंत्रियों के वक्तव्य की अनुमति देता हूं। सदन की सम्पत्ति का मतलब यह नहीं है कि सब पर पूरी तरह से विवाद हो। मेरे संज्ञान में यहां पर माननीय बोरा जी बात लाये उस पर किसी की वकालत की जरूरत नहीं, (श्री गौरी शंकर एडवोकेट, श्री श्यामधर मिश्र आदि के खड़े होने पर) आप बैठिये। यह प्रश्न समाप्त हुआ अब म इस पर किसी को अनुमति नहीं दूंगा। पाण्डे जी, आप बैठिये। सदन मे इस प्रकार जबरदस्ती बोलना नियम के विरुद्ध है, मैं अनुमति नहीं दूंगा। इस प्रकार माननीय सदस्य अपनी बात कहते हैं जिसे मैं समझता हूं कि विवाद की जरूरत नहीं है और आप जबरदस्ती करना चाहते हैं, यह अनुचित है। (व्यवधान)

श्री सत्यप्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, माननीय बोरा जी ने दो बातों की ओर ध्यान आकर्षित किया है।

श्री अध्यक्ष—

मालवीय जी, मैंने इसको समाप्त कर दिया है। इस पर मैं अनुमति नहीं दूंगा (व्यवधान) मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। उसी के अनुसार मैंने मुख्य मंत्री जी को, गृह मंत्री जी को निर्देश दिया है। यह फाइनल है इस पर कोई विवाद अब नहीं होना चाहिये।

श्री सत्यप्रकाश मालवीय—

मेरा निवेदन यह है कि माननीय बोरा जी ने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया है कि शासन से जो उनको शैडो दिया गया था जब से उन्होंने नियम ५१ में प्रश्न उठाया था, वापस ले लिया गया है। दूसरी इस बात की आशंका व्यक्त की है कि उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाय। मेरा निवेदन यह है कि माननीय सदस्य ने आशंका व्यक्त की है कि मेरी जान को खतरा है। माननीय शिवराज सिंह और भूतपूर्व सदस्य, श्री प्यारे लाल शर्मा की हत्या कर दी गई है। तो मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में कम से कम इस बात का स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से आना चाहिये। (व्यवधान)

श्री श्यामधर मिश्र--

मान्यवर, हमारी बात भी सुन लें ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने इस पर अपनी व्यवस्था दे दी है । अब इस पर बोलना अनधिकृत है। जो भी इस विषय पर बोलेंगे, वह अनधिकृत होगा ।

श्री श्यामधर मिश्र--

मालवीय जी को किस नियम के अन्दर आपने सुना है ?

श्री अध्यक्ष--

मैंने इजाजत नहीं दी ।

श्री श्यामधर मिश्र--

आप अपना निर्णय विवेकपूर्ण करें । एक ही विषय पर एक सदस्य को आपने सुन लिया और वह बैठ गये ।

श्री अध्यक्ष--

आपकी जानकारी गलत है जैसे आप जबरदस्ती बोल रहे हैं ऐसे ही मालवीय जी जबरदस्ती बोल रहे थे । मैंने इजाजत नहीं दी ।

श्री श्यामधर मिश्र--

हमें भी बोलने दें ।

श्री अध्यक्ष--

यह प्रोसीडिंग में नहीं लिखा जायेगा। एक घंटा जो आप बोलना चाहें, बोलिये।

(व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

वह तो शासन पक्ष में हैं, उनको संयम रखना चाहिये ।

किसानों को धान का समर्थित मूल्य देने में अव्यवहारिकता तथा क्रय केन्द्र बढ़ाए जाने की मांग के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन के संज्ञान में यह तथ्य रखना चाहता हूं । किसानों को धान का प्रोत्साहक मूल्य दिलाने हेतु समर्थित मूल्य पर धान खरीद योजना अव्यवहारिक रूप से लागू किए जाने के कारण उसे लाभ पहुंचाने के बजाय हानि पहुंचाई जा रही है । सीतापुर जिले में मात्र ४ केन्द्र खोले गये हैं जहां पर खरीद होती है । खरीद ८५ रुपया से ८८ रुपया प्रति क्विन्टल की दर से परन्तु १६ नमी की शर्त के साथ खरीद होती है परन्तु इस क्वालिटी का धान उपलब्ध न होने से किसान केन्द्र से वापस कर दिया जाता है और मजबूरी में उसे ६०-६५ रुपया प्रति क्विन्टल की दर से बेचना पड़ता है । यह भाव तो खरीद केन्द्र की बाजार का है और गांव की बाजार में तो और भी कम मूल्य पर बेचने को मजबूर होना पड़ता है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बढ़ाए जाने की मांग के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना।

अनेक बार शासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया परन्तु न तो केन्द्र बढ़े और न गुण निर्धारण में शर्तों की शिथिलता ही की गई। परिणाम स्वरूप काश्तकार का शोषण हो रहा है। शासकीय केन्द्रों पर अभी तक नाम मात्र की ही खरीद हो सकी है। केन्द्र के कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण गुणता निर्धारण में भी अत्यधिक परेशानी होती है। अतएव आपके माध्यम से शासन के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि खरीद केन्द्रों की संख्या बड़ाई जाय, गुणता निर्धारण में नमी की शर्त बढ़ाई जाय तथा व्याप्त भ्रष्टाचार समाप्त किया जाय।

देवरिया जनपद की सीताराम शुगर मिल तथा देवरिया शुगर मिल चालू न होने से व्याप्त असंतोष के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री वीरेन्द्र कुमार चतुर्वेदी (जिला देवरिया)--

देवरिया जनपद की दो चीनी मिलें--सीताराम शुगर मिल तथा देवरिया शुगर मिल माह दिसम्बर व्यतीत होने जा रहा है, अभी तक चालू नहीं हुई हैं। परिणामस्वरूप गन्ना किसानों, मजदूरों तथा इस उद्योग पर निर्भर हजारों परिवारों के समक्ष गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। किसानों तथा मजदूरों में भारी चिन्ता, भय तथा आक्रोश व्याप्त है। मिल मालिकों ने १६ दिसम्बर को ही मिलों को चालू करने से इंकार कर दिया था। फिर भी सरकार ने अभी तक मिल को चालू करने हेतु कोई व्यवस्था नहीं की है। मैंने गन्ना मंत्री तथा गन्ना अधिकारियों से बार-बार आग्रह किया कि मिलों को अविलम्ब चलाया जाय, लेकिन सरकार मौन है। दो माह तक लगातार प्रतीक्षा करते-करते किसान तथा मजदूर अपना विवेक तथा धैर्य खो बैठा है। किसी भी क्षण गम्भीर घटना घटित हो सकती है। केन्द्र सरकार द्वारा यह अध्यादेश जारी करने के बाद भी "यदि चीनी मिलें २० नवम्बर तक गन्ने की पेराई आरम्भ नहीं करती तो उनका अधिग्रहण सरकार द्वारा कर दिय जायेगा। उक्त चीनी मिलों का अधिग्रहण न करना हास्यास्पद प्रसंग लगता है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाकर सरकार से मांग करता हूं कि सरकार उक्त मिलों का अविलम्ब अधिग्रहण करके, रिसीवर नियुक्त करके या अन्य व्यवस्था करके, गन्ने की पेराई आरम्भ करावे जिससे गन्ना किसानों, मजदूरों तथा इस उद्योग पर निर्भर अन्य हजारों परिवारों को तबाह होने से बचाया जा सके। माननीय गन्ना विकास मंत्री जी यहां मौजूद हैं आप उनसे आज शाम तक वक्तव्य दिलवाने की कृपा करें, जिससे इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर जनता को राहत मिल सके।

*श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)--

मान्यवर, मैंने इसी विषय पर एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया था। मेरे माननीय मित्र ने जिन बातों की चर्चा की वह बड़ी गम्भीर है। मंत्री जी देवरिया में गये थे, वहां उनको यह जानकारी होगी कि देवरिया व बैतालपुर चीनी मिल मालिकों ने १८ सितम्बर तारीख तय कर दी थी कि मिलें चलेंगी और उसके परिणाम-

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरिकेवल प्रसाद]

स्वरूप १६, १७ व १८ इन तीन तारीखों में १५ हजार क्विन्टल गन्ने की पर्चियां समितियों ने वितरित कर दीं और गन्ने की छिलाई हो गई और गन्ने के काश्तकार अपनी गाड़ियों पर लाद कर गन्ने को मिलों पर ले आए, किन्तु वहां उनको यह मालूम हुआ कि यहां ताला बन्द है, यह मिलें चालू नहीं होंगी। आज तक उनका गन्ना पड़ा है। जब मंत्री जी का इस पर ध्यान आकर्षित किया गया तो उन्होंने कहा कि दोनों मिलों के गन्ने को अगल-बगल की मिलों में बांट दिया जाए, भेज दिया जाए।

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न अब आ गया है। आप इस पर व्याख्यान दे रहे हैं। मैं इसकी अनुमति आपको नहीं देता हूं।

श्री हरिकेवल प्रसाद--

२१ क्विन्टल गन्ना दोनों मिलों में पेरे जाने की बात है, जो ४० हजार किसानों के जीवन का सवाल है। मंत्री जी को इसकी जानकारी होती है तो वह कहते हैं कि अगल-बगल की मिलों पर उसको भेज दिया जाए। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं, मंत्री जी कहते हैं कि तमाम मिल मालिक लोग उनसे मिलने नहीं आए। मंत्री जी को इन सारी चीजों का ज्ञान है। देवरिया के ४० हजार कृषकों की जिन्दगी का सवाल बड़ा अहम सवाल है। उनका गन्ना सूखने की हालत पर है। मिल के गट पर और गेट पर गाड़ियां खड़ी हैं। माननीय मंत्री जी बैठे हैं। आज ही उस मिल को सरकारी नियन्त्रण में लेकर रिसीवर के द्वारा मिल को चालू करवाएं और जिन मजदूरों को मिल मालिक ने बुलाया है और जिन किसानों का गन्ना सूख रहा है, उनको हर्जाना दिलाएं। नहीं तो मंत्री जी को स्वतः इस्तीफा दे देना चाहिये।

श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया)--

किसानों को पर्ची दे दिया....

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिए।

श्री कृष्णा राय--

हम तो बैठ ही जायेंगे। सुन तो लीजिए।

श्री अध्यक्ष--

आपका प्रश्न नहीं है। जब यह प्रश्न सदन के सामने आ गया, इस पर दोहराने की आवश्यकता नहीं है। श्री मोहन सिंह, श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी ने इस प्रश्न को लिख कर दिया है। माननीय गन्ना विकास मंत्री कृपया देवरिया के सम्बन्ध में आज या कल वक्तव्य दे दें।

श्री हरिकेवल प्रसाद--

अभी।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये। पहले दूसरा कार्य होने दीजिये

श्री कृष्णा राय--

हम तो बैठ ही जायेंगे। सुन तो लीजिए।

श्री अध्यक्ष--

आपका प्रश्न नहीं है। जब यह प्रश्न सदन के सामने आ गया, इस पर दोहराने की आवश्यकता नहीं है। श्री मोहन सिंह, श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी ने इस प्रश्न को लिख कर दिया है। माननीय गन्ना विकास मंत्री कृपया देवरिया के सम्बन्ध में आज या कल वक्तव्य दे दें।

श्री हरिकेवल प्रसाद--

अभी।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये। पहले दूसरा कार्य होने दीजिये

श्री हरि केवल प्रसाद--

माननीय, मंत्री जी खड़े हैं ।

श्री कृष्णा राय--

अध्यक्ष जी, मंत्री जी खड़े हो गये थे ।

श्री अध्यक्ष--

अभी मंत्री जी को अनुमति नहीं दे रहा हूं । जब अवसर आयेगा, तब दूंगा । पहले आज का कार्य जो है अजेंडा पर, वह होगा । जब मंत्री के वक्तव्य का डाइल आयेगा, अगर वह बोलना चाहेंगे, तो अवसर दूंगा ।

उत्तर प्रदेश परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण कर्मचारी संघ की मांगें तथा अनशन के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री विद्या शंकर (जिला प्रतापगढ़)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं ।

उत्तर प्रदेश परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण कर्मचारी संघों के समस्त २२ हजार कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर संघर्ष के रास्ते पर हैं । आज की बढ़ती हुई जन संख्या को देखते हुये यह आवश्यक है कि प्रदेश में परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण विभाग में रत २२ हजार कर्मचारियों को संतुष्ट किया जाये । परिवार नियोजन वर्तमान परिपेक्ष्य में राष्ट्रीय समस्या है और ऐसे में बढ़ती हुई जन संख्या पर नियन्त्रण रखना अत्यन्त आवश्यक है । उ० प्र० परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण विभाग में रत २२ हजार कर्मचारी सरकार की लगभग १५, २० वर्षों से बराबर सेवा कर रहे हैं परन्तु खेद है कि आज तक उन्हें तथा उनके विभाग को स्थायी नहीं किया गया । इनकी केवल एक सूत्री मांग है कि उत्तर प्रदेश परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण विभाग में रत कर्मचारियों को स्थायी किया जाय । इसको करने से सरकार के ऊपर कोई वित्तीय भार भी पड़ने वाला नहीं है । आज प्रदेश भर में परिवार कल्याण का पाक्षिक सप्ताह मनाया जा रहा है । परन्तु सारे कर्मचारी संघर्ष में लगे हैं ।

गत वर्ष १४ अप्रैल को रवीन्द्रालय में हुए उत्तर प्रदेश प्रसार शिक्षकों के प्रान्तीय अधिवेशन में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कर्मचारियों को स्थायी करने के लिए आश्वासन भी दिया था । इसके बाद गत जुलाई में संघ के संरक्षक की ओर से माननीय स्वास्थ्य मंत्री को मांग-पत्र दिया गया तथा विधान सभा में स्थायीकरण के सम्बन्ध में प्रश्न भी किया गया जिसमें बराबर स्वास्थ्य मंत्री कर्मचारियों को स्थायी करने का आश्वासन देते रहे । इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार सन् ७४, ७५, तथा ७८ में बराबर राजाज्ञा भी कर्मचारियों को स्थायी करने के लिए प्रान्तीय सरकार को भेजती रही । परन्तु प्रान्तीय सरकार नौकरशाही के तानेबाने में फंसकर स्थायीकरण के सम्बन्ध में टाल-मटोल करती रही । अन्त में नौकरशाही के अविवेकपूर्ण नीति के कारण उत्तर प्रदेश में रत २२ हजार कर्मचारी मजबूर होकर संघर्ष की राह पर आ गये हैं । इस प्रकार सारे उत्तर प्रदेश के कमचारियों में बड़ा असन्तोष हो गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री विद्या शंकर]

संघ के संरक्षक होने के नाते मांगों की पूर्ति हेतु मैंने २४ नवम्बर तथा १९ दिसम्बर को माननीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र भी लिखा परन्तु माननीय स्वास्थ्य मंत्री की ओर से कोई ठोस उत्तर नहीं मिला। मैं चाहता था कि सरकार तथा कर्मचारियों के बीच में संघर्ष की स्थिति न पैदा हो। उत्तर प्रदेश परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण संघ के १७ दिसम्बर को अपनी मांगों की पूर्ति हेतु एक विशाल सभा तथा १८ दिसम्बर को १० हजार कर्मचारियों का जुलूस निकला तथा १८ दिसम्बर से क्रमिक अनशन चला रहे हैं। मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण विभाग में रत २२ हजार कर्मचारियों की मांगों की ओर आकर्षित करता हूं तथा सरकार से अपील करता हूं कि प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाकर अविलम्ब समस्या का समाधान करें।

सिंचाई विभाग निर्माण खंड उन्नाव द्वारा नहरों की सफाई न कराने से हरदोई मल्लावां क्षेत्र के किसानों की परेशानी के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राम आशरे वर्मा (जिला हरदोई)---

श्रीमन्, सिंचाई विभाग निर्माण खंड, उन्नाव की पूर्ण निष्क्रियता के कारण हरदोई जनपद के मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में लगभग १० वर्षों में बिना सफाई की पड़ी हुई ड्रेनों तथा अन्य आवश्यक नई ड्रेनों के न बनने के कारण हजारों एकड़ भूमि बरसाती पानी से प्रभावित है तथा क्षेत्र में गरीबी के कारण बने हुए हैं। परसोला, इसरापुर आदि गांवों के पास हथौरा ड्रेन में स्वीकृत पुलों के निर्माण में ढील दी जा रही है। इससे अछन्दऊ क्षेत्र के सैकड़ों गांव विनाश के गर्त में साल भर समाये रहते हैं। इस ओर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए उक्त क्षेत्र में पुरानी ड्रेनों की सफाई आवश्यक नई ड्रेनों की खुदाई तथा हथौरा ड्रेन पर स्वीकृत पुलों के निर्माण की अविलम्ब व्यवस्था की मांग करता हूं।

रामपुर शुगर फैक्टरी से सम्बन्धित क्रय गन्ना केन्द्र चालू न होने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

श्रीमन्, केन्द्र सरकार द्वारा चीनी फैक्ट्रियों के सम्बन्ध में जारी किये गये आदेश जिनके अनुसार प्रदेश की सारी गन्ना फैक्ट्रियां १५ नवम्बर, ७८ को चल जानी चाहिये थीं, के बावजूद भी रामपुर गन्ना फैक्ट्री अभी तक पूर्ण रूप से नहीं चलाई जा रही है। केन्द्र सरकार के अध्यादेश से बचने के लिए केवल उसकी एक चेन चलाई जा रही है और आधे से ज्यादा गन्ना क्रय केन्द्र बन्द पड़े हैं। इस समय किसान के सामने अपने गन्ने का इन्तजाम करना ही मुख्य कार्य है। पिछले साल भी गन्ना खेतों में खड़ा रह गया था और यही हालत रही तो इस वर्ष भी गन्ना खड़ा रह जायेगा। रामपुर फैक्ट्री से सम्बन्धित आधे से अधिक गन्ना क्रय केन्द्रों के बन्द पड़े रहने के कारण सम्बन्धित किसानों में असन्तोष और अविश्वास की भावना उत्पन्न हो गयी है। यदि सरकार ने रामपुर फैक्ट्री से सम्बन्धित गन्ने के लिये सारे क्रय केन्द्र तुरन्त चलाने की व्यवस्था नहीं की तो गन्ना किसानों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जायेगी। अतः मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय की ओर माननीय सदन द्वारा गन्ना विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करने की अनुज्ञा चाहता हूं।

---

*वक्ताभाषण पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रामपुर शुगर फैक्ट्री से सम्बन्धित गन्ना क्रय केन्द्र चालू न होने के विषय को १०३१ नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

हम लोगों ने भी दिया था। बहुत महत्वपूर्ण था।

श्री अध्यक्ष--

जिनको मैंने स्वीकृत किया उन्हीं को अनुमति दी।

उत्तर प्रदेश कीटनाशी (अपील) नियमावली, १९७५ को सदन के पटल पर विलम्ब से रखने के सम्बन्ध में वित्त मंत्री का स्पष्टीकरण

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)--

भारत सरकार के कीटनाशी अधिनियम, १९६८ की धारा ३७ के अन्तर्गत प्रदेश सरकार को केन्द्रीय कीटनाशी परिषद् के परामर्श से नियम बनाने का अधिकार है उक्त अधिकार का प्रयोग करके प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश कीटनाशी (अपील) नियमावली, १९७५ बनायी है। उक्त नियमावली पर भारत सरकार का अनुमोदन नवम्बर, १९७५ में प्राप्त हुआ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

माननीय, यह क्या पढ़ रहे हैं ? जानकारी तो हो जाय।

श्री अध्यक्ष--

अब तक यह रिपोर्ट पटल पर क्यों नहीं रखी गयी उसका औचित्य बतला रहे हैं।

श्री मधुकर दिघे--

जो कारण पूछे जा रहे हैं उनको मैं बतला रहा हूं। उस समय तक जानकारी नहीं थी कि नियमों को भी विधान मंडल के पटल पर रखना आवश्यक है। जुलाई, १९७७ में न्याय विभाग से यह जानकारी प्राप्त होने पर कि इन्हें रखना है तो उनकी अपेक्षित प्रतियां छपवाई गयीं और उत्तर प्रदेश कीटनाशी (अपील) नियमावली, १९७५ को सदन के पटल पर ४-४-७८ को प्रस्तुत की गयी।

श्री अध्यक्ष--

मैंने आदेश दिया था कि इसमें इतना विलम्ब क्यों हुआ है। इसीलिए आप इसका कारण बता रहे हैं कि विलम्ब क्यों हुआ।

*श्री इन्द्रमधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मैं आपके आदेश को चुनौती देने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। मैं यह जानना चाहता हूं, जैसा कि मंत्री जी ने उत्तर दिया मैं उनको धन्यवाद देता हूं। आपने जुलाई की बात कही उसको मैंने सुना। जुलाई, १९७७ में आपको मालूम हो गया कि इसको पटल पर रखना चाहिए। जुलाई, १९७७ में मालूम हो गया तो लगभग डेढ़ वर्ष क्यों बीत गये ? इतने दिन तो क्षम्य थे लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि डेढ़ वर्ष तक यह क्या करते रहे ? क्यों नहीं उसको सदन की पटल पर रखा ?

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, मैं अपने वक्तव्य की आखिरी लाइन फिर पढ़े देता हूं । श्यामधर जी हिन्दी जानते हैं । उसमें लिखा है कि ४-४-७८ को विधान मंडल में प्रस्तुत कर दिया गया है । विलम्ब जरूर हुआ है । उसका भी मैंने एक्सप्लेनेशन उसमें दिया है । शायद श्यामधर मिश्र जी को ७५ से ७७ तक की जानकारी न हो । उन्होंने जानकारी नहीं करायी कि सदन के पटल पर रखना चाहिए । जब हम आये तो न्याय विभाग से जानकारी प्राप्त होने पर तुरन्त छपने के लिए भेज दिया और जैसे बैठक हुई तो मैंने उसको रख दिया ।

श्री श्यामधर मिश्र--

७७ से यह सदन गठित है । पिछली सरकार ने क्या गलती की, मैं उसका उत्तरदायी नहीं हूं ।

एक सदस्य--

जान लीजिए ।

श्री श्यामधर मिश्र--

मैं उसका उत्तरदायी नहीं हूं । जब जुलाई, १९७७ को यह मालूम हो गया तो तुरन्त ही इसको सदन के पटल पर क्यों नहीं रखा गया ? क्या यह चीज आप उपयुक्त समझते हैं कि डेढ़ वर्ष इसको छपने में लग गये ? यह कन्सिकारी सरकार है इसको कम से कम एक महीने में छपवा लेना चाहिए था और सदन के पटल पर रख देना चाहिए था । न एक महीने में हो पाता तो २-३ महीने ले लेते । ३-४ सत्र हो गये । क्या आप इसे उचित समझते हैं जो उन्होंने यह कारण बताया कि इस वजह से विलम्ब हुआ तो क्या आप उचित समझते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने कहा कि अप्रैल, ७८ में रख दिया । विलम्ब हुआ तो उसी को उन्होंने बताया कि १० महीने का विलम्ब हुआ । आप जानते हैं कि पुरानी आदत मुश्किल से जाती है । तो यह तो कुर्सी की आदत होती है ।

श्री श्याम धर मिश्र--

९ महीने की देर क्या आप उचित समझते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

१० महीने में मामला और स्वस्थ हो जाता है ।

(हंसी)

दि यू० पी० स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन तथा १९७६-७७ के लेखे †

ग्रामीण उद्योग राज्य मंत्री (श्री सूबेदार प्रसाद)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से दि० यू० पी० स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ का तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे १९७६-७७ को कम्पनीज एक्ट, १९५६ की धारा ६१९-ए की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

† छापे नहीं गये ।

यू० पी० स्टेट ब्रिज कारपोरेशन लिमिटेड की प्रथम प्रतिवेदन वर्ष १९७२-७३ द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन १९७३-७४ तथा तृतीय वार्षिक रिपोर्ट १९७४-७५†

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री मोहम्मद मसूद खां)--

अध्यक्ष महोदय, मैं यू० पी० स्टेट ब्रिज कारपोरेशन लिमिटेड का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन १९७२-७३, द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन १९७३-७४ तथा तृतीय वार्षिक रिपोर्ट, १९७४-७५ को कम्पनीज ऐक्ट, १९५६ की धारा ६१९-ए की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, आप क्षमा करेंगे कि मैं बार-बार उठने का दोषी हूं । हमारा उत्तर-दायित्व पूरा नहीं होता अगर हम खड़े न हों । आप देखेंगे कि माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री उठ रहे हैं किस काम के लिए । वे वर्ष १९७२-७३, १९७३-७४ और वर्ष १९७४-७५ की वार्षिक रिपोर्ट्स अर्थात् ३ वर्षों की रिपोर्ट्स प्रस्तुत कर रहे हैं । शेष ३ वर्षों की रिपोर्ट्स गायब हैं । इसी प्रकार से यह अनुचित है ब्रिज कारपोरेशन को ३ रिपोर्ट्स एक साथ देना । ३ वर्ष की रिपोर्ट्स भी न देना अनुचित है । अतः इस पर आप अपनी व्यवस्था देने की कृपा करें ?

श्री अध्यक्ष--

वार्षिक रिपोर्ट तो हर वर्ष आनी चाहिए लेकिन दिक्कत श्याम धर जी, यह है कि बच्चा कहां पैदा हुआ और सार्वजनिक निर्माण मंत्री उसका पालन पोषण कर रहे हैं । उनकी यह कठिनाई है ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, बच्चा तो पैदा हो ही नहीं रहा है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

जो बात मिश्र जी ने कही है वह दुर्भाग्य से या सौभाग्य से सही बात उठायी है । मान्यवर, १९७४-७५, १९७३-७४ या इसके पहले की रिपोर्ट जो हैं उनको माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी ने देर से सदन में प्रस्तुत किया है, यह तो क्षम्य है लेकिन जो वर्ष १९७३-७८ या १९७६-७७ की जो रिपोर्ट्स हैं उनको भी एक साथ पेश कर देनी चाहिए । स्टेट ब्रिज कारपोरेशन का करीब-करीब २ साल का लेखा जोखा पेश नहीं हुआ है यहां पर नहीं मालूम कि किस प्रकार से खर्चा किया जा रहा है, ये सारी रिपोर्ट्स सदन में आनी चाहिए । मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप निदेश दें कि ३० तारीख तक इस साल की भी रिपोर्ट सदन में पेश कर दें ।

श्री अध्यक्ष--

मुख्य मंत्री जी, अन्य मंत्रियों से मालूम कर लें कि इस समय क्या परिस्थिति है । अगर रिपोर्ट्स छप गयी हैं तो उन्हें उनको सदन के टेबल पर रख देना चाहिए ।

---

†छापी नहीं गयीं ।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

मैं नियमावली के पृष्ठ ७८ के नियम २८६ (७) की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें लिखा हुआ है कि जब मंत्रिगण बोलेंगे तो सामान्यतः अपने ही स्थान पर बोलेंगें । इस समय मंत्री लोग जो बोल रहे हैं अपने स्थान से न बोलकर दूसरी जगह से बोल रहे हैं । अतः आप कृपया आदेश दें कि मंत्रिगण जब सदन को सम्बोधित करें तो जहां पर उनके लिए निश्चित स्थान हैं, वहां से सम्बोधित किया करें ।

श्री अध्यक्ष—

आपने ध्यान आकर्षित कर दिया, ठीक है । लेकिन ऐसे प्रश्न पर कभी भी गनेशी लाल जी भी आंखें बन्द कर लेते हैं जब कभी-कभी सदस्य भी आकर अपदस्थ कर देते हैं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मेरी प्रार्थना है कि माननीय मंत्री जी अपने मुंह से बोलें, दूसरों के मुंह से नहीं ।

श्री अध्यक्ष—

एक मंत्री दूसरे मंत्री को कह देते हैं जिस प्रकार से एक वकील दूसरे को अपना ब्रीफ दे देते हैं ।

वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-२ की विज्ञप्ति

गृह मंत्री (श्री राम सिंह)—

मान्यवर, वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-२ की दिनांक २३ नवम्बर, १९७८ के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या एस० टी० २-९३७७/दस-६ (२७)-७७-उ० प्र० अधि०-१५-४८ आदेश ७८ दिनांक २३ नवम्बर, १९७८ को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ की धारा ३-घ की उपधारा (८) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

कतिपय सदस्यों की गिरफ्तारी तथा रिहाई की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

जो गिरफ्तारी के संदेश मिले हैं, उनके बारे में मैं आपको सूचित कर दूं ।

विधान सभा के गत उपवेशन के उपरान्त विधान सभा के निम्न माननीय सदस्यों के बन्दीकरण, जेल भेजे जाने तथा रिहाई आदि की सूचनायें सम्बन्धित अधिकारियों से प्राप्त हुई हैं, जिससे सम्बन्धित विवरण बुलेटिन संख्या ३० द्वारा माननीय सदस्यों को वितरित किया जा रहा है जिसके अनुसार १—श्री प्रताप सिंह 'पुष्पवान' (चमोली), २—श्री नारायण दत्त तिवारी (नैनीताल), ३—श्री मंजूर अहमद (मेरठ), ४—श्री यशपाल सिंह (सहारनपुर), ५—श्री राम देव यादव (रायबरेली) ६—श्री अरुण कुमार सिंह (जौनपुर), ७—श्री आरिफ मोहम्मद खां (बुलन्दशहर), ८—श्री ब्रजवल्लभ (बदायूं), ९—श्री कमला प्रसाद सिंह (जौनपुर), १०—श्री राजकिशोर तिवारी (जौनपुर), ११—श्री रामदुलारे (रायबरेली), १२—श्री मोहन

छापी नहीं गयी ।

लाल त्रिपाठी (रायबरेली), १३--श्रीमती सुनीता चौहान (रायबरेली), १४--श्री सुरेन्द्र कुमार कालरा (सिंधु) (आगरा), १५--श्री छेदीलाल (गोंडा), १६--श्री बच्चा पाठक (बलिया), १७--श्री राम रतन सिंह (सीतापुर), १८--श्री दुर्गविजय सिंह (आजमगढ़) १९--श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (लखनऊ), २०--श्री रामेश्वर नाथ चौबे (बरेली), २१--डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल (आगरा), २२--श्री मंगलदेव (गोंडा), २३--मन्नू लाल द्विवेदी (रायबरेली), २४--श्री पुरुषोत्तम दास (मिर्जापुर), २५--श्री धर्मगज सिंह (हरदोई), २६ श्री-राम शिरोमणि दुबे (जौनपुर), २७--श्री गुलाब सेहरा (आगरा), २८--श्री मोहन सिंह (रायबरेली), २९--श्री चेतराम गंगवार (बरेली), ३०--श्री मथुरा प्रसाद-पांडेय (बस्ती), ३१- श्री मोहनलाल (हमीरपुर), ३२--श्री मन्नी लाल (हरदोई), ३३--श्री मंजूर अली खां (रामपुर), ३४--श्री रणजीत सिंह 'जूदेव, (झांसी)। गिरफ्तार किये गये हैं और इनमें से :--सर्वश्री रामरतन सिंह (सीतापुर), (२) डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल (आगरा) (३) श्री गुलाब सेहरा (आगरा), (४) श्री सुरेन्द्र कुमार कालरा (सिंधु) (आगरा) रिहा हो गये हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)--

मेरा निवेदन है कि इस समय विरोधी दल के जितने भी माननीय सदस्य हैं वे सभी जेल में हैं, बरेली जेल में लाठी चार्ज भी हुआ है...

श्री अध्यक्ष--

आप धैर्य रखिये, इसके बाद जब वह आइटम आय, उस बारे में भी मेरे पास सूचनायें आयी हैं, तब आप बोलें।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

श्री मकबूल अहमद, रामपुर के भी कल गिरफ्तार हो गये हैं, उसकी सूचना नहीं आयी है, क्या ?

श्री अध्यक्ष---

जिनकी सूचना आयी थी वह मने दे दी। अब रियासत साहब, अगर मैजिस्ट्रेट का काम भी आप करने लगेंगे तो आपका काम बहुत बढ़ जायेगा।

(हंसी)

चीनी मिल, रामकोला, देवरिया के प्रशासक श्री राजनाथ के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना

श्री अध्यक्ष--

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा ने चीनी मिल, रामकोला, देवरिया के प्रशासक श्री राजनाथ के विरुद्ध सदन के अवमान के प्रश्न को उठाने की सूचना दी है।

माननीय सदस्य की शिकायत है कि माननीय गन्ना विकास उप मंत्री श्री तेज सिंह जब उक्त चीनी मिल को देखने गये तो उक्त प्रशासक ने उनके साथ अभद्र एवं अशोभनीय व्यवहार किया। माननीय सदस्य ने सूचना में कहा है कि इस घटना के साक्षी माननीय मंत्री जी के साथ गये अधिकारी हैं। उन्होंने अपनी सूचना में यह नहीं कहा है कि वे इस घटना के प्रत्यक्ष दर्शी हैं। अतः उनके द्वारा दी गयी

[श्री अध्यक्ष---]

सूचना सुनी हुई बात पर आधारित प्रतीत होती है । वैसे भी यह घटना उस समय की बतायी गयी है जब माननीय गन्ना विकास उप मंत्री जी देवरिया जिले के शासकीय दौरे पर गये थे और शासन स्वयं प्रशासक के विरुद्ध, इस सम्बन्ध में यदि आवश्यक समझे तो कार्यवाही कर सकता है ।

इस घटना का कोई सम्बन्ध माननीय श्री तेज सिंह द्वारा विधान सभा के सदस्य की हैसियत से किये जाने वाले किसी कृत्य से नहीं था, अतः इस मामले में विशेषाधिकार की अवहेलना या सदन के अवमान का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है ।

देवरिया और बैतालपुर की शुगर मिल चालू न होने से गन्ना किसानों में संकट के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---

अब श्री हरि केवल व कृष्णा राय जी ने जो प्रश्न उठाया था उसके बारे में मैं माननीय गन्ना विकास मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वे क्या वक्तव्य देना चाहते हैं ?

श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया)---

मान्यवर, वक्तव्य से पेट भरने वाला नहीं है ।

(गन्ना विकास मंत्री को पुकारे जाने पर)

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)---

मान्यवर, गन्ना विकास मंत्री जी को बुला रहे हैं, मेरी बात तो पहले सुन ले।

श्री अध्यक्ष---

वहां पर दो फक्टरियों में गन्ना पड़ा है इसके बारे में मैंने कहा है ।

श्री देव बहादुर सिंह---

विशेषाधिकार का नहीं है ?

श्री अध्यक्ष---

विशेषाधिकार का मैंने समाप्त किया ।

*गन्ना विकास मंत्री (श्री शिव मंगल सिंह)---

मान्यवर, देवरिया और बैतालपुर की जो मिलें हैं, इन दोनों मिलों के मिल मालिकों ने शासन को ऐसी सूचना दी थी कि वह १८ दिसम्बर से मिलों में पेराई का कार्य प्रारम्भ कर देंगे । १६ तारीख को अकारण और अचानक उन्होंने ऐसी सूचना भेज दी कि हम इन मिलों को चलाने में असमर्थ हैं । जैसे ही मुझे इसकी सूचना मिली, मैंने तुरन्त ही केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में सूचित कर दिया । केन्द्रीय सरकार इस विषय में विचार कर रही है कि उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाय । मैं ऐसा विश्वास करता हूं और आपको मैं आशा दिलाता हूं कि शीघ्र ही इस सम्बन्ध

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

में उचित कार्यवाही की जायगी। अब बहुत ज्यादा इस बात के ऊपर जोर दिया गया है कि गन्ने की पेराई न होने के कारण वहां के किसानों में बड़ा असन्तोष है, चिन्ता बनी हुई है, इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि १६ तारीख को जिस दिन यह सूचना मुझे प्राप्त हुई, उसी दिन मैंने अपने अधिकारियों को निर्देश दे दिया कि देवरिया और बतालपुर में जो भी मिलें हैं, पडरौना, सरदारनगर, प्रतापपुर, रामकोला वगैरह इन मिलों के ऊपर जो इन्डेंट हो चुके हैं, उनके ऊपर तुरन्त डायवर्ट हो जायं, ताकि पेराई हो जाय। तो यह व्यवस्था उतने समय तक के लिए है जब तक इस मिल के बारे में निर्णय नहीं हो जाता है। ऐसी व्यवस्था में मैं समझता हूं कि किसी भी माननीय सदस्य को इसके ऊपर कोई चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है और मैं इतना आपसे कहना चाहूंगा कि कभी-कभी चिन्ता हम लोगों के वक्तव्य से भी बन जाती है। मैंने माननीय सदस्य से स्वयं भी कह दिया था कि आप लोग बिल्कुल चिन्ता न करें, क्षेत्र में सभी किसानों से कह दें। जब गन्ने की पेराई होती है, तब चिन्ता की बात होती ही है।

(व्यवधान)

श्री कृष्णा राय—

अरे क्या यह वक्तव्य आप दे रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

किसानों का तमाम गन्ना पड़ा हुआ है। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)—

किसानों का गन्ना पड़ा हुआ है। (व्यवधान)

मंत्री जी क्या बोल रहे हैं, तमाम गन्ना पड़ा हुआ है (व्यवधान)

श्री राम नरेश पान्डेय (जिला देवरिया)—

माननीय, व्यवस्था का प्रश्न है। देवरिया में ७ हजार काश्तकारों का गन्ना पड़ा हुआ है, आप कहते हैं कि चिन्ता नहीं है। (व्यवधान)

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

यह मंत्री जो क्या कह रहे हैं ?.....(व्यवधान)

श्री हरिकेवल प्रसाद—

किसानों का तमाम गन्ना पड़ा है। (व्यवधान)

श्री कृष्णा राय—

माननीय, यह क्या वक्तव्य दे रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठ जायं

श्री राम नरेश पाण्डेय—

माननीय, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

पहले आप आहिस्ता बोलिए। मैंने नियम ३०१ में सूचना स्वीकार की । माननीय हरिकेवल जी को बड़ी चिन्ता थी उन्होंने अपनी बात कह दी। गन्ना विकास मंत्री ने जो कदम उठाए हैं, वक्तव्य भी दे दिया । अगर इस प्रकार से प्रश्न करेंगे तो कोई कार्यक्रम पूरा नहीं होगा । मैं सलाह दूंगा कि कृपया इस प्रश्न पर मंत्री जी से जाकर विस्तार से बातचीत करिए ताकि कोई मदद हो सके । इस प्रश्न पर मैं अब अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री राम नरेश पाण्डेय—

आपकी आज्ञा शिरोधार्य है लेकिन मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि मंत्री जी ने जो कहा यह सदन का अपमान है । देवरिया के ७ हजार काश्तकारों की जिन्दगी खतरे में है ।

(शोर)

श्री कृष्णा राय—

मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से कह रहा हूं कि एक सरकारी आदमी को भेजकर देवरिया मिल को चलायें नहीं तो गन्ना विकास मंत्री को बर्खास्त कर दें ।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए ।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

बभनान चीनी मिल बन्द है । नोटिस लगा दिया है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मंत्री जी पूरी जानकारी करके मिल को चालू कराइये । किसानों की हालत बड़ी चिन्ताजनक हो गयी है ।

श्री ऊबल (जिला वाराणसी)—

माननीय, मैं आपके माध्यम से इस तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । आपने माननीय गन्ना विकास मंत्री को एक बयान देने के लिए बुलाया । उनका बयान अधूरा है । हम लोग जानना चाहते हैं कि इन दोनों मिलों के बारे में क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष—

इस वक्त प्रश्न सीमित है ।

श्री ऊबल—

बयान तो अभी पूरा नहीं हुआ है । उसको पूरा करवा दें ।

श्री शिव मंगल सिंह---

मान्यवर, ऐसी व्यवस्था तो होनी चाहिए कि माननीय सदस्यों को जब हम सुनते हैं तो जब हम प्रश्नों का उत्तर दें तो सुनने का धैर्य तो रखें ।

श्री कृष्णा राय--

लोग भूखों मर रहे हैं, गन्ना खड़ा है । (शोर)

श्री अध्यक्ष---

माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कोई संस्कृति, कोई सभ्यता कोई नियम का पालन आपके दल के सदस्यों द्वारा होना चाहिए। आप यहां बैठे हुए हैं। जिस तरीके से पब्लिक में, इलेक्शन में, कोई सभा होती है, सब लोग बोलने लगे । कृष्णा राय जी का एक प्रश्न हो गया, क्या इस तरह से सदन चलेगा ?

श्री हरिकेवल प्रसाद---

यह सदन प्रदेश की जनता के दुख दर्द का आइना है । ४० हजार किसानों की जिन्दगी का सवाल है । उनका गन्ना कहां जातगा ? मंत्री जी ने कहा है कि रामकोला में जायगा और सरदार नगर में जायगा । ५० किलोमीटर, १०० किलो मीटर दूर यह गन्ना कौन भेजेगा ? यह कोई तरीका नहीं है । मजदूरों ने लिख कर दिया उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुयी ।

श्री अध्यक्ष---

आप बैठिए ।

श्री हरि केवल प्रसाद--

मुख्य मंत्री जी घोषणा करें कि मिल चलायेंगे ।

श्री अध्यक्ष---

आप बैठिए ।

मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)---

मान्यवर, हमारे सभी सम्मानित सदस्य, बहुत जागरूक हैं । इसलिए इस समय जो चिन्ता का विषय बना हुआ है उसे लेकर ही अपनी भावनाओं को वह व्यक्त कर रहे हैं । मैं उनसे निवेदन नहीं करूंगा कि गन्ना विकास मंत्री की बात आप सुन लें और उसके बाद आपको जो शंका उत्पन्न होती है उसके बारे में कुछ स्पष्टीकरण ले लेंगे, लेकिन आप सुनने का मौका दें ।

(डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' जी के खड़े होने पर) ।

श्री अध्यक्ष---

राकेश जी, मैं कहना चाहता हूं कि आप उनका वक्तव्य सुन लें, यदि आप संतुष्ट न हों तो मैं गन्ना विमास मंत्री को अपने कक्ष में बुला लूंगा और आप भी आ जायं । वहां कुछ हल रख दें ताकि समस्या का कोई हल निकल सके ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

मान्यवर, यदि आप अपने कक्ष में बुलाकर बात कर लेंगे तो हम उस जानकारी से वंचित रह जायेंगे। इसलिए सदन में जानकारी होनी चाहिए। जो बात सदन में आ चुकी है, वह यहां आना चाहिए। गन्ना की समस्या सभी लोगों के सामने है।

श्री अध्यक्ष--

इस समय केवल देवरिया का प्रश्न है।

श्री शिवमंगल सिंह--

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि मिलों के अधिग्रहण करने का अधिकार केन्द्र सरकार को है। मैं समझता हूं कि इससे सभी सम्मानित सदस्य अवगत होंगे। इस सम्बन्ध में मैंने निवेदन कर दिया कि जैसे ही सूचना मिल बन्द करने की मिली, मैंने तुरन्त ही इसकी सूचना दे दिया है और इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हो रही है।

दूसरी बात, किसानो का जो गन्ना नहीं पेरा जायेगा कहा जा रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की है कि गन्ना पेरा जायगा। यह आश्वासन दे दिया है। देवरिया और बलिया जिले की ही बात नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बलिया और देवरिया मिला हुआ जिला है, दोनों की दूरी सब को मालूम है। मैंने अपने अधिकारियों से कह दिया है कि कम से कम दूरी पर जो चीनी मिलें उपलब्ध होंगी उनमें व्यवहारिक रूप में जो पेराई हो सकती है वह की जाय। जहां तक पता चला है वह बहुत दूरी की बात नहीं है और इसमें कोई चिन्ता का विषय नहीं है। प्रदेश में गन्ने की पेराई के लिए कोई चिन्ता का विषय नहीं है। इसलिए शासन के ऊपर इसमें कोई बात नहीं आती है।

प्राइवेट मिल वाले हैं और अचानक वह मिल बन्द कर सकते हैं, लेकिन उसका मुकाबला हम करते हैं। बन्द हो गयीं तो उस पर कार्यवाही करेंगे। मैं इस बात की कोशिश कर रहा हूं कि कम से कम दूरी पर किसानों को गन्ना लेकर जाना पड़े। इसलिए इतना आश्वासन दे सकता हूं कि केन्द्र से जब तक उन मिलों के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं आता है, तब तक पेराई की व्यवस्था मैं कर चुका हूं और इसमें चिन्ता की बात नहीं है?

श्री कृष्णा राय--

मान्यवर, सरकार सूचना मंगा लें कि देवरिया की मिल चल रही है कि नहीं?

श्री राम नरेश पाण्डेय--

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि डाइवरजन के आदेश देने के बावजूद कितना गन्ना मिलों को अब तक डाइवर्ट किया गया है?

श्री अध्यक्ष---

अनुपूरक प्रश्नों की अब अनुमति नहीं है।

*श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। अभी देवरिया मिल के बारे में बात हो रही थी। यह उत्तर प्रदेश सरकार के पावर में है कि माननीय मंत्री जी उसमें अपना रिसीवर नियुक्त कर सकते हैं। यह ऐसा मामला नहीं है जिसे सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ही देखे। यह बड़ा गम्भीर मामला है, किसानों का मामला है, गन्ने का मामला है और यह सारा मामला उत्तर प्रदेश सरकार का है। केन्द्र सरकार के साथ बार-बार इसको लगा करके मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश सरकार अपनी नीति से हट रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि स्वयं उत्तर प्रदेश सरकार फैसला लेकर वहां रिसीवर नियुक्त करे। ऐसे विषय को केवल केन्द्र सरकार पर नहीं टाला जा सकता।

श्री अध्यक्ष--

राम अधार राय जी ने जो प्रश्न उपस्थित किया है, वह स्वयं नियमों को जानते हैं, व्यवस्था के प्रश्न पर कोई सूचना या भाषण नहीं होता है। अब यह प्रश्न समाप्त हुआ।

श्री रियासत हुसैन, जिला मुरादाबाद--

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है....

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिए।

दिनांक ८ सितम्बर, १९७८ को श्री मंजूर अहमद तथा श्री अरुण कुमार द्वारा पूछे गए अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या ३ के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष द्वारा द्वारा मांगी गयी जानकारी के विषय में वन मंत्री का शोधन वक्तव्य

वन मंत्री (श्री श्रीचन्द्र)--

अध्यक्ष महोदय, दिनांक ८ सितम्बर, १९७८ को श्री मंजूर अहमद तथा श्री अरुण कुमार द्वारा पूछे गए अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या ३ के सम्बन्ध में माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने जानकारी चाही थी कि "आप यह बता दें कि क्या यह पहले भी भूख हड़ताल पर बैठे थे ? इसकी सूचना आपके पास है ?"

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि "मैंने पहले ही निवेदन किया कि परिवार नियोजन नियमावली २-३-७७ को खतम कर दी गई। वह पुराना मामला था। उनका यह अनशन पहली मर्तबा था जिसको हमने पहले मान लिया था।"

उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका बाद में पता चला, सही उत्तर इस प्रकार है :--

"मैंने पहले ही निवेदन किया कि परिवार नियोजन नियमावली २-३-७७ को खतम कर दी गई थी परन्तु उससे पहले ही श्री विखौदी सिंह को २९-१०-७६ से १३-२-७७ तक का अवकाश स्वीकृत करके, उनकी अनुपस्थिति को विनियमित करने के आदेश उप अरण्यपाल द्वारा दिनांक २२-२-७७ को जारी कर दिए गए थे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्रीचन्द---]

श्री दिखौदी सिंह न अवकाश वेतन स्वीकार नहीं किया और ड्यूटी पर माने जाने तथा पूरा वेतन दिए जाने की मांग करते रहे। इसी मांग को लेकर श्री सिंह पहली बार, दिनांक २२ जून, १९७८ की सायंकाल से अनशन पर बैठे। उप अरण्यपाल ने श्री सिंह को आश्वासन दिया कि मामले में उच्चाधिकारियों के आदेश प्राप्त कर तदनुसार कार्यवाही की जायेगी और श्री सिंह ने २७ जून, १९७८ की सायंकाल को अपना अनशन समाप्त कर दिया।

उप अरण्यपाल ने अरण्यपाल, विस्तार वृत्त बरेली को सन्दर्भ किया और उन्होंने दिनांक १० अगस्त, १९७८ को उप अरण्यपाल को आदेश दिया कि पुनः जांच करके उचित कार्यवाही की जाए। तदनुसार उप अरण्यपाल ने दिनांक २४ अगस्त, १९७८ को श्री दिखौदी सिंह को २९-१०-७६ से १३-२-७७ तक ड्यूटी पर माने जाने और पूरा वेतन दिए जाने के आदेश पारित किए।

इस बीच श्री दिखौदी सिंह ने पुनः दिनांक २२ अगस्त, १९७८ की सायंकाल से, दूसरी बार अनशन आरम्भ कर दिया था जो जैसा मैं उत्तर में कह चुका हूं दिनांक २४ अगस्त, १९७८ को समाप्त कर दिया गया।"

मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है।

(मूल प्रश्न तथा उसके उत्तर के लिए देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ११४६ पर)।

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)---

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह प्रश्न माननीय मंजूर अहमद तथा माननीय अरुण कुमार जी का था और अल्पसूचित तारांकित प्रश्न था। इसकी स्वीकृति दी गई थी। इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी संशोधन वक्तव्य देने आए हैं। अब माननीय मंजूर अहमद और अरुण कुमार जी आज अनुपस्थित हैं और उनको सूचना नहीं दी जा सकती है। हमारा अनुमान यह है कि उनको सूचना नहीं दी जा सकेगी क्योंकि वे जेल में है। यह उनका अधिकार है कि अगर उपस्थित होते तो वे इस सम्बन्ध में प्रश्न करते। इसलिए व्यवस्था का प्रश्न उठता है कि इस प्रश्न को जब वे उपस्थित रहें तब लेने के आदेश दें या आप अधिकार दें उपस्थित होने का और तब इस प्रश्न को लेने का।

श्री अध्यक्ष---

मंत्रियों को वक्तव्य देने का अधिकार है और यह उनका शोधन वक्तव्य है। यह श्री अरुण कुमार और मंजूर अहमद का प्रश्न नहीं है। स्वयं उपाध्यक्ष जी ने इस पर एक जानकारी चाही थी, यह लिखा है। श्री उपाध्यक्ष जी के जानकारी मांगने पर वन मंत्री जी का वक्तव्य है। तो वह आ गया। तो शोधन वक्तव्य के लिए यह आवश्यक नहीं। वैसे नियम है कि यदि कोई सदस्य उपस्थित न हो तो उस प्रश्न को न लिया जाय लेकिन केवल वक्तव्य के लिए आवश्यक नहीं। और यह मंत्री जी का संशोधन वक्तव्य है इसलिए कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं।

श्री प्रदीप कुमार यादव द्वारा दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न को आज न लिए जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री प्रदीप कुमार यादव (जिला बाराबंकी)---

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, मैंने दिनांक २२-१२-७८ को एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया था जिसके सम्बन्ध में आज सदन में कोई सूचना नहीं आयी। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि यह नियम

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

६६ में दिया हुआ है कि अगर कोई इस प्रकार का प्रश्न आता है और अगर वह स्वीकार नहीं किया जाता तो भी उसकी सूचना दी जानी चाहिए और अगर ग्राह्य किया जाता है तो सदन में स्वयं विचार करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

पहली बात तो यह है कि उन नियमों में देखेंगे कि एक उपवेशन में एक से अधिक प्रश्न नही उठाये जायेंगे। तो एक प्रश्न तो आ ही गया। अब यह अध्यक्ष का कर्त्तव्य है कि अगर चार प्रश्न आयें तो एक ही प्रश्न उठायें या एक से अधिक। लेकिन उठाने का मतलब नहीं है कि सदन में उठाया जाय बल्कि एक प्रश्न पर व्यवस्था दे सकते हैं। तो जो आपने दिया है, वह हमारे विचाराधीन है और विचार करने के बाद निर्णय दिया जायेगा। अगर आवश्यक हुआ तो लिसने दिया है, उनसे भी मालूम किया जायेगा।

मथुरा जिले के तेल शोधक कारखाने कीं बन्दी तथा हड़ताल के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्रम मंत्री (श्री रमाशंकर कौशिक)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से....

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, माननीय राधेश्याम जी नहीं हैं, क्या अब इसको लेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

वह कोई आवश्यक नहीं है।

श्री रमा शंकर कौशिक--

मान्यवर, मथुरा रिफाइनरी परियोजना का निर्माण कार्य भारत सरकार के प्रतिष्ठान "इंडियन आयल कारपोरेशन" द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में निर्माण कार्य चल रहा है जो आई० ओ० सी० कई ठेकेदारों के माध्यम से करा रही है। इन ठेकेदारों में कुछ ठेकेदार निजी स्वामित्व के हैं और कुछ भारत सरकार के प्रतिष्ठान हैं। इस समय सभी प्रकार के ठेकेदारों की संख्या मिलाकर लगभग ४५ है और इनमें कार्यरत श्रमिकों की संख्या लगभग ४,००० है।

२--जबसे इस योजना का निर्माण कार्य आरम्भ होने लगा, उसी के कुछ दिन पश्चात से ही श्रमिक समस्यायें उत्पन्न होती जा रही हैं और श्रम आन्दोलन चलते रहे हैं। ये श्रमिक समस्याये अनेक अपंजीकृत यूनियनों द्वारा उठाई गई हैं और उनका समाधान समय समय पर श्रम विभाग के हस्तक्षेप पर होता रहा है। इस समय केवल एक ही यूनियन 'मथुरा रिफाईनरी परियोजना कर्मचारी संघ, पंजीकृत है जिसका पंजीकरण मई, १९७८ में हुआ है।

३--क्षेत्रीय बेरोजगार एवं श्रमिक संघ एवं भूमि विस्थापित संघ की ओर से अन्य मांगों के साथ मुख्य मांग आई० ओ० सी० को यह दी गई है कि जिन भूमि-पतियों की भूमि योजना के अन्तर्गत ली गई है उनके बच्चों/रिश्तेदारों को परियोजना में रोजगार मिलना चाहिए न कि अन्य व्यक्तियों को। उक्त मांग को लेकर उक्त संघ के व्यक्तियों के नेतृत्व में दिनांक २०-१०-७८ से

[श्री रमा शंकर कौशिक—]

२३–१०–७८ तक भूख हड़ताल व आन्दोलन किया गया । इन दिनों में श्रमिक कार्य पर नहीं आये । दिनांक २३–१०–७८ को प्रबन्धक व स्थानीय भूमि विस्थापित लोगों का समझौता हो गया । दिनांक २४–१०–७८ से रिफाइनरी में कार्य आरम्भ हो गया । श्रमिकों द्वारा २०–१०–७८ से २३–१०–७८ तक के वेतन की मांग उठाई गई । इस पर सेवायोजकों का कहना था कि जब श्रमिकों ने कार्य ही नहीं किया है तो वेतन देने का प्रश्न नहीं उठता है । उनका स्पष्ट कहना था कि जब श्रमिकों ने कार्य नहीं किया है तब "नो वर्क नो पे" के सिद्धान्त के अनुसार श्रमिकों को वेतन नहीं दिया जायगा । इस तथ्य के उत्तर में श्रमिक पक्ष का कहना था कि श्रमिक इन दिनों कार्य पर जाने के इच्छुक थे, परन्तु गेट पर पिकेटिंग हो रही थी और बेरोजगार एवं विस्थापित लोगो ने श्रमिकों का कार्य पर जाने नहीं दिया । इस समस्या को सुलझाने का प्रयास श्रम विभाग द्वारा काफी किया गया परन्तु दोनों पक्ष अपनी बातों पर अडिग थे, इसलिए कोई सफलता नहीं मिल पाई ।

४––"रिफाइनरी मजदूर यूनियन" ने जो पंजीकृत नहीं है, दोबारा एक १४ सूत्रीय मांग–पत्र भी दिया गया था । उस पर भी वार्ता हुई, परन्तु दोनों पक्षों के अपने–अपने मत पर दृढ़ रहने के कारण मांगों पर कोई समाधान नहीं निकल सका । दिनांक ३०–१०–७८ से मेसर्स सतनाम कन्सट्रक्शन कं० में "गो स्लो" चलने लगा । इस संस्थान के सेवायोजकों ने कार्य न होने के आधार पर दिनांक १७–११–७८ से कुल २७१ श्रमिकों की छंटनी कर दी । इस कारण से भी श्रमिकों के असन्तोष में वृद्धि हो गई और २४ नवम्बर, १९७८ से ठेकेदारों के सभी श्रमिक पूर्ण हड़ताल पर चले गये थे ।

५––श्रम विभाग और जिलाधिकारी, मथुरा ने इस समस्या को सुलझाने हेतु भरसक प्रयास किये, किन्तु कोई समझौता न हो सका । शान्ति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक २८ नवम्बर, १९७८ को परगना मजिस्ट्रेट, सदर, मथुरा द्वारा धारा १४४ दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा रिफाइनरी में काम करने वाले श्रमिकों को बलपूर्वक रोकने व गेट पर एकत्रित होकर नारेबाजी आदि पर प्रतिबंध लगाया गया था । श्रमिकों को शांतिपूर्ण ढंग से कानून का उल्लंघन न करने एवं शांति व्यवस्था को बनाये रखने के लिए भली प्रकार समझाया गया । दिनांक ३० नवम्बर, १९७८ को श्रमिकों के नेता श्री श्याम सुन्दर शर्मा व अन्य ने धारा १४४ दंड प्रक्रिया संहिता की निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया जिसके फलस्वरूप ३२९ श्रमिक धारा १८८ भा० दंड विधान के अन्तर्गत गिरफ्तार करके जेल भेजे गये । दिनांक २ दिसम्बर, १९७८ को श्रमिकों ने रिफाइनरी गेट के समक्ष भारी संख्या में एकत्रित होकर अवैधानिक कार्य किये तथा सीनियर प्रोजेक्ट आफीसर श्री पी० आर० सुब्रमणियम व अधिशासी अभियंता श्री एम० एच० सुन्दरेशन के द्वारा लिखित रिपोर्ट देने पर क्रमशः मुकदमा अपराध संख्या २०० धारा ३९५ भा० दं० वि० व मुकदमा अपराध संख्या २०१ धारा १४७/३२३/३३६ भा० दं० वि० कुछ श्रमिकों के विरुद्ध कायम किये गये । जब इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया गया तो कुछ श्रमिकों ने ईंट पत्थर फेंकते हुए धारा १४४ दंड प्रक्रिया संहिता की निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया जिसके इस सम्बन्ध में २२ व्यक्तियों को विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत गिरफ्तार करके जेल भेजा गया ।

६––दिनांक ३ दिसम्बर, १९७८ को भी आवश्यक सुरक्षा व शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु रिफाइनरी के सामने आगरा दिल्ली राष्ट्रीय मार्ग व रिफाइनरी के आस पास के क्षेत्रों में पुलिस द्वारा गश्त की व्यवस्था रखी गई परन्तु कोई भी गिरफ्तारी

नहीं की गयी। उपरोक्त के अतिरिक्त रिफाइनरी में कोई अन्य श्रमिकों के गिरफ्तारी दिनांक २ दिसम्बर, १९७८ के बाद नहीं की गयी। हड़ताली श्रमिकों व रिफाइनरी के ठेकेदार कम्पनियों में श्रम विभाग के प्रयास के फलस्वरूप समझौता हो गया है तथा दिनांक १४ दिसम्बर, १९७८ से रिफाइनरी मथुरा का कार्य भी सामान्य रूप से प्रारम्भ हो गया है।

७--जिलाधिकारी, मथुरा ने इस बात का स्पष्ट रूप से खन्डन किया है कि ३-१२-७८ को कोई भी लाठी चार्ज कारखान के मजदूरों पर किया गया है।

बलिया जिले में राज्य सड़क परिवहन निगम की बस से हुई दुर्घटना में एक छात्र की मृत्यु तथा उससे उत्पन्न तनाव के संबंध म वक्तव्य

श्री रबीन्द्र सिंह--(जिला गोरखपुर)--

आइटम १२ के विषय में मेरा औचित्य का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

मैं इस पर अनुमति नहीं दूंगा। आप इसको बाद में रखिये। आप अतिक्रमण कर रहे हैं ३०१ में। इसका मतलब यह है कि मैं निर्देश देना बंद करदूं।

श्री रबीन्द्र सिंह--

मान्यवर, आइटम १२ के संदर्भ में मैंने १३ तारीख को सूचना दिया। आप अगर १३ तारीख की कार्यवाही देखेंगे तो आपने स्पष्ट निर्देश दिया था कि माननीय गृह मंत्री जी को परसों तक इस पर वक्तव्य दे देना है। १४ तारीख को मैंने आपका ध्यान आकृष्ट किया था और आपने निर्देश दिया कि आज और कल में इस पर वक्तव्य हो जाना चाहिए। १४ तारीख की कार्यवाही मेरे पास है। १५ तारीख तक हर हालत में वक्तव्य देने का निर्देश आपने दिया है। घटना की तात्कालिकता इतनी है कि बलिया में उस तनाव को देखते हुए जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय चन्द्र शेखर जी, जिनका वह निर्वाचन क्षेत्र है, वे स्वयं दिल्ली से बलिया आए और उन्होंने हस्तक्षेप किया और उनके हस्तक्षेप के फलस्वरूप बलिया में जो तनाव था वह समाप्त हुआ। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि जहां आपने निर्देशों की अवज्ञा करने पर आप हमारे जैसे सदस्यों को सदन से बहिष्कृत निष्कासित करवा देते हैं, मंत्रि-परिषद के सम्मानित सदस्यों को भी चाहिए कि वे आपके निर्देशों की अवज्ञा न करें और अपनी मर्जी के मुताबिक सूचना देने का कष्ट न करें। आप व्यवस्था करें कि भविष्य में मंत्रि-परिषद के सदस्य आपके निर्देशों का पालन करें।

श्री अध्यक्ष--

जो प्रश्न श्री रबीन्द्र सिंह ने उठाया है, मैंने १४ तारीख को निर्देश दिया था और १५ को सदन बन्द हो गया। मैंने अपने निर्देश में कहा था कि इस सम्बन्ध में दो-एक दिन में वक्तव्य दे दें। इसका मतलब यह है कि सिर्फ १५ को सदन हुआ है उसके बाद आज २६ को पहली बार हो रहा है। तो इसमें कोई औचित्य का प्रश्न नहीं है कि गृह मंत्री जी ने देरी की है। दो ही दिन तो हुए १५ और उसके बाद आज २६, तो उन्होंने निर्देशों का पालन किया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*गृह मंत्री (श्री राम सिंह)--

दिनांक ६ दिसम्बर, १९७८ को अपरान्ह लगभग १२-३० बजे स्थानीय टाउन इन्टर कालेज का एक छात्र श्री राम प्रताप सिंह जो अपने एक साथी छात्र के साथ साइकिल पर जा रहा था, रेलवे क्रासिंग के निकट रोडवेज की एक बस संख्या--यू० पी० एफ०--५९४४ से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। श्री राम प्रताप सिंह को घायल अवस्था म सनर अस्पताल, बलिया में उपचार हेतु दाखिल किया गया। लेकिन गम्भीर चोटों के कारण उक्त छात्र बच नहीं सका और अस्पताल में ही उसकी मृत्यु हो गयी। उक्त घटना के सम्बन्ध में स्थानीय कोतवाली में अपराध संख्या--४७१ के अन्तर्गत धारा २७९/३३७/३०४(ए) भा० दं० वि० कायम किया गया और उपरोक्त बस का ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया। घटना के दिन समुचित प्रशासनिक व्यवस्था की वजह से छात्रों की ओर से कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। इस घटना को लेकर स्थानीय छात्रों न ९ दिसम्बर, १९७८ को कस्बे की दुकानों को बन्द करा दिया तथा बस स्टेशन के समक्ष उपस्थित होकर पथराव किया जिसमें कुछ पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों तथा कुछ छात्रों को भी चोटें आई। छात्रों पर लाठी चार्ज नहीं हुआ। छात्रों के जुलूस ने बाद में आगे जाकर एक प्राइवेट बस पर गम्भीर रूप से पथराव किया। तनावपूर्ण स्थिति होने के कारण ९ दिसम्बर, १९७८ को पुलिस को सक्रिय गश्त होती रही।

दिनांक १० दिसम्बर, १९७८ को सायंकाल छात्र नेताओं द्वारा धारा १४४ द० प्र० सं० के आदेश का उल्लंघन करके विशाल जुलूस निकाला गया। इसी तिथि को एक पुलिस की बड़ी गाड़ी में कुछ छात्रों ने आग लगा दी। इस घटना में भी दो छात्र धारा १४७/३३२/४३५ भा० दं० वि० के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये। इस तनावपूर्ण स्थिति के कारण शान्ति व्यवस्था के दृष्टिकोण से पुलिस रिपोर्ट पर सभी विद्यालयों को ११ दिसम्बर, १९७८ से १७ दिसम्बर, १९७८ तक के लिए बन्द करने का आदेश दिया गया। अनिश्चित काल के लिए कोई विद्यालय बन्द नहीं किया गया। ९ दिसम्बर, १९७८ को छात्रों की गतिविधियों के कारण रोडवेज की बसों का चलना सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से बन्द कर दिया गया था। दिनांक १२ व १३ दिसम्बर, १९७८ को कुछ ही बसें चल पायीं लेकिन रास्ते में यहीं-वहीं छात्रों द्वारा पथराव आदि करने के कारण बसों का चलना १३ दिसम्बर, १९७८ को अपरान्ह से पुनः बन्द हो गया। १४ दिसम्बर, १९७८ को भी कोई बस नहीं चल सकी। छात्र प्रतिनिधियों से वार्ता करके समस्या को सुलझाने का पूर्ण प्रयास चलता रहा जिसके फलस्वरूप छात्रों ने दिनांक १५ दिसम्बर, १९७८ को अपना अनशन समाप्त कर दिया। सभी गिरफ्तार छात्रों को १५ दिसम्बर, १९७८ को ही जमानत पर जेल से छोड़ दिया गया। १५ दिसम्बर, १९७८ के अपरान्ह से सभी रोडवेज बसें नियमित रूप से चल रही हैं। इस घटना के सम्बन्ध में दिनांक १४ दिसम्बर, ९९७८ को मजिस्टीरियल जांच के आदेश दे दिये गये हैं। १५ दिसम्बर, १९७८ को ही सभी शैक्षणिक संस्थाएं खुल गयी हैं और स्थिति सामान्य है।

उत्तर प्रदेश आबकारी (तृतीय संशोधन) विधेयक १९७८†

आबकारी मंत्री (श्री रमाशंकर कौशिक)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश आबकारी (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९७८ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

---

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†दिनांक २७ दिसम्बर, १९७८ के असाधारण गजट के विधायी प्रशिष्टि में छपा है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आबकारी (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९७८ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री रमाशंकर कौशिक--

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश आबकारी (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९७८ को पुरःस्थापित करता हूं ।

भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के लोक सभा से निष्कासन तथा कारावासित किये जाने के विरोध में सत्याग्रहियों को जेल में सुविधाएं न मिलने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--

आज श्री देव बहादुर तथा श्री श्याम धर मिश्र ने नियम ५६ के अन्तर्गत एक कामरोको प्रस्ताव दिया है जिसका विषय दिनांक १९ दिसम्बर, १९७८ को भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के लोकसभा से निष्कासन तथा कारावास के विरोध में लोगों का जेल जाना है, और उसके बाद सर्वश्री राजेन्द्र कुमार गुप्त रवीन्द्र सिंह, शतरुद्र प्रकाश, मोतीराम देहलवी, जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, सत्य प्रकाश मालवीय तथा सोहनवीर सिंह तोमर का एक कामरोको प्रस्ताव "२० दिसम्बर को कलकत्ता, लखनऊ, दिल्ली की ४१० नम्बर की सेवा में बोइंग विमान का अपहरण" के सम्बन्ध में है ।

(कई सदस्यों के खड़े होने तथा बोलने पर)

आप लोगों को अवसर मिलेगा । पहले सुन लें । पहला कामरोको प्रस्ताव श्री देव बहादुर सिंह का है । आप नियम देखें । उसमें लिखा है कि एक उपवेशन में एक ही विषय उठाया जा सकता है और एक कामरोको प्रस्ताव में एक से अधिक विषय नहीं उठाये जा सकते । लेकिन आपने इसमें दो विषय उठाये हैं ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

पहले सुन लें तब निर्णय दें ।

श्री अध्यक्ष--

अभी निर्णय नहीं दे रहा हूं । उसमें आपने कहा है श्रीमती इन्दिरा गांधी के निष्कासन के विरोध में गिरफ्तारियां की गयी हैं । ठीक सुविधा नहीं है, जेलों में और आपने उसमें बोइंग विमान के हायजेकिंग के बारे में भी...

श्री श्याम धर मिश्र--

यह इसलिये है कि मैंने दोनों को नोटिस दिया है ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । एक कामरोको प्रस्ताव मैंने दिया है और एक उधर के है । उधर से जो कामरोको प्रस्ताव है उस पर मेरी वैधानिक आपत्ति है । आपने जैसा पढ़ कर सुनाया उसमें लिखा है श्रीमती इन्दिरा गांधी का लोकसभा से निष्कासन । यह कार्यवाही दूसरे सदन में हुई है, उसकी चर्चा यहां नहीं हो सकती । इस सम्बन्ध में अध्यक्ष पीठ के दिये गये निर्णयों का जो संकलन है उसमें से पृष्ठ ३४१ पर १२ सितम्बर, ५८ को एक बार यही प्रश्न उठाया गया था श्री जगन्नाथ लहरी द्वारा विधान परिषद् के बारे में और माननीय अध्यक्ष ने निर्णय देते हुए स्पष्ट कहा है चूंकि दोनों सदन पूर्ण स्वतंत्र हैं और मेज पालियामेन्टरी प्रैक्टिस से पढ़ कर भी सुना दिया कि हर एक सदन अपनी-अपनी कार्यवाही के लिये पूर्ण स्वतंत्र है, लिहाजा लोक सभा की विशेषाधिकार समिति ने श्रीमती इन्दिरा गांधी को दोषी पाकर उस आदरणीय सदन ने उनको जेल भेजने की कार्यवाही की और प्रस्ताव किया तो उसके सम्बन्ध में यहां चर्चा नहीं की जा सकती ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीसाल)--

मैंने जो प्रश्न उठाया है उसमें उन्होंने कहा है कि १९-१२-७८ को भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को लोक सभा से निष्कासन तथा जेल भेजने का प्रस्ताव किया । हजारों लोग लगभग ४० हजार लोग जेल गये हैं । जेल जाने का क्रम जारी है । जो सत्याग्रही अथवा अन्य लोग हैं वे सभी राजनैतिक बन्धी हैं । लेकिन उनके साथ राजनैतिक बन्दी जैसा व्यवहार नहीं किया जा रहा है । यह जो व्यवस्था का प्रश्न है वह इसमें उत्पन्न नहीं होता है । इसमें कोई लोक सभा की कार्यवाही की निन्दा नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

कामरोको प्रस्तावों में यह है कि एक निश्चित हाल की घटना हो । हाल की घटना यह है । उन्होंने यह कहा है कि श्रीमती गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में इतने लोग जेल गये । फिर उनका कहना है कि जेल में दुर्व्यवहार हुआ । जहां तक इसकी ग्राह्यता का सवाल है अभी मैं उस पर निर्णय नहीं दे रहा हूं ।

श्री देवबहादुर सिंह--

मान्यवर, आपने यह अच्छी व्यवस्था दी क्योंकि श्रीमती इन्दिरा गांधी के निष्कासन और उनको जेल भेजने के फलस्वरूप प्रदेश में ४० हजार से अधिक लोग गिरफ्तारी दे चुके हैं और इस सदन में माननीय मुख्य मंत्री जो कई बार कह चुके हैं कि इनके शासन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रहेगी और शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर रोक नहीं लगेगी । मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि आखिर १४४ क्यों लगाई और लोगों को जेल में बंद क्यों किया गया और स्थिति यह हो गई है कि जेलों में जगह नहीं है, उनको पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं है बिछाने को नहीं है और कम्बल नहीं है, खाने की व्यवस्था ठीक नहीं है । जेलों में लाठीचार्ज हो रहा है । सबसे पहले नैनी जेल में २१ तारीख को लाठी चार्ज हुआ जिसमें ७० आदमी घायल हो गये, सहारनपुर में शर्मनाक काम जेल में हुआ है मैं कहता हूं कि इस सरकार को इसी बात पर इस्तीफा दे देना चाहिये । सहारनपुर में २२ और २३ तारीख की रात को क्रिमिनल कैदियों ने छत तोड़ कर पिटाई की जिसमें ८ आदमियों की हड्डियां टूट गई, १३ आदमी अस्पताल में भर्ती हैं ।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

उनकी बात सुन लें । शांति रखें ।

एक सदस्य--

यह ग्राह्यता पर बोल रहे हैं या भाषण दे रहे हैं ?

श्री देवबहादुर सिंह--

मैं कितने ही उदाहरण दे सकता हूं । इसलिए यह आवश्यक है कि आप इसे स्वीकार करें । बरेली में लाठी चार्ज हुआ, आगरा में लाठी चार्ज हुआ । बनारस में जेल से जब जेल मंत्री वहां गये थे, पिटाई की गई ।

*श्री सत्यप्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय देवबहादुर सिंह जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है उसकी ग्राह्यता पर उनको बोलना चाहिये । माननीय देवबहादुर सिंह जी पुराने सदस्य हैं, जब कोई सदस्य बोल रहा हो तो उन्हें बैठ जाना चाहिये, मुझे आपने अनुमति दी है ।

श्री अध्यक्ष--

श्री मालवीय व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं इसलिए उनको सुन लें ।

श्री सत्यप्रकाश मालवीय---

जिस विषय पर आपने माननीय देवबहादुर जी को अनुमति दी है वह नियम ५६ की सूचना है । उस पर बोलते-बोलते वह सहारनपुर, बनारस और आगरा आदि जेलों का जिक्र कर रहे हैं । मैं आपका ध्यान नियमों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । नियम ५६ में दिया हुआ है कि जिस दिन कार्यस्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करना हो उस दिन का उपवेशन आरंभ होने के कम से कम एक घंटा पूर्व उसकी द्वि-प्रतिक सूचना सचिव को दी जायेगी, फिर ५७ में लिखा है इन नियमों के उपबंधों के अधीन किसी लोक महत्व के निश्चित अविलम्बनीय विषय पर चर्चा करने के उद्देश्य से सदन के कार्य स्थगन का प्रस्ताव अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्तुत किया जा सकेगा । फिर मैं आपका ध्यान नियम ५८ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसके उप नियम (२) में कहा गया है कि एक ही प्रस्ताव द्वारा एक से अधिक विषय पर चर्चा नहीं होगी । तो मेरा निवेदन यह है कि ग्राह्यता की बात माननीय देवबहादुर जी ने की है उसी से स्पष्ट हो रहा है । जिसकी चर्चा जहां तक मैं समझ पाया हूं उन्होंने कोई सूचना नोटिस में नहीं दी है । आप इसकी अनुमति न दें क्योंकि यह सारे विषय पर ही बहस कर जायेंगे ।

न्याय मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)--

मान्यवर, अभी ग्राह्यता की बात हो रही है यह प्रश्न किसी भी तरह से ग्राह्य नहीं है । इसलिए कि माननीय सदस्य देव बहादुर जी, पहले ग्राह्यता के बारे में मेरी पूरी बात सुन तो लें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मालवीय जी न व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित किया कि नियय ५८ में जो उप नियम (७) दिया गया है, उनके अनुसार यह ग्राह्य नहीं है । तो उस पर मैं न्याय मंत्री को भी सुनना चाहता था । तो यह नियमों के विरुद्ध नहीं है, उन्हें अपनी बात कहने दें ।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मान्यवर, यह ग्राह्य इसलिए नहीं है कि माननीय सदस्य ने स्वंय ही एक नहीं अनेक घटनाओं की चर्चा अपने संक्षिप्त वक्तव्य में की है । उनका यह कहना कि लाठी चार्ज हुआ है, सही नहीं है । किसी भी जेल में लाठी चार्ज नहीं हुआ है । यह बिल्कुल निराधार आरोप है ।

(व्यवधान)

(श्री देव बहादुर सिंह तथा श्री श्यामधर मिश्र खड़े होकर एक साथ बोलने लगे ।)

श्री श्यामधर मिश्र--

सहारनपुर में हुआ है और अनेक जगहों पर हुआ है । मंत्री जी ने खुद पिटवाया है, यह खुद भी मौजूद थे । यहां सफाई दे रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप आपत्ति कर रहे हैं । यह प्रश्न की ग्राह्यता पर बोल रहे हैं-यह ग्राह्य होना चाहिए या नहीं ? यह ग्राह्यता तक सीमित रहना चाहिए ।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मैं कहना यह चाहता हूं कि जो प्रस्ताव दिया गया है, वह 'वेग' है, सुनिश्चित नहीं है, अनेक घटनायें उसमें हैं । जब तक हम उन सबके बारे में आपकी जानकारी में नहीं लायेंगे, आप हमारी बात कैसे स्वीकार करेंगे । जैसे माननीय सदस्य ने ग्राह्यता पर बोलने के बजाय अपनी विभिन्न बातों को कहना शुरू कर दिया, तो उनका प्रस्ताव इतने विस्तार का है कि वह सुनिश्चित और अविलम्बनीय नहीं है । इसलिए वह ग्राह्य नहीं है । इसी सन्दर्भ में मैंने कहा है कि जो हमारे पास सूचना आई है उसके अनुसार कहीं भी लाठी चार्ज नहीं हुआ है । दुर्भाग्य की बात यह है कि राजनीतिक आन्दोलन के नाम पर कुछ ऐसे लोग जेल गये हैं, जिनका कुछ कहना नहीं, ये लोग पुराने बन्दियों से गाली-गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं और उनका खाना छीन लेते हैं । इतना ही नहीं आगरा जेल में आग लगा दिया ।

श्री श्यामधर मिश्र --

श्रीमन्, यह ग्राह्यता पर नहीं बोल रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

आप इतना तो धैर्य रखिए कि गलत बात भी सुनिए ।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मेरा तो थोड़े ही दिनों का सदन का अनुभव है, लेकिन श्यामधर जी तो पुराने सदस्य हैं, संसद में भी रहे हैं, हम उनसे प्रेरणा भी लेते हैं । उन्होंने एक बात कही है । जब हमने कहा कि लाठी चार्ज कहीं नहीं हुआ है, उन्होंने कहा, यह झूठ है । वह संसदीय परम्परा के मानने वाले हैं, उन्हें यह तो समझना चाहिए कि यह कितना असंसदीय है । दूसरी बात यह है कि जब ग्राह्यता के विषय पर जब कोई सदस्य अपनी बात को रखते हैं, तो उसका स्पष्टीकरण आवश्यक हो जाता है, वह संक्षेप में कैसे कहेगा ? जब वह स्वयं बोल रहे थे तमाम बातें विषय से हटकर विस्तार को इधर-उधर की उन्होंने कहीं और जब उनका जवाब दिया जाता है तो उनको पीड़ा और तकलीफ होती है ।

श्री देव बहादुर सिंह--

कोई पीड़ा नहीं होती है ।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

देव बहादुर जी ने कई प्रश्न उठाए, जब तक सबका जवाब नहीं दूंगा, आप उससे सन्तुष्ट नहीं होंगे । आगरा में इन लोगों ने तोड़-फोड़ और आगजनी किया है । इटावा की भी एक घटना बता दूं....

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

व्यवस्था का प्रश्न है । मैं आपसे एक जानकारी चाहता हूं । नियम ५६ के अन्तर्गत राजेन्द्र कुमार जी ने कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया था । नियम ५६ के अन्तर्गत मैंने और श्री रवीन्द्र सिंह, श्री मोती लाल देहलवी ने और कई लोगों ने कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया था । ९ बजे से लेकर १० बजे तक कार्य-स्थगन प्रस्ताव लिया जाता है । पहले राजेन्द्र कुमार जी का होगा । फिर मेरा होगा । तब देवबहादुर जी का आया होगा । उस पर समय अंकित होता है । और विषय पर काम हो रहा है । लेकिन उनसे पहले हम लोगों का आया है ।

श्री अध्यक्ष--

मेरे कार्यालय में जिस क्रम से आये हैं उसी क्रम में लिए हैं । सबसे पहले हमारे सामने प्रस्ताव श्री देव बहादुर सिंह और श्री श्यामधर जी का आया । नम्बर २ पर श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री रवीन्द्र सिंह का है । नम्बर तीन पर आपका, श्री रवीन्द्र सिंह, श्री मोतीलाल देहलवी, श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी का है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मेरा भी होगा ।

श्री अध्यक्ष --

आपका सातवें नम्बर पर है ।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

मान्यवर, मेरा भी है ।

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न सब के हैं जो मौजूद हैं ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

एक बात सुन लीजिए ।

श्री अध्यक्ष--

एक को मौका दे रखा है ।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

जो प्रस्ताव है, बड़े विस्तार का है, सुनिश्चित नहीं है । भारतीय इतिहास में आज तक जितने राजनीतिक आन्दोलनकारी जेल गये होंगे, सबसे कलंक का कांड इस आन्दोलनकारियों द्वारा इटावा में किया गया है । इटावा जेल में जेल के बाहर कैम्प बना कर रखे गए। इन लोगों ने जेलर के घर पर धावा बोल दिया, तोड़-फोड़ किया और जोर से चिल्ला कर कहा कि साले की लड़की को पकड़ लो । इसके साथ बलात्कार किया जायगा ।

श्री अध्यक्ष--

न्याय मंत्री जी, आप तो यह मान कर चल रहे हैं कि यह ग्राह्य कर लिया गया है । उन्होंने कहा कि जेल में क्या हो रहा है । नियम ५८ के अनुसार यह प्रश्न क्यों न अग्राह्य करार दिया जाय इस पर सीमित रहिये ।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मान्यवर, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जैसी शासन की नीति है, हम इसके भुक्तभोगी हैं कि बन्दियों को क्या तकलीफें होती हैं, इस शासन ने जेल बन्दियों के जीवन को जितना सुधारा है उतना तीस साल तक नहीं सुधारा गया ।

(व्यवधान)

यह जो विभिन्न जेलों की घटनायें हैं वह इसलिए घटी हैं कि विभिन्न तिथियों में गये हैं, अधिकांश बन्दी राजनीतिक चरित्र के नहीं हैं, किराये पर ले जाये गये हैं और आज जनता में इस बात की चर्चा है कि जब से कुछ आन्दोलन-कारी जेलों में गये हैं समाज में अपराध घट गये हैं । यह आम जनता में चर्चा है । (सरकारी बेंचों से थपथपाहट) इतने अराजक तत्वों के रहते हुए जेल के अन्दर, हिंसा, तोड़फोड़, गाली गलौज के होते हुए हमारे जेल से अधिकारियों ने वहां पर पर्याप्त शांति रखी । इसलिए मैं कहता हूं, कहीं पर लाठीचार्ज नहीं हुआ । सब बन्दियों के साथ, आपस में मारपीट किया है । व्यवस्था बनाने के लिए कहीं थोड़ा बहुत बल प्रयोग किया गया है । कहीं लाठीचार्ज नहीं किया गया । कितनी जगहों पर इतने दिनों में घटनायें घटी हैं । इसलिए यह सुनिश्चित नहीं है, अविलम्बनीय नही है । इसलिए ग्राह्य नहीं होना चाहिये ।

श्री देव बहादुर सिंह--

हमारा प्रस्ताव बिलकुल सुनिश्चित है और आन्दोलन के सम्बन्ध में जैसा मैंने लिखा कि पूरे प्रदेश में गिरफ्तारी हुई है । जेल में पुरानी परम्परा है कि जो व्यवहार राजनतिक बन्दियों के साथ किया जाता है वही व्यवहार आन्दोलनकारियों के साथ भी किया जाये । माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि मारपीट हुई है ।

श्री कल्प नाथ सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी एक व्यवस्था का प्रश्न है ....

श्री अध्यक्ष--

इस तरह से व्यवस्था न उठाइये । आप बैठिये ।

श्री कल्प नाथ सिंह--

मान्यवर, मेरे व्यवस्था का प्रश्न को सुन तो लीजिए ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये । आप व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था न उत्पन्न कीजिए । श्री देव बहादुर सिंह आप के लिए ।

श्री देव बहादुर सिंह--

विमान के अपहरण का भी मैंने उल्लेख किया है । आपने कहा कि २ बातें कैसे लिख दी । इसी आन्दोलन के सम्बन्ध में अपहरण कर्त्ताओं ने कहा कि इन्दिरा जी की रिहाई की जावे । म मानता हूं कि अपहरण की बात निन्दनीय है ।

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)--

आप व्यवस्था दें । क्या आप इस पर बहस करावेंगे ? इस पर आप व्यवस्था दें ।

श्री अध्यक्ष--

आप बेकार का समय नष्ट करते हैं । आप न नियम समझते हैं और न व्यवस्था समझते हैं ।

श्री देव बहादुर सिंह--

श्रीमन्, जब विरोधी दल के नेता चौधरी चरण सिंह थे तो उन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि अगर बैलेट से सत्ता नहीं पल्टी तो बुलेट से पलट देंगे । जार्ज फर्नांडिस डाइनामाइट केस में जेल गये लेकिन फिर भी इनको मंत्रिमंडल में रख लिया गया । इसका क्या कारण है ? इसी प्रेरणा से ऐसा काण्ड होता है ।

श्री हरी सिंह (जिला मेरठ)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा गला पड़ गया है, आप व्यवस्था दें ....

श्री अध्यक्ष--

आप लोग व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था क्यों पैदा करते हैं ? में अनुमति नहीं देता हूं ।

श्री देव बहादुर सिंह--

इसीलिए मैंने दोनों बातें एक में जोड़ दी थी ।

(व्यवधान)

श्री रणजीत सिंह (जिला देहरादून)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । सुन लीजिए।

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

कोई व्यवस्था नहीं है । आप बैठ जाइये । मैं अनुमति नहीं दे रहा हुं ।

श्री देव बहादुर सिंह--

इस तरह की जितनी भी घटनायें घटी हैं यह सब गिरफ्तारी के बाद घटी हैं । इसीलिए यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है । इस प्रकार की घटनायें होने के बाद पहली बार आज सदन बैठा है । इसीलिए मेरा निवेदन है कि सारे सदन की कार्यवाही रोक कर इस सरकार से यह कहा जाये कि अमानुषिक कार्य छोड़ दे । जब यह जेल गए थे तो डबल रोटी और मक्खन मांगते थे । बिना आमलेट के काम नहीं चलता था । लेकिन आज सूखी रोटी भी नहीं उपलब्ध है । पानी तक उपलब्ध नहीं है, बिछाने के लिए चटाई नहीं है, कम्बल नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

(शासक दल के सदस्यों से) मैं यह समझता हूं कि जिस तरह से व्यवहार आप कर रहे हैं वह लोक तंत्र के विरूद्ध है । विरोधी पक्ष को भी अपनी बात कहने का मौका नहीं देते हैं, तो यह लोकतंत्र की मर्यादाओं के विपरीत है । आप का यह तरीका अनुचित है । आप उनको भी सुने ।

श्री देव बहादुर सिंह--

यह पूरे प्रदेश की बात है । पूरे प्रदेश में आन्दोलन हुआ है । तो क्या यह सरकार राजनैतिक मान्यताओं को मानने वाली सरकार है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

मैं अगर इसको ग्राह्य करार दूं तो आप जानते हैं कि द्वादशांश सदस्य खड़े होने चाहिए । मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस प्रश्न का जहां तक सवाल है मैं इसकी अहमियत को कम नहीं समझता । एक व्यापक आन्दोलन हो जिसमें हजारों आदमी जेल में जायें उस सम्बन्ध में कैसा व्यवहार होता है यह प्रश्न किया जाय तो वह महत्व का होता है । लेकिन मैं कहता हूं कि इस पर विवाद के लिए ग्राह्यता के लिए मैं अनुमति दे दूं तो आपको ३६ सदस्य खड़े करने होंगे ।

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर, आप हमारे रक्षक हैं । अगर आप चाहें तो नियम ३११ में सारी कार्यवाही स्थगित करके चर्चा करा सकते हैं । कभी ऐसा भी हो सकता है कि विपक्ष की संख्या ३६ से कम हो तो इसका मतलब हुआ कि काम रोको प्रस्ताव आ ही नहीं सकता ?

श्री अध्यक्ष--

नियम ६० देखें, यदि अध्यक्ष इस विचार के हों कि प्रस्थापित विषय नियमानुकूल है और नियय ५७ के अन्तर्गत वे अपनी सम्मति दें तो वे सम्बद्ध सदस्य को पुकारेंगे जो अपने स्थान पर खड़े होकर कार्य-स्थगन करने का प्रस्ताव उपस्थित करने की अनुज्ञा मांगेंगे ।

श्री श्यामधर मिश्र--

ग्राह्यता के सम्बन्ध में हमें भी सुन लीजिए। १/१२ को संख्या को बात है। हम कोशिश करेंगे मत परिवर्तन करने की। इसीलिए हम भाषण कर रहे हैं। हमें क्या मालूम है कि कौन सदस्य हमारे पक्ष में खड़ा होगा और कौन नहीं ? हम तो आशा करते हैं कि ३६ आदमी जनता पार्टी के भी अन्याय देख कर खड़े होंगे। लेकिन इसके पहले ग्राह्यता के सम्बन्ध में हमारी और बातों को सुन लें। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। और लोग कहीं गये या नहीं लेकिन मैंने परसों और कल स्वयं वाराणसी जिला जेल का स्वयं निरीक्षण किया।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

अमरूद भी ले गये थे या नहीं ?

श्री श्यामधर मिश्र--

अमरूद भी ले गया था और सेब भी, लेकिन यह नहीं मिले।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

माननीय मिश्र जी कांग्रेस (आई) से मेल बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री श्यामधर मिश्र--

मैं वहां गया। मैंने जब यह बात कही तो अपनी जानकारी से कही। २४/२५ को रात्रि की बात है। जहां १२/४१ कैदी रखे गये, वाराणसी जिला जेल में वहां ८००/९०० का स्थान है। आप जानते ह, आप भी कैदी रहे हैं।.....

(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश सिंह--

यह सही नहीं है।

श्री श्यामधर मिश्र--

रात्रि में बिगुल बजा दिया क्योंकि दो आदमी नहीं मिल रहे थे जबकि हुआ यह कि कम्बल कम थ इसलिए दो आदमी किसी के साथ सो रहे थे।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

जेल में क्या हो रहा है, यह इससे स्पष्ट है।

(व्यवधान)

श्री श्यामधर मिश्र--

लाठी चार्ज हुआ। लोगों की घड़ियां टूट गयीं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है.....

श्री अध्यक्ष--

आप इनकी बात सुन लें।

श्री श्यामधर मिश्र--

माननीय मंत्री जी ने कहा कि सही नहीं है तो वह मंत्री हैं, पता लगा लें कि कहां तक सही है। ग्राह्यता की बात यह है कि इस विषय में तात्कालिकता है। जेल में दुर्व्यवस्था की बात है। क्या शौक है दफा १४४ लगाने का और जेल में ले जाने का ? अगर सरकार इन्तजाम नहीं करती है तो फिर धारा १४४ क्यों लगाती है। न आप कम्बलों का प्रबन्ध करते हैं, न पानी का न भोजन का। मैं हिंसा के पक्ष में कतई नहीं हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कृपया शोर न कीजिए ?

श्री श्यामधर मिश्र—

मान्यवर, इन लोगों को जेल में बन्द करना, उन्हें पीटना और मारना यह अमानुषिक अत्याचार है और बर्दाश्त के बाहर है।

(व्यवधान)

इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस पर विचार होना चाहिये। मान्यवर, हिंसा तो यह सरकार कर रही है।

श्री मान सिंह आजाद--

क्या जहाज का अपहरण और बसों को फूंकना यह हिंसा नहीं है ? एक ओर तो ये करते हैं और दूसरी ओर गांधी जी के सपूत बनते हैं।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

अभी ग्राह्यता के प्रश्न पर बोलते हुए माननीय देव बहादुर सिंह ने केन्द्रीय मंत्री श्री जार्ज फर्नांडीज पर ये आरोप लगाये कि उन्होंने ५२ रेल दुर्घटनायें करायीं थीं। मान्यवर, हमारी नियमावली में नियमों के अनुसार यह परम्परा रही है कि जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य न हो, अपने ऊपर लगाये गये आरोपों का स्पष्टीकरण देने का उसे अवसर न हो, उस पर आरोप यहां पर नहीं लगाना चाहिए। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आपने कहा कि अगर किसी पर मुकदमा चलता है और वह चला है तो वह एक घटना हो गई। जैसे गांधी की गिरफ्तारी हुई यह मुकदमा चला तो यह आरोप नहीं, घटना है।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मान्यवर, आप इनको तो मना नहीं करते हैं लेकिन हम लोगों को इजाजत नहीं देते हैं।

श्री श्याम दत्त पालीवाल (जिला आगरा)--

मान्यवर, माननीय देव बहादुर सिंह ने उन पर सीधे आरोप लगाये हैं। इस प्रकार से बेबुनियाद आरोप लगाना कहां तक उचित है ?

श्री अध्यक्ष--

इस पर विवाद समाप्त होना चाहिये। अब मैं अपना निर्णय दे देता हूं।.....

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

मान्यवर, हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी को अधिकार है, जैसा कि वे कहते भी हैं कि उनकी सरकार सजग है सतर्क है, कि जो लोग वायलैन्ट हों उनको पकड़ कर बन्द कर दें। इस मुल्क के अन्दर उस वायलैन्ट आदमी को चाहे वह ३०२ का मर्डरर ही हो, उसको भी जेल के अन्दर जाने का अधिकार है। जो सत्याग्रही जेलों में गये मैं मानता हूं कि वे वायलैन्ट होकर ही गये लेकिन उनको अधिकार है कि उनको वहां पर रोटी मिले, पानी मिले, भोजन मिले और ओढ़ने के लिए कम्बल मिले। मान्यवर, आपने भी अखबारों में पढ़ा होगा और चारों तरफ से खबरें भी आ रही हैं कि जहां हर २० हजार लोगों का इन्तजाम है वहां पर ४०,००० लोग रखे जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय मुख्य मंत्री जी ने जेलों में स्पेशल इन्तजाम जैसे कम्बलों का देना, पानी का देना और रोटी का देना किया है ? यह माना कि आपकी सरकार सजग है, सतर्क है लेकिन जेलों में जो गड़बड़ी हो रही है, लाठी चार्ज हो रहा है, ये ऐसे प्रश्न हैं कि इनको आपको तुरन्त रोकने की कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मैं, मान्यवर, एक औचित्य का प्रश्न आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। माननीय सदस्य, श्री देव बहादुर सिंह कुछ कहते चले गये और ऐसी बातें कह गये जो यहां नहीं कहना चाहिये। उन्होंने माननीय केन्द्रीय मंत्री श्री जार्ज फर्नांडीज के विरुद्ध कितनी ही अनर्गल बातें कहीं और वे इतनी बकवास करने लगे...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप तो भाषण दे रहे हैं। कोई व्यवस्था का प्रश्न तो है नहीं, आप कृपया बैठें। (व्यवधान) इस तरह से तो कोई इतिहास का उदाहरण भी नहीं दे पायगा। यह अब समाप्त होता है।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)--

मान्यवर, आपके सामने जो प्रश्न है उस पर इस सदन को दलगत परिधि से ऊपर उठकर विचार करना चाहिये। प्रश्न क्या है ? कल तक आप (सत्तापक्ष) भी जेलों में थे। हो सकता है कल फिर आपको भी जेलों में जाना पड़े। (व्यवधान) इस सदन के कई माननीय सदस्य इस समय जेलों में हैं और भी लोग जेलों में हैं। मैं यह नहीं कहता कि सत्याग्रह सही है या गलत, इस पर मैं नहीं जाना चाहता, मेरा कहना यह है कि इन राजनैतिक बन्दियों के साथ हो सकता है कि कुछ अराजक तत्व भी हों। क्या आप इन बन्दियों के साथ वैसा व्यवहार नहीं कर सकते जिस व्यवहार की आपने भी कभी उम्मीद की थी ? इसलिये

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

आज का विषय सुनिश्चित है, माननीय सदन के कई माननीय सदस्य जेलों में बन्द हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार हो इस पर चर्चा करने के लिये मेरा निवेदन है कि इस पर कृपा करके आप विचार करने का समय दें। इस प्रस्ताव का भविष्य क्या होगा, यह हम जानते हैं, आपने इशारा भी कर दिया कि ३६ आदमी नहीं हैं, तो माननीय मुख्य मंत्री जी से कोई वक्तव्य ही दिलवा दें, जेलों में शिष्ट व्यवहार तो माननीय सदस्यों के साथ हो....

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मैं एक आग्रह कर रहा हूं....

श्री अध्यक्ष—

अभी तो नेगी जी बोल रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मेरा निवेदन है कि जो माननीय सदस्य जेलों में बन्द हैं उनकी रक्षा करने का भी काम आपका है। उनको अप क्लास देने की व्यवस्था होना चाहिये। हमें यह मालूम होना चाहिये कि उनको अपर क्लास दिया जा रहा है या नहीं ? (व्यवधान) जब इस सदन में यह (सत्ता पक्ष) सुनने के लिये तैयार नहीं हैं तो जेलों में उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा होगा आप स्वयं विचार कर सकते हैं। (व्यवधान) बी० के० डी० बनने जा रही है, आप भी जायेंगे और जिस दिन यह जायेंगे उसी दिन यह भी जेलों के अन्दर रखे जायेंगे। (व्यवधान) तो कृपा कर ऐसा अपने लिये भी न करके जायं, मेरा निवेदन है।

श्री जोसान सिंह (जिला इटावा)—

मान्यवर, हम लोग भी जेल में गये थे, गिरफ्तार होकर भी गये थे और आंदोलन करके भी गये थे। मान्यवर, आप स्वयं देख लें एक भी घटना कहीं पूरे प्रदेश में पूरे देश में अहिंसक हुई हो, जेल के अन्दर या जेल के बाहर यह प्रस्ताव इसलिए ग्राह्य नहीं है। इटावा जिला कारागार में जब अन्दर जगह नहीं रही, तो बाहर के कम्पाउन्ड में आंदोलनकारियों के लिए कैम्प लगा दिये गये, तो आंदोलनकारी इस कदर हिंसक हो गये कि जेलर के घर में कुल्हड़ और पत्तल में टट्टी-पेशाब फेंके गये। उसकी लड़की जो कि बाजार जा रही थी, उसको घेर लिया और उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। जिला कारागार के मध्य के फाटक को हिंसक होकर तोड़ दिया। मान्यवर, न्याय मंत्री जी बैठे हुए हैं हो सकता है, उनके पास रिपोर्ट हो, अगर उनके पास रिपोर्ट न हो, तो वह मंगा लें कि इन लोगों का जेल में किस तरह से आचार व्यवहार हो रहा है। ये गांधीवाद की दुहाई देते हैं। ये कहते हैं कि हम गांधीवाद पर जा रहे हैं। यह प्रस्ताव ग्राह्य नहीं है मान्यवर। जिस समय इन लोगों ने कचेहरी में आंदोलन किया था, पेशकार को कुर्सी फेंक कर मारा, जिसकी बांह टूट गयी। ये बेशक हिंसा पर उतारू है। यह प्रस्ताव किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

जो प्रस्ताव मेरे सामने है, उसका मुख्य आशय यह है कि श्रीमती गांधी के जेल भेजने की प्रतिक्रिया के स्वरूप आंदोलन में यहां लोग जेल में गये। तो

अब यह पूरी सूचना कि यहां के पृथक–पृथक जिले में कैसा व्यवहार हुआ, उनको क्या दिया गया ? तो इससे कोई लाभ तो होगा नहीं, कार्य स्थगन तो आपने एक घंटे का कर ही लिया और वैसे भी ४ बजे बहस होनी चाहिए थी । यह सरकार का कर्त्तव्य है कि वह जनता को, सबको आश्वस्त करे कि जो हमारे बन्दी हैं, उनसे जेल नियमों के अनुसार व्यवहार होता है । यह भी विरोधी पक्षों को शिकायत है कि जेल में खाना नहीं मिलता है । तो यह उचित होगा कि माननीय मुख्य मंत्री, जेल मंत्री जी, यह देख लें कि जेल में कितने व्यक्तियों को कौन सी श्रेणी दी गयी, वहां पर क्या व्यवस्था है । नेगी जी ने सरकार को जनता के सामने कैसा व्यवहार करना चाहिए यह बात उठायी है, यह कोई प्रश्न नहीं है, हम भी विरोधी क्ष में थे, जानते थे कि व्यवहार कैसा होता है, तो इस प्रश्न को मैं इसलिए ग्राह्य नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि जो प्रश्न उठाया है, सत्याग्रही जो जेल में हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ, उनकी शिकायत है कि उनको खाना नहीं मिलता है, इसके सम्बन्ध में कृपया पूरी सूचना प्राप्त करके आप सदन को उपलब्ध करायें ।

श्री ओम प्रकाश सिंह––

अभी माननीय नेगी जी ने जो कहा, मैं उनकी बात से बिलकुल सहमत हूं । इस बात को मैं सदन के माध्यम से उठाते हुए सभी लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं । आश्वस्त ही नहीं जो तथ्य हैं उनको जानकारी करा देना चाहता हूं । किसी भी बन्दी के साथ जो आंदोलन करके या कोई अपराध करके गया है तो वहां बदले की भावना से कभी न उनके साथ व्यवहार किया जाता है न किया जा रहा है । इतना ही नहीं उनको जितनी मानवीय सुविधायें मिलनी चाहिए वह दी जा रही हैं ।

श्री देव बहादुर सिंह––

मान्यवर, गुमराह कर रहे हैं, अपराधी और राजनीतिक बन्दी को एक कैटेगरी में रख रहे हैं ।

श्री ओम प्रकाश सिंह––

जो आंदोलनकर्त्ता जेलों में है उनको जितनी भी आवश्यक सुविधायें हैं दी जा रही हैं । पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है । १० १०, ११–११ बजे रात को आंदोलनकर्त्ता जाते हैं तो उनको भोजन बनाकर या बाहर से मंगाकर दिया जाता है । जहां पर शांतिपूर्वक व्यवहार नहीं करते हैं वहां थोड़ा बहुत कहीं पर जो स्थिति पैदा हो जाती तो वहीं व्यवस्था हमारे कर्मचारी कर रहे हैं । जानबूझकर जहां अव्यवस्था पैदा की जाती है, ६५ जेलों में ४, ६ को छोड़कर सभी जगह शांतिपूर्ण ढंग से सब चल रहा है । यह श्रेय वहां के कर्मचारियों को जाता है जो रात दिन जागकर व्यवस्था कर रहे हैं । मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि बदले की भावना से किसी के साथ जोर जबर्दस्ती या अमानवीय व्यवहार नहीं हो रहा है । सरकार सुविधायें पहुंचाने का प्रयत्न कर रही है ।

श्री देव बहादुर सिंह––

मुख्य मंत्री जी से कहलवा दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में न्याय मंत्री का वक्तव्य हो गया । मैंने यह निर्देश दिया है कि प्रत्येक जेल में कितने व्यक्तियों को किस श्रेणी में रखा है और क्या व्यवस्था है इससे सदन को अवगत करा दीजियेगा । मैं अब दूसरा प्रश्न ले रहा हूं ।

कलकत्ता–लखनऊ–दिल्ली की ४१० नम्बर की सेवा में बोइंग विमान के अपहरण के सम्बन्ध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, सुन लीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

इसमें आपने जो प्रश्न रखा है कि "दिनांक २० दिसम्बर को कलकत्ता, लखनऊ, दिल्ली को ४१० नम्बर की सेवा के बोइंग विमान का अपहरण कर लिया गया । विमान सायंकाल ५·४० बजे लखनऊ से रवाना हुआ था । अलीगढ़ के पास दो नवयुवकों ने हिंसात्मक शक्ति के बल पर विमान को नेपाल की ओर चलने का आदेश दिया, उनके हाथ में पिस्तौल थी । विमान में १३२ यात्री थे, जिनमें बिहार सरकार के तीन मन्त्री, बिहार विधान सभा के माननीय उपाध्यक्ष तथा भूतपूर्व केन्द्रीय विधि मंत्री भी यात्रा कर रहे थे । विमान किस प्रकार वाराणसी उतरा तथा शासन की सूझबूझ से यात्रियों की प्राण रक्षा हो सकी ।

अपहरणकर्त्ता श्रीमती गांधी वाली कांग्रेस के प्रमुख कार्यकर्ता थे तथा उन्होंने अपने दल द्वारा प्रदेश में हिंसा तथा उपद्रवों की गतिविधियों को बढ़ाकर अराजकता उत्पन्न करके जनतंत्र की हत्या करने के घृणित षड़यंत्र की सफलता हेतु यह घृणित कार्य किया था ।

इस घटना से सम्पूर्ण प्रदेश में भय तथा आंतक का वातावरण उत्पन्न हो गया है । जनजीवन असुरक्षित है । शासन जीवन रक्षा के कार्य में पूर्ण सफल नहीं है । आतंक निरन्तर बढ़ाता जा रहा है । क्योंकि हिंसा की योजनाबद्ध गतिविधियां बढ़ रही हैं ।"

अतएव आपने इस विषय पर बहस करने के लिये कार्य–स्थगन का प्रस्ताव दिया है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, एक मिनट सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—

एक–एक करके कहिये ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, सबको संयुक्त रूप से ले लिया जाय । सबका नाम पढ़ा दिया जाय इनको संयुक्त रूप से ले लीजिये ।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

मान्यवर, जितने प्रस्ताव आये हैं सबको पढ़ दीजिये और फिर सुन लीजिये ।

श्री अध्यक्ष––

सबको ग्राह्यता पर सुना जायगा तो सारा समय इसी में चला जायगा ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

मान्यवर, एक बार टोक दीजियेगा कि ग्राह्यता पर नहीं बोल रहा हूं, तो मैं बैठ जाऊंगा ।

श्री अध्यक्ष––

मैंने पहले ही कहा था कि श्री शतरुद्ध प्रकाश, रवीन्द्र सिंह, मोती लाल बेहलवी, जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, सत्य प्रकाश मालवीय, सोहनवीर सिंह तोमर इन सबके प्रस्ताव इसी सम्बन्ध में हैं ।

तो इसलिये पृथक–पृथक पढ़ना, यह सदन का समय नष्ट करना होगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

मान्यवर, मैंने यह कह दिया कि यदि एक बार भी आप टोक देंगे कि ग्राह्यता से भिन्न बोल रहे हैं तो मैं बैठ जाऊंगा । मान्यवर, पहले मालवीय जी ने सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुये अपनी बात को रखा था कि ग्राह्यता के लिये किन–किन बातों की आवश्यकता है । तो इस सम्बन्ध में आप देखें, नियमावली में लिखा है कि (१) एक ही उपवेशन में एक से अधिक प्रस्ताव नहीं किये जायेंगे, (२) एक ही प्रस्ताव द्वारा एक से अधिक विषय पर चर्चा नहीं होगी । आपने मेरा प्रस्ताव पढ़कर सुना दिया । एक ही उसमें सुनिश्चित प्रश्न है अपहरण कांड का ।

श्री अध्यक्ष––

मैं तो संतुष्ट हूं । मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके बिना विवाद के मैं इसकी ग्राह्यता को स्वीकार करता हूं । यह सुनिश्चित विषय है और ऐसा विषय है जिसमें कार्य स्थगन करके बहस होनी चाहिये । लेकिन मैं दूसरा प्रश्न करना चाहता हूं कि कार्य स्थगन प्रस्ताव का मतलब होता है जैसे आपने कहा यहां की सरकार की असफलता जो अप्रत्यक्ष रूप से सरकार की भर्त्सना है...

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी–गढ़वाल)––

मान्यवर, मेरी आपत्ति है और मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य पार्लियामेंटरी पद्धति को जानते हैं और माननीय सदस्यों को अधिकार है अपने अधिकारों का पालन करना जिसको वह पालन करते हैं । उनका मकसद है कि यह सरकार निकम्मी सरकार है । यह शांति व्यवस्था कायम नहीं रख सकती । इसलिये इसको सरकार में रहने का अधिकार नहीं है । इसलिये कार्यस्थगन का प्रस्ताव लाये हैं । इसलिये इसको आप स्वीकार कर बहस चलायें ।

श्री मोती लाल बेहलवी (जिला कानपुर)––

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, पहली बात तो यह है कि एक बहुत ही आवश्यक घटना पर काम रोको प्रस्ताव दिया गया है । इसके पहले जो भाषण कांग्रेस के लोगों, कम्युनिस्ट लोगों ने दिये उनमें तरह–तरह के आरोप लगाये । कांग्रेस के लोगों ने अपने को अहिंसक बताया और फिर सरकारी पक्ष पर आरोप

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मोती लाल देहलवी]—

लगाया कि यह लोग मानवीय बर्ताव आंदोलन कारियों के साथ नहीं कर रहे हैं। तो मान्यवर, इस प्रस्ताव के द्वारा आप यह कह रहे हैं कि यह सरकार की अप्रत्यक्ष रूप से असफलता का द्योतक होता है काम रोको प्रस्ताव। वहीं मान्यवर, यह भी जरूरी हो जाता है और सुरक्षा करने का सरकार का कर्तव्य हो जाता है। जब असुरक्षा की भावना व्याप्त हो रही है और इस तरह कांग्रेस के लोग हिंसा के काम कर रहे हैं जैसे कि पिस्तौल दिखाकर विमान का अपहरण करना। तो मान्यवर, इसके पहले कांग्रेस के लोगों ने नारा दिया था कि यदि इंदिरा जी को गिरफ्तार किया गया तो सड़कों पर खून बहेगा। उसको कांग्रेस ने कार्य रूप में परिणित करने का काम शुरू कर दिया है, चारो तरफ असुरक्षा की भावना व्याप्त है। इसलिये मैं व्यवस्था चाहता हूं कि आप इस प्रश्न को ग्राह्य कर चुके हैं, आपने स्वीकार कर लिया। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि यदि इस प्रश्न को ग्राह्य कर लें। तो उस में सरकार की असफलता प्रमाणित होती है अप्रत्यक्ष रूप से। तो मान्यवर यह जब आप ने ग्राह्य कर लिया है तो ग्राह्य करने के पश्चात् क्या इस प्रश्न को आप अग्राह्य कर सकते हैं ?

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के खड़े होने पर)

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, एक मिनट सुन लें....

श्री अध्यक्ष—

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की बात पहले सुन लें। एक साथ दो व्यक्ति नहीं बोल सकते।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा निवेदन यह है कि अभी आपने ग्राह्यता की जितनी शर्तें थीं वह स्वीकार कर ली हैं। अब आपके सामने एक ही चारा है नियम ६० के उप नियम (२) में, "यदि अनुज्ञा देने पर आपत्ति की जाय, तो अध्यक्ष उन सदस्यों से, जो अनुज्ञा प्रदान करने के पक्ष में हों, अपने स्थानों पर खड़े होने की प्रार्थना करेंगे और यदि तदनुसार कम से कम तात्कालिक सदन के कुल सदस्यों के द्वादशांश सदस्य खड़े हो जायं तो अध्यक्ष सूचित करेंगे कि अनुज्ञा प्रदान की गयी। यदि अपेक्षित संख्या से कम सदस्य खड़े हों तो अध्यक्ष सदस्य को सूचित कर देंगे कि उन्हें सदन की अनुज्ञा प्राप्त नहीं है।" मान्यवर, आप ने इसे ग्राह्य कर लिया। अब आप के सामने नियमावली के इस नियम के अन्तर्गत एक ही चारा है कि आप सदन की अनुज्ञा लें और उसके बाद इस पर चर्चा करायें।

श्री अध्यक्ष —

आप देखें। मैंने कहा कि आपको ग्राह्यता के बारे में संतुष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसको प्राइमफेसी (व्यवधान) इस प्रश्न पर अंतिम निर्णय देने से पहले मैं मुख्य मंत्री जी.....

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मुझे अपनी बात रखने दें...

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है...

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, पहले मेरी बात सुन लें...

श्री रियासत हुसैन ।

मैं इस बात की व्यवस्था चाहता हूं कि इस माननीय सदन के हर माननीय सदस्य के सदस्य के नाते कुछ अधिकार प्राप्त हैं और कुछ माननीय सदस्यों ने उन अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए नियम ५६ के अन्तर्गत आज के सामने काम रोको प्रस्ताव रखा है । उसको आप ने ग्राह्यता की सारी शर्तों को देखने के बाद मान लिया है कि यह ग्राह्य योग्य है । उसके बाद दूसरी चीज की बात करना कि भरसक होगी या क्या होगा क्या नहीं होगा इस प्रकार की बात कह कर क्या यह उस माननीय सदस्य के अधिकारों पर कुठाराघात नहीं होगा ? इससे तो माननीय सदन का अपमान होगा ।

श्री अध्यक्ष--

नियम ६० के उप नियम (२) में है कि "यदि अनुज्ञा देने पर आपत्ति की जाय तो अध्यक्ष उन सदस्यों से, जो अनुज्ञा प्रदान करने के पक्ष में हो, अपने स्थानों पर खड़े होने की प्रार्थना करेंगे ।" मैंने यह कहा कि आप क्या क्यों देना चाहते हैं । सरकार से इसका संबन्ध है मैं खड़े होने के लिए तो तब कहूंगा जब कि कोई आपत्ति हो । पहले तो मैं मुख्य मन्त्री जी से मालूम करूंगा कि आपत्ति है या नहीं है ? प्रस्ताव को वापस लेने का भी अधिकार है । तो मैं यह कैसे मानूं ? नेता सदन अगर अपने सदस्य से कहते हैं कि इस प्रस्ताव को वापस ले लें तो मैं कैसे उनको रोक सकता हूं । पहले मुख्य मन्त्री जी की बात सुनें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय अध्यक्ष जी....

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

व्यवस्था का प्रश्न है । जब आपने इसे ग्राह्य कर दिया तो ग्राह्यता के प्रश्न पर कैसे सुनेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

देव बहादुर जी, आप कृपया बैठिये.... ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

[श्री अध्यक्ष--]

आप लोग कृपया बठिये । मैंने कहा कि यह प्रस्ताव सुनिश्चित है और वह ग्राह्य होने योग्य है । मुझे इस पर आपको संतुष्ट करने की आवश्यकता नहीं है । अगर नियम ६० के उप नियय (२) में लिखा है कि यदि अध्यक्ष ग्राह्य कर दें और उस पर आपत्ति न हो । तो यह मुझे सदस्यों को खड़ा करने की आवश्यकता नहीं है । इसलिए मेरा यह कर्तव्य हो जाता है. ..आखिर इस प्रस्ताव के प्रति उत्तरदायी तो माननीय नेता सदन हैं । मैं उनसे पूछूंगा कि आखिर वह क्या कहना चाहते हैं ?

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, मैं भी कुछ कहूंगा ।

श्री अध्यक्ष--

पहले राजेन्द्र कुमार जी की बात सुन लें ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, आपने नियम ६० के उप-नियम (२) का हवाला दिया । सदन में इस बात पर कोई आपत्ति नहीं की गयी । जब कोई आपत्ति नहीं है और जब आपने स्वीकार कर लिया है तो....

श्री अध्यक्ष--

अभी कैसे कह सकते हैं । मैंने कह दिया कि आपत्ति करने का अधिकार है । तो अभी तो सरकारी पक्ष को सुनूंगा जो इसके लिए अधिकृत हैं ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

लेकिन कब ?

श्री अध्यक्ष--

पहले प्रश्नकर्त्ता को सुन लें ।

श्री देव बहादुर सिंह--

पहले एक व्यवस्था की बात सुन लें ।

आपने कह दिया....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठिये । मैं पूछ रहा हूं ....

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । जब आपने प्रश्न को ग्राह्य कर लिया है तो दूसरी मंजिल क्यों खड़ी होने देते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

अभी नहीं दिया । मैंने कह दिया कि किसी को आपत्ति भी हो सकती है ग्राह्यता के सम्बन्ध में ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, इस बात को समझ रहा हुं कि सदन का दृष्टिकोण क्या होना है । लेकिन कभी–कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जिस समय का स्थगन का प्रस्ताव लाया जाता है ताकि उस समस्या की ओर शासन का ध्यान आकर्षित हो और उसकी निंदा करने के लिए उसको प्रस्तुत किया जाय । मान्यवर, यह जो घटना हुई है, जनतन्त्र के लिए कलंक है । अगर इस तरह की बात होती तो चर्चा नहीं करते । किसी के मकान में घुस जांय तो कोई खास बात नहीं हुई । लेकिन यह जो अपहरण किया गया, यह कांग्रेस के लोगों के द्वारा, कांग्रेस के जरिये किया गया और सुनियोजित ढंग से किया गया ।

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, मैं इसका विरोध करता हुं ।

(व्यवधान)

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, मैं इस तरह से बोलने नहीं दूंगा ।

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

मान्यवर, यह तो सदन में बड़ा अन्याय हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष—

आपकी यह नकल कर रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र सिंह (जिला अलीगढ़)—

मान्यवर, कांग्रेस से मेरा तात्पय इन्दिरा गांधी की कांग्रेस से है ।

श्री देव बहादुर सिंह—

यह भी गलत है । ये हमको नहीं बांट सकते हैं । ये कौन होते हैं हमको बांटने वाले ।

श्री बाबूराम वर्मा (जिला बस्ती)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय देव बहादुर जी बार–बार दोनों कांग्रेस को अपना कह रहे हैं । क्या वह कहना चाहते हैं कि वह इन्दिरा गांधी के साथ चले गये हैं ?

श्री अध्यक्ष—

इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं । आप उनसे अलग रहें या मिलें, इससे हमारा कोई इस समय ताल्लुक नहीं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय, मैं जो बात अपनी रख रहा था, उसमें से मैं कोई बात दुहराऊंगा नहीं। मैंने यह कहा कि फतेहपुर में श्रीमती इन्दिरा गांधी चुनाव के समय आई थीं। माननीय, उन्होंने भाषण में कहा था कि जनता पार्टी के सभी नेताओं को जान से ली जाएगी। इसके पहले ११ नवम्बर को यहां लखनऊ में एक मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय में उपद्रव किया गया। माननीय, एक बहुत खतरनाक साजिस चल रही है एक संस्था के द्वारा प्रदेश में अराजकता उत्पन्न करने के लिए।

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, श्रीमती इन्दिरा गांधी तो इस सदन में हैं नहीं।

श्री अध्यक्ष—

राजेन्द्र जी, आप यह बतलाइये कि जब मैं कहता हूं कि यह आपका प्रश्न ग्राह्य है तो अब आप यह बतलाइए कि आप इस पर इतनी दलीलें क्यों दे रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मेरा यह कहना है कि यह विषय महत्वपूर्ण है। इस पर माननीय सदन में चर्चा कर ली जाए। माननीय, अपहरण कांड पर एक निन्दा का प्रस्ताव समझ कर इसके ऊपर चर्चा करा दें।

श्री अध्यक्ष—

राजेन्द्र जी आप बैठिये। आप यह कहना चाहते हैं कि आपने काम रोको का प्रस्ताव रखकर प्रकाश में लाये। आप काम रोको के लिए जोर नहीं देना चाहते, आप इस पर विवाद चाहते हैं आपकी बात समाप्त हुई।

*श्री शतरुद्र प्रकाश—

माननीय, मैं इस समय अपनी और अपनी पार्टी की दुविधा को समझ रहा हूं। यह संसदीय लोकतंत्र की परम्परा है कि नियम ५६ के अन्तर्गत सत्ता पार्टी के सदस्य को कार्य-स्थगन प्रस्ताव नहीं पेश करना चाहिए। माननीय, यह परम्परा है और आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। यह परम्परा यहां पर ब्रिटेन से आई है, वहां है नहीं। माननीय, आप तो गांधीवादी हैं और हम भी गांधीवादी हैं। मैं अपनी भावना को स्पष्ट कर दूं माननीय। आप जरा नेगी जी शांत रहें। आप नहीं समझ पायेंगे गांधी जी को। मेरा निवेदन है कि समय समय पर आपको संसदीय लोकतन्त्र की प्रणाली में परिवर्तन करना होगा, यहां की नियमावली में भी परिवर्तन करना होगा और जब कोई महत्वपूर्ण मामला आ जाएगा तो लकीर का फकीर नहीं बनना होगा बल्कि बदली हुई संदर्भों में बदली हुई परिस्थितियों में उसको उस दृष्टिकोण से देखना और समझना होगा। तो मैं निन्दा करना चाहता हूं या क्या करना चाहता हूं, यह सब तो इनको बाध्य करने की बात है। कोई काम नेगी जी करें, श्यामधर जी करें या कोई भी करे, हमको इसको बाध्य करना है। हमने एक महत्वपूर्ण लोक महत्व के प्रश्न पर नियम ५६ दिया है। माननीय, पहली बार नहीं दिया है हमने छठी बार दिया है। छठी बार निन्दा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का प्रस्ताव हो गया है तो सातवीं बार में कौन सी बड़ी बात है । हमारी मंशा किसी की निन्दा करने की नहीं है । इस नियम के तहत हमको जो अधिकार मिला है, हम उसका प्रयोग करना चाहते हैं । अगर आप चाहते हैं कि कोई बीच का रास्ता निकल आए तो मान्यवर....

श्री अध्यक्ष—

अब आपसे एक बात मैं कहना चाहता हूं कि रास्ता तो साफ था, ११० नियम में निलम्बन कर सकते हैं । जैसे १०३ में अगर आप प्रस्ताव देते तो मैं उसको स्वीकार कर लेता कि भाई, इस हाईजैकिंग की हम निन्दा करते हैं और मैं यह समझता हूं कि एक ऐसा प्रस्ताव होता तो श्यामधर जी को तो समर्थन करना ही पड़ता । क्योंकि सरदार स्वर्ण सिंह जो उनके अध्यक्ष हैं, उनकी कार्य–समिति ने हिंसात्मक काण्ड और जहाज के अपहरण काण्ड की निन्दा की है । अगर आप इस तरह से प्रस्ताव देते तो मैं इसे स्वीकार कर लेता ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मैंने अभी अपनी बात खत्म नहीं की है । आप नियमावली के तहत नियमों को निलम्बित कर सकते हैं और निलम्बित करके इसी सवाल पर सदन में आप चर्चा करा सकते हैं । केवल निन्दा के प्रस्ताव से बात साफ नहीं होगी । मुख्य मंत्री जी आप अपनी आंखों को खोलें । यह मामला केवल इन्दिरा कांग्रेस के दो लड़कों से ही सम्बन्धित नहीं है । मैं भोलानाथ पाण्डे को सन् ७१ से जानता हूं जब वे बनारस हिन्दू यूनीवर्सिटी के छात्र थे । देवेन्द्र पाण्डे को भी अच्छी तरह से जानता हूं । आप १६ तारीख का नवजीवन अखबार पढ़ें । यह काण्ड बड़े सुनियोजित ढंग से किया गया है । इन लोगों ने सचीन्द्र पाण्डे, बहराइच के साथ लखनऊ में बैठक किया है और यह निर्णय लिया गया है कि अगर श्रीमती इन्दिरा गांधी के खिलाफ कोई कार्यवाही हुई तो पूरे प्रशासन को ठप कर देंगे । मुख्य मन्त्री जी केवल निन्दा प्रस्ताव से काम चलने वाला नहीं है । इसमें आपके प्रशासन के उच्च अधिकारी और इस सचिवालय के कुछ अधिकारियों ने मिलकर इन्दिरा कांग्रेस के साथ साजिश किया है और जिसकी मुझे अच्छी तरह से जानकारी है ।

अमौसी में बातचीत की गयी जिसमें इन लड़कों को बुलाया गया । वहां पर सिविल एवीएशन और हिन्द फ्लाइंग क्लब के कुछ अधिकारी भी मौजूद थे, जिसकी मुझे निश्चित तौर पर जानकारी है । हिन्द फ्लाइंग क्लब के कोई टिक्कू साहब हैं जिनके निदेश पर कैप्टन वी० डी० गुप्ता ने इन लोगों को घुमाया था और हवाई जहाज की टेकनीक की जानकारी इन्हें दी गयी । यह छोटी मोटी बात नहीं है । इसमें बहुत से अधिकारियों और लोगों की साजिश है । इसमें कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं जो आपातकाल में इन्दिरा गांधी और संजय गांधी के इशारे पर काम करते थे । इन सारी बातों को देखते हुए मैंने बनारस के जिलाधिकारी से पता लगाया । उन्होंने बताया कि इन लड़कों ने श्रीमती मोहसिना किदवई का, जो उत्तर प्रदेश इन्दिरा कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, टेलीफोन नम्बर दिया है । मैं इस बात को पूरी सचाई से कह रहा हूं और गृह मंत्री जी इसकी ताईद बनारस के जिलाधिकारी से करा सकते हैं । इन लोगों ने गिरफ्तार होने के बाद मोहसिना किदवई का टेलीफोन नम्बर दिया । मैं इस विधान सभा का सदस्य और जनता पार्टी का सदस्य हूं । मुझे मोहसिना किदवई का नम्बर नहीं मालूम है । स्वा–

[श्री शतरुद्र प्रकाश--]

आविक है अगर टेलीफोन नम्बर मालूम होगा तो मुझे अपनी पार्टी के नेताओं का नम्बर मालूम होगा । पकड़े जाने के बाद इन लोगों ने मोरार जी देसाई या श्यामनन्दन मिश्र का टेलीफोन नम्बर तो नहीं मिलाया, मोहसिना किदवई का ही नम्बर उन्हें कैसे मालूम हो गया । पूरे पर्चे में लिखा है कि हम विमान का पलायन इसलिए कर रहे हैं कि चूंकि श्रीमती इन्दिरा गांधी को जेल भेज दिया गया है, कहीं और कोई बात नहीं है । मेरी व्यक्तिगत रूप से जानकारी है और मैं इन लोगों को पिछले चार-पांच वर्षों से जानता हू । यह लोग कांग्रेस (आई) और यूथ कांग्रेस के सदस्य हैं । इसको आप केवल राजनैतिक दावपेंच न समझें । इसमें प्रशासन के कुछ अधिकारी भी शामिल हैं जो इन लोगों को तरजीह दे रहे हैं ।

मान्यवर, ग्राह्यता के बारे में जो अभी राजेन्द्र जी ने कहा उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है । क्योंकि आप भी संतुष्ट हैं कि यह ग्राह्यता के लायक है । मैं कहना चाहूंगा कि नियमों को निलम्बित कर दीजिये और केवल निन्दा का प्रस्ताव यहां लाया जाय । दो, तीन घंटे उस पर चर्चा हो ताकि पता चल सके कि प्रशासन का कौन कौन अधिकारी इसमें सम्मिलित है, इन्दिरा गांधी के कौन-कौन लोग इसम शामिल रहे हैं और उन दोनों लड़कों का बयान को भी प्रकाश में लाया जाय और सारे के सारे मामले की जांच हो । लोक सभा में पूरे एक दिन इस पर चर्चा हुई । यह इतना महत्वपूर्ण मामला रहा कि रात के १ बजे मुख्य मंत्री बनारस हवाई अड्डे पर गए । लिहाजा मैं चाहूंगा कि इस पर चर्चा का प्रस्ताव स्वीकार किया जाय ।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर--

अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक काम रोको प्रस्ताव दिया है । आपने एक रिमार्क दे दिया जिससे मुझे स्थिति स्पष्ट करनी है 'यह सरकार में अविश्वास माना जावेगा " मैंने इसे कामरोको प्रस्ताव के रूप में दिया है और यह स्थिति स्पष्ट कर दूं कि यह सरकार में अविश्वास नहीं माना जायगा । मैं यह बतला देना चाहता हूं कि यह काम रोको प्रस्ताव काम रोको प्रस्तावकी तरह स्वीकार होना चाहिए और कामरोको प्रस्ताव का मतलब सरकार का सेंसर करना नही है । दो ही तरह से निर्णय होते हैं या तो कोडिफाई ला के जरिये से होता है, दुसरे रूलिंग के जरिये होता है । जहां तक रूलिंग की बात है पैरेंट बाडीज में हम ब्रिटिश पार्लियामेंट को मानते है, मेज पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस में हमारे लिए निदेशक सिद्धान्त हैं । ब्रिटिश पार्लियामेंट को प्रोसीडिंग्स में भी दिया हुआ है । कोई दिन नहीं जाता जब रूलिंग पार्टी के लोग काम रोको प्रस्ताव नही रखते और वहां के प्रधान मंत्री तथा मंत्रीगण जब ऐसे सवाल होते हैं सारे समाज अथवा सारे देश के हित के तो उस पर चर्चा करवाते हैं । मैंने यह समझ कर इसे रखा है । किसी दल का प्रश्न इसमें निहित नहीं है । हाईजेकिंग की निन्दा किसी एक पार्टी ने लोक सभा में नहीं की । सभी लोगों ने की है । चाहे देव बहादुर की पार्टी के लोग हों, चाहे इन्दिरा गांधी की पार्टी के लोग हैं सबने इसे माना है कि यह राष्ट्रहित का प्रश्न है । देश के प्रधान मंत्री ने भी उसकी निन्दा की है । जो हाईजेकर गिरफ्तार हुए तो उनके लिए आर० पी० सी० में क्या व्यवस्था है ? ३६५, ५०४, ५०६ तथा १०७ में आफेन्स बनता है । अब किसी में एक महीने की पनिशमेन्ट, किसी में ६ महीने की पनिशमेन्ट और किसी में एक साल की पनिशमेन्ट है, किसी में भी १० साल की पनिशमेन्ट नहीं है । सी० आर० पी० सी०

की जो प्रक्रिया है गवाही की उसके अनुसार ये दोनों सजा नहीं पा सकते। तो यह प्रश्न उठता है कि ११ करोड़ रुपये का यह हवाई जहाज था, १२६ आदमियों की जान को खतरा था लेकिन हमारे देश में कोई इस तरह की सजा कानून में नहीं है। यह सारे देश के सामने चर्चा का सवाल है। इसलिए आपसे निवेदन है कि यह अध्यक्ष पीठ है। नई मान्यतायें आप स्थापित करें। यह कोई सुप्रीम कोर्ट तो है नहीं कोर्ट आप ही हैं और आप ही इस पर निर्णय करने वाले हैं जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, सदन के सामने ऐसा प्रश्न आये तो राष्ट्र हित को ध्यान में रख कर सदन में इस पर चर्चा होनी चाहिए। १०३ में आप कहते हैं। १०३ में जब नोटिस पहले देंगे तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग को बुलाया जायगा और वह इसे स्वयं देखेगी और तब तक वह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न नहीं रह जायेगा।

एक स्टेटमेंट देने की प्रक्रिया है। उसकी भी ऐसी हत्या हो गयी है कि ५ बजे आप उसे लेते हैं। सब लोग घर जाने को आतुर होते हैं, स्टेटमेन्ट देने का टाइम भी नहीं रहता। यह होने लग कि कामरोको प्रस्ताव तथा लोक महत्व के प्रश्न के साथ ले लिया करें तो कम से कम एक स्टेटमेन्ट देने का अवसर मिल सकता है। केवल हमारे प्रदेश में ही यह प्रक्रिया है कि कामरोको प्रस्ताव सुबह लिया जाता है और लोक महत्व के प्रश्न नियम ५१ में आप शाम कर लेते हैं। इस तरफ बैठने वाले लोग लोक महत्व का प्रश्न नहीं ला सकते तो मैं अपनी स्थिति स्पष्ट कर दूं कि हमारा इरादा सरकार को सेंसर करने का नहीं है और न निंदा करने का है केवल काम रोक कर राष्ट्र के सामने राष्ट्रविरोधी तत्वों से निपटने के लिए चर्चा करने का है। न हमारी मंशा इन्दिरा गांधी से है और न किसी और से।

श्री अध्यक्ष--

अब हो चुका।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर--

तो आप हमें बतायें कि कामरोको हम दे नहीं सकते और नियम ५१ साढ़े चार बजे लेते हैं।

श्री अध्यक्ष--

अब आप पुनरावृत्ति कर रहे हैं।

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, हमें भी सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये रवीन्द्र सिंह जी, मुझे संचालन के लिए कोई व्यवस्था करने दें। श्री सोहनवीर सिंह जी ने जो प्रश्न उपस्थित किया है। हमारी नियमावली में कहीं ऐसी रुकावट नहीं है कि इस प्रश्न को हम नहीं ले सकते हैं। नियम १०३ मे स्वीकार करके कोई आवश्यकता कार्यमंत्रणा समिति की नहीं है। नियम ११०(८) में लिखा है 'किसी नियम के निलम्बन का प्रस्ताव'। जैसा कि उस दिन नारायण दत्त तिवारी जी ने प्रस्ताव रखा। मैंने उसे स्वीकार किया।

[श्री अध्यक्ष—]

उन्होंने नियमों को निलम्बित करने का प्रस्ताव रखा। उस पर विचार किया जा सकता था। लेकिन नियम ५६ जो होता है उस पर पहली बात तो यह है कि सदन का कार्य आरंभ होने से एक घंटा पहले आने की बात है। इस पर एक घंटे से ज्यादा विवाद हुआ है।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये मैं अपनी व्यवस्था दे रहा हूं, (व्यवधान) यह नियम के विरुद्ध है। अब मैं अपनी बात कह रहा हूं तो उसे खामोशी से सुनना चाहिए। नियम ५६ में जैसा लिखा है सरकार की असफलताओ का इससे कोई संबन्ध नही है। मैं तो पहले कह चुका हूं कि इस प्रश्न को मैं ग्राह्य कर रहा हूं। इसमें किसी तरह के वक्तव्य की आवश्यकता नहीं है मुझे तो केवल मुख्य मंत्री जी को सुनना था। लेकिन मैं आपके हृदय के उदगारों को जानता हूं इस हिंसात्मक घटना के विरुद्ध जो आपके उद्गार हैं उनके प्रवाह का कोई मार्ग बने। इसलिए उनका प्रवाह तो हो गया। अब मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से मालूम करना चाहता हूं।

*श्री सत्यप्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। चूंकि आपने मुख्य मंत्री जी को इशारा किया है आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी को बताना चाहता हूं (व्यवधान) ससदीय लोकतन्त्र में कभी-कभी ऐसे मौके आते हैं जहां पर नियमों का निलम्बन करवो गा जैसा यहां पर इशारा किया गया नियम ५६ का क्या मतलब है। तो यह मतलब नहीं होता। लोक तन्त्र में यह प्रश्न आ सकता है। इस प्रदेश में यह पहली दफा है कांग्रेस के बाद कोई एक पार्टी की सरकार यहां पर हुई है। दूसरी बात यह है कि पहली बार यह हुआ है इस देश में कि ११ वर्ष तक प्रधान मन्त्री रहने के बाद जब वह भूतपूर्व प्रधान मन्त्री हो गई तो उन्हें जेल जाना पड़ और हवाई जहाज का अपहरण करने वाले लोगों ने यह माना है कि हमने यह काम इसलिए किया कि जिससे श्रीमती इंदिरा गांधी की रिहाई के सिलसिले में हमारी आवाज बुलन्द हो। तो मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट करन देचाहता हूं जिस ओर मेरे मित्र शतरुद्र प्रकाश ने कहा, इन दोनों भोलानाथ पान्डय तथा वेन्द्र पान्डेय ने कहा है कि बाई अवर कान्डक्ट वी हैव पूण्ड दैट दि यू० पी० गवर्नमेन्ट एन्ड जनता पार्टी इज फार्स। इनके पास खिलौना पिस्तौल और बल्ला गेंद निकला। मुख्य मन्त्री जी के साथ वह दोनों अपराधी हवाई जहाज पर चढ़कर लखनऊ तक आए और...।

श्री अध्यक्ष—

आप यह बताएं कि आपका सुझाव क्या है, आप मुझसे क्या चाहते हैं?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सत्यप्रकाश मालवीय--

यह ऐसी घटना उत्तर प्रदेश में घटी है। जो अभूतपूर्व है, बेमिसाल है और अन्प्रेसीडेन्टेड है और नियम ५६ के अन्तर्गत जब जनता पार्टी और शासक दल के लोगों ने यह प्रस्ताव दिया है तो उसका मतलब यह कदापि नहीं है कि ये सदस्य जनता पार्टी की निन्दा करना चाहते हैं, बल्कि उस घटना के सम्बन्ध में नियमों का सहारा लेकर देश की जनता के सामने कुछ बातें रखना चाहते हैं और माननीय मुख्य मन्त्री जी से भी हमारा निवेदन है कि उन्हें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि कभी-कभी विधान सभा में, संसद में ऐसे मौके आते हैं जब राजनैतिक बातों को पीछे करके, परम्पराओं से हटकर भी देश के लोकतन्त्र को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। मुख्य मन्त्री जी को इस तरह से इसको स्वीकार करना चाहिए।

(मुख्य मन्त्रीजी को पुकारे जाने पर)

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)--

श्रीमन्, आग्रह है कि इस विषय पर मुख्यमन्त्री के पहले मुझे भी सुन लिया जाए।

श्री अध्यक्ष --

नहीं नहीं, आप बैठिए। अब आप बैठिए।

*मुख्य मंत्री (श्री रामनरेश यादव)--

मान्यवर, इस सदन के कुछ सम्मानित सदस्यों ने जो कार्य-स्थगन का प्रस्ताव रखा, मैं उस सम्बन्ध में आपत्ति करना चाहता हूं। इसलिए नहीं कि सदन के सदस्यों की जो आशंकाएं हैं और जिस तरह की स्थिति पैदा की गई है, उसके प्रति हमें चिन्ता नहीं है। एक बात बहुत ही स्पष्ट है कि जिस घटना-क्रम को लेकर यह बात उठाई जा रही है, उस सम्बन्ध में मैं सदन के सदस्यों से इतना कहना चाहता हूं कि यह घटनाएं या जिस तरह की घटना घटी है, वह कांग्रेस (आई०) की तरफ से श्रीमती इन्दिरा गांधी की गिरफ्तारी के पश्चात जिस तरह से पूरे प्रदेश और देश में आतंक, अराजकता और हिंसा का वातावरण पैदा किया गया है, उसकी एक कड़ी है। इसलिए इस मामले को देखते हुए जिन दो अभियुक्तों भोला नाथ पान्डेय और देवेन्द्र पान्डेय की चर्चा जो हुई है, उन लोगों ने जो कार्य विमान अपहरण का करके, उसके अन्दर घुसकर बैठे हुए यात्रियों में दहशत और आतंक का वातावरण पैदा करके विमान को यहां ही नहीं नेपाल ले जाने की बात चाही थी, यह घृणित कार्य किसी भी प्रकार क्षमा नहीं किया जा सकता है। जो चर्चा कांग्रेस आई की तरफ से होती है, यह मान्य है कि यह लोग कांग्रेस-आई के थे और हैं। इससे किसी तरह से इंकार नहीं किया जा सकता है। हो सकता है कि देवेन्द्र पान्डेय के मन में इंदिरा गांधी के प्रति श्रद्धा उमड़ती दिखाई देती हो, लेकिन जो भी किसी भी प्रदेश की जनता और राष्ट्र की जनता के लिए अराजकता का वातावरण पैदा करने के लिए उन्होंने कदम उठाए हैं उसकी तीव्र भर्त्सना की जानी चाहिए। इसमें दो राय नहीं हैं।

मैं सदन से कहना चाहता हूं कि पैसेन्जर्स जो बैठे हुए थे, उनके जीवन-रक्षा को ध्यान में रखते हुए शासन की ओर से जो भी आवश्यक कदम उठाए जाने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम नरेश यादव]—

चाहिए थे, उठाए गये हैं। मैं यह भी सदन को बताना चाहता हूं जैसा शतरुद्र प्रकाश तथा अन्य लोगों ने कहा है, मुझे सूचना मिली और मैं १२ बजे के बाद वहां पर पहुंचा। जाने से पूर्व मैंने पत्रकारों के मध्य कहा था कि १२६ यात्रियों के जीवन को बचाने के लिए मुझे भी अपनी जान दे देनी पड़ेगी तो मुझे उसकी परवाह नहीं है।

अतः इस बात को ध्यान में रखकर मैं गया था। वहां पर प्रयास भी होता रहा। अन्त में प्रयास के परिणाम स्वरूप ही जब आश्वस्त किया गया कि उन्हें लखनऊ पहुंचाया जायगा, क्योंकि उसके पहले किसी तरह से भी तैयार नहीं होते थे। उनकी शर्त थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी रिहा की जायं, उनको घर ले जाकर घर में बन्द किया जाय, संजय गांधी और श्रीमती गांधी के खिलाफ मुकदमें वापस लिए जायं। केन्द्रीय सरकार अक्षम है, वह समाप्त की जाय। और भी इसके साथ बातें थीं। (व्यवधान) उसके साथ-साथ यह भी था कि इसकी सूचना भारत के प्रधान मंत्री को दे दी जाय, मुख्य मंत्री को बुलाया जाय। इसलिए मैं गया था। मेरे सामने १२६ यात्री जो देहत में पड़े हुए थे उनके जीवन की सुरक्षा कैसे की जाय वह सवाल था, कैसे जहाज बचाया जाय। इसलिए मैं गया था। (व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश—

आपने तो एक मांग उनकी पूरी कर दी, आप चले गये बाबतपुर।

एक सदस्य—

क्या पकड़ने गए थे ?

श्री रामनरेश यादव—

वह जाना चाहते थे काठमांडू। ईंधन की कमी के कारण वह काठमांडू नहीं जा सकते थे। इसके बाद पटना जाना चाहते थे। पटना के लिए भी तेल की व्यवस्था नहीं थी, रात को उतर नहीं सकते थे। इसलिए मजबूर होकर पाइलेट को डाइरेक्ट किया कि चलना होगा वाराणसी। इसलिए वाराणसी गए। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वह किसी भी कीमत पर जहाज को छोड़ने को तैयार नहीं हो रहे थे। जहाज के यात्रियों के मन में जो आतंक था, जब यह हो गया कि किसी तरह से वह अपने को समर्पण करें, अपने अस्त्र को दें, उसके बाद ही तब जाकर कोई कार्यवाही की जा सकेगी, पहुंचाने की व्यवस्था की जा सकती है। (व्यवधान) मान्यवर, जब तक वह वायुयान के अन्दर थे सबके मन में यह था वह कि एक रिवाल्वर है, और वह हैंडग्रिनेड थे। जब तक यह स्पष्ट नहीं हो गया वह नकली थे तब तक वह कहीं यह सवाल नहीं था। (व्यवधान) इसलिए इस प्रश्न पर विचार करते हुए, यात्रियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, जब कि उनके सामने यह सवाल था कि दो ऐसे लोग हैं, जिनके पास हैंडग्रिनेड और रिवाल्वर है, किसी समय भी खतरा पहुंचा सकते हैं, यही कारण था कि पाइलेट को निर्देश भी हैं उसकी वजह से उत्तेजित नहीं होंगे, ऐसा वातावरण न पैदा होने दें।

श्री देव बहादुर सिंह—

असली था या नकली ?

श्री शत्रुघ्न प्रकाश––

दो व्यक्ति चले कैसे गए ?

श्री रामनरेश यादव––

मैं समझ ा हूं कि सदन के सदस्य इस मामले को जिस गम्भीर ा से विचा करन चाहिए, विचार करेंगे ही । लेकिन यह कहने से क नहीं चलेगा, अधिकारि यों का हाथ नहीं थ । आपको इससे ज्यदा जा कारी है तो आप जानकारी को दें । उस सम्बन्ध में जा कारी देंगे, उसको जांच के सिलसिले में नहीं रखेंगे तो शासन की विफलत हगी । श्री ती इंदिरा गांधी के मले को लेकर वातावरण को उत्ेजित करने का प्र स किया गया है, जिस त ह से हो शान्ि भंग करके जेलों में जा रहे हैं, हम प्रदेश के पैमाने पर बरदाश नहीं करेंगे । इस सिलसिले में यही कह ा चाहता हूं ।

श्री कन्हैया लाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)––

आप बताएं दे कि बनारस से लखनऊ तक उनको बिना हथकड़ी पहनाए हुए क्या लाया गया ?

श्री रामनरेश यादव––

मान्यवर, जो स्थिति थी, जिस आधार पर वह बाहर आए, जो आश्वासन दिया गया, जब उसी प्लेन से जाने की किसी हाल में इजाज नहीं मिली, क्योंकि यात्रियों के साथ जाना चाहते थे क्या स्थि हो तो यह कल्पना इस सदन नहीं की जा सकती है ।

केवल जो यात्री उसमें बैठे हुए थे उनके म क कल्पना और उनके आशंका और दहशत के वातावरण ही समझा जा सकता है । ब यह सारी बातें तय हुई और यह हुआ कि आप नि लें । यह भी हुआ कि पहले यात्रियों को नि लने दें । जब ऐसा कर दिया तब उन्हें प्लेन से पहुंचा या । एक सदस्य ने कहा कि मैं उसी प्लेन से आया था तो मैं उस प्लेन से हीं आया । जब उसको वहां सुरक्षित हिरासत में पहुंचा दिया गया, उसके बाद अ या । टिक्कू की बा आई तो टिक्कू ही प्लेन चलाते औ लेकर आते । गर माननीय शत्रुघ्न प्रकाश जी कोई दुर्भावना बनाकर सदन में बात करेंगे तो यह अच्छा नहीं है । टिक्कू ही पायलट थे, वह लेकर आते । यह जो कार्य–स्थगन क प्रस्ताव रखा गया है यह बहुत निन्दा का विषय है और चर्चा होनी चाहिए लेकि कार्य–स्थगन के प्रस ाव के माध्यम से नहीं । इसलिए मैं राजेन्द्र कुमर जी से हता हूं कि वे अपना प्रस ाव वापस लें और निन्दा का प्रस्ताव ले आवें । मैं भी उसका स्वागत करूंगा ।

श्री मान सिंह आजद––

मैं मांग करता हूं कि इसकी चर्चा होनी चाहिए नहीं तो मुख मन्त्री जी खुद इस्तीफा दें ।

श्री रेवती रमण रस्तोगी (जिला कानपुर)––

यह लोग कब गिरफ्तार किए जयंगे और उनके खिलाफ क कार्यवाही की जाएगी ।

श्री रामनरेश यादव--

माननीय, तफ्शीश चल रही है। अपराध अनुसंधान शाखा को जांच दे दी गई है। मैं इस समय इतना ही कहना चाहता हूं जो भी दोषी होंगे, जो भी षड्यंत्रकारी होंगे जिनकी तरफ से इस तरह की बात करने का प्रयास किया गया और किया जाने वाला है वह प्रदेश के लिए बहुत ही अनिष्टकारी है, दुःखद है और इस बात को ध्यान में रखते हुए उनको गिरफ्तार किया जायगा और वह बचेगा नहीं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

मैं एक जानकारी चाहता हूं।

(व्यवधान)

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)--

मैं माननीय सदस्य को याद दिलाना चाहता हूं कि अभी सप्लीमेन्टरी बजट का कार्यक्रम है और विनियोग विधेयक भी आने वाला है। नियम ११२ की तरफ भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब विनियोग विधेयक हो तो उस दिन कार्य स्थगन प्रश्न नहीं आना चाहिए, दूसरे दिन आना चाहिए। जो माननीय सदस्यों की इच्छा है मैं उन्हें आश्वासन देना चाहता हूं कि स्वयं शासन की तरफ से निन्दा का प्रस्ताव आएगा।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

अभी माननीय मुख्य मन्त्री जी और माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी ने जो बात कही है मैं सहमत हूं और उनकी बात को स्वीकार करता हूं। उन्होंने बड़े अच्छे और दृढ़ शब्दों में शासन की नीति का परिचय दिया है कि जो अराजक तत्व हैं, चाहे कोई दल हो या व्यक्ति हो, कोई भी ऐसा कार्य करेगा तो शासन उसको पूरी तरह दबाने की चेष्टा करेगा। माननीय संसदीय कार्य मन्त्री ने कहा है कि शासन की तरफ से निन्दा का प्रस्ताव आएगा और उस पर चर्चा का मौका मिलेगा तो हम जो इस प्रस्ताव से सम्बन्धित हैं उस प्रस्ताव को वापस लेते हैं। मान्यवर, आप प्रश्न उपस्थित करें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

जिस घटना के बारे में माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव रखा बहुत ही गम्भीर घटना है। कोई भी सेन्सीबुल आदमी ऐसी घटनाओं की निन्दा करेगा।

पार्लियामेन्ट में इसकी निन्दा हुई है। लेकिन शतरुद्र प्रकाश ने जो तथ्य रखे हैं वह बहुत गम्भीर हैं। उनका कहना है कि इस घटना के पीछे न केवल एक विशेष दल का बल्कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में बैठे हुए सीनियर जो अधिकारी हैं उनका हाथ है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि जो टिक्कू साहब हैं उनका भी इसके पीछे हाथ है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर ऐसी हालात है कि इस प्रकार के विमान दुर्घटना के पीछे इतने वरिष्ठ अधिकारियों का हाथ है और मुख्य मन्त्री को इस बात का ज्ञान नहीं है तो उनको वहां पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। उनके दल से इतने गम्भीर आरोप लगाए जा रहे हैं। १२० आदमियों की जान का खतरा पैदा हो गया और उसमें उत्तर

प्रदेश के वरिष्ठ कर्मचारियों का हाथ है । इससे बड़ा आरोप और क्या हो सकता है ? इसलिए मेरा कहना है कि काम-रोको प्रस्ताव होना चाहिए । मुझे ऐसा लगता है कि जो दो पान्डेय हैं वह भी समझते हैं कि नकली सरकार है और नकली हथियारों से डर जाएगी ? नकली हथियारों को दिखाकर माननीय मुख्य मन्त्री जी भाग-भाग वाराणसी गए और वहाँ पर खुशामद किया ।

श्री अध्यक्ष--

नेगी जी अब समाप्त कीजिए ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

आप उस प्रस्ताव को चर्चा के लिए स्वीकार कर लें ।

श्री अध्यक्ष --

आप बैठ जाएं । जो प्रस्ताव राजेन्द्र जी ने दिया है उस पर माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अपने विचार प्रकट किए और माननीय संसदीय कार्य मन्त्री ने आश्वस्त किया कि इसी विषय पर सदन को अवसर मिलेगा और एक भर्त्सना का प्रस्ताव लाया जाएगा । तो इसीलिए मैंने कहा कि ग्राह्य अवश्य है लेकिन राजेन्द्र जी ने कहा कि वे अपने प्रस्ताव पर बल नहीं दे रहे हैं क्योंकि इस तरह का प्रस्ताव स्वयं सरकार लाएगी । इसमें न नेगी जी को आपत्ति होगी और न श्यामधर जी को । अब यह विषय समाप्त हुआ ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

एक व्यवस्था का प्रश्न है । राजेन्द्र जी ने तो वापस ले लिया । लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष --

वापसी का सवाल नहीं है । कार्य-स्थगन का प्रस्ताव पेश होता है जब सदन का कार्य समाप्त होता है । लेकिन जब मैं यह देख रहा हूं कि इस पर बहस का अवसर मिल रहा है तो इसीलिए इसको स्वीकार नहीं किया ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मैं राजेन्द्र जी के प्रस्ताव पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष --

कोई आवश्यक नहीं है । यह नियमावली में लिखा है कि जब एक प्रश्न सदन में चर्चित हो तो दूसरा नहीं उठ सकता है । मैं व्यवस्था दे रहा हूं । आप बैठिए । नियम ५८ (१) में लिखा है कि एक ही उपवेशन में एक से अधिक प्रस्ताव नहीं लिए जायंगे । तो एक उठ गया ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय --

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष --

अब मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैं इसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष --

मैं इस पर कोई अनुमति नहीं देता हूं । आप बैठिए ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की अन्य सूचनाएं

श्री अध्यक्ष --

श्री हरि केवल प्रसाद ने देवरिया जनपद की देवरिया व बैतालपुर की चीनी मिलों के कीमती पुर्जे बाहर भेजे जाते समय मजदूरों द्वारा पकड़े जाने की सूचना दी है । इस पर पहले वक्तव्य हो चुका है । श्री ऊदल ने गाजीपुर जिले के गांव मुडकुडा में हरिजनों के घरों को जलाने के सम्बन्ध में सूचना दी है यह प्रश्न ग्राह्य नहीं है । श्री हामिद रजा खां ने बरेली डिस्ट्रिक्ट कारागार में कांग्रेस (आई) के सत्याग्रहियों पर लाठी चार्ज की सूचना दी है । इसपर पहले ही चर्चा हो चुकी है । श्री सुन्दर लाल दीक्षित ने आपात काल में परिवार कल्याण कार्यक्रम को जबरदस्ती चलाने के सम्बन्ध में दी है । यह अनिश्चित है । श्री जयराम, ऊदल व राम सजीवन ने गाजीपुर के ग्राम मुड़कुड़ा में हरिजन बस्तियों को जलाने के सम्बन्ध में दी है । यह समय के बाद प्राप्त हुआ है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मैं अकेले एक ९ बजे दे आया था ।

श्री अध्यक्ष--

उसका भी जिक्र मैंने पहले ही कर दिया ।

श्री ऊदल--

श्रीमन्, यह बहुत गम्भीर मसला है । आप थोड़ा सा मौका दें । पूरा का पूरा गांव जला दिया गया है । इन जाड़ों के दिनों में लोग तड़प रहे हैं न उनके पास खाने को है और न उनके मकान ही रह गये हैं । काफी लोगों को चोट भी पहुंच गयी है । आप इस पर एक वक्तव्य ही दिला दीजिए ?

श्री अध्यक्ष--

गृह मन्त्री जी इस सम्बन्ध में जांच करा ले और सूचना दे दें ।

१९७८-७९ के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा

श्री अध्यक्ष--

इस समय साढ़े ३ बजे हैं । चूंकि काफी समय हो गया है इसलिए साढ़े ४ बजे तक इस पर विवाद समाप्त हो जाना चाहिए । म समझता हूं कि इस पर १ या २ से ज्यादा भाषण नहीं हो पायेंगे, फिर सभी अनुदानों पर मत लेना होगा । अतः (विरोध पक्ष की ओर इशारा करते हुए) आप में से कौन बोलेंगे ?

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

श्री श्याम धर मिश्र जी ।

श्री अध्यक्ष--

जैसा मैंने अभी कहा अब साढ़े ३ बज गये हैं। साढ़े ४ बजे तक इसको समाप्त करना है। फिर मैं अनुदानों के प्रस्ताव लूंगा। उसके बाद एप्रोप्रिएशन बिल आयेगा। तो एक घंटे में यह सब समाप्त करना होगा।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

मान्यवर, हम में से कम से कम एक-एक माननीय सदस्य को बोलने दीजिए ?

श्री अध्यक्ष--

तो ठीक है। आप ५-५ मिनट बोल लीजिए।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, इस पर इधर से भी बोलने वाले लोग हैं, उधर से भी बोलेंगे। फिर सरकार के मंत्री जी भी उत्तर देंगे। तो एक घंटे में कैसे न्याय हो पायेगा ? सब जगह की कटौती अनुपूरक मांगों पर चर्चा में ही कीजिए ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री, आप इस पर कितना समय लेंगे ?

वित्त मंत्री (मधुकर दिघे)--

मान्यवर, पहले प्रस्ताव तो करा लीजिए, फिर बुलाइये ?

श्री अध्यक्ष--

प्रस्ताव तब होगा जब चर्चा समाप्त हो जायगी। सब एक साथ लिए जायेंगे और अनुदानों पर मत लिया जायगा। इस पर सामान्य विवाद चूंकि ब ३ बज चुके हैं, त साढ़े ४ बजे तक इस को समाप्त करना चाहिये। दोनों तरफ से ५-६ आदमी बोल सकते हैं, फिर मैं अनुदानों को ले लूंगा।

श्री मधुकर दिघे--

क्या इनको प्रस्तुत हुआ मान लिया जाय ?

श्री अध्यक्ष--

आप यह देखिए कि पहले तो इस पर विवाद हो जाय। तो मैं आपसे यह अनुरोध कर रहा हूं कि इस विवाद को साढ़े ४ बजे समाप्त कीजिए ?

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, एक घंटे का समय तो बहुत ही कम है ?

*श्री श्याम धर मिश्र--

श्रीमन्, दो पुस्तिकायें हमें मिले हैं--एक खं० १ तथा दूसरी है खंड २। अनुपूरक बजट पर बोलने के लिये निरोध पक्ष को काफी समय मिलना चाहिये, किन्तु आपने समय की सीमा बांध दी है, अगर वह हम तोड़ें तो आपत्ति न कीजियेगा,

---

*वक्ता भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्याम वर मिश्र—]

वैसे हम प्रयास करेंगे कि समय के अन्दर ही अपनी बात कह सकें । इसमें आप देखें कि ४८ अनुदानों के सम्बन्ध में करीब ९८ करोड़ रुपये की मांग रखी गयी है। इसके पहले ३४ करोड़ का प्रथम अनुपूरक बजट रखा गया था। अभी तीसरे अनुपूरक की मांग यह फिर करेंगे ।

मान्यवर, यह क्यों मांगा जाता है ? इसकी जो परिपाटी पड़ गयी है इसी पर मुझे आपत्ति है, मैं इसी का विरोध हूं । अगर बहुत जरूरत है तो आप अनुपूरक जरूर करें, मगर जो बातें पिछले बजट में आ सकती थीं या जिन बातों को अगले बजट के समय तक के लिये टाला जा सकता था उनको भी इसमें ले आये हैं ।

(इस समय १ बजकर ३५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री जगन्नाथ प्रसाद पीठासीन हुए ।)

राज्य विधान मंडल के विषय में भी एक अनुदान है इसमें कहा गया है कि लोक सभा की भांति विधान सभा सचिवालय की सेवाओं का भी पुनर्गठन हो रहा है और विस्तार हो रहा है । इसके लिए मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं। मैं इस बात का पोषक हू और मैं चाहता हूं कि आप पूरी तरह से लोक सभा की भांति यहां व्यवस्था कराये, मगर मालूम तो यह हुआ है कि केवल थोड़े से पदों का ही सृजन हुआ है, इसी से काम चलने वाला नहीं है । मैं माननीय दिघे साहब को यह बताना चाहता हूं कि लोक सभा में यदि किसी को यह जानकारी करनी होती है कि माननीय दिघे साहब ने पिछले १०–२० वर्षों में किन–किन विषयों पर क्या–क्या कहा है तो यह जानकारी उसे पुस्तकालय से ३ घंटे में ही मिल जाती है, जब कि यहां पर पुस्तकालय में सदस्य को स्वयं ही जाकर उसे देखना पड़ता है, वह सुविधा यहां प्राप्त नहीं है । मैं तो कहता हूं कि लोक सभा की ३/४ सुविधायें भी अगर यहां आप माननीय सदस्यों को उपलब्ध करा दें तो मैं आपको बधाई दूंगा । लेकिन आज जो आप दे रहे हैं उससे संतोष होने वाला नहीं है, यह अपर्याप्त है । मुझे एक जगह काम करने का अवसर मिला है । लोक लेखा समिति के चेयरमैन को हैसियत से और मैंने देखा कि यहां पर ३–४ वर्ष का काम पिछड़ा हुआ था । (व्यवधान) ।

एक चीज मैं और कहना चाहता हूं और वह यह कि यहां पर आप इन्डियन पार्लियामेंटरी सर्विस करें, उसका एक कैडर बनायें । उसमें यहां के अधिकारी हों । एक बात और कहना है, आप देखें विस्तारपूर्वक, एक–एक विषय की ओर अगर जायं, मैंने देखा इसमें ९९ करोड़ तो जड़ है इनका, लेकिन जोड़ क्यों है, क्योंकि इसमें २०० रु०, ३०० रु०, १,३०० रु० जो प्रतीक है, उनका भी जोड़ है, सही माने में जो उनके एवज में जो रुपये खर्च होंगे तो कई करोड़ और हो जायेंगे, जैसे मैंने शिक्षा के अनुदानों को जोड़ा, शिक्षा में जो अनुदान हैं, वह ४ करोड़ के हैं और प्रतीक रूप से १३ करोड़ जोड़े गये हैं, जो बचत है, उसमें दिखा दिया गया है कि यह केवल १,३०० रु० खर्च करेंगे, तो इसमें १,३०० रु० शामिल है । मैं समझता हूं कि यह कम से कम सवा सौ करोड़ रुपये का बजट है और मैं यह जानना चाहता जब अभी पिछले ४–६ महीने में ही अभी यह बजट पास हुआ, क्या वजह है कि आप उससे समर्पण कर रहे हैं और समर्पण करके आप कह रहे है कि इसी में से हम खर्च कर लेंगे, अधिकार मांग रहे है ।

मैं पूछना चाहता हूं आपके मंत्री जी से कि क्या-क्या समर्पण कर रहे हैं ? इस पुस्तिका से यह नहीं समझ में आ रहा है, कौन-कौन सी योजनाओं को काट-काट कर ये देंगे ? इस पुस्तिका से नहीं पता चलता। कौन-कौन सा ब्यौरा है। हमको आप बतलायें कि क्या-क्या सेवायें, किन-किन मदों को काट कर आप इस तरह से कर रहे हैं। कम से कम तृतीय अनुपूरक जो आप लायेंगे उसमें यह बतायें, पिछले वर्ष हमने देखा इरीगेशन में, हमने देखा पी० डब्लू० डी० में, हमने देखा बहुत सी जगह आपने समर्पण कर दिया, रुपया खर्च नहीं हुआ, जब मूल रुपया नहीं खर्च हुआ और आपके अनुपूरक का भी रुपया नहीं खर्च हुआ, कोई कारण नहीं है कि रस्म-रिवाज के नाते-फाइनेंस मंत्रालय और मंत्रालय आ जाते हैं, आप उनकी बात मान लें, यह कतई आप न मानें, इन अनुपूरक मांगों में जब तक कि विशेष बातें न हों, सालाना, साल भर की आप उनको बीच में न लायें।

अब बीच में पांच मंत्रियों के कमरे बनायेंगे और उनकी साज-सज्जा की बात होगी, आप करना चाहते हैं, मुझे एतराज नहीं है, ५ मंत्रियों के कमरे हो जायं, ह तो पिछले बजट की बातें हैं, अगर नहीं है पिछले बजट की बात, तो अगले बजट की बात है। क्या अर्जेंसी है, जो आप कहते हैं कि अत्यन्त अविलम्बनीय है, अगर अविलम्बनीय है, तो अगले बजट में लाते या पिछले बजट में लाते। लकीर के फकीर न बनें। यह मुझे बिलकुल नहीं कन्विन्स करेगा कि कांग्रेस के जमाने में ऐसा होता रहा है, इसलिए यह हो रहा है। यह गलती अगर होती रही है तो इसको सुधारने के आप उत्तरदायी हैं और क्यों नहीं आप सुधार रहे हैं।

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि मेडिकल कालेज हैं, माननीय मंत्री जी आये थे और उन्होंने कहा था, मुझे अच्छी तरह से याद है, स्वास्थ्य मंत्री जी ने कि हम यहां पर जो इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली में है उस तरह का मेडिकल इंस्टीट्यूट अनुपूरक में रखकर ले आयेंगे, बनायेंगे। आपने उसूलन उसको स्वीकार किया था, हमने बहुत खोजा लेकिन दिखाई नहीं दिया। एक चीज जो अनुपूरक में नहीं होनी चाहिये वह है। कहीं किसी मंत्री मंत्री की कार या किसी के कार के बारे में इसमें है छोटी-छोटी चीजें इसमें हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आयुर्वेदिक कालेज, झांसी के लिये आपने एक्सरे प्लांट की खरीद कर लिया, बजट में था। लेकिन किसी अधिकारी की समझ में नहीं आया कि मशीन तो खरीदी जा रही है लेकिन संचालक का पद रखा नहीं गया है। अब आप संचालक के पद के सिलसिले में अनुपूरक में कर रहे हैं। यह आपकी व्यवस्था क्या है। आप कहेंगे कि पुराना रोग है तो फिर मैं कहता हूं कि अगर आप में पुरानी सरकार की गलतियों में कोई फर्क नहीं है तो आपको रहने का हक कैसे है। इसको बताये? आपने मलेरिया उन्मूलन के लिये ६ लाख रुपये का नया व्यय कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष--

२ मिनट रह गये हैं।

श्री श्याम धर मिश्र--

कृपया लाल बत्ती बुझा दें। मैंने अध्यक्ष जी से कह दिया है। आप कहें तो बैठ जाता हूं। लेकिन इतने समय में समाप्त नहीं होता है तो और समय दिया जाय।

आप जो यह ६ लाख रख रहे हैं यह दवा वगैरह के लिये नहीं है। एक नयी योजना है तो इसको आगामी आने वाली योजना में लाना चाहिये था। इसके

[श्री श्यामधर मिश्र]

अलावा केन्द्र को बहुत सी योजनाओं दी जाती हैं। इसके पेज २५ पर है, ढाई लाख रुपये आप समर्पित कर रहे हैं और निकाल रहे हैं। तो क्या चीज आप काट रहे हैं, कौन सी चीज है बतायें ? पेज ४९ पर एक सुखोन्मुख योजना है यह योजना क्या है आप बतायें ? इसके अलावा ग्वायडा की योजना है। अभी मैं दिल्ली गया था, पिछले सप्ताह। मुझे ग्वाडा जाने का अवसर मिला वहां बहुत अच्छा काम हो रहा है और हुआ है, मैंने एक पत्र भी उद्योग मंत्री को लिखा है। ग्वाडा में बड़ा अच्छा काम हुआ है।

उत्तर प्रदेश में बड़ी भारी कमी है कि जो योजना चलती है उसको बीच में छोड़ देते हैं। १५ करोड़ की योजना चल गयी। एक पुल बनना है, बिजली देनी है, टेलीफोन देना है तो आपकी सरकार दर्ज में छोड़ती है। १५ करोड़ खर्च हो गया है २, ३ करोड़ खर्च करने से कतरा रहे हैं। इसलिये उद्योग पनप नहीं रहे हैं। सड़कों के सम्बन्ध में १५ करोड़ रखे गये हैं। ५ करोड़ इधर रखा है। इस ५ करोड़ से इस प्रदेश में क्या होगा। क्या करेंगे हम ? जब कि क्वालिटी देखने वाला कोई नहीं है, आधा तो लोग खा जाते हैं। जब खा जाते हैं तो आपने कम से कम चेकिंग के बारे में सोचा है।

आपने विधायक निवास को बनाने का प्रयास किया है। लेकिन तहसील में सबसे बड़ा दुर्दशा है। वहां पर अधिकारियों के रहने के लिये स्थान नहीं है। ब्लाक में भी नहीं है। इसका नतीजा यह है कि विकेन्द्रित व्यवस्था जो आप चाहते हैं वह नहीं हो पा रही है। सब अधिकारी जिले में रहते हैं, तहसील में नहीं रहना चाहते। जो करोंगा हैं, नायब तहसीलदार हैं और लोग हैं जिनको ब्लाक स्तर पर जाने के आदेश हो गये हैं लेकिन वह वहां नहीं रहना चाहते हैं। हाउसिंग बोर्ड का कोई कारण नहीं है कि वह हर तहसील पर मकान न बना दे जिससे लोग वहां रह सकें। लेकिन इसका प्रयत्न नहीं किया जाता है।

माननीय, मुख्य मंत्री जी से मैंने एक बात कही और लिखा था जिसको मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि १०० रुपया यदि योजना पर खर्च होता है तो यहां ६५ कर्मचारी अधिकारियों पर और केवल ३५ प्रतिशत योजना पर खर्च होता है। इसलिये मैंने लिखा था कि सर्वदलीय एक समिति बनायी जाय जो जांच करे कि स्टाफ विभाग और कर्मचारियों के लिये जा सकते हैं। हमारे जिले में ४ वर्ष पहले ४-४ ए० डी० एम० थे लेकिन आज ४ अतिरिक्त ए० डी० एम० हैं और सब मिलाकर ८ हैं। इलाहाबाद में ९ हैं। तो मुझे पता नहीं है। इसलिये एक सर्वदलीय समिति बनायी जाय। इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री ने मुझे एक पत्र भेजा कि इसका क्या उपचार किया जाय ? इस पर मैंने १०-१५ अधिकारियों के कमी करने का सुझाव दिया है इससे आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी। आप देखें इसमें जो ९९ करोड़ रुपया है उसमें ऋण, सब्सिडी, सहायता आदि के व्यवस्था है, और सरकारी विभागों को दिया जाता है। तो बाहर सरकार में बैठे लोगों ने इसपर सोचा ? उन्हों विरोधी दल में जब थे तो सोचा जरूर था लेकिन अब यह कैसे भूल गये।

कंपनियों और कारपोरेटिव का क्या मर्ज ? मर्ज है सरकारी अधिकारियों का जो कि इस काम को नहीं जानते हैं लेकिन इसके निदेशक बन बैठे हैं। ८०-८२ कंपनियों में ३०-४० सरकारी कंपनियां हैं जिनमें सरकारी लोग बैठे हैं। यदि इनका कैडर बना दें जैसे आई० ए० एस० का है उस प्रकार आई० ए० एस० (इंडस्ट्रीज) और इनको उसमें ही रखें। लेकिन आज अधिकारी एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करते हैं। तीजा होता है कि चाहे सरकारी विभाग हो या सहकारी सबमें नुकसान

हो रहा है । आज १,५०० करोड़ रुपये के सरकारी कार्य हो रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को लेकर, जिसमें सालाना नुकसान लगभग ५० करोड़ का इस प्रदेश में हो रहा है । इस पर हमको सोचना चाहिये । यदि यह रुपया किसी व्यक्ति का होता तो वह इस पर १०-१५ प्रतिशत अवश्य कमा लेता लेकिन आज हम उस पर टैक्स दे रहे हैं और नुकसान उठा रहे हैं ।

मान्यवर, जहां तक रुपये जिले की बात है तो राबर्ट्सगंज का इलाका पिछड़ा है जिसको जिला नहीं बनाया गया है जबकि राबर्ट्सगंज को जिला बनाया जाना चाहिये । इसी प्रकार जौनपुर को औद्योगिक जिला बनाया जाना चाहिये । यह एक न्याय करेंगे । इससे इस प्रदेश का फायदा होगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं मंत्री जी से कि बहुत अनुदानों को, जो सरकार कर रही है, बंद करें । यह कांग्रेसी जमाने की दी हुई चीज है । एक जरूरत की चीज थी उस समय कि अनुदान दे दिया बैल लाना है, गाय लाना हो, बछड़ा लाना हो, सिंचाई लानी हो, उर्वरक लाना हो । मैं आपसे कहना चाहता हूं वित्त मंत्री जी कि अनुदान बंद करें। उस अनुदान को बचाकर अन्य कार्य करें । इस अनुदान के पीछे भ्रष्टाचार है ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें ।

श्री श्याम बर मिश्र—

श्रीमन्, आपके जिले में यह हो रहा है । मेरे जिले में यही हो रहा है । पूरे प्रान्त में यह हो रहा है । इन शब्दों के साथ मुझे आशा है कि माननीय वित्त मंत्री इन बातों पर विचार करेंगे ।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, आज माननीय वित्त मंत्री जी ने ९९ करोड़ का····

श्री उपाध्यक्ष—

नेगी जी, एक निवेदन है कि आप ५-७ मिनट में अपनी बात समाप्त करें····

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

अपने निवेदन है कि स्कूल की डिबेट यह नहीं है····

श्री उपाध्यक्ष—

साढ़े चार बजे सामान्य चर्चा समाप्त होनी है····

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मैं कोशिश करूंगा । मान्यवर, मेरा निवेदन है कि यह सरकार ९९ करोड़ का सप्लीमेन्ट्री बजट ला रही है । मैं पूछना चाहता हूं जब पिछला बजट सरकार लाई थी और जो सप्लीमेन्ट्री बजट लाई है इस दरम्यान में क्या प्रगति, क्या रिजल्ट रहा इस सरकार का ? आज ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सप्लीमेन्ट्री बजट, विद्युत् परिषद् के बारे में सप्लीमेन्ट्री बजट, शिक्षा के बारे में, आम चीजों के बारे में, खेत में सप्लीमेन्ट्री बजट माननीय मंत्री जी ला रहे हैं । मैं माननीय मंत्री से पूछना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

चाहता हूं कि आपकी सरकार है। आखिर कौन ९९ करोड़ रुपया खर्च करेगा। कोई सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर है।

मान्यवर, रेल में सफर करते हैं तो खतरा है, डकैती है, बस में सफर करते हैं तो डकैती का खतरा है। किसी जमाने हवाई जहाज सुरक्षित था आज वहां हाईजैकिंग है। कोई भी ऐसा साधन नहीं है जिसमें आप यह सोच कर सफर कर सकें कि आपकी कहीं लूट-पाट न हो, कहीं डकैती न हो। मैं पहाड़ का रहने वाला हूं। आप भी जानते हैं कि हमारे पहाड़ की यह परम्परा थी कि कभी दरवाजे में ताला नहीं लगाते थे। अगर किसी ने ताला लगा दिया तो दरवाजे के बगल के ताक पर चाबी रख देते थे सिर्फ इसलिए कि घर पर नहीं हैं। आज पहाड़ में हमारी औरतों को मान्यवर, जेवर पहन कर जंगल में जाने की आजादी नहीं है। आज पहाड़ के अन्दर लूट मार, डकैती का वातावरण फैला है। आज मातायें, बहनें गहने पहन कर बाहर नहीं निकल पाती। यह शासन की हालत रही है। डकैती, कत्ल, साम्प्रदायिक दंगे। एक तरफ तो यह हो रहा है और दूसरी तरफ जिन लोगों की जायज मांगें हैं उन पर गोलियां चलाई जाती है। मजदूरों के ऊपर लाठियां चलाई जाती हैं, उनको जेलों में बंद कर दिया जाता है।

अभी कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के अन्दर बिजली कर्मचारियों की हड़ताल हुई। सरकार से लगातार बातचीत करने की कोशिश की गई, समझाने की कोशिश की गयी, नहीं माने। जब हड़ताल हो गयी और काफी दिन हो गये तब जा कर मुख्य मन्त्री जी के कान में जूं रेंगती है और वह अपने विद्युत मंत्री को किसी तरह समझा कर समझौता कराते हैं। समझौता तो कर दिया लेकिन आज भी उस समझौते का पालन नहीं होने जा रहा है। आज भी मजदूरों पर जुल्म और दमन चल रहा है।

चार करोड़ रुपया एजूकेशन में आप सरेन्डर कर रहे हैं और हालत क्या है ? आप के एजूकेशन के माननीय मन्त्री जी हैं नहीं। वह भी शिक्षक रहे हैं। मान्यवर, इस माननीय सदन ने कुछ सदस्यों को चुना है मान्यता समिति के लिए उत्तर प्रदेश इन्टरमीडिएट एजुकेशन बोर्ड में। मान्यता समिति की मीटिंग हुई। करीब ८००-९०० विद्यालयों की मान्यता को समिति ने सिफारिश कर दी और सरकार के पास भेज दी। तमाम सिफारिशें निर्विरोध हैं लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जी ने उन सिफारिशों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया और पूरे प्रदेश में ७०० संस्तुतियों में बमुश्किल २५ विद्यालयों को मान्यता प्राप्त हुई और हमारे गढ़वाल और कुमाऊं मण्डल में तो एक को भी नहीं हुई। लेकिन शिक्षा के अन्दर मांग की जा रही है।

मान्यवर, जनता किसी तरह से स्कूलों के भवन बना देती है। लेकिन सरकार मान्यता नहीं देती और मंत्री जी कहते हैं कि शिक्षा के खाते में ४ करोड़ बचा लिया। यही नहीं, मान्यवर, हर जगह बिजली की समस्या है। हर जगह बिजली की मांग होती जा रही है कि बिजली चाहिये। प्रदेश के अन्दर अगर प्रगति करना चाहते हैं वो बगैर बिजली के हो नहीं सकती। मान्यवर, केन्द्र के अन्दर एक रूरल इलेक्ट्रिकल कारपोरेशन है--आर० ई० सी०। आर० ई० सी० देहात में बिजली के लिए अनुदान देता है। अब मुझे मैदानों का तो मालूम नहीं, लेकिन पहाड़ के बारे में उसकी कुछ शर्तें ऐसी हैं कि उसमें उत्तर प्रदेश सरकार को कुछ विशेष भाग देना होता है और तब आर० ई० सी० की तरफ से जितनी धनराशि चाहिये मांग सकते हैं बशर्ते कि राज्य सरकार अपना योगदान दे सके।

मान्यवर, आपको आश्चर्य होगा, पूरे गढ़वाल मण्डल में इस समय आर० ई० सी० की तरफ से एक नया पैसा भी नहीं अनुदान दिया जा रहा है। केवल इसलिए

कि इसमें आपने अपना अंशदान नहीं दिया । एक तरफ माननीय, बिजली के संकट पर चर्चा की जा रही है, दूसरी तरफ सरकार उसकी तरफ सोयी पड़ी है । तो, मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि कृपा कर आर० ई० सी० के मामले को देख लें और दूसरे, माननीय कालो चरण जी महाराज को कुछ समझा दें और उनसे कहें कि कम से कम मनोनीत समिति जिसमें कि आपके भी मनोनीत सदस्य हैं और सदन के दूसरे भी सदस्य हैं, कम से कम उनके मामले तो जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करें ।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं क्योंकि और भी कई माननीय सदस्यों को इस पर बोलना है ।

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, आज माननीय वित्त मंत्री जी ने ९९ करोड़ का सप्लीमेंट्री बजट सदन के सामने रखा है । श्रीमन्, इसमें दो राय नहीं कि चूंकि सूबे में सैलाब वगैरह काफी रहे इसलिए माननीय मंत्री जी का रुपया मांगना जरूरी था और उसमें कोई खतरे की भी बात नहीं है लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आया कि सैलाब को आड़ बनाकर कुछ ऐसी मदों में रुपया मांगना उसके पीछे क्या अर्जेन्सी है ? यह बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आयी । श्रीमन्, ९९ करोड़ की रकम कोई मामूल रकम नहीं है । ९९ करोड़ मन्जूर करने से पहले जरा देख लें आपके सूबे की तस्वीर क्या है जिसका कि आप शासन कर रहे हैं । मैं एक मिनट, मान्यवर, उस तस्वीर को रखना चाहता हूं ।

श्रीमन्, शिवराज सिंह, विधायक का मर्डर हुआ । माननीय प्यारे लाल शर्मा, भूतपूर्व विधायक का मर्डर हुआ । गोरखपुर में बक्तर में बैठे हुये एक क्लर्क का दिन में मर्डर हुआ । यह अखबार में छपा है । यहीं लखनऊ में एक लेडी डाक्टर का रेप-यह कितनी घिनौनी घटना है । अभी १८ नवम्बर को, आपके एक वजीर बनारस में एक अल्ट्रा मार्डर्न लड़की के साथ पकड़े गये । कोई पुरानी बात नहीं है । आप ही के एक वजीर थे ।

श्री कन्हैया लाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)--

यह कहां की घटना का आप जिक्र कर रहे हैं ?

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, यह अखबारों में छपी बात है । अखबारों में गलत छपता है तो उसका प्रतिवाद होता है । लेकिन इसका कोई प्रतिवाद तक नहीं हुआ ।

श्रीमन्, जहां तक फिरकापरस्ती और फसादात के मामले हैं, वह उत्तर प्रदेश में १० हो गये-टोटल हिन्दुस्तान में ४१ हुये । जहां-जहां गोली चली, उसमें यू० पी० में अकेले १६ हैं-१० कम्युनल रायट और ६ में गोली चली और श्रीमन्, मुझे तो ताज्जुब हो गया कि एक अखबार है २६ नवम्बर का, इसके अन्दर एक ही दिन की उसमें ५ घटनायें ऐसी छपी हैं जिससे कि पूरे सूबे की तस्वीर सामने आ जायेगी । डकैतों द्वारा परिवार के आठ सदस्यों की हत्या एवं लूट, और श्रीमन्, इसी में निकला कि नकली सी० आई० डी० इंसपेक्टर साहब बंद किये गये । एक ही रात में ३ सशस्त्र डकैतियां । विधायक को गोली मारी गई और 'तिजोरियां तोड़कर २० हजार की चोरी' । एक ही दिन की इतनी घटनायें हैं, पूरे प्रदेश में क्या

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

[श्री रियासत हुसैन]--

हालत होगी वह अलग बात है। यह भी फोटो छपा कि ४० पुलिसमैनों को यह मंत्री जी ने अवार्ड दिया है कि आपके जिले में ला एंड आर्डर की पोजीशन बहुत अच्छी है। दूसरी तरफ गाजीपुर में अभी हरिजनों के मकानों में आग लगाई गई। जेल में न रोटी है, न पानी है और न सोने के लिए जगह। धर्मशालाओं को जेलें बना दी। इससे आग चलें।

माननीय खाद्य मंत्री जी आकर बैठ गये। शुक्रिया है, डीजल गायब ३ रुपये लीटर जितना चाहें, खरीद लीजिये, १ रुपये ४३ पैसे में गायब। केरोसीन आयल गायब है, ४ रुपये लीटर जितना चाहें ले लीजिये। शुगरकेन का पिछला बकाया अभी पड़ा हुआ है। जहां तक करप्शन की बात है, सिंचाई मंत्री जी सामने बैठे हुये हैं। अभी इसी सदन में ४ दिन पहले बात हुई कि १३ जूनियर इंजीनियर बिना डिप्लोमे के ही एक्वाइंट हो गये। रिश्तेदारों को तो फिट करना था, बिना डिप्लोमे के १३ जूनियर इंजीनियर एक्वाइंट हो गये। सैलाब के अन्दर आप लोगों ने रुपया तो दिया लेकिन यह भी सोचा कि ३-३ बार लड़कों की फीस के एक्जम्पशन के लिए, ३ अगस्त को अपने सूबे में सैलाब का प्रकोप शुरू हुआ, लड़कों की फीस माफ होनी चाहिये थी लेकिन आदेश तीनों बार यह गया कि जिस खाते पर ५० प्रतिशत का नुकसान हो उसकी फीस माफ की जाय। इन लड़कों की फीस माफ होनी चाहिये लेकिन एजूकेशन डिपार्टमेंट में यही हुआ कि तहसीलदार से लिखाकर लाओ कि तुम्हारे खाते में ५० प्रतिशत का नुकसान हुआ है तभी फीस माफ होगी। ३-३ बार आर्डर इशू हुए हैं, तीनों आर्डरों को आप उठाकर देखें तो उसमें कोई एक लब्ज का भी अन्तर नहीं मिलेगा।

श्रीमन्, फर्टिलाइजर की रिलीफ के लिए ८ करोड़ ८० लाख रुपये का आपने किया है। पिछले साल डाई की कीमत ८० रुपये थी, इस बार ९८ रुपये में मिल रही है। और श्रीमन्, आप दिल्ली में निवास और नैनीताल में निवास बना रहे हैं रहने के लिए। तो क्या आप आफिसरों के लिए ही, जिनको डी० ए०, टी० ए० सब मिलता है उन्हें सुविधा देने के लिए आपने यह सब किया है ? विधायकों के लिए, जहां आप बजट पेश कर रहे हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उनके लिए जगह खाली होगी तो मिलेगा नहीं तो केयर टेकर साहब लिख देंगे कि जगह खाली नहीं है।

एक मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने चारों तरफ से घेरकर इस तरह कर दिया है कि टेलीफोन करने को भी सुविधा नहीं है। विधायक लोग लू में वहां बैठे रहें। दोनों तरफ जो लेट्रीन हैं, उसकी आवाज टेलीफून पर आती रहती है। श्रीमन्, समझ में नहीं आता है कि आखिर कोई लिमिट तो होगी मंत्रियों के लिये, आप यह सब चीजें उपलब्ध कराते हैं। माननीय सदस्यों के लिये आप देखते हैं कि कुर्सी टूटती है तो वह कितने दिनों बाद बनती है। पर्दा फटता है तो कितने दिन में ठीक होगा, दरी का रिप्लेसमेंट होता है कि नहीं। यह सारा रुपया माननीय सदन केवल कुछ मंत्रियों के लिए मन्जूर करेगा। अक्सरियत है, पास कर लेंगे। लेकिन आज जो मौजूदा हालत है डीजल, केरोसिन, गन्ने का दाम और जेलों की हालत, हरिजनों पर अत्याचार तथा मौजूदा करप्शन को देखते हुये क्या ९८ करोड़ रुपये की मांग उचित होगी। मैं समझता हूं कि मौजूदा हालत को देखते हुये यह उचित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय वित्त मंत्री जी, आप कितना समय लेंगे ?

श्री मधुकर दिघे--

मुझे २० मिनट चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

(श्री सुन्दर लाल दीक्षित के खड़े होने पर) दीक्षित जी आप दो-तीन मिनट में अपनी बात कह दें ।

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)--

दो मिनट मुझे भी चाहिये ।

*श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)--

मान्यवर, मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक अनुदानों पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मंत्री जी ने जो धनराशि मांगी है और पास करवाना चाहते हैं । उसके सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि आज सारे सूबे के अन्दर कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है । सारे सूबे की हालत पर हमारे बहुत से मित्रों ने चर्चा किया है । वह बिलकुल सही है और उसमें दो राय नहीं है । मैं बाराबंकी जिले की परिस्थिति के बारे में सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि वहां पर कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है । भूतपूर्व मंत्री और वर्तमान संसद सदस्य, जो कांग्रेस (आई) की अध्यक्ष हैं, उनके इशारे पर चल कर वहां के वर्तमान पुलिस अधीक्षक कानून और व्यवस्था को तोड़ रहे हैं और अपराधी तत्वों को बढ़ावा दे रहे हैं । यहां तक पता चला है कि गैर कानूनी ढंग से राजनीतिक कार्यकर्ताओं को तंग करने की कोशिश करते हैं । जनपद के समस्त विधायकों ने शिकायत भी किया लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई । आज बाराबंकी जिले में हर थानों को खुली छूट है और हर थाने की नीलामी की गयी है । पांच, दस, बीस हजार रुपये तक में पुलिस अधीक्षक के थाने नीलाम कर रहे हैं । कोई जनप्रतिनिधि बात करता है तो कहते हैं कि प्रदेश सरकार के गृह मंत्री हमारे रिश्तेदार हैं और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है ।

मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो इस वक्त श्रीमती इन्दिरा गांधी की हिमायत में आन्दोलन चल रहा है उसकी बागडोर बाराबंकी में वर्तमान पुलिस अधीक्षक के हाथ में है जो लोगों को जबरदस्ती प्रेरित करके कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि जेल जाओ, कोई कष्ट नहीं होने पायेगा । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान पुलिस अधीक्षक तानाशाही के प्रतीक लोगों के चापलूस हैं और उनको वहां से तुरन्त हटाया जाय । बाराबंकी जिले में चारों तरफ से शासन को सुनियोजित ढंग से बदनाम करने की चेष्टा की जा रही है और जिले में अव्यवस्था का वातावरण पैदा किया गया है । बाराबंकी जिले में चोरी, डकैती और राहजनी जैसे अपराध इतने अधिक बढ़ रहे हैं जिसको रोकने में पुलिस प्रशासन विफल है । इसलिए गृह मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि सबसे पहले इंसान की जिन्दगी की सुरक्षा की जाय । सारे जन प्रतिनिधि यही बात महसूस करते हैं ।

बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक ने जिले के समस्त विधायकों को धमकी दी है कि जो भी विधान सभा में उनके खिलाफ प्रश्न करेगा अथवा मुख्य मंत्री और गृह मंत्री से कहेगा उसका कत्ल करवा दिया जायगा । मैं मुख्य मंत्री तथा गृह मंत्री

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सुन्दर लाल दीक्षित--]

का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि किस प्रकार की घटनायें हो रही हैं, किस प्रकार से सुनियोजित ढंग से षडयंत्र चल रहे हैं प्रशासन में अधिकारियों की तरफ से कि कत्ल करवाने तक की धमकी दी जाती है इस ओर मुख्य मन्त्री जरा ध्यान दें ।

*श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के माननीय सदस्य अगर सही बात कहें तो उनको हमें जरूर मानना चाहिये । अभी हमने माननीय श्याम धर, रियासत साहब की बातों को सुना । अनुपूरक अनुदान तो हर सरकार मांगगी । हर सरकार को काम करने के लिए रुपया चाहिये । आप भी सरकार में जब होंगे तो आप भी मांगते थे और यह सरकार भी मांग रही है । इसमें कौन सी बुराई है ? ला एंड आर्डर की जो चर्चा होती है वह सब की तरफ से बिगाड़ी गयी है । जनता पार्टी की सरकार ला एंड आर्डर को रोकने में असफल हुई है यह जो बार-बार कहा जाता है सदन में तो विरोधी दल के लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं । मैं मथुरा से आया हूं । लक्खी सिंह जी पीछे बैठे हैं रियासत भाई, सुन्दर लाल तथा श्याम धर जी जरा बतलायें कि कांग्रेस के लोग गिरोह ले कर शस्त्रों से सुसज्जित एक स्कूल चम्पा अग्रवाल कालेज में घुस गये । कटारें, छूरियां तथा रिवाल्वर उनके हाथ में थे । लड़के भयभीत हो गये । कांग्रेस के बवालिये दिन दहाड़े उस स्कूल की दीवार तोड़ने लगे, दीवार ढा दी । ७ विद्यार्थी उसमें दब गये, चार विद्यार्थियों के हाथ टूट गये, दो तीन के दांत टूट गये और ५-६ बेहोश हो कर अस्पताल भेजे गये । उस चम्पा अग्रवाल कालेज से ४०, ५० कदम पर ही पुलिस मूक दर्शक बन कर खड़ी रही । पुराने न्याय मंत्री भी उन बलवाइयों में थे और भी कांग्रेस के वरिष्ठ लोग उसमें थे । कोई लड़कों का तमाशा नहीं था । ५ घंटे तक लूट पाट होती रही । विद्यार्थी तथा मास्टरों में हाहाकार मच गया ।

मैं विरोध पक्ष में बराबर रहा हूं लेकिन ३० वर्ष तक सत्याग्रह जो हमने किये उनमें एक ढेला भी हमने नहीं फेंका । उसके बाद मान्यवर, पुलिस ने क्या काम किया कि धारा १४४ में उनको बंद कर दिया । मैं श्याम धर मिश्रा जी से पूछना चाहता हूं चाहे कोई सरकार हो जो सारे प्रदेश के जनप्रतिनिधि हैं क्या इस बात को बरदाश्त किया जा सकता है ? जो जनप्रतिनिधि हैं वही स्कूलों में जाकर लड़कों को मारें और पीटें, दीवाल गिरा दें रिवाल्वर लेकर जायं और सारे काम रोक दें और फिर सदन में कहें कि ला एण्ड आर्डर नहीं है । तो इस ला एण्ड आर्डर को बिगाड़ने की जिम्मेदारी जहां सरकारी पक्ष पर है उससे कम विरोधी पक्ष की नहीं है ।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिये आये दिन इस तरह की आलोचना की जा रही है । मैं हमेशा रचनात्मक बात किया करता हूं । आज सारे प्रदेश और देश में एक ही बात की आलोचना हो रही है । उस पर आपको ठंडे दिल से सोचना चाहिये । मैं इस्टीमेट कमेटी का चेयरमैन हूं और आप पी० ए० सी० के चेयरमैन हैं तो आप देखें कि इन १५ महीनों में हमारी सरकार ने कितने पुल बनाये, कितनी सड़कें बनाई, कितने स्कूल बनाये, कितने अस्पताल बनाये, कितने कालेजों का निर्माण किया । इन सारे कामों

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पर आप पानी फेरना चाहते हैं और उसका एक ही तर्क दिया जाता है कि ला एण्ड आर्डर ठीक नहीं है। विधान सभा के बाहर ला-एण्ड आर्डर तोड़े और फिर यही हल्ला मचाया जाय। इस तरह से तो काम चलनेवाला नहीं है।

विधान सभा के बाहर एक परमानेंट कोप भवन बना है, आये दिन हड़तालें हो रही हैं। क्या मांग है क्या मांग नहीं है मैं नहीं जानता। तो लोकतंत्र कभी भी एक तरफ से नहीं चलता है। विरोधी पक्ष और सरकारी पक्ष एक ही गाड़ी के दो पहिये हैं। यह वक्त का तकाजा है हम इधर बैठे हैं। कभी आप इधर बैठेंगे और हम उधर बैठेंगे। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह सारी जिम्मेदारी शासन पक्ष की ही नहीं है विरोधी पक्ष की भी है। मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ला-एण्ड आर्डर को कड़ाई के साथ ठीक करें। यह विरोधी पक्ष की बात सही है मैं उसका समर्थन करता हूं। यह नहीं होना चाहिये कि धारा १४४ लगी हुई है और लोग घुस जायं और मार धाड़ करें और उसके बाद उनपर मुकदमा धारा १४४ पर चलें जिसमें एक दिन और दो दिन की सजा होती है और फिर छूट कर लोकप्रियता प्राप्त करते हैं जो तोड़ फोड़ करें और हाथ तोड़ डालें और अराजकता फैलायें उनके साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा जब ला-एण्ड आर्डर पर बहस होगी तो सारे कंक्रीट आंकड़े दूंगा।

यह जो अनुपूरक बजट पेश किया है उसमें सरकार के कामों के लिए रुपया मांगा गया है। रुपया नहीं होगा तो सरकार को मांगना ही पड़ेगा। मैं अपनी बात समाप्त करते हुए जो वित्त मन्त्री जी ने बजट पेश किया है उसका समर्थन करता हूं इन शब्दों के साथ समर्थन करता हूं कि मजबूती के साथ ला-एण्ड आर्डर को ठीक करें और जो प्रगति हमने की है उसपर धार मांद लग जाय।

श्री मधुकर दिघे—

माननीय, यह अनुपूरक अनुदान १९७८-७९ के लिए प्रस्तुत किया है यह दूसरी किस्त है। माननीय श्यामधर मिश्र जी ने विशेष तौर पर यह प्रश्न उठाया है कि बार-बार अनुदान प्रस्तुत किये जा रहे हैं। मैं समझता था कि मिश्रा जी संसदीय परम्परा के जानकार हैं और पी० ए० सी० के चेयरमैन होने के नाते बधाई देंगे। जिन मदों में आज तक खर्च हुआ है वे और जो सैटली स्पीनर्ड स्कीम हैं और उनपर जो खर्च करना है वे तथा और आवश्यक खर्च जैसे बाढ़ वगैरह से उत्पन्न परिस्थितियां हैं उन पर जो आकस्मिकता निधि से जो खर्च किया तथा जिन योजनाओं को पूरा करना आवश्यक है या कुछ लम्बित निर्णय करने हैं उन परिस्थितियों के कारण उनमें जो भी हम खर्च करना चाहते हैं, उसकी सैंक्शन हम विधान सभा में आकर आपसे लेना चाहते हैं। हम या यह शासन कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहते हैं, जिसमें विधान सभा की सैंक्शन उसके पीछे न हो। यह बात है कि श्यामधर मिश्र जी को पता लगा गया होगा कि जो वह हमसे चाहते हैं, वित्त मन्त्री जी से जिसके लिए जोर लगाया, उसको पूरा करने की दृष्टि से हमने कुछ अनुपूरक अनुदान मांगा है। जैसे बार-बार उन्होंने कहा कि जो विधान मण्डल का कार्य है, जो विधान सभा सचिवालय का कार्य है उसमें व्यवस्था न होने के कारण, सुविधायें न होने के कारण, माननीय सदस्यों की कतिपय तकलीफें होती हैं। यदि उसी कार्य को करने के लिए आकस्मिकता निधि से धन लेकर हमने उस कार्य को शुरू कर दिया, उनकी

[श्री मधुकर दिघे--]

आज्ञा का पालन कर दिया और तुरन्त हम विधान सभा के सामने आ गए कि इस अनुपूरक अनुदान पर आप मोहर लगा जाए तो इसमें हमारा क्या दोष है। लेकिन यह बात अवश्य है कि जिस कार्य को करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया था उसको ओर तो उन्हें अनायास ध्यान देना पड़ा। इसलिए श्यामधर मिश्र और अन्य सदस्यों को, जो पूरा अनुपूरक अनुदान ९८ करोड़ का है, तो ४८ बार मुझे बधाई देनी पड़ती।

श्री श्यामधर मिश्र--

मैंने इसको पढ़ा है।

श्री मधुकर दिघे--

पूरे बजट को आप समझ लीजिये। ९८·५ करोड़ का अनुपूरक अनुदान आपके सामने प्रस्तुत है। इसमें से ९२·७३ करोड़ तो हमको भारत सरकार से अन्य अभिकरणों से जो प्राप्तियां होगी, उसमें एडजस्ट करना होगा। केवल बचत से हमने १·९७ करोड़ लिया है। बचत इस तरह होती है जो योजनाएं चल रही होती है. उनकी जो सेक्शन होती है, उनके सम्बन्ध में वित्त विभाग या कन्ट्रोलिंग विभाग यह देखता है कि वह ठीक से चल रही है या नहीं। जब हमारे सामने यह बात आती है तो हम प्रशासनिक विभाग से कहते हैं कि आप जो नये खर्चे की मांग कर रहें हैं, तो उसके लिए अपनी बजट की बचत में से कुछ खर्च इसमें कर सकते हैं या नहीं? हम प्रेरित करते हैं मितव्ययिता करने के लिए, रिकन्ट्रोलिंग करने के लिए और उसके द्वारा बचत करने के लिए और फिर कहते हैं कि उसमें से, नई योजना पर यदि आवश्यक हो तो खर्च करें। हम यह इजाजत नहीं देते हैं कि उनको अधिक खर्च करने की प्रेरणा हो।

श्री श्यामधर मिश्र--

यह सारी चीज वित्त मन्त्री के सामने है। वह स्वयं स्मृतिपत्र के खण्ड (२) के पन्ना १८ से लेकर शिक्षा के पेज २० तक देख लें। मैंने जोड़ लिया है, वह खुद जोड़ लें।। करीब ४ करोड़ रुपया समर्पित हुआ है, जिसमें १३ सौ रुपया खर्च हुआ है, तो फिर वह किस प्रकार से इतना कम बताते हैं?

श्री मधुकर दिघे--

यह इनका दोष नहीं है, यह जो बचत में से खर्च करना होता है और कुछ ऐसी योजनाएं होती हैं, जिनमें हम तब्दीली कर देते हैं, जो योजनायें चल रही है, उसमें अलग से करना पड़ता है। तो हमें विधान सभा के सामने प्रस्तुत होना जरूरी होता है। ताकि उस तब्दीली के लिए हमें स्वीकृति मिल जाए, वरना हमको अधिकार नहीं है कि जिसके लिए स्वीकृति मिली हुई है, उससे अलग खर्च कर लें। उसके बाद भी माननीय श्यामधर पूछते तो मैं समझा देता। माननीय श्यामधर जी ने एक बात कही जिसका निराकरण आवश्यक है। १९७५-७६ का जो प्रतिशत वेतन और भत्तों का था, जो खर्चा करते थे, वह प्रतिशत बढ़ा नहीं, घटा है। १९७५-७६ में ३७·९ प्रतिशत खर्चा था जो घट कर ३२·४१ प्रतिशत हो गया है। हमने जो मितव्ययता का आश्वासन दिया है, सादगी और कम खर्च का उस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं कि खर्च न बढ़े महंगाई भत्ते की किश्तें जो केन्द्रीय सरकार स्वीकार करती है तो हम अपने जो कर्मचारी हैं, उनकी मांग को ठुकरा नहीं सकते हमको मजबूर हो कर, उनकी न्यायपूर्ण मांग को स्वीकार करना

पड़ता है । महंगाई के भत्ते के मामले में जो वृद्धि हुई है वह हमारे लिए स्वीकार करना जरूरी थी लेकिन प्रतिशत के मामले में जो खर्च पहले होता था उसमें कमी हुई है ।

कुछ और प्रश्न माननीय श्यामधर जी ने उठाया कि मंत्रियों के कमरे बन रहे हैं ।

श्री श्यामधर मिश्र--

उसकी अर्जेंसी क्या थी ?

श्री मधुकर दिघे--

विधान सभा के माननीय अध्यक्ष के कक्ष में, उनके सभापतित्व में एक बैठक हुई कि विधान परिषद और विधान सभा के परिसर निश्चित हो जायें । मान्यवर, विधान परिषद में आश्वासन देना पड़ा कि १० तारीख तक मैं सभी के कमरे खाली करवा दूंगा जिसकी विधान परिषद के माननीय सभापति की आज्ञा के अनुसार परिषद बनाने के लिए आवश्यकता है और मुझे शासन ने स्वीकृति दी है । माननीय अध्यक्ष के कमरे में बैठक हुई थी । मिश्र जी जानते हैं । जब बड़े कमरे खाली हो जायेंगे तो मन्त्रियों के लिए बड़े कमरे छोटे के रूप में बनाये जायेंगे तो खर्चा बढ़ेगा । उनका कहना है कि बजाय अनुपूरक अनुदानों के नये बजट में क्यों नहीं आये । अगर नये बजट में आते तो अप्रैल मई तक वह मामला चला जाता और माननीय सभापति को माननीय अध्यक्ष के कमरे में जो आश्वासन दिया था उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती थी । तो जो आवश्यक है, उसी को लेने का प्रयत्न किया गया है । इसके अतिरिक्त कोई भी ऐसा खर्चा नहीं है । ५६ करोड़ के लगभग वह खर्चा है जो बाढ़ की स्थिति से उत्पन्न हुआ है । कुछ ऐसे काम किये गये हैं जिनका करना आवश्यक है, शासन तथा प्रदेश के हित में । जब माननीय सदस्य यह कहते हैं कि जो काम आवश्यक है उनके लिए आपको अनुपूरक लेना चाहिए उस दृष्टि से अगर प्रयत्न किया गया तो उसकी तारीफ होनी चाहिये ।

मैं नेगी साहब से कहना चाहता हूं, अगर उन्होंने पूरा पढ़ा होता, तो पर्वतीय क्षेत्र के लिए हमने जो किया है, मैं दावा कर सकता हू, हमारे ही शासन में पर्वतीय क्षेत्र में, वित्तीय स्वीकृति ले कर साल छः महीने में स्कूलों को अनुदान देना या मान्यता देना, या उच्चीकरण करने में डेढ़ वर्ष का समय बता सकते थे, हमने वह जान कर कि माननीय सदस्यों की तरफ से यहां बार-बार प्रश्न उठाये गये हैं, हमने उनकी आवश्यकताओं को जान कर, पहाड़ी क्षेत्र के प्रति, वहां के निवासियों के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसकी प्रतिपूर्ति की दृष्टि से कुछ काम किये हैं, जिनकी हमने आवश्यकता महसूस की है, आपके सामने अनुपूरक अनुदान उपस्थित किये हैं । अतः मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यह जो अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत किया है अगर पूरे तरह से आप देखें तो इसमें अधिकतर हिस्सा आकस्मिक निधि से जो खर्च कर दिया और जो आवश्यक था उसके लिए है । यहां सदस्य कहते हैं कि जो गन्ने का बकाया है वह काश्तकारों को दे दो । दूसरी तरफ अगर ३ करोड़ रुपया आकस्मिक निधि से ले कर दे दूं और फिर आपके सम्मुख आऊं तो मैंने आपकी इच्छा की पूर्ति की, आपको तारीफ करनी चाहिए । नेगी जी मजदूरों के पक्षपाती हैं । यदि चीनी मिल के पास काम करने वाले मजदूरों को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है और अगर मैं आकस्मिक निधि से पैसा दे दूं और फिर आपके समक्ष आपकी सेवा के लिए आऊं तो आपको मजदूरों के साथ उस पर ठप्पा मारने के लिए तैयार होना चाहिए और मुझे बधाई भी देनी चाहिए । इसी लिए मैंने शुरू में कहा कि माननीय श्यामधर जी और नेगी जी पूरी तरह इसको पढ़े होते तो पढ़ कर मुझे उनको धन्यवाद देना पड़ता ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

आप केवल ४८ मांग रहे हैं, हम तो ९९ करोड़ बधाई दे रहे हैं ।

श्री मधुकर दिघे---

मुझे खुशी है कि मेरी बात सुनने के बाद नेगी जी ने यह कहा । माननीय श्यामधर जी तो प्रश्न उठाते ही हैं ।

श्री श्यामधर मिश्र--

आपने थोड़ा सा काम किया है, उसके अलावा नहीं ।

श्री मधुकर दिघे--

वह चाहते हैं कि मैं पुराना गड्ढा खोदूं जो मैं नहीं चाहता । मैं पुरानी सरकार की आलोचना नहीं करना चाहता । मेरे लिए सम्भव नहीं है कि मैं उनको खुश कर सकूं । जो अनुपूरक अनुदान रखा है उसको सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाना चाहिये । यह प्रदेश के हित में भी है ।

श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)---

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । विधान मण्डलीय खर्चों के सम्बन्ध में अनुदान की मांग है । क्या इसकी अवलम्बनीयता यह है कि आपको विधायकों की पेन्शन शामिल करनी थी ?

श्री मधुकर दिघे--

वह इसमें नहीं है ।

१९७८-७९ के अनुपूरक अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या १--राज्य विधान मण्डल

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १--राज्य विधान मण्डल के अन्तर्गत ३,६४,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिये स्वीकृत की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १--राज्य विधान मण्डल के अन्तर्गत ३,६४,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४--न्याय प्रशासन

न्याय मन्त्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४- न्याय प्रशासन के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४- न्याय प्रशासन के अन्तर्गत २०० रुपय की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ५--निर्वाचन

नियोजन राज्य मन्त्री (श्री लक्ष्मण सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५--निर्वाचन के अन्तर्गत ५०,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५- निर्वाचन के अन्तर्गत ५०,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ११--बिक्री-कर

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ११--बिक्री-कर के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ११--बिक्री-कर के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १८--सचिवालय

नियोजन राज्य मन्त्री (श्री लक्ष्मण सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १८--सचिवालय के अन्तर्गत १,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १८--सचिवालय के अन्तर्गत १,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २०--कोषागार तथा लेखा प्रशासन

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २०--कोषागार तथा लेखा प्रशासन के अन्तर्गत ७,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २०--कोषागार तथा लेखा प्रशासन के अन्तर्गत ७,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २१--पुलिस

गृह मन्त्री (श्री राम सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हुं कि अनुदान संख्या २१--पुलिस के अन्तर्गत ११,७५,९०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २१--पुलिस के अन्तर्गत ११,७५,९०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २४--सार्वजनिक निर्माण कार्य

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २४--सार्वजनिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत ९५,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २४--सार्वजनिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत ९५,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २५––अन्य प्रशासनिक सेवायें

नियोजन राज्य मन्त्री (श्री लक्ष्मण सिंह)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २५––अन्य प्रशासनिक सेवायें के अन्तर्गत ११,२१,७०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८–७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २५––अन्य प्रशासनिक सेवायें के अन्तर्गत ११,२१,७०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८–७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २८––शिक्षा

प्राविधिक शिक्षा राज्य मन्त्री (कुंवर सत्यवीर)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २८––शिक्षा के अन्तर्गत १,३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८–७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २८––शिक्षा के अन्तर्गत १,३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८–७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २९––कला एवं संस्कृति

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २९––कला एवं संस्कृति के अन्तर्गत १,००,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८–७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २९––कला एवं संस्कृति के अन्तर्गत १,००,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८–७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३१––चिकित्सा

स्वास्थ्य उप मंत्री (श्री मकबूल हुसैन खां)––

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३१––चिकित्सा के अन्तर्गत ६०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८–७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३१--चिकित्सा के अन्तर्गत ६०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३३--सार्वजनिक स्वास्थ्य

स्वास्थ्य उप मंत्री (श्री मकबूल हुसैन खां)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३३--सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत ५६,१२,५०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३३--सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत ५६,१२,५०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३४--मल निकासी व्यवस्था तथा जल सम्पूर्ति

आवास उप मन्त्री (श्री भगौती सिंह)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३४--मल निकासी व्यवस्था तथा जल-सम्पूर्ति के अन्तर्गत १,१० ३९,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३४--मल निकासी व्यवस्था तथा जल-सम्पूर्ति के अन्तर्गत १,१०,३९,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३७--सूचना तथा प्रचार

नियोजन राज्य मंत्री (श्री लक्ष्मण सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३७--सूचना तथा प्रचार के अन्तर्गत ५,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३७--सूचना तथा प्रचार के अन्तर्गत ५,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३९--हरिजन कल्याण एवं समाज कल्याण

अनुदान संख्या ३९--हरिजन कल्याण एवं समाज कल्याण

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)--

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३९--हरिजन कल्याण एवं समाज कल्याण के अन्तर्गत १०,८५,८०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३९--हरिजन कल्याण एवं समाज कल्याण के अन्तर्गत १०,८५,८०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४०---अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी योजनायें

नियोजन राज्य मन्त्री (श्री लक्ष्मण सिंह)--

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४०---अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी योजनाओं के अन्तर्गत १७,४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४०---अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी योजनाओं के अन्तर्गत १७,४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४१--दैवी आपदाओं के कारण सहायता

राजस्व मन्त्री (श्री द्वारका भक्त सिंह)--

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४१--दैवी आपदाओं के कारण सहायता के अन्तर्गत ६,०३,०५,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४१--दैवी आपदाओं के कारण सहायता के अन्तर्गत ६,०३,०५,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४२—अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवायें

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री मोहम्मद मसूद खां)—

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४२—अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवायें के अन्तर्गत १,५०,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४२—अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवायें के अन्तर्गत १,५०,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४३—सहकारिता

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४३—सहकारिता के अन्तर्गत १७,४२,७०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४३—सहकारिता के अन्तर्गत १७,४२,७०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४४—विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र

पर्वतीय विकास मंत्री (श्री शोबना सिंह जीना)—

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४४—विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र के अन्तर्गत २,५५,३८,४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४४—विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र के अन्तर्गत २,५५,३८,४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४५—अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें

नियोजन राज्य मन्त्री (श्री लक्ष्मण सिंह)—

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४५—अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

अनुदान संख्या ४५--अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४५--अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४६--कृषि

कृषि राज्य मंत्री (श्री धीरेन्द्र सहाय)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४६--कृषि के अन्तर्गत ९,९५,००,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४६--कृषि के अन्तर्गत ९,९५,००,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४८--गन्ना विकास

गन्ना विकास मन्त्री (श्री शिवमंगल सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४८--गन्ना विकास के अन्तर्गत ५,८९,२०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४८--गन्ना विकास के अन्तर्गत ५,८९,२०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४९--सामुदायिक विकास

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४९--सामुदायिक विकास के अन्तर्गत ५,०७,१०० रुपये की अनुपूरक मांगें वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४९--सामुदायिक विकास के अन्तर्गत ५,०७,१०० रुपये की अनुपूरक मांगें वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ५०--भूमि तथा जल संरक्षण

कृषि राज्य मंत्री (श्री धीरेन्द्र सहाय)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५०--भूमि तथा जल संरक्षण के अन्तर्गत १७,१६,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५०--भूमि तथा जल संरक्षण के अन्तगत १७,१६,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ५१--क्षेत्र विकास

कृषि राज्य मंत्री (श्री धीरेन्द्र सहाय)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५१--क्षेत्र विकास के अन्तर्गत ८,९०,००,५०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५१--क्षेत्र विकास के अन्तर्गत ८,९०,००,५०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ५३--पशुपालन

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५३--पशुपालन के अन्तर्गत ३२,०३,७०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५३--पशुपालन के अन्तर्गत ३२,०३,७०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ५५--मत्स्य उद्योग

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५५--मत्स्य उद्योग के अन्तर्गत ३,०१,७०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

अनुदान संख्या ५५-मत्स्य उद्योग

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५५--मत्स्य उद्योग के अन्तर्गत ३,०१,७०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ५८--ग्राम एवं लघु उद्योग

ग्रामोद्योग राज्य मंत्री (श्री सूबेदार प्रसाद) --

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५८--ग्राम एवं लघु उद्योग के अन्तर्गत ९३,७९,२०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५८--ग्राम एवं लघु उद्योग के अन्तर्गत ९३,७९,२०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ६१--राजस्व से किए जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य

सिंचाई मन्त्री (श्री बलबीर सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ६१--राजस्व से किए जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत २०,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ६१--राजस्व से किए जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत २०,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ६२--सिंचाई अधिष्ठान

सिंचाई मंत्री (श्री बलबीर सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ६२--सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत १,७२,४६,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ६२--सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत १,७२,४६,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ६३- सिविल विमानन

परिवहन मंत्री (श्री आबिद अली)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ६३--सिविल विमानन के अन्तर्गत १०,५०,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ६३--सिविल विमानन के अन्तर्गत १०,५०,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ६४--संचार साधन

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री मोहम्मद मसूद खां)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ६४--संचार साधन के अन्तर्गत ६,००,००,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ६४-संचार साधन के अंतर्गत ६,००,००,१० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ७१-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री खां) मोहम्मद मसूद श्री--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ७१-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत १७,८२,३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ७१-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत १७,८२,३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ७२-कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय

अनुदान संख्या ७२-कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री मोहम्मद मसूद खां)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ७२-कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत ३,००,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ७२-कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत ३,००,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ७४-आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री मोहम्मद मसूद खां)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ७४--आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ७४--आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ७६--सहकारिता तथा डेरी विकास सम्बन्धी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ७६--सहकारिता तथा डेरी विकास सम्बन्धी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत ३६,६०,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ७६--सहकारिता तथा डेरी विकास सम्बन्धी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत ३६,६०,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ७७--विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय

पर्वतीय विकास मंत्री (श्री शोभन सिंह जीना)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ७७--विशेष तथा पिछड़े हुये क्षेत्र पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत २,०२,९२,७०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ७७--विशेष तथा पिछड़े हुये क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत २,०२,९२,७०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ७८--विभिन्न उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय

ग्रामीण उद्योग राज्य मंत्री (श्री सूबेदार प्रसाद)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ७८--विभिन्न उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत ५,००,२०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ७८--विभिन्न उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत ५,००,२०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ८१--सामुदायिक विकास योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ८१--सामुदायिक विकास योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत १५,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ८१--सामुदायिक विकास योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत १५,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ८३--पशुपालन तथा मत्स्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ८३--पशुपालन तथा मत्स्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत २७,६०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ८३--पशुपालन तथा मत्स्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत २७,६०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ८५--सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय

सिंचाई मंत्री (श्री बलबीर सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ८५--सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत १६,३७,५४,२०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ८५--सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत १६,३७,५४,२०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अदल (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, सिंचाई में वैसे ही १६ करोड़ रुपये सरेन्डर हो रहा है और फिर मंत्री जी अनुदान ले रहे हैं । इसमें मंत्री जी बतायें ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

अनुदान संख्या ८७--संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री मोहम्मद मसूद खां)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ८७--संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत १,००,००,३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ८७--संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत १,००,००,३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ९४—ऋण और अग्रिम-उद्योग

ग्रामोद्योग राज्य मंत्री (श्री सूबेदार प्रसाद)--

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ९४--ऋण और अग्रिम-उद्योग के अन्तर्गत २७,७६,२२,५०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ९४--ऋण और अग्रिम-उद्योग के अन्तर्गत २७,७६,२२,५०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ९५--ऋण और अग्रिम-सहकारिता

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ९५--ऋण और अग्रिम-सहकारिता के अन्तर्गत १५,६१,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ९५---ऋण और अग्रिम-सहकारिता के अन्तर्गत १५,६१,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ९६--ऋण और अग्रिम-कृषि

कृषि राज्य मंत्री (श्री धीरेन्द्र सहाय)---

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ९६---ऋण और अग्रिम-कृषि के अन्तर्गत ११,००,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ९६--ऋण और अग्रिम-कृषि के अन्तर्गत ११,००,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७८-७९ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९७८

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)--

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७८-७९ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९७८ को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७८-७९ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९७८ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ.)

श्री मधुकर दिघे--

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७८-७९ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९७८ को पुरःस्थापित करता हूं ।

(विधेयक की प्रतियां वितरित की गईं)

श्री मधुकर दिघे--

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७८-७९ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९७८ पर विचार किया जाय ।

*श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, मेरा विचार कदापि लम्बा इसमें नहीं है बोलने का, लेकिन माननीय मंत्री जी जब बोल रहे थे तो वह मंत्री की तरह नहीं बोले बल्कि वकील की तरह बोले और जो हम लोगों ने उन्हें बधाई दी वह बधाई उन्होंने ले ली है और जो हम लोगों ने उन्हें कमजोरी की बात बताई उसको भी अपने आप उन्होंने बधाई के रूप में परिवर्तित कर लिया । ऐसी वकालत हो सकती है कि कानून मंत्री दूर से आए हों मैं नहीं जानता / यह उनका असर रहा हो लेकिन और नजदीक बैठ जायं तो ज्यादा असर होगा ।

श्रीमन्, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी खयाल रखें कि जो बजट पास हुआ उसमें मैं जानता हूं पिछले वर्ष भी उसके पहले भी जितना रुपया रखा गया उतना रुपया खर्च नहीं हुआ, समर्पित किया गया विशेष कर उन विभागों द्वारा जो योजनाओं से सम्बन्धित हैं जैसे सिंचाई विभाग, पी० डब्लू० डी० विकास विभाग । इनका रुपया करोड़ों में, सैकड़ों में पिछले स समर्पित हुआ । मैं यह कहना चाहता हूं कि क्यों हुआ ? क्योंकि पदों का सृजन साथ-साथ नहीं हुआ । मुझे इस बात में शक है कि इस स ा जो अनुपूरक अनुदान आप ले रहे हैं यदि पद सृजित न हुये तो इसमें भी आपको सरेन्डर करना पड़ेगा ।

दूसरी बात यह है कि मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि तत्काल इन अनुदानों की राजाज्ञा स्वीकृत की जाय । हम लोग देखते हैं कि इसमें बहुत विलम्ब होता है इसकी स्वीकृति जाने में । तत्काल स्वीकृति दी जाय ताकि जब

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरवलोकन नहीं किया ।

[श्री श्याम धर मिश्र]

तृतीय अनुपूरक आये या हम लोग फरवरी में पूरे बजट के लिए आये उसके पहले हमें स्थिति मालूम हो जाय साथ ही साथ एक और निवेदन करना है कि जब तृतीय अनुपूरक अनुदान के लिए माननीय मंत्री जी आयें और आयेंगे जरूर तब तक हमें निश्चित बता दिया जाय कि किन-किन विभागों ने दिसम्बर तक या उस समय तक कितना समर्पित किया, कितना खर्च नहीं हो रहा है। इस पुस्तिका से पता नहीं चल रहा है। केवल कौशिक जी के कहने से, मंत्री जी के कह देने से मैं मानने वाला नहीं हूं। माननीय मंत्री जी उतने ही अंधेरे में हैं जितना मैं अंधेरे में हूं क्योंकि उनका विभाग बताता है या नहीं बताता है। यदि जानते हों तो कृपा करके बता देंगे।

एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह कि आप देखें कि सड़कों के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी नहीं हैं सबसे अधिक रुपया इन्होंने लिया है। दो विभागों ने बहुत रुपया लिया है। मुझे सुन लें मैनेजर सिंह जी। एक तो उद्योग विभाग ने लिया है मैं उधर नहीं जाता। लेकिन माननीय मंत्री जी, सार्वजनिक निर्माण बैठे हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि जितना आप रख-रखाव में रुपया ले रहे हैं, मेहरबानी करके उसको इस तरह से खर्च न करें बल्कि ठीक से खर्च करायें क्योंकि मेरा कहना है कि ठीक से रुपया सड़कों पर खर्च नहीं हो रहा है और उसके उस तरह से खर्च न होने से बड़ा व्यवधान हो रहा है।

अब मैं अन्तिम बात जो कहना चाहूंगा वह यह है कि जो यहां वेतन-क्रम विधान सभा में है, जब मैंने इसका समर्थन किया तो केवल बड़े-बड़े अधिकारियों के सम्बन्ध में नहीं। मान्यवर, लोक सभा में चपरासियों से लेकर सचिव तक जो वेतन-क्रम है, वैसा ही यहां चपरासियों से लेकर सचिव तक सबको मिलना चाहिये। तभी यहां लोक सभा की तरह स्वतन्त्रता होगी वरना नहीं होगी। तो लोक सभा की तरह से नीचे से लेकर बड़े कर्मचारियों तक वह होना चाहिये।

श्रीमन्, अब मैं यह कह कर बैठता हूं कि जो जेलों में अत्याचार हो रहा है, जरा जेल मंत्रजी सुन लें, इसकी न्यायिक जांच जरूर करायें। इस पर मैंने कहने का है इसलिये इसको दोहराता हूं। केवल मन्त्री के नाते नाकारात्मक बात न कहें।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)---

मान्यवर आज इस विनियोग विधेयक को पारित करके माननीय वित्त मंत्री जी को लगभग ९८,८५,८८,९०० रुपये की धनराशि दे रहे हैं। मान्यवर, जब मैं इस विनियोग विधेयक को देखता हूं कि मुझे हालत बड़ी खराब लगती है क्योंकि हरिजन एवं कल्याण विभाग के ऊपर हमारे माननीय मंत्री जी ने लगभग १० लाख रुपये का ही अनुदान मांगा है जो बहुत कम है। मान्यवर, आज अगर कोई समस्या देश और प्रदेश में है तो वह हरिजनों के लिये और हरिजनों के लिये १० लाख रुपये का अनुदान मांगा है, उससे क्या हो सकता है?

मान्यवर, आप वहां विराजमान हैं, आप ही बताइये कि १० लाख रुपये से जो उत्तर प्रदेश के हरिजन हैं, उनकी गुजर-बसर कैसे हो सकती है?

में आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से यह कहना चाहता हूं कि हरिजनों के बारे में उपेक्षा न हो । हरिजनों के लिये जब ज्यादा से ज्यादा धन उपलब्ध करा कर हरिजनों के डेवलपमेंट में, उत्थान में अगर उनको लावेंगे तभी प्रदेश का डेवलपमेंट होगा । यह नेशनल समस्या है । यह समस्या तय हो गयी तो आज जितने आरक्षण के झगड़े हैं, हल हो जायेंगे । तो हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हरिजनों का उत्थान हो सके और हरिजन दूसरे लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सड़क पर चल सकें, उतना ही अच्छा होगा और उसके लिये माननीय मन्त्री जी को त्याग करना होगा । दूसरे मदों मे रुपया निकाल कर हरिजनों पर खर्च करना होगा । तभी इस प्रदेश के हरिजन सीना तान कर सड़कों पर चल सकते हैं ।

इन शब्दों के साथ, माननीय मन्त्री जी से कहूंगा कि हरिजनों की उपेक्षा न करें और मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

(इस समय ५ बजकर १५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

*श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)--

मान्यवर, हरिजनों के लिये जो धन लिया है वह कम है । हरिजन तभी आगे बढ़ सकते हैं, जब उनके प्रति काफी रुपया दिया जाय--चाहे वजीफे के रूप में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे किसी में हो । और यह मन्त्री के पद पर रहकर माननीय मन्त्री जी को शोभा नहीं देता कि हरिजनों के लिये कम रुपया दिया जाय क्योंकि मैं उनको सोशलिस्ट का अच्छा कार्यकर्ता मानता हूं । मान्यवर, एक चीज में यह कहना चाहता हूं कि, इस प्रदेश में इसलिये अशांति हो रही है क्योंकि माननीय मुख्य मन्त्री जी राम सिंह जी को होम मिनिस्ट्री में दखल करते हैं । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मेरे इलाके में अशांति मची है । तो रहीमाबाद में चौकी खोलें । आपके एस०एस० पी० ने जनता में ऐलान किया था लेकिन अभी तक नहीं खोली गई । यही नहीं, जो सड़कें आपने हमारे वहां बनने के लिये दिया है, अभी तक उनका काम शुरू नहीं हुआ है । जनता पार्टी ने कहा था कि हम गांव की ओर चलेंगे इसलिये मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि यह लोग कम करें । यह बड़ी गलत बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री स्टेज पर खड़े होकर कहें कि जनता पार्टी के शासन में कुछ काम नहीं हो रहा है और वे केवल चरण सिंह को सलामी कर रहे हैं ।

(श्री राम आसरे वर्मा के खड़े होने पर ।)

श्री अध्यक्ष--

अब वर्मा जी आप बैठें । आपके दल के सदस्यों को अवसर मिल चुका है ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

मान्यवर, मुझे सिर्फ सूत्रों में २ बातें कहनी हैं । एक तो यह कि सबसे ज्यादा पैसा हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी ने लिया है । अभी तक जो अनुभव सामने आए हैं उनको देखते हुए सबसे ज्यादा उसका दुरुपयोग, समझ लीजिये, इसी विभाग में होता है । हमारे जिले के अन्दर कई सड़कें ऐसी हैं जिनके बारे में सालों से लिखा पढ़ी हो रही है । पुरानी सड़कें पूरी बन पाने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राम आसरे वर्मा]

के पहले खत्म होती जा रही हैं और आप एडीशनल सैंक्शन दे नहीं रहें हैं और पैसे पर पैसे लेते जा रहे हैं। दूसरे, अन्त्योदय की बात है, अन्त्योदय कार्यक्रम में २५ करोड़ रुपया लिया गया, उसका कोई हिसाब किताब नहीं दिया गया है और आप दूसरा रुपया लेते जा रहे हैं। जैसा कि मिश्रा जी ने बात कही थी कि जब अगली बार हम बैठें तो जितना पैसा लिया जाए उसके बारे में सदन को यह भी जानकारी दे दी जानी चाहिए कि कितना पैसा खर्च हुआ और कितना नहीं हुआ। हमारे यहां सई नदी पर एक पुल मंजूर हुआ है १५ लाख रुपये का, उस पर आज तक कोई काम नहीं हुआ है, यह कोई अच्छी बात तो नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

यह सारी बातें अनुदान पर जब चर्चा हो रही थी, आप कह चुके हैं।

*श्री राम सजीवन (जिला बांदा)--

मुझे एक ही बात का निवेदन करना है कि आपने करोड़ों रुपया बैंयो आपदाओं के लिये बजट में रखा है और सूखा, बाढ़ से पीड़ित लोगों को जो भी सहायता देते हैं वह तहसीलदार के माध्यम से आप देते हैं। तहसीलदार, अधिकारी और कर्मचारी अन्य कार्यों में, कभी सेंसस के काम में और कभी किसी काम में इतना व्यस्त रहते हैं कि वे इस धन का सही सदुपयोग नहीं करते हैं और इससे तमाम पैसा बेकार जाता है और भ्रष्टाचार बढ़ता है। मुझे पूरी जानकारी है कि आप बाढ़ पीड़ितों के लिये जो गल्ला दे रहे हैं वह पूरा का पूरा ब्लैक में बिक रहा है और बाढ़ पीड़ितों को कुछ नहीं मिल रहा है। मेरे क्षेत्र में गड़ोली गांव में हरिजनों को और पीड़ित लोगों को, जो ५० फीसदी से ज्यादा नुकसान का गांव था, आज तक कोई गल्ला कपड़ा आदि की सहायता नहीं दी गई। फलस्वरूप वहां एक हरिजन मुन्नीवा चमार भूख से तड़प-तड़प कर मर गया। वहां कोई लेखपाल ही नहीं था, सहायता पहुंचने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तहसीलदार कहते हैं कि लेखपाल ही नहीं था तो क्या करें। केन्द्रीय सरकार ने भी आपको करोड़ों रुपया दिया लेकिन कोई मशीनरी नहीं है, प्रशासकीय व्यवस्था नहीं है। चाहे बाढ़ आवे, चाहे सूखा हो, तहसील के अधिकारियों को इन कामों में लगा दिया जाता है। आप ब्लाक के अधिकारियों से क्यों नहीं काम लेते। मेरा निवेदन है कि कोई नई व्यवस्था बनायें कि धन का दुरुपयोग न हो और लोगों को सही माने में सहायता मिले। अभी तक शासन की नीति एक दम असफल रही है। लोग भूखों मर रहें हैं।

मैंने अध्यक्ष जी आपको भी बताया था और नियम ५१ के अन्तर्गत भी सूचना दी थी इस समय तहसील के अधिकारी आधे मन से काम करते हैं। इसलिए कोई उचित व्यवस्था होनी चाहिए जिससे पीड़ित लोगों को सही माने में राहत मिल सके और इसकी ओर शासन को मुस्तैदी से ध्यान देने की आवश्यकता है। यही मेरा निवेदन है। मैं जानता हूं कि आप इतना पैसा खर्च नहीं कर पायेंगे। अगर खर्च भी करेंगे तो उसका दुरुपयोग होगा इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है, यही मेरा निवेदन है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, अभी जब अलग-अलग ग्राट्स पर विचार हुआ, उस समय चर्चा हुई है। कुछ माननीय सदस्य शायद बाहर चले गये थे। इस लिए एक बात पर पुनः जवाब देना चाहूंगा। जो प्रश्न मिश्रा जी ने उठाया उसे मैं दोहराना नहीं चाहता। लेकिन उनके दिमाग में शायद यह कल्पना है कि अनुपूरक अनुदानों के प्रस्ताव जो हैं स्वीकार होने के बाद खर्च होंगे। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि राज्य आकस्मिकता निधि से हमने खर्चा करना शुरू कर दिया है और खर्च हो भी चुका। ऐसा नहीं है कि अगले साल बाद आयेगी तब खर्चा होगा।

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जो आपको क्लास लेकर बजट की बारीकियों को माननीय सदस्यों को समझाना चाहिए।

श्री श्यामधर मिश्र--

यह खुद ही नहीं समझ पाये हैं।

श्री मधुकर दिघे--

जैसा मैंने पहले कहा इसमें अधिकतर वह धन है जिसकी आवश्यकता आपने तुरन्त स्वीकार की है। इसी विधान सभा के माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न उठाये हैं, उसी के अनुसार उनकी पूर्ति के लिए धन खर्च किया जा रहा है। मैं पुनः निवेदन करूंगा कि जो प्रस्ताव रखा गया है उसको स्वीकार किया जाय।

श्री श्यामधर मिश्र--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने कहा और जैसा मैंने समझा कि जो रुपया रखा जा रहा है वह खर्च कर दिया गया है और साथ ही बहुत सा रुपया और खर्च किया जायगा, मैंने यह समझा है। मंत्री जी के बयान से ऐसा इम्प्रेशन हुआ कि खर्च कर दिया गया है। अगर उन्होंने यह कहा है तो गलत कहा है।

श्री अध्यक्ष--

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। अनुपूरक में कन्टीन्जेन्सी से लेकर खर्च किया जाता है।

श्री श्यामधर मिश्र--

आपकी बात मान लेता हूं। लेकिन यह दूसरे को गलत क्यों साबित करते हैं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७८-७९ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९७८ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खन्ड २, ३, अनुसूची, खन्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७८-७९ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९७८

३१ मार्च, १९७९ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिए राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७८-७९ का द्वितीय अनुपूरक) अधिनियम, १९७८ कहलायेगा ।

उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष १९७८-७९ के लिए ९८,५५,८८,९०० रुपयों का दिया जाना

२—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो ३१ मार्च, १९७९ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग ९८,५५,८८,९०० रु० (केवल अट्ठानवे करोड़ पचपन लाख अट्ठासी हजार नौ सौ रुपये) होता है, अधिक न हो :

विनियोग

३—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है, उनका विनियोग ३१ मार्च, १९७९ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायेगा जो अनुसूची में दिए हुए हैं :

अनुसूची

(धारायें २ और ३ देखिये)

निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक

अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
१	२		३	
		रु०	रु०	रु०
१	राज्य विधान मन्डल	३,६४,०००	..	३,६४,०००
*२	राज्यपाल तथा उनका सचिवालय	..	३७,९००	३७,९००
४	न्याय प्रशासन	२००	३९,१००	३९,३००
५	निर्वाचन	५०,००,०००	..	५०,००,०००
११	विक्रीकर	२००	..	२००
१८	सचिवालय	१,००,०००	२०,१००	१,२०,१००
२०	कोषागार तथा लेखा प्रशासन	७,०००	..	७,०००
२१	पुलिस	११,७५,९००	..	११,७५,९००
२४	सार्वजनिक निर्माण-कार्य	९५,०००	..	९५,०००
२५	अन्य प्रशासनिक सेवायें	११,२१,७००	..	११,२१,७००
२८	शिक्षा	१,३००	..	१,३००
२९	कला एवं संस्कृति	१,००,१००	..	१,००,१००
३१	चिकित्सा	६००	..	६००
३३	सार्वजनिक स्वास्थ्य	५६,१२,५००	..	५६,१२,५००
३४	मल निकासी व्यवस्था तथा जल सम्पूर्ति	१,१०,३९,१००	..	१,१०,३९,१००
३७	सूचना तथा प्रचार	५,०००	..	५,०००
३९	हरिजन कल्याण एवं सामान्य कल्याण	१०,८५,८००	..	१०,८५,८००
४०	अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी योजनायें	१७,४००	..	१७,४००

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या।

१	२	३		
		रु०	रु०	रु०
४१	दैवी आपदाओं के कारण सहायतत	६,०३,०५,०००	..	६,०३,०५,०००
४२	अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवायें	१,५०,०००	..	१,५०,०००
४३	सहकारिता	१७,४२,७००	..	१७,४२,७००
४४	विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र	२,५५,३८,४००	..	२,५५,३८,४००
४५	अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें	१००	..	१००
४६	कृषि	९,९५,००,१००	..	९,९५,००,१००
४८	गव्या विकास	५,८९,२००	..	५,८९,२००
४९	सामुदायिक विकास	५,०७,१००	..	५,०७,१००
५०	भूमि तथा जल संरक्षण	१७,१६,०००	..	१७,१६,०००
५१	क्षेत्र विकास	८,९०,००,५००	..	८,९०,००,५००
५३	पशुपालन	३२,०३,७००	..	३२,०३,७००
५५	मत्स्य उद्योग	३,०१,७००	..	३,०१,७००
५८	ग्राम एवं लघु उद्योग	९३,७९,२००	..	९३,७९,२००
६१	राजस्व के किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य	२०,१००	..	२०,१००
६२	सिंचाई अधिष्ठान	१,७२,४६,०००	..	१,७२,४६,०००
६३	सिविल विभागन	१०,५०,०००	..	१०,५०,०००
६४	संचार साधन	६,००,००,१००	..	६,००,००,१००
७१	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	१७,८२,३००	..	१७,८२,३००
७२	कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय	३,००,१००	..	३,००,१००
७४	आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय	१००	..	१००
७६	सहकारिता तथा डेरी विकास सम्बन्धी योजनाओं पर पूंजीगय परिव्यत	३६,६०,१००	..	३६,६०,१००

१	२	३		
		रु०	रु०	रु०
७७	विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	२,०२,९२,७००	..	२,०२,९२,७००
७८	विभिन्न उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	५,००,२००	..	५,००,२००
८१	सामुदायिक विकास योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	१५,०००	..	१५,०००
८३	पशुपालन तथा मत्स्य उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	२७,६००	..	२७,६००
८५	सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	१६,३७,५४,२००	..	१६,३७,५४,२००
८७	संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय	१,००,००,३००	..	१,००,००,३००
९४	ऋण और अग्रिम--उद्योग	२७,७६,२२,५००	..	२७,७६,२२,५००
९५	ऋण और अग्रिम—सहकारिता	१५,६१,०००	..	१५,६१,०००
९६	ऋण और अग्रिम—कृषि	११,००,००,०००	..	११,००,००,०००
	योग ..	९८,५४,९१,८००	९७,१००	९८,५५,८८,९००

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खन्ड २, ३, अनुसूची, खन्ड १ प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री मधुकर विघे--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७८-७९ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९७८ पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष :-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७८-७९ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९७८ पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इंटरमीडियेट कालेज (आरक्षित समूह अध्यापक) (तृतीय) विधेयक, १९७८ पर होने वाले विचार का स्थगन

श्री अध्यक्ष--

यह जो शिक्षा मंत्री जी का विधेयक है इसके बारे में उन्होंने लिखा है आज २६-१२-१९७८ को कार्य सूची के मद २२/२३ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश

[श्री अध्यक्ष--]

हाई स्कूल और इंटरमीडिएट (आरक्षित समूह अध्यापक) (तृतीय) विधेयक, १९७८, पर विचार किया जाना है। सूचना प्राप्त हुई है कि उत्तर प्रदेश अध्यादेश, संख्या २२, १९७८, को उपर्युक्त विधेयक द्वारा "रिप्लेस" किया जा रहा था, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया है। अतएव, माननीय अध्यक्ष कृपया विधेयक पर किये जाने वाले विचार को फिलहाल स्थगित करने का कष्ट करें।

लिहाजा अध्यादेश का अननुमोदन तथा यह विधेयक दोनों मुल्तवी हुए।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)--

विधेयक का मुल्तवी करना तो ठीक है लेकिन आर्डिनेंस का अननुमोदन वाली जो बात है वह सबजुडिस नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

जब हाई कोर्ट ने उसे अवैध घोषित कर दिया तो अध्यादेश का अननुमोदन कहां रह गया ?

श्री गोबिन्द सिंह नेगी--

इसीलिए तो कह रहा हूं कि मेरा प्रस्ताव रिलेवेंट है कि आर्डिनेन्स का अननुमोदन किया जा सकता है। इस पर चर्चा होनी चाहिये। चूंकि यह अध्यादेश गलत ढंग से पारित किया गया जिससे हाई कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। इसलिये माननीय सदन को अधिकार है इस आर्डिनेन्स का अननुमोदन करने का। इससे हाई कोर्ट के फैसले पर कोई असर नहीं पड़ता है।

श्री अध्यक्ष--

हम न्यायालय के निर्णय को चुनौती नहीं दे सकते। अननुमोदन ऐसे ही होगा जैसे मृत व्यक्ति के बारे में बात करना। जब यह अध्यादेश अवैध घोषित हो गया तो वह अब सदन के सामने रहा ही नहीं। लिहाजा में इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं, न इसका कोई औचित्य ही है।

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)---

मुझे भी आप सुन लें। नेगी साहब का कहना है कि सदन के सामने अननुमोदन का प्रस्ताव है। यह भी सूचना सही है कि हाई कोर्ट ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय दिया है, इसे निरस्त कर दिया है। मेरी समझ में जो आता है उसका तरीका यह था कि माननीय मन्त्री जी स्वयं आ कर कहते कि मैं इस बिल को वापस लेता हूं और वापस लेने की आज्ञा मांगनी चाहिये थी जो स्वतः-वतः मिल जाती। लेकिन आप अपनी पीठ से खाली सूचना दे दें कि निरस्त हो गया इसलिये इसे वापस लिया जाता है यह उचित नहीं होगा और मैं समझता हूं कि इस तरह से शिक्षा मन्त्री ने सदन की अवहेलना की है। उनको आ कर प्रस्ताव करना चाहिये था वापस लेने हेतु। उन्हें अनुज्ञा मिल जाती और प्रस्ताव वापस हो जाता।

श्री अध्यक्ष--

माननीय श्यामधर मिश्र जी ने जो प्रश्न रखा है यह सही नहीं है। मैंने घोषणा की कि हाई कोर्ट ने उसे अवैध घोषित कर दिया है इसलिये मन्त्री जी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

न मुझ से अनुरोध किया है कि इस विधेयक को स्थगित कर दिया जाय। विधेयक को निरस्त नहीं किया गया है। इसमें मन्त्री जी को जब आवश्यकता थी। जब वह इस विधेयक को वापस ले लेते। लेकिन अननुमोदन को मैंने इस लिए स्वीकार नहीं किया कि अननुमोदन का मतलब क्या होता है। जो काम विधान सभा करना चाहती थी आपके प्रस्ताव द्वारा उससे पहले ही उसे हाई कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया, जिसे आप अनौचित्य कहते हैं। इसलिए माननीय नेगी के अनुमोदन के प्रस्ताव का अनुज्ञा नहीं दी।

श्री श्यामधर मिश्र--

आप मान्यवर, खुद ही कह रहे हैं कि सवाल समाप्त नहीं है स्थगित है।

श्री अध्यक्ष--

आप दो प्रश्नों को जोड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जो अननुमोदन का प्रस्ताव है वह निरर्थक है चूंकि हाई कोर्ट ने उसे अवैध घोषित कर दिया है। जो विधेयक है वह पृथक है वह वापस नहीं लिया है उसे स्थगित किया जा रहा है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

वह सदन की अनुज्ञा से स्थगित होना चाहिये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने एक कार्यक्रम स्वीकार किया और आज के लिये वह लिस्टेड था। स्थगन भी हो तो वह सदन की अनुज्ञा से होना चाहिये। इसका विरोध करने का हमें अवसर दें।

श्री अध्यक्ष--

यह जो आप कहते हैं नेगी जी, यह बहुत दूर तक उसे खींच रहे हैं। मान लीजिये किसी बिल को सरकार पेश नहीं करना चाहती तो उसके लिए आप उसे मजबूर नहीं कर सकते हैं। वापस लेने का सवाल नहीं है।

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

अध्यादेश निरस्त हो गया और उसमें वह सारे प्रोजेक्ट हैं, जो विधेयक में हैं। उसके निरस्त होने के बाद इस विधेयक में जब तक परिवर्तन नहीं होता, यह बेकार है....

श्री अध्यक्ष--

आप ऐंटीसिपेट करते हैं। अवैध घोषित करने के बाद हाई कोर्ट ने कोई निर्देश नहीं दिये हैं कि शिक्षा मन्त्रालय उस विधेयक को पेश नहीं कर सकता। मेरे सामने सीमित प्रश्न है कि अध्यादेश अवैध हो गया। इसलिए आज इस पर चर्चा नहीं होगी।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

अब नियम ५१ की सूचना के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि एक सूचना श्री सत्य प्रकाश मालवीय ने दिया है जिसे मैंने स्वीकार किया है, जो कहा गया है कि विगत १९ दिसम्बर को जनपद गाजीपुर के ग्राम भदपुरा में हरिजनों के मकानों में आग लगाने की बात है। माननीय गृह मन्त्री जी इस पर कब वक्तव्य देंगे ?

गृह मन्त्री (श्री राम सिंह)--

मान्यवर, परसों दे दूंगा। कल काउंसिल में थोड़ा काम है।

श्री अध्यक्ष--

एक श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त और श्री रवीन्द्र सिंह की सूचना २२ दिसम्बर, १९७८ को श्रीमती गांधी के समर्थकों द्वारा बलिया जिले के चिलकहर रेलवे स्टेशन में आग लगाने के सम्बन्ध में ह, जिसे मैंने केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है। इस पर माननीय, गृह मन्त्री जी कब वक्तव्य देंगे ?

श्री राम सिंह--

परसों ही दे दूंगा।

श्री जय राम (जिला गाजीपुर)--

मान्यवर, मैंने एक प्रश्न कार्यस्थगन का दिया था।

श्री अध्यक्ष--

इस वक्त कार्य स्थगन का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री जय राम--

उसको भी इसी में जोड़ लें, ३७ घरों को फूंक दिया गया।

श्री गोपाल दत्त वार्ष्णेय, अधीक्षक, उत्तर प्रदेश भंडारण निगम, मेरठ की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह मन्त्री (श्री राम सिंह)--

मान्यवर, प्राप्त सूचना के अनुसार स्वर्गीय श्री गोपाल दत्त वार्ष्णेय, अधीक्षक उत्तर प्रदेश भंडारण निगम, मेरठ ७ दिसम्बर, १९७८ को प्रातः लगभग साढ़ पांच बजे जब घूमने के लिये अकेले जा रहे थे तब उनके घर से लगभग एक सौ पचास गज की दूरी पर किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इसकी सूचना मृतक के पड़ोसी श्री राधाकिशन शर्मा ने थाना लालकुर्ती, जिला मेरठ पर अपने टेलीफोन द्वारा दी। उक्त सूचना के आधार पर धारा ३०२ भा० दं० वि० के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष एवं अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस उप महानिरीक्षक मेरठ को भी घटनास्थल पर गये एवं विवेचना का मार्ग दर्शन किया। विवेचना के दौरान यह ज्ञात हुआ है कि स्वर्गीय श्री वार्ष्णेय ने अपने विभाग के कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय अनियमितताओं व कमियों के सम्बन्ध में उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी थी। उक्त निगम से चेयरमैन तथा अन्य अधिकारियों से विचार विमर्श के बाद उनकी उपस्थिति में मृतक के मुख्य कार्यालय तथा गोदामों का सम्बन्धित अभिलेख सील कराकर चेयरमैन से आडिट टीम द्वारा तुरन्त अभिलेखों की चेकिंग कराने का अनुरोध किया गया है। अब तक की विवेचना से कोई अभियुक्त प्रकाश में नहीं आया है, परन्तु हत्या पूर्व नियोजित ढंग से शत्रुता के कारण होना पायी गई है, जिसका पता लगाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है एवं गहराई से छानबीन की जा रही है।

श्री श्याम दत्त पालीवाल (जिला आगरा)--

अध्यक्ष महोदय, श्री जी० डी० वार्ष्णेय इस प्रकार के व्यक्ति थे कि उनकी कोई किसी से दुश्मनी नहीं थी, एक ही चीज केवल सामने आई है कि उन्होंने भंडारण निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायतें की थीं और मन्त्री जी ने स्वयं बताया है कि मुख्य कार्यालय और गोदामों की उसके फलस्वरूप जांच की जा रही है, तो जांच कब तक पूरी हो जाने का उन्होंने आपको आश्वासन दिया है ?

श्री राम सिंह--

आपने तर्कसंगत बात कही है, मैंने जवाब भी दिया है, यह एक ईमानदार अफसर थे और उन्होंने निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें दी थी, जिनकी जांच चल रही है और गोदामों को सील किया गया है, अतः उनकी साजिश इसमें हो सकती है, तो इस बिन्दु पर भी इन्वेस्टीगेशन अफसर देख रहे हैं।

श्री श्याम दत्त पालीवाल--

मन्त्री जी स्वयं चिन्तित हैं तो मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि इस हत्या का अवश्य ही पता लग जाए, इसको और विशेष ध्यान देने के लिए मन्त्री जी क्या-क्या उपाय करेंगे ?

श्री राम सिंह--

इसके लिये मैं डी० आई० जी० को कह दूंगा कि वह इस हत्याकान्ड पर तुरन्त ही बहुत विस्तार से और गहराई से जांच करें, जिससे अभियुक्तों का तुरन्त ही पता लगे।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

मैं माननीय गृह मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि श्री वार्ष्णेय की हत्या के बाद क्या पुलिस अधिकारियों ने इस कार्य के लिए अपराधियों का पता लगाने के लिए जासूसी कुत्तों का इस्तेमाल किया ?

श्री राम सिंह--

तफ्तीश में किन-किन चीजों का इस्तेमाल किया गया है, इसका पता नहीं है। चूंकि अपराधी तो गोली चलाकर चले गये हैं। इसमें उनके छूने का कोई सन्देह नहीं है, जिससे उनके इस्तेमाल से अपराधी को पकड़ने में सहायता मिलती। इसमें यदि यह कोई कार्यवाही की भी जानी थी, तो इस समय तो इस बारे में हम कुछ नहीं बता सकते हैं।

श्री जसवीर सिंह (जिला एटा)--

श्री वार्ष्णेय ने अपने ही विभाग के किन-किन अधिकारियों या उच्चाधिकारियों के खिलाफ शिकायत की थी और वह क्या-क्या थीं ?

श्री राम सिंह--

भंडारण निगम, मेरठ के अन्तर्गत जो अधिकारी और कर्मचारी थे, उन्होंने पूरे विभाग के सिलसिले में पूरे तफशील से, विस्तार से जानकारी दी थी। उसके आधार पर ही विभागीय अधिकारियों ने जांच की और उसी सम्बन्ध में रिकार्ड्स और गोदाम भी सील किए गये इससे ऐसा सन्देह होता है। किन-किन के खिलाफ की, इसकी अभी जानकारी नहीं है।

श्री मसवीर सिंह---

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह नहीं है । यह तो बतलाइय कि जितनी अनिय-मितताएं थीं, सब का जिक्र किया गया है । मेरा मतलब यह है कि किन-किन अधिकारियों ने किया उनके नाम क्या हैं, जिनके खिलाफ उच्चाधिकारियों से शिकायतें की थीं ?

श्री राम सिंह---

यह तो बता देना सम्भव नहीं होगा जिन के खिलाफ शिकायतें की थीं जिनकी ऐक्टिविटीज की वाच किया जा रहा है कि कहीं उनका हाथ तो नहीं है ।

श्री मसवीर सिंह---

इस मामले की गम्भीरता को देखते हुए क्या मन्त्री महोदय इस बात का आश्वासन देंगे कि मामले की जांच सी० आई० डी० से करवायी जाय ?

श्री राम सिंह---

मान्यवर, सी० आई० डी० से जांच करवाने में मुझे आपत्ति नहीं है लेकिन जिस तरह से सीरियस आफेंस है उसकी सी० आई० डी० से जांच कराने में लम्बा समय लग जायगा । सिविल पुलिस से जांच करने के बाद यदि माननीय सदस्य संतुष्ट न होंगे तो सी० आई० डी०को दे दूंगा ।

श्री अध्यक्ष---

यह आपको देखना होगा ।

श्री राम सिंह---

इसमें सी० आई० डी० को देना उपयुक्त नहीं होगा । अगर पता नहीं चलेगा तो सी० आई० डी को बाद में दे दूंगा ।

श्री अध्यक्ष---

एक प्रश्न मेरे सामने है । चूंकि वाष्णेय अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मारे गये, इसलिए सरकार ने उनके परिवार की क्या सहायता की है, आज उनके बालकों की शिक्षा दीक्षा के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री राम सिंह---

मान्यवर, इस पर विचार कर लेंगे ।

श्री अध्यक्ष---

अब तक क्या किया ?

श्री राम सिंह---

अब तक कुछ नहीं किया ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक---

परिवार की सुरक्षा के लिए व्यवस्था की जाय ।

श्री राम सिंह—

उसका भी प्रबन्ध करेंगे ।

दीन दयाल शोध संस्थान, गोंडा पर सरकार द्वारा किए गए खर्च के सम्बन्ध में १३ दिसम्बर, १९७८ को पूछे गए अल्प सूचित तारांकित संख्या ३ के सम्बन्ध में नियम ४९ के अन्तर्गत चर्चा

श्री अध्यक्ष—

श्री राम आसरे वर्मा, श्री ऊदल तथा श्री श्यामधर मिश्र ने जो प्रश्न किया उस पर आधे घंटे की चर्चा होगी ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मान्यवर, जनकी नगर गोंडा में स्थापित दीन दयाल शोध संस्थान पर सरकार द्वारा लगभग १० लाख रुपया स्टाल बनाने और दर्जनों फ्लश लेटरिन बनाने पर खर्च के विषय में दिनांक १३ दिसम्बर, १९७८ को पूछे गये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या ३ (नत्थी 'क') के सम्बन्ध में मेरे तथा, श्री रियासत हुसैन, श्री ऊदल तथा श्री श्यामधर मिश्र द्वारा दी गयी सूचना पर उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ४९ के अन्तर्गत आधे घंटे की चर्चा का मौका मिला, इसके लिए धन्यवाद ।

इस संस्थान की ओर से गोंडा जिले में ग्रामोदय योजना बनायी गयी । उस योजना के अन्तर्गत घोषणा यह की गयी कि वहां पर कोई भी परिवार ऐसा नहीं रहेगा जिसकी आमदनी २५ सौ रुपये से कम हो, उसकी पहली रूपरेखा पेश की गयी कि २० हजार ट्यूबवेल बनेंगे । गोंडा जिले की आबादी इस समय लगभग २५ लाख के होगी, क्योंकि १९७१ में २३ लाख थी । पांच एकड़ से कम जमीन जिनके पास है, पहले तो ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत जो निर्णय किया गया, उसकी मिसाल पेश कर रहा हूं, कि किस तरह से जिला भर के किसानों का फायदा होगा । २५ लाख किसान, २० हजार ट्यूबवेल बनेंगे । ८६ प्रतिशत किसान ऐसे हैं जिनके पास ५ एकड़ जमीन हैं ।

श्री अध्यक्ष—

श्री वर्मा, आप सुनिए । आप विषयान्तर हो रहे हैं । यह इस प्रश्न का विस्तार कर रहे हैं । यह प्रश्न सिर्फ गोंडा तक सीमित है । आप इसको इस तरह से बढ़ा रहे हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा—

इस के बारे में पृष्ठभूमि न बताये तो क्या फायदा । १३ तारीख का जो प्रश्न था उसमें साफ था कि यह संस्थान सरकारी या गैर सरकारी है । जब तक दोनों में फर्क नहीं किया जायगा . . . ।

श्री अध्यक्ष—

आप सिंचाई की नीति पर बहस करने लगे ।

श्री राम आसरे वर्मा—

ज्यादा समय नहीं लूंगा ।

श्री अध्यक्ष—

इसी प्रश्न तक सीमित रहें । नियम में है बहुत संक्षिप्त वक्तव्य ।

श्री राम आसरे वर्मा—

एक मिनट में अपनी बात रख रहा हूं । कहा गया कि उद्योग देंगे तो उसके लिए २० करोड़ की योजना बनायी गयी । जबकि एक जिले के अन्दर सभी लोगों को उद्योग देने के लिए अरबों रुपये की जरूरत पड़ेगी । इस तरह साधारण आदमी इस योजना से वंचित रह जाता है । जो संस्थान बड़े-बड़े किसानों के हितों के लिए बनाया गया और इससे भी बढ़कर एक राजनीति की भावना से प्रेरित होकर बनाया गया, उस संस्थान के तरफ सैकड़ों आर० एस० एस० के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं । सरकार की ओर से १० लाख रुपया दिया जाता है सिर्फ एक जलसा करने के लिए और इतना ही नहीं देश के राष्ट्रपति को उसका उद्घाटन करने के लिए बुलाया जाता है सिर्फ इसलिए कि उत्तर प्रदेश प्रशासन की सारी मशीनरी उनके इशारे पर नाचे । कई विधायकों ने इसके बारे में लिख कर भी दिया कि राष्ट्रपति का यहां आना और १० लाख रुपये की बड़ी धनराशि का खर्च करना उचित नहीं है क्योंकि इससे आर० एस० एस० के लोगों को बढ़ावा मिलता है ।

श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

क्या सदन को कोई सदस्य राष्ट्रपति के विवेक को चुनौती दे सकता है ?

श्री राम आसरे वर्मा—

मैं चुनौती नहीं दे रहा । चुनौती देने वाले आपके दल के ही लोग रहे हैं । इस सिलसिले में मेरा कहना था कि दस लाख सरकारी रुपया वहां पर खर्च हुआ तो उसका कोई औचित्य नहीं था । फिर पलश लैट्रिन का बात है । जिस तरह से प्रश्न के उत्तर में उस दिन माननीय मन्त्री जी बतला रहे थे तो उनको जानकारी नहीं थी । आज शायद उनके पास पूरी जानकारी होगी और वह सदन के समक्ष उसे देने की कृपा करेंगे ।

आवास उप मन्त्री (श्री भगौती सिंह)—

मान्यवर, यह प्रश्न आया था और उस समय इसके उत्तर में जितनी जानकारी थी, वह दी गयी थी जिससे माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं थे इसलिए यह चर्चा के लिए विषय रखा गया । मान्यवर, अभी माननीय राम आसरे वर्मा ने यह आरोप लगाया कि वहां पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया । मान्यवर, अन्तोदय उद्घाटन के हेतु माननीय राष्ट्रपति वहां पर आये थे और उनके स्वागत और व्यवस्था में सारा कार्य हुआ । चूंकि वहां एक बहुत बड़ा जन समूह एकत्र हुआ था जिसके लिए प्रचार की व्यवस्था की गई कि सरकार की नीतियों और कार्यों का प्रचार हो । इसी उद्देश्य से विभिन्न विभागों की तरफ से प्रदर्शनी और मंडप लगाये गये थे जिनमें उत्तर प्रदेश के मुख्य रूप से १४ विभागों ने प्रदर्शनी लगायी थी । केवल शिक्षा विभाग और उद्योग विभाग से जानकारी नहीं मिल पायी कि उनका कितना खर्चा हुआ । इन दो विभागों को छोड़ कर बाकी विभागों ने २ लाख १२ हजार रुपया खर्चा किया ।

मान्यवर, पलश लैट्रिन की बात कही गई तो पलश लैट्रिन्स नहीं बनायी गई थीं बल्कि उनके बजाय पी० आर० ए० टाइप लैट्रिन्स और कुछ टेम्पोरेरी मूत्रालय निर्मित

किये गये थे जब यह आयोजन समाप्त हो गया उसके बाद उनको खतम कर दिया गया। इस पर करीब १३,२१३·७९ रु० का खर्च हुआ था। यह भी प्रश्न उठा था कि वहां पर सार्वजनिक निर्माण विभाग का डाक बंगला था जिसका महामहिम राष्ट्रपति के आने पर दुरुपयोग किया गया। इस सम्बन्ध में यह कहना है कि डाक बंगला जो वहां पर था वह महामहिम राष्ट्रपति के ठहरने के योग्य नहीं था। इसलिए उनके ठहरने के लिये तथा उनके स्टाफ के ठहरने के लिए टेम्पोरेरी व्यवस्था की गयी थी जिस पर ६,४६२ रुपये खर्च हुए थे। इस प्रकार से जो कुछ और प्रश्न उठाये गये थे उनमें एक प्रश्न यह भी था कि कुछ जमीनें अनुचित ढंग से इस संस्थान को दी गयी हैं। इस सम्बन्ध में जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें श्रीमती सरस्वती देवी जिनका खाता नं० ३४२ है उनका चक था, उन्होंने इसे संस्थान को बेच दिया है और उस चक का रकबा करीब १० एकड़ था। इसमें कुछ जमीन चकबन्दी के अयोग्य थी, कुछ जमीन चकबन्दी में सम्मिलित नहीं थी। इस प्रकार से कोई जमीन अनुचित ढंग से इस संस्थान को नहीं दी गयी है। मान्यवर, मैं समझता हूं कि जितने बिन्दु उठाये गये थे उन सभी का स्पष्टीकरण हो जाता है।

(श्री श्यामधर मिश्र के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

श्यामधर जी, इसमें केवल स्पष्टीकरण मांग सकते है ?

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मैं जानता हूं और फिर मैंने उस नियम को दुहरा लिया है। मैं केवल स्पष्टीकरण ही मांगूंगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि दीन दयाल संस्थान बना है और राष्ट्रपति जी आये, उसका स्वागत है। जो प्रश्न आया था वह यह था कि विभागों ने जो खर्च किया है इस संस्थान के लिए इसको उच्च स्थान देने के लिए उसको राष्ट्रपति से सम्बन्धित कर दिया तो वह कितने रुपये का था। दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि फ्लेश लेटरिन, माननीय मंत्री जी ने कहा नहीं, पी० आर० ए० टाइप की लैटरीन बनी और बाद में ध्वस्त कर दी गयी। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि टेम्परेरी लेटरिन बनाने की क्या जरूरत थी ? अगर बनाने की जरूरत थी ही तो गैर सरकारी संस्था के माध्यम से इस तरह का कार्य क्यों कराया गया, उसकी क्या जरूरत थी ?

श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री (जिला देहरादून)--

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। बड़ा महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिए। इसमें क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री श्यामधर मिश्र--

मुझे खुशी होगी कि शास्त्री जी मंत्री बन जायें मैं उन्हीं से पूछ लूंगा। लेकिन मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि एक गैर सरकारी संस्था जिसके सम्बन्ध में तरह-तरह के विवाद होते हैं उसके सम्बन्ध में जो खर्च किया गया तो वह क्यों खर्च किया गया और किस कारण से किया गया और किस प्रकार हुआ ?

श्री भगौती सिंह--

मान्यवर, यह परम्परा है कि जहां पर कोई बड़ा जमाव होता है वहां पर शासन की कुछ जिम्मेदारी होती है और वहां पर वह सफाई आदि का प्रबन्ध करता

[श्री भगौती सिंह---]

है । यहां पर एक भारी जमाव हुआ था इस अवसर पर विभिन्न विभागों ने फायदा उठाने के लिए अपनी नीतियों और अपने कार्यक्रमों का प्रचार करने के लिए अपने मंडप और प्रदर्शनी लगायी थी । और हर मौके पर उन विभागों की ओर से ऐसा काम होता रहता है । इसलिए यह कहना कि इस गैर सरकारी संस्थान के लिए किया गया, यह उचित नहीं है । वहां पर जो जमाव एकत्र हुआ शासन ने उसका इस्तेमाल किया । जहां तक वहां पर शौचालय बनाने की बात है वे बनायी गयी जनता की सुविधा के लिए और जब वह कार्य खत्म हो गया तो वे शौचालय भी हटा दिए गये ।

श्री अशफाक अहमद खान (जिला गोंडा)---

चूंकि जानकीनगर मेरे क्षेत्र में स्थित है और अभी माननीय वर्मा जी ने कुछ बातें बतायीं, उनको बताना चाहता हूं कि ग्रामोदय और अन्त्योदय में फर्क है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

यह नियम विरुद्ध हो रहा है । माननीय राम आसरे वर्मा जी के एक प्रश्न पर आधे घंटे की चर्चा है और इस वाद-विवाद को ६-१८ बजे समाप्त करना है । इसमें नियम यह है कि प्रश्न-कर्ता संक्षिप्त वक्तव्य देंगे और मंत्री उसका उत्तर देंगे । उसके बाद माननीय सदस्य स्पष्टीकरण मांग सकते हैं ।

श्री अशफाक अहमद खान---

माननीय वर्मा जी ने कहा कि आर० एस० एस० के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं । गोंडा जिले में २५ ब्लाक हैं जिसमें ५० उसी जिले के प्रेजुएट्स काम कर रहे हैं । उनमें से ४ मुसलमान भी हैं जो वहां पर नियुक्त हैं । इसके अतिरिक्त और लोग भी अन्य संप्रदायों के काम कर रहे हैं । कहा गया कि इन्डस्ट्रियलाइजेशन के लिए १०-२० करोड़ रुपये के खर्चे का बजट तैयार किया गया है । पूरे जिले का सर्वे करके यह हुआ कि इसमें २० हजार ट्यूबवेल्स लगाये जायें और लोगों की आमदनी बढ़ायी पास अगर ५ एकड़ ही भूमि है तो उनके लिए भी यह व्यवस्था हो सके कि वह जाय । किसी के ट्यूबवेल लगाकर पानी बेचे और अपनी आमदनी बढ़ा सके । एक जिले की प्रगति के लिए राष्ट्रपति के द्वारा उद्घाटन कराकर वहां पर सरकार की ओर से कुछ प्रबन्ध किए गये हैं ।

श्री अध्यक्ष---

आप तो मंत्री जी का कार्य कर रहे हैं, स्पष्टीकरण थोड़े ही मांग रहे हैं ?

श्री अशफाक अहमद खान---

क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि संस्थान इसमें कितने करोड़ रुपया खर्च कर रहा है, वहां के ग्रामोदय के लिए ?

श्री भगौती सिंह---

इसकी मुझे जानकारी नहीं है ।

श्री बाबू राम वर्मा (जिला बस्ती)

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ग्रामोदय जो दीन दयाल शोध संस्थान के माध्यम से चलाया जा रहा है उसमें अन्त्योदय की योजना भी मिला दी गयी है और उसमें वास्तव में सरकार ने कितना पैसा किया है ?

श्री भगौती सिंह--

अन्त्योदय शासन की ओर से चल रहा है और उस पर शासन खर्च कर रहा है । ग्रामोदय संस्थान की ओर से चल रहा है और उसको संस्थान चला रहा है ।

श्री अध्यक्ष---

आपका प्रश्न यह है कि क्या अंत्योदय का कार्य भी अपने ग्रामोदय का जो कार्य है उसमें मिला दिया है ? इसका मतलब यह है हुआ कि अन्त्योदय की योजना में जो पैसा अभी देंगे, उसको सरकार न खर्च करके यह संस्थान करेगा, ऐसा है ?

श्री भगौती सिंह---

मान्यवर, ऐसा नहीं है ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)---

जितने विभागों ने उस प्रदर्शनी में हिस्सा लिया उन विभागों का कुल मिलाकर कितना रुपया व्यय हुआ ?

श्री भगवती सिंह---

मैंने निवेदन किया कि शासन के १४ विभागों ने वहां पर प्रदर्शनी में आयोजन किया जिसमें उद्योग और शिक्षा विभाग को छोड़ कर बाकी विभागों द्वारा कुल व्यय २,१२,८३९·४५ रुपये हुआ है ।

श्री अध्यक्ष---

शिक्षा और उद्योग विभाग की जानकारी नहीं है ?

श्री भगौती सिंह जी---

जी हां, उसकी जानकारी नहीं है ।

कृष्ण स्वरूप---

इस संस्थान द्वारा गोंडा जिले के विकास के लिये १ लाख रुपया अपनी तरफ से खर्च किया गया है । उनकी एक समुन्नत योजना भी है वहां के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये । उसके अन्तर्गत २० हजार ट्यूबवेल्स भी लगेंगे । उसके लिये बैंकों से ऋण भी मिलेगा । क्या यह सही है ?

श्री भगौती सिंह---

इसकी मान्यवर, विस्तृत जानकारी तो नहीं है, पर इतना मालूम है कि वहां के पिछड़ेपन को दूर करने और चौमुखी विकास के लिये यह संस्थान प्रयत्नशील है ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

इस अन्त्योदय कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसे लोगों को पशु दिये जा रहे हैं जिनके पास उन जानवरों को खिलाने के लिये चारे तक का प्रबन्ध नहीं है। क्या सरकार चारे की व्यवस्था करायेगी ?

श्री अध्यक्ष—

यह इससे नहीं उठता है।

श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)—

इस तरह के उत्सवों पर सरकारी धन पहले भी व्यय किया जाता रहा है और इस सरकार द्वारा भी खर्च किया जा रहा है। जो चौधरी साहब के जन्म दिवस के अवसर पर समारोह में यहां के मंत्रियों ने हिस्सा लिया और उसमें सरकारी धन व्यय किया.... (व्यवधान) उस समय संजय गांधी के नाम पर उस सरकार ने तमाम पैसा खर्च किया.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह कोई स्पष्टीकरण का प्रश्न नहीं है, आप कृपया बैठिये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

सम्पूर्ण प्रदेश में जो गैर सरकारी संस्थायें अपने-अपने क्षेत्र के विकास के लिये उल्लेखनीय सेवायें करती हैं क्या सरकार की कोई नीति उनके कार्यों में सहयोग देने की है ?

श्री अध्यक्ष—

उनका प्रश्न यह है कि क्या सरकार की नीति ऐसी है कि गैर सरकारी सामाजिक संस्थाओं को सरकार अनुदान के रूप में कोई मदद करती है और क्या इस दीन दयाल शोध संस्थान को भी सरकार कोई मदद देगी ?

श्री भगौती सिंह—

मान्यवर, यदि ऐसी संस्थाओं को शासन की ओर से कोई अनुदान या सहायता मिलती रही है, तो उसको भी मिलेगी।

श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री—

मान्यवर, मैं केवल एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं और आपकी व्यवस्था चाहता हूं उसमें हमारे प्रदेश के अन्दर २० साल के अन्दर दो बार महामहिम राष्ट्रपति महोदय गये हैं। पहली बार जब स्वर्गीय राधा कृष्णन थे, उस समय डिग्री कालेज महिलाओं को मान्यता नहीं दी जा रही थी, उस समय स्वर्गीय राष्ट्रपति गये थे और उस समय ७ लाख रुपये खर्च हुआ और उस कालेज को मान्यता दी गयी। हमारे स्वर्गीय डा० जाकिर हुसेन साहब वहां पर गये। हमारे देश की परम्परा रही है कि जहां पर राष्ट्रपति जाता है, उस पर खर्च होता है। मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

इस पर न कोई व्यवस्था का प्रश्न है और न स्पष्टीकरण का प्रश्न। राष्ट्रपति को अधिकार है, अपना कार्यक्रम देने पर राष्ट्रपति जब जाते हैं तो सरकार

उनकी सुरक्षा का, सुविधा का, उनके मार्गों का स्कीम बनाने के लिए खर्च करती है, इसलिए कोइ प्रश्न नहीं ।

श्री जसवीर सिंह (जिला एटा)—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि दीन दयाल शोध संस्थान के प्रबन्धक कौन हैं और माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया खर्च के बारे में, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उससे गवर्नमेंट की कोई आमदनी हुई कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

आपको दूसरे प्रश्न की मैं इजाजत नहीं देता हूं । आपने कहा आमदनी, तो वहां पर कोई व्यापारिक संस्था गवर्नमेंट की नहीं है । माननीय मंत्री जी ने कहा कि जहां पर जनता जमा होती है, प्रचार के लिए, प्रदर्शन करते हैं, स्टाल लगाते हैं । आप का प्रश्न यह है कि इस संस्था के प्रबन्धक कौन हैं, यह केवल उत्तर दिया जाय ।

श्री भगौती सिंह—

मान्यवर, इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है कि इसके पदाधिकारी कौन हैं ।

(श्री श्याम दत्त पालीवाल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री जसवीर सिंह—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर तो नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष—

वह कहते हैं कि मुझे जानकारी नहीं है ।

श्री श्याम दत्त पालीवाल (जिला आगरा)—

मान्यवर, क्या दीन दयाल शोध संस्थान की विकास योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार के पास भेजी गयी हैं या उत्तर प्रदेश सरकार या दीन दयाल शोध संस्थान के आपसी सहयोग से कोई आगे योजनाएं चलने वाली हैं ?

श्री भगौती सिंह—

मान्यवर, इसकी जानकारी नहीं है ।

श्री बिन्दू लाल (जिला गोंडा)—

मान्यवर, यह माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह गोंडा जिले में पिछड़ापन दूर करन के लिए जो ग्राम्योदय योजना चल रही है, क्या सरकार उसमें कोई सहायता कर रही है या जो पिछड़ापन है उसे दूर करने के लिए सहायता करने का विचार है ?

श्री भगौती सिंह—

मान्यवर, इसका उत्तर तो दे चुका हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा---

माननीय मंत्री जी ने खुद कहा कि वहां पर जो कार्यक्रम था, उसे सुसंगठित करने के विचार से आयोजित किये गये थे ।

हमारे एक भाई ने कहा कि आर० एस० एस० के लोग नहीं थे । ४-५ मुस्लिम बिरादरी के लोग भी उसमें लगे । तो ४-६ मुसलमान भी बलि के बकरे तो बन सकते हैं । वहां पर आर० आर० एस० के लोगों को बढ़ावा देने के लिये शासन की ओर से इतनी बड़ी धनराशि लगायी गयी । अगर नहीं तो मंत्री जी इस बात को स्पष्ट कर दें कि जो कार्यक्रम वहां पर हुये थ उनको करने वाले कौन लोग थे ? उनके नाम होंगें, उनके पोलीटिकल एपोलियेशंस होंगे । जिन लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया है उनका राजनीति से सम्बन्ध ह । बात साफ है मंत्री जी न बतायें वह अलग है । मैं इस मत का हूं कि विभिन्न मदों में जो इतनी बड़ी धनराशि खर्च करके दिखायी है तो यह आर० एस० एस० के लोगों को बढ़ावा देने के लिय की गयी है और तमाम पैसा जो लगाया गया है वह इसलिये कि आर० एस० एस० का एक राज्य कायम हो जाय ।

श्री भगौती सिंह--

माननीय, मुझसे इसका कोई संबंध नहीं है कि कौन राजनैतिक दल या किसके किससे क्या एफोलियशंस थे । मुख्य चीज यह थी कि अंत्योदय कार्य-क्रम का उद्घाटन करने के लिये महामहिम राष्ट्रपति जी गये थे और उस समय भारी भीड़ एकत्रित हुयी थी और उस भीड़ को जानकारी देने के लिये प्रदर्शनी लगायी गयी थी

श्री अध्यक्ष---

अब हम उठते हैं, कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ६ बज कर १५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

२६ दिसम्बर, १९७८

सत्य प्रिय सिंह,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिए अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर
पीछे पृष्ठ ९३५ पर)

सचिवालय में १-१-१९७७ से ३० जून, १९७८ तक की गई तदर्थ नियुक्तियों का विवरण :--

	संख्या
(क) तृतीय श्रेणी के पद--	
(१) वैयक्तिक सहायक ..	१५
(२) केटालोगर ..	२
(३) टेलीप्रिन्टर तथा टेलेक्स आपरेटर ..	१९
(ख) चतुर्थ श्रेणी के पद--	
टेलीफोन क्लीनर ..	१

नोट--वैयक्तिक सहायक के पद पर सभी कर्मचारी अपने-अपने मूल विभागों से प्रतिनियुक्ति पर तदर्थ रूप से आये हुए हैं । अतः नियुक्तिपत्र के शर्तों के अनुसार लोक सेवा आयोग से अभ्यर्थी उपलब्ध हो जाने पर इन कर्मचारियों को मूल विभागों को वापस कर दिया जायगा ।

नत्थी 'ख'

[देखिए नियम ३८ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९६० पर] ।

संलग्नक 'क'

१—वर्ष १९७७-७८ मे देवरिया जनपद के निम्नांकित स्थानों पर औद्योगिक इकाइयां प्रोत्साहित की गई :—

पत्थरदेवा, बरहाई, सलेमपुर, लक्ष्मीगंज, रामकोला, पडरौना, दुबई, शिवराही, कसिया, लार टाउन, गौरी बाजार, बिशनपुरा, कैन्टनगंज, देवरिया शहर, कठकुइयां, हाटा, खड्डा, मझौलीराज, ब्यारेबर, सुकरौली, मचौली बाजार, बरहज, भाटपार रानी, भटनी एवं बहेरीहरां ।

२—वर्ष १९७८-७९ में देवरिया जनपद के निम्नांकित स्थानों पर उद्योग प्रोत्साहित कराने का लक्ष्य है:—

मसलपार, सलेमपुर, कठकुइयां, पडरौना, शिवराही, दूबई, हाटा बाजार बनकटा, कोटवा बाजार, रामकोला, सुकरौली बाजार, कसिया बिसवां लार टाउन तथा कप्तानगंज ।

नत्थी 'ग'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या १९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९६७ पर)

श्री मुन्ने खां (मृतक) के चोटों का विवरण :—

१—दाहिने बाहु पर कुहनी के ऊपर सूजन के साथ ललौंच लिए नीले रंग का १४ से० मी० × ९ से० मी० का दो लाल रंग के फफोले के साथ एक नीलगू निशान। फफोलों का आकार ३ × २ से० मी० तथा बाहु को चलाने में करकराहट पाई गई।

२—२·५ से० मी० × २ से० मी० आकार के एक फफोले के साथ दाहिने कुहनी के पीछे ५ से० मी० × ३ से० मी० का एक ललौंच नीले रंग का नीलगू निशान।

३—दाहिने हाथ पर ३ से० मी० × २ से० मी० आकार का ललौंच नीले रंग का एक नीलगू निशान।

४—दाहिने पैर पर टखने से ६" ऊपर एक फफोले के साथ ७ × १·५ से० मी० का ललौंच नीले रंग का नीलगू निशान।

५—दाहिने टखने पर ४ से० मी० × २ से० मी० का एक ललौंच नीले रंग का नीलगू निशान।

६—बायें पैर पर बायें टखने से ४·८ इंच ऊपर २·५ से० मी० × ५ से० मी० पुट्ठे तक गहरा फटा हुआ घाव।

नोट—उक्त सभी चोटें कुन्द हथियार से आना पाई गई।

शव को शवोच्छेदन डा० के० के० अग्रवाल, जिला अस्पताल फतेहगढ़ ने दिनांक १९-१०-७६ को किया तथा मृत्यु के पूर्व की आई हुई चोटें डाक्टरी परीक्षण उपरोक्त के अनुसार ही पाई गईं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की चोट नं० १ के नीचे दाहिनी हियूमरस हड्डी की टूटन पाई गई तथा चोट सं० १ तथा ५ के खोलने पर घाव में मवाद पाया एवं पुट्ठों में सूजन पाई गई। मृत्यु चोटों के सबमें तथा (सेप्टीसीमिया) से होना पाई गई।

नत्थी 'घ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६८४ पर)

संलग्नक 'ख'

उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट निगम लिमिटेड

वित्तीय वर्ष १९७७-७८ एवं १९७८-७९ (२८-११-७८ तक) में नए सीमेन्ट स्टाकिस्टों की नियुक्तियों का विवरण :

जनपद का नाम	नियुक्त पार्टी
आजमगढ़	१--श्री गोपाल कृष्ण खन्ना
	२--श्रीमती मालती देवी
	३--श्री लक्ष्मी प्रसाद
	४--श्री बेचन पांडे
	५--श्री राम नरेश यादव
	६--श्री बिहारी लाल
इलाहाबाद	१--श्री वीरेन्द्र नारायण मिश्रा
	२--केसरवानी ब्रदर्स
	३--श्री छोटे लाल वैश्य
	४--श्री घनश्याम दास साह
सुल्तानपुर	१--श्री राजकुमार अग्रवाल
गोंडा	१--श्री अम्बरेश कुमार गुप्ता
	२--श्री सुशील कुमार अग्रवाल
मैनपुरी	१--श्री नवीन चन्द्र चतुर्वेदी
	२--श्री राधेश्याम गुप्ता
	३--श्री राम सरन
	४--श्री अजीत कुमार गुप्ता
	५--श्री आलोक यादव
	६--श्री सत्य प्रकाश
	७--श्री धर्मेन्द्र सिंह

जनपद का नाम	नियुक्त पार्टी
मिर्जापुर	१—श्री इन्द्र कुमार सिंह
	२—श्री रुद्र प्रताप सिंह
	३—श्री मुनेश्वर सिंह
	४—श्री रघुनाथ प्रसाद
	५—श्रीमती रामप्यारी देवी
खीरी	१—श्री देवेन्द्र प्रकाश तिवारी
	२—श्री राजाराम त्रिवेदी
	३—श्री अविनाश चन्द्र
	४—श्री हरिबन्श लाल
शाहजहांपुर	१—श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता
बिजनौर	१—श्री धर्म पाल
	२—श्री बुन्दू हसन इरफान अहमद
बांदा	१—श्री शिव प्रसाद सोंधी
बदायूं	१—श्री राम चन्द्र लाल
बस्ती	१—श्री अवध नरेश पाल
	२—श्री जगदम्बा आटो सर्विस
बुलन्दशहर	१—श्री वीरेन्द्र कुमार गर्ग
देवरिया	१—श्री अक्षयवर पांड़े
	२—श्री अशोक कुमार
	३—श्री अ० गफूर
	४—सर्वश्री बालावकश राम औतार
एटा	१—श्री सतीश चन्द्र गुप्त
फतेहपुर	१—श्री योगेन्द्र प्रसाद सिंह
	२—श्री कुलदीप नारायण
	३—श्री राम सरन तिवारी
	४—श्री दया राम उत्तम
	५—श्री नाहर सिंह भदौरिया

जनपद का नाम	नियुक्त पार्टी
फैजाबाद	१—श्री शिव कुमार सिंह
	२—श्री जनार्दन प्रसाद वर्मा
	३—श्री रामजी उपाध्याय
गाजीपुर	१—श्री भोला राम
	२—श्री रमाशंकर प्रसाद
गोरखपुर	१—श्री मंगल प्रसाद जैसवाल
	२—श्री राम प्यारे जैसवाल
	३—श्री रणजीत सिंह
गाजियाबाद	१—श्री मेसर्स अग्रवाल ट्रेडर्स
अलीगढ़	१—श्री मुकेश कुमार अग्रवाल
मेरठ	२—श्री मेसर्स नवीन फर्टिलाइजर्स
मुरादाबाद	१—श्री दाल चन्द
प्रतापगढ़	१—श्री हीरा लाल गुप्त
	२—श्री जवाहर लाल श्रीवास्तव
रायबरेली	१—श्री अखिलेश सिंह
रामपुर	१—श्री सुन्दर सिंह
पिथौरागढ़	१—मेसर्स मोहर सिंह आशा राम
	२—मेसर्स अमर नाथ भसीन एण्ड कं०
सीतापुर	१—श्री युगल किशोर अग्रवाल
	२—श्री मे० कमल ट्रेडर्स
	३—श्री अम्बुज कुमार जैन

योग .. ६८

नत्थी 'ङ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९८५ पर)

जनपद देवरिया थाना कोतवाली में मार्च, १९७८ से १९-९-७८ तक डकैती, कत्ल तथा रहजनी की घटनाओं का मासिक विवरण :—

	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	कुल
डकैती	१	..	..	..	..	१	..	२
कत्ल	१	..	..	१	२	..	१	५
राहजनी	..	१	१	..	१	..	..	३

परिशिष्ट 'च'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या १९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९८८ पर)

घटना का विवरण

ग्राम कलन्दरपुर मजरे माझा तरहर, थाना कोतवाही देहात, गोंडा के पश्चिम तरफ एक पथरी ताल स्थित है, जहां पर आस-पास गांव के लोग अपने-अपने जानवर चराने लाया करते हैं। उस तालाब के पास ही में श्री फुरसत पुत्र ननकन पासी नि० ग्राम कलन्दरपुर मजरे माझा तरहर थाना कोतवाली देहात व उनके चाचा आदि का खेत है जिसमें मकई की फसल लगी थी। इस फसल को ग्राम चेतपुर के चरवाहों ने अपने जानवरों से चरा दिया। इन खेतों के पास एक गूलर का पेड़ था जिसकी छाया में चरवाहे बैठा करते थे। उपरोक्त पेड़ की डालों को उपरोक्त फुरसत के चचेजात भाई ने इस आशय से कटवा दिया कि न छाया रहेगी और न चरवाहे वहां बैठ कर अपने जानवर चरायेंगे और न उनकी फसल नष्ट होगी। जब ग्राम चेतपुर के चरवाहों को यह पेड़ काटने वाली बात मालूम हुई तो वे काफी नाराज हो गए और दिनांक ९-६-७८ को करीब डेढ़ बजे दिन में धुबरू आदि १५ नफर अभियुक्तगण नामजद प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री फुरसत के मकान पर लाठी, बल्लम, फरसा लेकर चढ़ गए तथा उनका खपड़ा तोड़ने-फोड़ने लगे। शोर पर आस-पास के लोग पहुंचे। इसी बीच मुल्जिमान ने लखन पासी के मड़हा में आग लगा दिया तथा लखन गुड्डू, बांके लाल, भगौती मुराव, ननकऊ मुराव, पोपल आदि ने, जो शोर सुनकर मौके पर पहुंच गए थे, उन्हें लाठी, भाला, फरसा से मारा पीटा और भगवत मुराव व ललन पासी का दरवाजा काटने लगे। गांव के बहुत से लोगों के इकटठा हो जाने और ललकारने पर मुल्जिमान भाग गए। श्री फुरसत, छबि लाल, पोपल, ननकऊ, भगौती को लाठी, बल्लम व फरसा की चोटें आयीं और लखन, भगवत का करीब १२०० का नुकसान हुआ। सूचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त कायम हुआ।

नत्थी 'छ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या ३३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९९४ पर)

तालिका

उत्तर प्रदेश मंत्रि परिषद् के सदस्यों द्वारा १-१-७८ से ३०-६-७८ तक विभिन्न मदों पर किए गए व्यय का विवरण

नाम	रेलवे को सफर के सिलसिले में भुगतान की गई धनराशि	इंडियन एयर लाइन्स को दी गई धनराशि	टेलीफोन्स बिलों के भुगताग की धनराशि	सरकारी कारों तथा दौरों में खरीदे गए पेट्रोल पर व्यय की गई धनराशि	सरकारी हवाई जहाज/हेली-काप्टरों के तेल/ईंधन पर व्यय की गई धनराशि
१	२	३	४	५	६
मुख्य मंत्री	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
१--श्री राम नरेश यादव मंत्री	३,५५९·६५	७७५·००	३६,३९३·२०	८,११७·७१	६४,८५१·९५
२--श्री राम प्रकाश	१३,८२५·५०	..	१४,९०९·९०	८,६२१·७९	५,६८९·१७
३--श्री बलबीर सिंह	९,७६९·३०	..	१०,७७५·००	५,१२९·१८	..
४--श्री रवीन्द्र किशोर शाही	९,९७७·४५	..	४५,३५८·६५	६,७७८·४४*	४,८१९·३०

*इसमें १-२-७८ से ३०-६-७८ तक मंत्री जी के दौरों के दौरान खरीदे गए पेट्रोल का व्यय यात्रा विवरण प्राप्त न होने के कारण सम्मिलित नहीं है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३	४	५	६
	रु०		रु०		
५—श्री शोबन सिंह जौना	५,२८४·००	..	८,७३८·२५	५,०४०·९५	..
६—श्री गणेश दत्त वाजपेयी	५,३५०·०५	..	२०,३४८·००	११,८६२·५७	१,२१५·६६
७—श्रीमती चन्द्रावती	७,९६५·२०	१७०·००	१६,०११·४५	८,१६२·८२	१,६७९·०९
८—श्री आबिद अली	९,१९१·८५	६००·००	२६,५८०·२०	८,६१८·२०	..
९—श्री शारदा भक्त सिंह	१०,८९१·७०	..	११,८२९·००	१३,५६७·५८	..
१०—श्री मधुकर दिघे	७,५०६·६०	१,८३०·००	१३,८२६·९५	७,१२९·४६	३,०२२·४३
११—श्री हरिश्चन्द्र	१०,६९२·२०	३७५·००	३२,२९४·२५	१०,५७३·९७	..
१२—श्री जमुना प्रसाद बोस	८,२८३·१५	१७०·००	२६,१९४·०४	१२,४४२·७४	३,१५०·४८
१३—श्री मुहम्मद मसूद खां	६,९१८·००	..	१३,०७४·४०	८,२७५·०८	९१३·४३
१४—श्री श्रीचन्द्र	१२,१७८·५५	..	१७,०७४·२५	६,७८७·७८	..
१५—श्री राजेन्द्र सिंह	११,४३०·७०	..	१६,१४·७५	१३,३३६·२३	..
१६—श्री कल्याण सिंह	३,८२०·१५	..	९,८६७·७५	९,६७८·८८	..
१७—श्री काली चरण	४,९१२·४०	..	११,६४४·२५	९,२०·४३	..
१८—श्री केसरी नाथ त्रिपाठी	९,६८१·००	१७०·००	२१,८९२·७५	१४,७९९·१५	..
१९—श्री राम सिंह	७,४३७·०५	१,१३०·००	१८,४७५·००	७,७३९·१०	..
२०—श्री मुलायम सिंह यादव	३,५२६·५०	५१०·००	१५,३८२·४५	१९,०९०·०९	..

२१—श्री ओम प्रकाश सिंह	८,७५८·६५	३४०·००	१५,२६५·५५	९,४१७·०६	..
२२—श्री रमा शंकर कौशिक	४.६९१·४०	३४०·००	५,७००·८०	३,४५४·५९	१,११२·०६
२३—श्री शिव मंगल सिंह	१,१४२·९०	..	१,३३६·५०	३,८१८·२४	..
२४—श्री सत्य प्रकाश मालवीय (भूतपूर्व मंत्री) १५-७८ तक	३,९८०·८५	३४०·००	१९,०९६·५०	८,०७१·४०	..
राज्य मंत्री					
१—श्री लक्ष्मण सिंह	८,७९७·२५	..	१७,३१६·८५	९,४८६·३४	..
२—श्री अवधेश प्रसाद	४,१८१·४५	..	१३,१४३·००	१०,५३८·२१	..
३—श्री धीरेन्द्र सहाय	४,३४२·५०	१७०·००	१०,१२३·७५	१५,१७७·२०	..
४—श्री सूबेदार प्रसाद	६,१२७·६०	..	८,८८७·१०	६,८००·१९	..
५—श्रीमती शकुन्तला नायर	५,५१२·००	..	११,१७६·००	१०,५३६·८५	..
६—श्री रेवती रमण सिंह	९,५२६·००	६८०·००	२५,७६५·६०	१६,४५८·८४	..
७—श्री सत्य देव त्रिपाठी	६५८·५०	१,१००·००	१८,०१६·६०	१६,७७९·८०	..
८—श्री अब्दुल रऊफ लारी	६,६६३·३०	..	८,१६१·५०	६,४६७·२२	..
९—श्री कुंवर सत्यवीर	४,५२०·८५	..	७,२३९·९०	६,३२४·४८	..
१०—श्री शारदा प्रसाद रावत	२,४७१·५०	६५०·००	९,१६४·५०	३,६४१·६३	..
११—श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल	४,८३४·५०	१,०९०·००	५,९१२·७०	३,४३३·७१	..
१२—श्री चन्द्र शेखर सिंह	२,२०६·७५	..	९,६९६·७०	१४,२७४·१७	..

१	२	३	४	५	६
१३--श्री काजी मोहम्मद मोहीउद्दीन	३,१४२·१०	..	१,७२९·००	१,५३७·५०	..
१४--श्री लक्ष्मी सहाय सक्सेना	१,३०९·४०	..	२,२३८·००	४,७८५·४९	..
१५--श्री राजबली तिवारी	३,३३४·४५	..	२,५७८·००	१,९६९·८६	..
१६--श्री मुख्तार अनीस उप मंत्री	३,४३२·५०	८५०·००	९,६६५·००	१५,४२५·९१	..
१--श्री भगौती सिंह	२,६७४·५५	..	५,७१२·२५	१०,८५९·०७	..
२--श्री शिवदास तिवारी	२,८६९·५०	..	८,७५४·००	६,०५२·२३	..
३--श्री बाबू लाल वर्मा	१,३८२·३५	..	८,२८१·७५	६,८३७·४६	..
४--श्री छोटे लाल यादव	..	..	७,२५४·५०	६,२६५·०१	..
५--श्रीमती मालती शर्मा	३,६४२·८५	..	१७,१२०·६५	२,५८६·६६	..
६--श्री तेज सिंह	५,४२३·७५	..	४,८२२·०५	२,२३२·७६	१,००७·६०
७--श्री मकबूल हुसैन खां	११९·५०	..	१,३४०·५०	९७२·२६	..
८--श्री दीनानाथ सेवक	४१९·००	..	..	९४०·४७	..

नत्थी 'ऊ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या ३८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९९५ पर)

२३-६-१९७७ से २०-७-१९७८ तक प्रदेश में पुलिस व प० ए० स० द्वारा गोली चलाये जाने का विवरण

(अ) किन-किन स्थानों पर पुलिस व पी० ए० सी० ने भीड़ पर गोलियां चलाई हैं ?

प्रश्नगत अवधि में पुलिस ने निम्नलिखित जिलों में गोली चलाई --

नैनीताल, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, पीलीभीत, बुलन्दशहर, मेरठ, आगरा, बाराबंकी, रायबरेली, मुरादाबाद, सुलतानपुर, फतेहपुर, गोरखपुर ।

(ब) कितनी बार गोलियां चलाई हैं ?

२ ।

(स) किन-किन गोलीकाण्डों के न्यायायिक जांच के आदेश दिये गये ? उनमें से किस-किस काण्ड की जांच पूरी हो गई ?

निम्नांकित जिलों में पुलिस द्वारा गोली चलाने की घटनाओं के सम्बन्ध में जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत जांच के आदेश दिये गये हैं :--

लखनऊ	जांच प्रचलित है ।	
कानपुर	तदेव	
वाराणसी	तदेव	
नैनीताल (पंतनगर)	तदेव	
आगरा	तदेव	

(द) गोलीकाण्डों में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए ?

मृत्यु		घायल	
पुलिसजन	नागरिक	पुलिसजन	नागरिक
२	५४	३२१	२२६

नत्थी 'झ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या ३९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९९६ पर)

३९--गत चार वर्षों में उत्तर प्रदेश, लघु उद्योग निगम लि० द्वारा प्रदेश की फर्मों को १,२७,५३,७८४ रु० की मशीनें दी गईं और रु० १,५९७·१६ लाख का कच्चा माल तथा रु० १,०६४·०९ लाख का आयातित व अन्य माल खरीदा गया। उ में से ११·८७ लाख का सम्बन्धित आयातित माल फर्मों द्वारा उठाया नहीं गया है। जहां तक लौह और अलौह कच्चा माल का सम्बन्ध है यह निगम के द्वारा पिछले वर्षों में क्रय और उठाव के आधार पर मंगाया जाता है। इस तरह का माल किसी विशेष फर्म के लिये नहीं मंगाया जाता है। इस तरह से मंगाया गया ज्यादा से ज्यादा माल प्रदेश के लघु इकाइयों द्वारा सर्वेक्षण में उठा लिया जाता है तथा जो माल साल के अन्त में अवशेष रह जाता है और साधारणतः उसके उठने का आसार नहीं दिखाई पड़ता है, ऐसे माल हेतु सीलबन्द निविदायें आमन्त्रित करके माल का निस्तारण कर दिया जाता है। निगम सिर्फ आयातित कच्चे माल के सम्बन्ध में वास्तविक उपभोक्ता अर्थात लाइसेन्स के विरुद्ध १० प्रतिशत धरोहर जमा कराकर ही माल को अवमुक्त करता है। ऐसा मंगाया गया माल उस इकाई को जिसके विरुद्ध मंगाया जाता है को साधारण किस्तों पर निगम के नियमानुसार दे दिया जाता है। यदि कोई इकाई माल उठाने में असमर्थ होती है तो उस पार्टी की अग्रिम धरोहर राशि जब्त कर ली जाती है। इस तरह का आयातित माल मुख्य नियंत्रक आयात एवं निर्यात की आज्ञा लेकर और सीलबन्द निविदायें मंगाकर ही निस्तारित किया जाता है। यदि इस स्कीम के अन्तर्गत मशीनरी आयातित की जाती है और इकाई इस मशीन को नहीं उठाती तो उस इकाई की अग्रिम धनराशि जब्त कर ली जाती है और मशीनों हेतु मुहरबन्द निविदायें मंगाकर उसका निस्तारण कर दिया जाता है। इसके उपरान्त भी यदि निगम को कोई वित्तीय क्षति होती है तो इकाई के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र जारी करके रुपया वसूल कर लिया जाता है।

नत्थी 'अ'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ ९९६ पर)

४०—जी हां। पिछले चार वर्षों में लाभ में निरन्तर कमी हो रही है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम के लाभांश गत ४ वर्षों में निम्न प्रकार रहा है :—

	रु०
१९७४-७५	.. ४५·२७ लाख।
१९७५-७६	.. १९·४६ लाख।
१९७६-७७	.. १४·८८ लाख।

१९७७-७८ की बैलेन्स शीट तैयार की जा रही है तथा लाभांश लगभग ६ लाख रुपये होने की सम्भावना है। वर्ष १९७४-७५ एवं १९७५-७६ की रिपोर्ट लाभ-हानि के विवरण सहित सदन की पटल पर रखी जा चुकी है। वर्ष १९७६-७७ की आडिट रिपोर्ट लाभ-हानि के चिट्ठे सहित मुद्रण में है। मुद्रित होने पर उसे यथाशीघ्र सदन के पटल पर रखा जायेगा। जहां तक वर्ष १९७७-७८ का प्रश्न है, उसे निगम में इस वर्ष की वार्षिक सामान्य सभा जो इस माह के अन्त में होने जा रही है, के सम्मुख अनुमोदनोपरान्त रखा जायेगा। तदोपरान्त उसे मुद्रित कराया जायेगा।

नत्थी 'ट'

(देखए अतारांकित प्रश्न संख्या ७३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १००५ पर)

बन्दीरक्षक, प्रधान बन्दीरक्षकों की मांगें :—

माँगें	वर्तमान स्थिति
(१) बन्दीरक्षकों, प्रधान बन्दीरक्षकों का वेतन-मान बढ़ाया जाय	समस्त वेतनमानों का पुनरीक्षण वेतन आयोग (१९७१-७३) द्वारा किया जा चुका है अतः पुनः वेतन पुनरीक्षण का प्रश्न नहीं उठता ।
(२) ८ घंटे से अधिक ड्यूटी देने पर अतिरिक्त वेतन दिया जाय	धनाभाव के कारण सम्प्रति सम्भव नहीं है ।
(३) रविवार को ड्यूटी देने पर एक दिन का अतिरिक्त वेतन दिया जाय	धनाभाव के कारण संभव नहीं है ।
(४) शिविरों में नियुक्त बन्दीरक्षकों को पहले की भांति वेतन का ४० प्रतिशत शिविर भत्ता एवं आवास भत्ता दिया जावे	वेतन आयोग द्वारा नये वेतनमानों का निर्धारण किया गया है ।
(५) वेतन अभिनवीकरण में सेवाकाल पर पूर्ण ध्यान रखते हुये वेतन निर्धारण किया जावे ताकि पुराने कर्मचारी अपने सेवाकाल के अनुसार अपने वेतन स्केल का उच्चतर स्तर पाये	वेतन निर्धारण सामान्य नियमों के अनुसार किया जाता है ।
(६) अर्थ दण्ड पूर्णतया समाप्त किया जावे	अर्थ दण्ड जेल मैनुअल के प्रावधानों के अन्तर्गत दिया जाता है । उसमें कोई परिवर्तन व्यवहार्य नहीं है ।
(७) रिजर्व प्रधान बन्दीरक्षकों, मुख्य प्रधान बन्दीरक्षक तथा रिजर्व मुख्य प्रधान बन्दीरक्षक के पद बढ़ाये जायें	धनाभाव के कारण सम्भव नहीं है ।
(८) रिजर्व प्रधान बन्दीरक्षक व मुख्य प्रधान बन्दीरक्षक को भी वर्दी के साथ कंधे पर दो स्टार लगना चाहिये	सम्भव नहीं है ।
(९) आकस्मिक अवकाश ३० दिन का दिया जाये जैसा कि अन्य सिविल शक्ति में है	विचाराधीन है ।
(१०) वर्दियों का पूर्ण रूप से सुधार किया जाय	परिवर्तन किया जा रहा है ।

मांगें	वर्तमान स्थिति
(११) शिविर कारागारों और पहाड़ी कारागारों में बन्दीरक्षकों की तैनाती बाई नम्बर किया जाय	तैनाती आवश्यकतानुसार की जाती है ।
(१२) रिटायरमेंट के साथ बन्दीरक्षकों को उनकी समस्त धनराशि का भुगतान व पेंशन पाने की व्यवस्था की जाये और तब तक उनको व उनके बच्चों को कारागार आवास में रहने दिया जाये	सेवा नैवृत्तिक लाभ तुरन्त भुगतान किये जाने के आदेश हैं तथा कार्यवाही नियमानुसार की जाती है । क्वार्टर्स की कमी के कारण नवा सिवृत्ति के बाद रहने देना सम्भव नहीं है ।
(१३) बन्दीरक्षकों के आवास में सुधार किया जावे	आर्थिक स्थिति को देखते हुये प्रबन्ध किया जाता है ।
(१४) बन्दीरक्षकों के बच्चों को उच्च शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा तक शिक्षण शुल्क की सहायता विभाग से दिया जावे अथवा इनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिये	राज्य कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधा के अनुसार इनको भी सुविधा देय है ।
(१५) बन्दीरक्षकों व प्रधान बन्दीरक्षकों के बच्चों को उसकी योग्यतानुसार कारागार विभाग में रिक्त पदों पर नियुक्त किये जाने का प्राविधान किया जावे और इनके लिये ५० प्रतिशत पद का आरक्षण हो	नियुक्ति की कार्यवाही नियमानुसार की जाती है ।
(१६) कारागार नियमावली प्रस्तर ७७६, ७५६, ७६६ में सुधार किया जावे और रात्रि ड्यूटी वाली बन्दीरक्षकों को अपनी ड्यूटी समाप्त करने के पश्चात् अपने आवास पर विश्राम हेतु जाने का प्राविधान बनाया जाये	धनाभाव के कारण सम्प्रति संभव नहीं है ।
(१७) बन्दीरक्षकों को निर्धारित समय के अन्दर स्थानान्तरण न किया जावे और अपने जिले पर अथवा उसके जिले के नजदीक जिलों पर रखा जाये	स्थानान्तरण शासन के सामान्य आदेशों के अनुसार होता है ।
(१८) बन्दीरक्षकों के नई नियुक्ति में प्रशिक्षण के बाद ही कारागार पर ड्यूटी हेतु तैनात किया जाये	प्रयास किया जा रहा है ।
(१९) स्थानान्तरण पर १२ कुंतल सामान का भाड़ा दिया जावे	शासन के सामान्य नियम इन पर भी लागू हैं ।
(२०) सहायक कारापाल का चयन अलग से न किया जावे वरंच बन्दीरक्षक स्तर से ही पदोन्नति द्वारा इनकी नियुक्ति की व्यवस्था किया जावे	सहायक कारापाल के पदों पर बन्दीरक्षकों की पदोन्नति कुछ पद आरक्षित करने के बारे में विचार किया जा रहा है ।

परिशिष्ट 'ठ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या ९७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०१२ पर)

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पेंशन देने की योजना १९४७ के अन्त से आरम्भ की गई थी। इस बीच कई सरकारें बदली हैं तथा पेंशन देने की नीतियों में परिवर्तन होता रहा है। इन नीतियों के परिणामस्वरूप अनेक सेनानियों की पेंशन स्वीकृत की गई थी। आरम्भ से इस प्रकार के कोई रजिस्टर या अभिलेख अलग से नहीं रखे जाते थे जिससे यह जानकारी हो सके कि कितने सेनानियों को पेंशन स्वीकृत की गई है। गृह (सामान्य) अनुभागों में लगभग ६०-७० हजार पत्रावलियां होंगी जिन्हें परीक्षण कर प्रश्न में मांगी गई सूचना एकत्रित किये जाने का प्रयास किया जा सकता है परन्तु यह एक बहुत ही श्रम साध्य कार्य है जिसमें काफी समय लगेगा और इसी बीच अनुभागों में किया जा रहा पेंशन तथा अनुदान से सम्बन्धित समस्त कार्य रुकवाना पड़ जायेगा। इसके अतिरिक्त, यदि प्रश्न में मांगी गई सूचना जिलों से मंगाई जाती है तो जिला मजिस्ट्रेटों को भी सन् १९४७ से अभिलेखों का परीक्षण करना होगा और सूचना एकत्रित करने में बहुत समय तथा श्रम लगेगा। प्रश्नकर्ता द्वारा उठाये गये प्रश्न बहुत ही व्यापक हैं तथा अपेक्षित सूचना अत्यधिक विस्तृत एवं श्रम साध्य है जिसे एकत्र करना कठिन है। यदि माननीय सदस्य किसी व्यक्ति के बारे में सूचना चाहते हों तो नोटिस देने पर उन्हें उपलब्ध कराई जा सकती है।

२--प्रश्न में विचाराधीन प्रार्थना-पत्रों के सम्बन्ध में मांगी गई सूचना के सम्बन्ध में निवेदन है कि कितने प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं, इसके सम्बन्ध में भी अलग से कोई अभिलेख नहीं रखे जाते हैं। प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर सम्बन्धित पत्रावली रखकर विचार किया जाता है। जो प्रार्थना-पत्र अपूर्ण होते हैं उन्हें सेनानी को वापस भेजकर पूर्ण कराया जाता है। अनेक प्रार्थना-पत्रों के सम्बन्ध में सेनानियों से जानकारी प्राप्त की जाती है। अनेक प्रार्थना-पत्रों के सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट से जानकारी प्राप्त की जाती है। ये सब पत्रावलियाँ अलग-अलग नहीं रखी जाती हैं। अतः वांछित सूचना उपलब्ध कराने में समस्त पत्रावलियों का परीक्षण करना पड़ेगा जो एक बहुत ही श्रम साध्य कार्य है जिसमें काफी समय लगेगा।

३--राज्य सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को राष्ट्रीय सेवाओं को पूरी मान्यता देने तथा उनकी भावनाओं का सम्मान करने के उद्देश्य से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को पेंशन तथा अनुदान दिये जाने की योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत पेंशन स्वीकृत की जाती है। इस योजना को कार्यान्वित करने की नई नियमावली २५ फरवरी, १९७३ से लागू की गई। इस नियमावली में पेंशन देने की नीति निर्धारित की गई है जिसकी मुख्य-मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं :--

(१) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आजीवन पेंशन सम्मानार्थ स्वीकृत की जाती है जिसकी न्यूनतम दर ६० रुपये प्रतिमास तथा अधिकतम दर १०० रुपये प्रतिमास है।

(२) उत्तर प्रदेश के ऐसे अधिवासी व्यक्ति जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लेने के फलस्वरूप दो महीने की सजा काटी हो, तीन महीने नजरबंदी या विचाराधीन बंदी के रूप में जेल में रहे हों, १० बेतों की सजा का दंड भोगा हो, या गोली से घायल हुये हों, या जिन्होंने वीरगति प्राप्त की हो, या फरार घोषित किये गये हों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की परिभाषा में सम्मिलित माने गये हैं। इसके अतिरिक्त

भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के सैनिक, भारतीय इन्डिपेंडेंस लीग के सदस्य, ऐसे व्यक्ति जो पेशावर काण्ड में रहे हों, गांधी इरविन पैक्ट १९३१ में रिहा किये गये हों, जिन्हें नौकरी से हटाया गया हो, जो कमागाटा मारू केस या १९१२ की गदर पार्टी से सम्बन्धित रहे हों, जिनकी चल अथवा अचल सम्पत्ति जब्त अथवा कुर्क कर ली गई हो परन्तु वापस न की गई हो तथा जिनको देशी रियासतों तथा फ्रांसीसी अथवा पुर्तगाली उपनिवेशों को भारतीय संघ में विलीनीकरण के आन्दोलनों में भाग लेने के कारण सजा हुई हो, को भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की परिभाषा में सम्मिलित मान गये हैं। उत्तर प्रदेश से बाहर रहने वाली महिलायें जिनका कार्यक्षेत्र उत्तर प्रदेश रहा हो, परन्तु इस समय विवाहादि कारणों से प्रदेश के बाहर रह रही हों, भी पेंशन की पात्र हैं बशर्ते उन्होंने निर्धारित यातनायें सही हों।

(३) सेनानियों के मृत्योपरान्त उनके परिवार के पात्र व्यक्ति को दिवंगत सेनानी की मृत्यु के दिनांक के दूसरे दिन से पारिवारिक पेंशन देय है। पारिवारिक पेंशन हेतु उत्तरोत्तर क्रम में सर्वप्रथम उसकी विधवा, तत्पश्चात् ज्येष्ठतम जीवित अवयस्क पुत्र तथा उसके बाद ज्येष्ठतम जीवित अवयस्क एवं अविवाहित पुत्री आते हैं।

(४) पेंशन के अलावा सेनानी तथा उसके आश्रितों को २,००० रु० की अधिकतम सीमा तक एक मुश्त अनुदान, जो कुल मिलाकर एक वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित किसी एक प्रयोजन या सब प्रयोजनों हेतु दिया जा सकता है :—

(१) पुत्रियों तथा आश्रित बहिनों के विवाहार्थ,

(२) सेनानी तथा उसके आश्रितों के चिकित्सार्थ,

(३) किसी विपत्ति अथवा असाधारण कठिनाई के निवारणार्थ तथा

(४) सेनानी के सन्तानों के शिक्षार्थ।

४—"स्वतंत्रता संग्राम सेनानी" या उसके परिवार को स्वीकृत किये जाने वाले अनुदान के उद्देश्य के लिये 'परिवार' का तात्पर्य उसकी पत्नी या विधवा, अविवाहित पुत्री या उस पर आश्रित माता, पिता, आश्रित विधवा पुत्र वधू, अवयस्क पुत्र, आश्रित बहन तथा आश्रित पोता-पोती, जिनके पिता की मृत्यु हो गई हो, से है।

५—शासन द्वारा राज्य स्वतंत्रता संग्राम पेंशन हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तिथि ३१ मार्च, १९७८ निर्धारित कर दी गई थी।

नत्थी 'ङ'

(देखिए पीछे पृष्ठ १०४२ पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र (१९७८) के लिये सर्वश्री मंजूर अहमद तथा अरुण कुमार के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न का उत्तर ।

प्रश्न	उत्तर
क्या वन मंत्री जी को ज्ञात है कि श्री दिखौदी सिंह हरिजन वन रक्षक दिनांक २२-८-७८ से डी० एफ० ओ० कार्यालय मेरठ के बाहर अनशन पर हैं ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं ? और उस सम्बन्ध में शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की ?	जी हां । श्री दिखौदी सिंह ने दिनांक २०-१०-७६ से १३-२-७७ तक के बकाया वेतन के भुगतान के सम्बन्ध से दिनांक २२-८-७८ को अपरान्ह ४-०० बजे अनशन आरम्भ किया था। उनकी मांग स्वीकार कर ली गयी। अतः श्री सिंह ने दिनांक २४-८-७८ की सायंकाल ५-३० बजे अनशन समाप्त कर दिया । श्री चन्द्र, वन मंत्री ।

पी० एस० यू० पी०--४९ वि० सभा-७-७-७९--८३५--(पी० डी०)